लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 48, म अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

Preservation Unit
Fumigated 28-8-91
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2 मंगलवार, 18 फरवरी, 1975/29 माघ, 1896 (शक)

No. 2, Tuesday, February 18, 1975/Magha 29, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn .. ... —	1
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References .. —	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1. भारतीय तेल निगम के लाभ में कमी	Decline in Profit of I.O.C. ..	2-5
2. अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में इराक के साथ करार	Agreement with Iraq for supply of Crude Oil	5-7
4. औषध उद्योग के लिये मार्गदर्शी निदेश	Guidelines for Drug Industry ...	7-11
6. कांगड़ा घाटी रेलवे का वैकल्पिक मार्ग	Alternate Alignment on Kangra Valley Railway, ...	11-12
7. बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज	Oil Exploration in Bombay High. ..	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
3. काम पर वापस न लिए गए कर्मचारी	Employees not taken back on Duty	13
5. राज्य व्यापार निगम से विदेशी औषध फर्मों द्वारा स्टाक न उठाया जाना	Foreign Drug Firms not lifting Stocks from S.T.C.	14
8. वायरलेस आपरेटरों (दक्षिण रेलवे) के लिये प्रवीणता परीक्षायें	Proficiency Examinations for Wireless Operators (Southern Railway).	14
9. वर्ष 1974 के दौरान कोयले की कमी के कारण बिहार में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Bihar due to Coal Shortage during 1974. ..	14-15
10. निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Poor. ..	15
11. चुनाव आयोग की द्रुत योजना	Election Commission's Crash Plan. ..	15-16
12. भारतीय रेलवे में काम कर रहे स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters working on Indian Railways.	16
13. रेलवे में बड़े पैमाने पर अपराध की घटनाएं	Widespread Incidence of crime in Railways.	16-17
14. दक्षिण रेलवे में हुई गत हड़ताल के दौरान परेशान किये गये तथा मुअत्तिल किये गये कमचारी	Employees victimised and placed under Suspension during last Strike on Southern Railway. ..	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
15.	विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रक्षालकों (डिटरजेन्ट्स) का उत्पादन	Manufacture of Detergents by Foreign Companies.	17–18
16.	पैट्रोलियम की खपत कम करने के लिये कार्यवाही	Steps to reduce consumption of Petroleum.	18
17.	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Coal-based Fertilizer Plants. ..	18
18.	गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के सामने वित्तीय कठिनाइयां ..	Financial difficulties facted by Gorakhpur Fertilizer Plant.	18–19
19.	मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करना	Re-instatement of workers who participated in May 1974 Strike. ..	19–20
20.	बारामुरा में तेल और गैस का मिलना	Discovery of Oil and Gas in Baramura.	20
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1.	कतिपय विदेशी फर्मों द्वारा डाक्सीसाईक्लीन के उत्पादन के लिये भारतीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव	Proposals from certain Foreign Firms for giving Technical know-how to I.D.P.L. for manufacturing Doxycycline.	20–21
2.	मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मुअत्तल, सेवा से निकाले गये तथा बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारी	Employees suffered suspension, Termination, Dismissal on Northeast Frontier Railway during May, 1974 Strike.	21
3.	कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा कुछ औषधियों का उत्पादन और विपणन	Production and Marketing of Certain Drugs by some Foreign Companies, ...	21–22
4.	प्रचार तथा पैकेज आदि की लागत को कम करके औषधियों का मूल्य घटाना	Reducing Prices of Drugs by Curtailing Propaganda and Packaging Costs.	22
5.	जनवरी, 1973 से जनवरी, 1974 तक की अवधि में मध्य रेलवे में डकैतियां	Dacoities committed on Central Railway during the period from January 1973 to January 1974. ..	22–23
6.	एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाईन को बड़ी रेलवे लाईन में बदलने के लिये संशोधित कार्यक्रम	Revised Schedule for conversion of Ernakulam Trivandrum line into Broad Gauge	23
7.	त्रिपुरा के बारामुरा में छिद्रण कार्य स्थगित करना	Suspension of drilling work at Baramura in Tripura. ..	23
8.	परिसीमन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Delimitation Commission.	23
9.	हल्दिया-पनस्कुरा रेलवे लाईन	Haldia Panskura Railway Line. ..	24
10.	कतिपय फर्मों द्वारा सोडा एश का उत्पादन	Production of Soda ash by certain firms.	24
11.	अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil.	24–25
12.	छोटी लाइनों (नैरो गेज) को हुई हानि	Loss incurred by Narrow Gauge Lines.	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
13.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच	Inquiries by MRTP Commission. ..	25
14.	विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Oil Companies.	26
15.	औषधि उद्योग के आर्थिक पहलुओं संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	National Convention on Economic Perspective of Drug Industry, ..	26
16.	चुनावों के बारे में प्रधान मन्त्री तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वक्तव्य	Statements of Prime Minister and Chief Election Commissioner Regarding elections.	26-27
17.	नये बोंगाईगांव से न्यू गोहाटी तक सड़क द्वारा माल ढोने के लिए टेंडर	Tenders for carrying goods by Road from New Bongaigaon to New Gauhati	28
18	3 अप/4 डाउन हावड़ा मद्रास मेल के 'मील कन्डेंसरों' की मांग	Demand from meal canvassers of 3 Up/4 Dn Howrah Madras Mail.	28
19.	दक्षिण तथा अन्य रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों का खपाया जाना	Abrosption of casual labour on Southern and other Railways. ..	28-29
20.	नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना	Establishment of new refineries ..	29
21.	पश्चिम रेलवे में बर्खास्त किए गए, सेवा से निकाले गए तथा मुअत्तल कर्मचारी	Employees dismissed, terminated and suspended on Western Railway.	29-30
22.	सरकार द्वारा बर्मा शैल और काल्टेक्स को अपने नियन्त्रण में लिया जाना	Take over of Burmha Shell and Caltex.	30
23.	कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल सम्पर्क	Rail link between Kanyakumari and Trivandrum.	30
24.	दक्षिण से देहरादून और अन्य तीर्थ स्थानों के लिये रेल गाड़ियां	Trains from South to Dehra Dun and other places of Pilgrimage. ..	31
25.	डाक, यात्री और माल गाड़ियों में डकैती	Robberies on mail, passenger and goods trains.	31-32
26.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नत हुए सिगनलरों के वेतनों का निर्धारण	Fixation of pay of Signallers when promoted as Assistant Station Masters Delhi Division (Northern Railway).	32
27.	नन्दयाल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति का लूटा जाना	Looting of Railway property at Nandyal Railway Station, ...	32-33
28.	कावेरी तट दूर बेसिन में तेल की खोज	Oil exploration in Cauvery off shore basin.	33
29.	पानीपत में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a fertilizer plant at Panipat.	33
30.	निर्धनों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी प्रतिवेदन का क्रियान्वयन	Implementation of report on legal Aid to poor.	34
31.	भारतीय तेल निगम के लाभों में उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कमी	Decline in profits of I.O.C. despite increase in turn over of production..	34-35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
32.	पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों को रद्द करना	Suspension of trains in North Eastern Railway	35
33.	मथुरा शोधनशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रगति	Progress on setting up of Mathura Refinery.	35
34.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में बिछाई गई नई रेल लाईनें	New Railway Lines constructed in Kerala during Fourth Five Year Plan period	35–36
35.	उत्तर रेलवे पर गत हड़ताल में मुअत्तल/बर्खास्त किए गए कर्मचारी	Employees whose services terminated/ suspended in last strike on Northern Railway	36
36.	पिछली रेलवे हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये रेलवे कर्मचारी	Railway employees dismissed during the last Railway Strike	36–37
37.	कुछ विदेशी फर्मों द्वारा आधारभूत कच्चे माल की तस्करी	Smuggling of basic raw material by some foreign Firms.	37
38.	आई० डी० पी० एल और एस० टी० सी० द्वारा आयातित औषधियों के मूल्य में असमानता	Disparity between prices of drugs imported by I.D.P.L. and S.T.C.	37–38
39.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Report of M.R.T.P. Commission.	38–39
40.	पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाईनों के लिए आवंटन	Allocation for new Railway Lines in backward areas during Fifth Plan.	39
41.	रेल गाड़ियों में सुरक्षा प्रबन्ध	Security arrangements in Trains. ..	39–40
42.	खर्च कम करने के लिये कर्मचारियों की श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Class I, II, III and IV Employees for effecting economy.	40
43.	तेल की खोज के लिए छिद्रण उपकरण की अनुपलब्धता	Non availability of driling equipment for oil exploration. ..	40
44.	तोड़ फोड़ और हिंसा की कार्यवाहियों में भाग न लेने वाले कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Employees not involved in sabotage and violence.	40–41
45.	एक तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना करना	Setting up of an Oil Industry Development Board.	41
46.	सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मामले	Cases pending in Supreme Court. ..	41
47.	भूतपूर्व रेल मन्त्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित करना	Implementation of Announcement made by former Railway Minister.	41–42
48.	रतलाम की एक फर्म द्वारा विटामिन 'सी' का उत्पादन	Production of vitamin 'C' by a firm of Ratlam.	42
49.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1975 में अनुसंधान और तेल की खोज पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure on research and oil exploration by O and NGC in 1975.	42
50.	पूर्व रेलवे के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही	Punitive action against Railway employees on Eastern Railway. ..	42–43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
51.	दिल्ली में 31 मार्च 1975 को रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन	Demonstration by Railwaymen in Delhi on 31st March 1975. ..	43
52.	दिसम्बर, 1974 में नवाडाह और गया के बीच हुई डकैतियां	Dacoities in December 1974 between Nawadah and Gaya.	43
53.	इराकी पैट्रोलियम उद्योग में भारतीय पूंजी निवेश	Indian investment in Iraqi Petroleum Industry.	44
54.	वर्ष 1975-76 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange needed for import of crude in 1975-76.	44
55	पूर्वी रेलवे में लगी घड़ियों और उनके रख-रखाव पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on installation and maintenance of clocks on Eastern Railway.	44
56.	कर्नाटक में पैट्रोलियम उत्पादों के परचून विक्रेता	Retail outlets of Petroleum Products in Karnataka.	45
57.	रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Stations.	45
58.	गुड़ की रेलवे भाड़े की प्राथमिकता श्रेणी 'ई' के अन्तर्गत ढुलाई	Movement of jaggery under prioity class 'E' of railway freight.	45–46
59.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन में व्यक्त विचार	Views Expressed by M.R.T.P. Commission in its 3rd annual report.	46
60.	हावड़ा और समस्तीपुर तथा रांची और समस्तीपुर के बीच रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की मांग	Demand to increase trains between Howrah and Samastipur and between Ranchi and Samastipur. ..	46
61.	मुजफ्फपुर और दरभंगा के विक्रेताओं (वेन्डरों) की सहकारी समितियों की मांगें	Demands of Co-operative Societies of vendors of Muzaffarpur and Darbhanaga.	46–47
62.	चुटिया रेलवे कालोनी लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, रांची की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Chutia Railway Colony Labour Co-operative Society Ltd. Ranchi.	47–48
63.	समस्तीपुर स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को हुई दुर्घटना के फलस्वरूप रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to the incident at Samastipur Station on 2-1-1975.	48
64.	वर्ष 1974-75 के दौरान रेल दुर्घटनायें	Railway accidents during 1974-75.	48
65.	औद्योगिक लाइसेंस के लिए मैसर्ज सी० ई० फुलफोर्ड एण्ड कम्पनी का प्रार्थना-पत्र	Application from M/s C.E. Fulford & Company for an industrial licence.	49
66.	औषण फर्मों की विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposals for dilution on foreign equity of drug firms.	49–50
67.	मैसर्ज होचेस्ट द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनपत्र में तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना	Misrepresentation of facts in the application from M/s Hocehst for C.O.B. licence.	50
68.	मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य	Statement of Chief Election Commissioner on snap poll	50
69.	पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाईनों के लिए राशि का आवंटन	Allocation for new railway lines in backward state of Madhya Pradesh.	50–51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
70.	गत वर्ष के दौरान मध्य रेलवे में अपराधों की घटनाएं	Crimes on Central Railway during the last year.	51
71.	मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling in Central Railway.	51–52
72.	अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil.	52
73.	रात्रि में डकैतियों की घटनाऐं रोकने के लिय कार्य-वाही	Steps to stop robberies at night. ..	52–53
74.	राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे को वैध बनाने सम्बन्धी विधान	Legislation to legalise company donations to political parties. ..	53
75.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को टुबुलर्ज की कमी का सामना	Shortage of tubulars faced by O. & N.G.C.	53
76.	कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains due to shortage of coal.	53–54
77.	संयुक्त अरब अमिरात से कच्चे तेल का आयात	Import of crude oil from United Arab Emirates.	54
78.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दल द्वारा लीबिया स्थित त्रिपोली की यात्रा	O. & N. G. C. team's visit to Tripoli in Libya.	54
79.	त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की खोज	Exploration for natural gas at Tripura.	55
80.	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के लिये इटली की योजना	Italian Plan for Durgapur Fertilizer Plant.	55
81.	निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम निर्धारित तिथि से पहले पूरा करने का निर्णय	Decision to advance the date for completing the delimitation of constituencies and revision of Electoral Rolls.	55–56
82.	विदेशी फर्मों द्वारा निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक मात्रा में फार्म्युलेशन्स का निर्माण	Manufacture of formulations in excess of licensed capacity by Foreign Firms.	56–57
83.	गुजरात में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electoral Rolls in Gujarat	57
84.	विदेशी औषध फर्मों द्वारा अपनी इक्विटी में कमी करने का प्रस्ताव	Proposals From Foreign Drug Firms for Reducing their Equity. ..	57–58
85.	उर्वरक उद्योगों के विकास के लिये उर्वरक आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Fertilizer Commission for Development of Fertilizer Industry.	58–59
86.	पैट्रोलियम उत्पादों की खपत रोकने का प्रस्ताव	Proposal to check consumption of Petroleum Products.	59
87.	उर्वरक कारखानों में नेफथा के स्टाक का जमा होना	Accumulation of Naphtha in Fertiliser Factories.	59
88.	काकोसी-भिलडी, हारिज सामी-राधनपुर और भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Kakosi-Bhildi, Harij Sami-Radhanpur and Bhavnagar Tarapur Railway Line.	59–60
89.	मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु द्रुत कार्यक्रम	Crash programme to revise Electoral Rolls.	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
90.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान माल ढुलाई का लक्ष्य	Fourth Plan target for goods movement.	60–61
91.	रेलवे लोक सेवा आयोगों में वृद्धि	In crease in Railway Public Service Commissions.	61
92.	माल यातायात से होने वाली आय में वृद्धि	Increase in Income from Goods Traffic.	61
93.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपीलों पर निर्णय	Decision on appeals of employees of Class I, II, III and IV. ..	62
94.	रेलवे वैगनों के बारे में नियमों में पुनरीक्षण	Revision of rules about Railway Wagons.	62
95.	दानेदार उर्वरक लघु संयंत्र	Mini Fertilizer granulation plant ..	62–63
96.	नए औद्योगिक शंटिंग रेल इंजन का निर्माण	Manufacturing of New Industrial Shunting Locomotive.	63
97.	देश में आशोधित तेल का उत्पादन	Production of crude oil in the country	63
98.	विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन एककों में बर्खास्त तथा मुअत्तल किए गए कर्मचारी	Employees dismissed and suspended on various Zonal Railways and production units.	63–64
99.	सासाराम-अर्राह-साराराम रोड रेलवे क्रासिंग के निकट मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train near Sasaram-Arrah-Sasaram Road Railway crossing.	64
100.	पांचवीं योजना के दौरान मैसूर-बंगलौर रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Mysore-Bangalore line into Broad Gauge Line during Fifth Plan	64
101.	खंडवा-इन्दौर लाईन का बड़ी लाईन (ब्राडगेज) में बदला जाना	Conversion of Khandwa-Indore Line into Broad Gauge Line	64–65
102.	निर्धारित कीमतों पर औषधियों का उपलब्ध न होना	Non-availability of drugs at fixed prices, ...	65
103.	बरौनी-भोजपुर रेलगाड़ी में डाका	Dacoity on Barauni-Bhojpur Train ..	65
104.	कोरबा स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना	Coal-based fertiliser project at Korba	65
105.	बिहार में कार्यरत मार्टन लाइट रेलवे का अधिकार में लिया जाना	Take-over of Martin Light Railway operating in Bihar	66
106.	बम्बई के गहरे समुद्र में तीसरे कुएं में तेल की खुदाई	Oil drilling in third well in Bombay High.	66
107.	'जनता' छाप साबुन का निर्माण करने वाली कम्पनियां	Companies manufacturing 'Janta' Soap.	66
108.	सोजत रोड स्टेशन पर गांधी प्याऊ	Gandhi Piao at Sojat Road Station	67
109.	हरिपुर रेलवे फाटक	Haripur Level Crossing	67
110.	चुनावों पर व्यय कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to reduce expenditure on elections.	67–68

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
111.	गोंडा और बहराइच के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों की खराब स्थिति	Deteriorating condition of first class coaches in trains between Gonda and Bahraich.	68
112.	समस्तीपुर से वैद्यनाथ देवघर तक और गया से देवघर तक सीधी रेलगाड़ी चलाना	Direct train from Samastipur to Vaidyanath Deoghar and from Gaya to Deoghar.	68
114.	जसीडीह तथा देवघर स्टेशन पर सुविधाएं	Amenities at Jasidih and Deoghar stations.	68–69
115.	वैद्यनाथ देवघर से मुख्य रेलवे स्टेशनों के लिए सीधे रेल डिब्बों की व्यवस्था	Through carriage service from Vaidyanath Deoghar to Major Railway Stations.	69
116.	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of S. S. Light Railway into Broad Gauge Line	69
117.	हापुड़ जंकशन पर खानपान के ठेकों का दिया जाना	Catering contracts given on Hapur Junction.	69
118.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधाएं	Reservation facilities at New Delhi Railway Station	70
119.	औषध उद्योग का पुनर्गठन करने के बारे में प्रतिवेदन	Report on restructuring of Drug Industry	70
120.	कुकिंग गैस सिलेन्डरों का अभाव	Shortage of cooking gas cylinders ..	70–71
121.	आरक्षण तथा बुकिंग संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on reservation and booking.	71–72
122.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा रैलीज इण्डिया लिमिटेड की परियोजना के बारे में की गई आपत्तियां	Objection raised by MRTP Commission on the project of Rallies India Ltd.	72
123.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार न किया जाना	Non-acceptance of recommendation of M.R.T.P. Commission by Government	72
124.	विदेशी औषध कम्पनियों को कच्चे माल का आयात करने की अनुमति	Foreign drug companies permitted to import raw materials.. ..	72–73
125.	विदेशी फर्मों द्वारा आयातित 'बल्क' औषधों के मूल्यों में कमी	Reduction in prices of imported bulk drugs by foreign firms	73
126.	रेल-परिवहन के दौरान हुई हानि के लिये पंजाब सरकार द्वारा पेश किये गये दावे	Claims made by Punjab Government against wheat losses in transit ..	73
127.	तेल की खोज में हुई प्रगति	Progress on oil exploration	73–74
128.	आम चुनाव	General Elections.	74
129.	कतिपय फर्मों द्वारा कैंसर-रोधक औषध आयात	Import of anti-cancer Drugs by certain firms	75
130.	बर्माशैल तथा काल्टैक्स द्वारा आयातित कच्चे तेल का परिष्करण	Refining of imported crude by Burmah Shell and Caltex	75–76

अता० प्र० संख्या U, S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
131.	राज्य सभा में चिकित्सा व्यवसाय को प्रतिनिधित्व देने की मांग	Demand for representation for medical profession in Rajya Sabha ..	76
132.	कोयले के स्थान पर डीजल तेल का प्रयोग आरंभ करने के लाभ	Advantages due to conversion from coal to diesel oil	76
133.	बम्बई हाई से तेल का उत्पादन	Production of oil from Bombay High	77
134.	विदेशी औषध फर्मों के अधिग्रहण का प्रस्ताव	Proposal to take over Foreign Drug Firms	77
135.	सेवा में अवरोध को समाप्त करने संबंधी मामलों पर निर्णय	Decision on cases of condonation of break in service	78
136.	रेलगाड़ियों में कन्टेनर्स में पेय जल की सुविधा को पुनः उपलब्ध कराने का प्रस्ताव	Proposal to re-introduce amenity of drinking water in containers in train	78
137.	वर्ष 1974 के दौरान बिहार आन्दोलनों के कारण रेल सम्पत्ति की क्षति	Damage to railway property due to agitations in Bihar during 1974 ..	78
138.	अत्याधिक कार्यभार (उत्तर रेलवे) के लिये अतिरिक्त कर्मचारी	Extra staff to do heavy work load (Northern Railway)	79
139.	कुछ भत्तों की पुनरीक्षित दरों की जानकारी सम्बन्धी सूचना का परिचालन	Circulation of revised rates of certain allowances	79
140.	मियांभाई न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किये गए कार्य के घंटे	Duty hours fixed by Miabhoy Tribunal	79–80
141.	एल्युमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड आसनसोल में कुप्रबंध	Mismanagement of Aluminium Corporation of India Limited, Asansol	80
142.	त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार विधान सभा के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों का स्थगित किया जाना	Postponement of bye-elections for Trivandrum Parliamentary Constituency and 48 Assembly Constituencies in Bihar	80
143.	निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित तिथि से पूर्व पूरा करने के निर्णय के बारे में की गई आपत्ति	Objection raised on the decision to advance the date for completing delimination of constituencies and revision of electoral rolls ..	80–81
144.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन	Amendment of Article 81 of the Constitution of India	81
145.	तलाक संबंधी समरुप कानून	Uniform law on divorce ..	81
146.	वस्तुओं की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to conduct enquiry into cost of production of commodities ..	81–82
147.	बड़े व्यापार गृहों के एकाधिकारवादी कार्य को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check monopolistic activities of large houses	82
148.	शोधन क्षमता में कमी तथा बर्मा शैल और कालटैक्स को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने में विलम्ब	Loss in refining capacity and delay in take over of Burmah Shell and Caltex	82–83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
149.	राज्यों में मतदाता सूचियों का प्रकाशन	Publication of voters lists in States	83
150.	दिल्ली में केन्द्रीय स्वस्थ सेवा औषधालयों/अस्पतालों में अत्यावश्यक औषधियों की कमी	Shortage of essential drugs in C. G. H. S. Dispensaries/Hospitals in Delhi	84
152.	समेकित रेल सुरक्षा बल	Unified Railway Police Force ..	84–85
153.	आवश्यक औषधियों का निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध होना	Availability of essential drugs at fixed prices	85–86
154.	तेल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण	Serveys conducted by O.&N.G.C. for oil exploration	86
155.	मतदाता सूची के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस नोट	Press note of Chief Election Commissioner regarding voters list ...	86
157.	वर्ष 1974-75 के दौरान कोयले की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियां	Trains cancelled during 1974-75 due to coal shortage	86–87
158.	पारादीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये एक फ्रान्सीसी फर्म के साथ करार	Contract with a French firm for constructing fertilizer plant at Paradeep	87
159.	विदेशी औषधि फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में 'बल्क' औषधों का उत्पादन	Production of bulk drugs in excess of licensed capacity by foreign drug firms	87–89
160.	विदेशी औषध फर्मों द्वारा आम खपत वाली औषधियों का अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन	Production of bulk drugs in excess of licensed capacity by foreign drug firms	89
161.	औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 लागू किया जाना	Application of the Price Control Order for Drugs 1970	89–90
162.	पूर्व रेलवे में बिजली हड़ताल के दौरान मुअत्तल किये गये और सेवा से निकाले गये कर्मचारी	Employees whose services were terminated, suspended in the last strike on Eastern Railway	90
163.	दक्षिण मध्य रेलवे में बर्खास्त किये गये और मुअत्तल किये गये कर्मचारी	Employees dismissed and suspended on South Central Railway ...	90–91
164.	टी० वी० पर मुख्य चुनाव आयुक्त का इन्टरव्यू	Interview of Chief Election Commissioner on T. V.	91
165.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges of Supreme Court and High Courts	91
166.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	Report submitted by MRTP Commission	91–92
167.	विदेशी औषधि फर्मों की अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करने के प्रति औषधि निर्माता एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रकट करना	Protest from D M.A. against regularising excess capacity of Foreign Drug Firms	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
168.	उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in High Courts. ..	92
169.	विदेशी औषध फर्मों द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि	Remittances abroad by Foreign Drug Firms	93
170.	जीवन-रक्षक औषधियों की कमी	Shortage of life-saving Drugs ..	93-94
171.	तेलशोधक कारखानों में ईंधन तेल का जमा होना	Accumulation of Fuel Oil in Refineries	94-95
172.	माल डिब्बों का क्रयादेश देने की नई प्रणाली	New pattern of placement of orders for wagons	95
173.	औषधियों की कुछ ब्रांडों की कमी के साथ साथ औषधियों का अधिक उत्पादन	Excessive production of drugs vis-a-vis shortage of some brands ..	95-96
174.	भूमि तथा तट दूर क्षेत्रों में तेल की खोज	Oil exploration of land and off-shore areas	96-97
175.	पैट्रोलियम की खपत, उत्पादन तथा आयात	Consumption, production and import of petroleum	97
176.	उत्तर और दक्षिण बिहार में रेलगाड़ियों का चलना बन्द किया जाना	Cancellation of trains in North and South Bihar	97-98
177.	बिहार के दरभंगा नगर में नया जोनल रेलवे कार्यालय	New Zonal Railway Office in Darbhanga city in Bihar	98
178.	पटना में मारुफगंज स्थित माल चढ़ाने-उतारने के शेड का उठा देने का प्रस्ताव	Proposal to close down goods shed at Marufganj in Patna	98-99
179.	इंडो-मेटासिन का आयात	Import of Indo-Metacin	99
180.	हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न दण्ड दिये जाने सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने में विलम्ब	Deley in withdrawal of orders inflicting various punishment on employees participating in strike ..	99-100
181.	पूर्व यूरोपीय देशों से आयातित औषधियों की किस्म के बारे में शिकायत	Complaint about quality of drugs imported from East European countries	100
182.	फरवरी तक मतदाता सूचियां अद्यतन रखने के निदेश	Directions given to keep Electoral Rolls upto date by February ..	101
183.	ब्राउन कोयले से उर्वरक निकालने का नया तरीका	New technique for extraction of fertilizer from brown coal ..	101
184.	काईपदर रोड स्टेशन पर बिजली लगाया जाना	Electrification of Kaipadar Road Station	101
185.	बम्बई के गहरे समुद्र में तेल की खोज	Oil exploration in Bombay High ..	101-102
186.	आवश्यक औषधियों के औषध पर छपे मूल्यों (लेबलड) पर बेचने की योजना	Scheme to sell essential drugs at labelled prices..	102
187.	पश्चिम रेलवे में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains in Western Railway	102-103
188.	मिलावट की रोकथाम के लिये मिट्टी के तेल को रंगा जाना	Colouring of Kerosene to prevent adultration.	103

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
189.	धनाभाव के कारण एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन पर लाईन को बदलने सम्बन्धी कार्य बन्द होना	Stoppage of conversion work on Ernakulam-trivandrum line due to paucity of funds.	103
190.	एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये आवंटित की गई धनराशि	Funds alloted for conversion of Ernakulam-Trivandrum line into Board gauge.	103–104
191.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मंगलौर-बम्बई रेलवे लाईन के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Manglore-Bombay Railway line durring Fifth Five Year Plan.	104
192.	उर्वरकों के लिये कच्चे माल के आयात के लिये ईरान के साथ समझौता	Agreement with Iran for import of raw material for fertilisers. ..	104
193.	वर्ष 1975 में आशोधित तेल के आयात के लिये कार्यक्रम	Programme for import of crude oil in 1975.	104–105
194.	मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर घड़ियां लगाने तथा उनके रखरखाव पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on installation and maintenance of clocks on Central Railway.	105
195.	मध्य रेलवे में नियुक्त अंगुल विशेषज्ञ	Finger print experts employed on Central Railway.	105–106
196.	पूर्व रेलवे में नियुक्त अंगुल विशेषज्ञ	Finger print experts employed in Eastern Railway.	106
197.	रुमानिया से मिट्टी के तेल का आयात	Import of kerosene oil from Rumania	106–107
198.	कर्नाटक में पैट्रोल में मिलावट	Adulteration in petrol in Karnataka.	107
199.	दिल्ली में पैट्रोल में मिलावट के मामले	Cases of adulteration in petrol in Delhi.	107
200.	मिट्टी के तेल का आयात	Import of kerosene oil.	107–108
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		Re : Adjournment Motions. ..	108–110
सभापटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table.	110–113
विधेयकों पर अनुमति		Assent to Bills.	113
संविधान और संसद की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले समारोहों के आयोजन संबंधी घोषणा के बारे में		Announcement *re* : celebrations to mark the Twenty-fifth Anniversary of the Constitution and Parliament.	114
संसद सदस्य श्री रामदेव सिंह की गिरफ्तारी के बारे में		Re : Arrest of Shri Ram Deo Singh, M.P.	114
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. ..	115
	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरंभ किये जाने का समाचार	Reported resumption of arms supply by U.S.A. to Pakistan.	115–117
	श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerji	115

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan. ..	115
नियम 377 के अधीन मामला		Matter under rule 377. ...	117
मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस द्वारा एक हरिजन की पिटाई के फलस्वरूप हुई मृत्यु का समाचार		Reported beating to death of a Harijan by Police in Sagar District of Madhya Pradesh	117–118
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक		Indian Tariff (Amendment) Bill.	118
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	118–121
	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh.	118
	श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	118-119
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	119
	श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	119
	श्री इराजमूद सकैरा	Shri Erasmode Sequeira	120
	खण्ड 2 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	121–122
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	123
तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1974—		Tabacco Board Bill, 1974–	123
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	123
	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	123
	श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	124
	श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	125
	स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment ...	125
समस्तीपुर बम काण्ड के रहस्य का पता लगाने में सरकार की असफलता		Failure of Government to solve the mystery of Samastipur Bomb Case.	125
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	125
	श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	128
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	130
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	132
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	133
	श्री बी० आर० भगत	Shri B.R. Bhagat	134
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	135
	श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	136
	श्री ईरा सेझियान	Shri Era Sezhiyan	138

ता० प्र० संख्या . S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रो० नारायण चन्द पराशर		Prof. Narain Chand Parashar	139
श्री श्यामनन्दन मिश्र		Shri Shyamnandan Mishra	140
श्री हरि किशोर सिंह		Shri Hari Kishore Singh	143
श्री जनेश्वर मिश्र		Shri Janeshwar Mishra	143
श्री जगन्नाथ मिश्र		Shri Jagannath Mishra	144
श्री पी० जी० मावलंकर		Shri P.G. Mavalankar	144
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी		Shri K. Brahmananda Reddy	145

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 फरवरी, 1975/29 माघ, 1896 (शक)
Tuesday, February 18, 1975/*Magha* 29, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री शरद यादव– (जबलपुर)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने दो मित्रों, श्री देवन्द्रनाथ महाटा तथा श्री रमेश चन्द्र व्यास, के दु:खद निधन की सूचना देनी है ।

श्री देवेन्द्रनाथ महाटा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया-निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । वह वर्ष 1950-56 में बिहार विधान सभा के सदस्य भी थे तथा उन्होंने बिहार के मुख्य मन्त्री के संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया । इसके पश्चात वर्ष 1956-66 तथा वर्ष 1969-70 के दौरान वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे । एक कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् तथा मजदूर नेता के नाते उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए पश्चिम बंगाल तथा बिहार की जनता की सेवा की तथा उनके उत्थान के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे । वह अनेक शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं के साथ सम्बद्ध रहे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य करते रहे । वह वर्ष 1971-73 के दौरान लोक लेखा समिति तथा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी वर्तमान समिति के सदस्य रहे । उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विषयों के वाद-विवाद में गहरी रुचि ली और निर्भीकतापूर्वक अपने विचार व्यक्त किए । 57 वर्ष की आयु में कल दोपहर बाद पुरुलिया में उनका अचानक निधन हो गया ।

श्री रमेश चन्द्र व्यास वर्ष 1957-62 और वर्ष 1967-70 के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे । वर्ष 1962-67 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे । वह एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे और वर्ष 1932 तथा वर्ष 1942 के बीच कई स्वतन्त्रता संघर्षों में जेल गए तथा वर्ष 1934 में 90 दिन तक भूख-हड़ताल पर रहे । यद्यपि वह पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वह अपने राज्य की कई जन कल्याण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे ।

हम अपने मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाए प्रगट करने में सदन मेरे साथ शरीक होगा।

उक्त सदस्यों के सम्मान में हम मौन खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय तेल निगम के लाभ में कमी

+

***1. श्री वसन्त साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के शोधन के लिए विदेशी कम्पनियों को काफी बड़ी राशि देने के कारण वर्ष 1973-74 में भारतीय तेल निगम के लाभ में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो दी गई राशि की रूपरेखा क्या है और कितना और किन दरों पर तेल शोधित किया गया है;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों को अशोधित तेल के शोधन के लिए दी गई राशि बहुत अधिक थी और उसे कम किया जा सकता था; और

(झ) यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि विदेशी कम्पनियां अपनी ही शर्तें रख कर अशोधित तेल के शोधन पर अत्याधिक लाभ न कमा सकें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय): (क) विदेशी तेल कम्पनियों को प्रक्रिया फीस के भुगतान किये जाने से आई० ओ० सी० के लाभ में कोई कमी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का उत्तर देने में हमेशा की तरह टाल मटोल की है और कहा है कि विदेशी तेल कम्पनियों को प्रक्रिया फीस का भुगतान किए जाने से आई० ओ० सी० के लाभ में कोई कमी नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य कारण से लाभ में कमी हुई हैं? अब मंत्री महोदय कह सकते है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि किसी अन्य कारण से लाभ में कमी नहीं हुई है। क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों को 15 करोड़ रुपए दिए और इस प्रकार हालांकि बिक्री में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु केवल एक वर्ष 1973-74 में सकल लाभ 4.7 प्रतिशत कम हो गया? क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने अधिक ह्रास दर तथा कम लाभ दिखाकर लेखों में गड़बड़ी की? वर्ष 1969-70 में 10.94 प्रतिशत ह्रास था जो वर्ष 1973-74 में बढ़कर 15.29 हो गया तथा 1969-70 में हुआ 20.41 शुद्ध लाभ घटकर 9.81 प्रतिशत रह गया? इसके बावजूद मन्त्री महोदय का कहना है कि लाभ में कमी नहीं हुई। क्या मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे?

श्री के०डी० मालवीय : यह सच है कि हमें अशोधित तेल का आयात करना पड़ा और विदेशी शोधनशालाओं से तेल-शोधन करवाना पड़ा क्योंकि उनके पास अतिरिक्त क्षमता थी। उनके साथ वाणिज्यिक समझौता करने के बाद ही तेल शोधन करवाया गया। इसके लिए भारतीय तेल निगम द्वारा उन्हें दिया गया शुल्क अनुचित नहीं था क्योंकि उस

समय उन्हें अशोधित तेल सप्लाई कर उसे इन शोधनशालाओं से शोधित कराने की तुलना में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात की लागत अधिक थी। यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा वर्ष 1972-73 में 997.8 करोड़ और वर्ष 1973-74 के दौरान 1242 करोड़ रुपये की कुल बिक्री करने के बावजूद वर्ष 1973-74 में गत वर्ष के 46.08 करोड़ की तुलना में 41.55 करोड़ शुद्ध लाभ हुआ। लाभ में कमी के कुछ कारण थे। इसका एक कारण ब्याज की दर में 0.65 प्रतिशत वृद्धि, अन्य व्यय 2.3 करोड़,सं स्थापना लागत में लगभग तीन करोड़ की वृद्धि तथा 1.86 करोड़ रुपये का ह्रास होना भी था। इन सब के कारण लागत में अधिक वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप लाभ में लगभग 4.25 करोड़ रुपये की कमी हुई। अतः लाभों के प्रश्न को विदेशी तेल कम्पनियों को तेल शोधन के लिये दी गई फीस के प्रश्न के साथ मिला कर नहीं देखना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच है कि निर्धारित समय पर हल्दिया शोधनशाला के शुरू न होने तथा समय पर कोयलीपाईप लाईने के न बिछाए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र में अशोधित तेल साफ करने की क्षमता कम रही तथा गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता लाइसेंस प्राप्त क्षमता से तीन गुणा बढ़ गई? क्या गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता उतनी ही रखने के लिये कुछ रियायतें देने तथा सरकारी क्षेत्र की क्षमता कम करने के बारे में भारतीय तेल निगम तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच कोई सांठगांठ थी? सरकार निर्धारित समय सरकारी क्षेत्र की क्षमता को पूरा क्यों नहीं कर रही है?

श्री के०डी० मालवीय : जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। मैं विशेष रूप से 'जानबूझकर' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। सदस्यों को इसका अर्थ समझना चाहिए। लेकिन यह सच है कि कोयली और हल्दिया में कुछ विलम्ब हुआ। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो किसी न किसी कारणवश विलम्ब हो जाता है। लेकिन संगत बात तो यह है कि तेल शोधन के लिए विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली फीस अधिक नहीं थी। हमारे कुछ अन्य तटवर्ती तेल शोधक कारखानों में संचालन लागत 20 रुपये के उस शोधन शुल्क से कुछ अधिक थी जो अशोधित तेल के शोधन के लिये दी गई।

श्री धामनकर। गैर सरकारी क्षेत्र की एस्सो, बर्मा शैल तथा कालटैक्स कम्पनियों तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में तेल शोधन क्षमता कितनी है और हल्दिया शोधनशाला को चालू करने में समय समय पर विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्री के०डी० मालवीय : मेरे पास यह ब्यौरा नहीं है कि समय समय पर विलम्ब क्यों किया गया क्योंकि यह वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री धामनकर : यह कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने की क्या आवश्यकता थी?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पैट्रोलियम उत्पादों के आयात को रोकने के लिये यह आवश्यक था कि अशोधित तेल को शीघ्र साफ किया जाये। उस समय गैर सरकारी क्षेत्र में पहले ही अतिरिक्त क्षमता मौजूद थी और उस समय हम अपनी शोधनशालाओं में तेल साफ नहीं करवा सके। उनको दी गई फीस अधिक नहीं थी बल्कि उस व्यय से कम थी जो अपनी शोधनशालाओं में तेल साफ करवाने में होता। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हमें विदेश से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता तो हमें बहुत अधिक व्यय करना पड़ता जहां तक हल्दिया शोधनशाला का सम्बन्ध है, सच यह है कि इसे शुरू करने में होने वाले विलम्ब के कारण नियंत्रण से बाहर थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे कारण क्या थे?

श्री के०डी० मालवीय : इसके लिये नोटिस दिया जाए

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर मंत्री महोदय ने नकारात्मक दिया है। मैं यह जानना चाहता हू कि गैर सरकारी कम्पनियों को दी जाने वाली शोधन फीस किस आधार पर निर्धारित की जाती है? क्या वह किसी विदेशी तेल कम्पनी को इस बात पर राजी करने में सफल हो गए हैं कि वे विदेशी स्रोतों से लाए गए तेल का शोधन करने के अतिरिक्त अशोधित तेल का शोधन भी करें? क्या हम स्वयं अशोधित तेल लाकर उन्हें अशोधित तेल को साफ करने के लिए कह सकते हैं और यदि हां, तो किन दरों पर?

श्री के०डी० मालवीय: हम प्रत्यक्ष स्रोतों से अशोधित तेल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी-कभी कुछ सीमा तक हम सफल भी होते हैं और कभी नहीं भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आप अशोधित तेल लाने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन जो भी अशोधित तेल सरकार विदेश से आयात करती है, क्या वह उस तेल का शोधन गैर सरकारी कम्पनियों से करवाती हैं अथवा ये कम्पनियां इस बात का आग्रह करती हैं कि वे उसी तेल का शोधन करेंगी जो उनके स्रोतों से खरीदा गया हो ?

श्री के०डी० मालवीय : हमने ईराक से अशोधित तेल का आयात किया और गैर सरकारी शोधनशालाओं में साफ करवाया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फीस किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे 20 रुपये प्रति टन ले रहीं थी और हमें यह स्वीकार था। कुछ आपत्तियां उठाई गई थी और इस प्रश्न की जांच की गई। तब यह मामला वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को भेजा गया। उन्होंने विस्तार-पूर्वक इस प्रश्न की जांच की और काल टेक्स से बातचीत की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः वह इस दर को 20 रुपए से बढ़ाना चाहते थे और हमने अनुरोध किया कि दर की पुनः जांच की जाए। अब वे 20 रुपए के स्थान पर 28 रुपए की मांग कर रहे हैं हम मांग कर रहे हैं कि उनको 23 रुपए से अधिक न दिया जाए सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री डी० एन० तीवारी : क्या यह सच है कि बरौनी शोधनशाला में अतिरिक्त क्षमता थी और यह अशोधित तेल शोधन हेतु इस शोधनशाला को नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप वहां पैट्रोलियम की बजाय अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य का अभिप्राय मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया।

श्री डी० एन० तिवारी : हालांकि बरौनी शोधनशाला में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध थी, फिर भी अशोधित तेल शोधन हेतु वहां नहीं भेजा गया।

श्री के० डी० मालवीय : एक विशेष समय पर बरौनी शोधनशाला में अतिरिक्त क्षमता थी। मैं इस समय यह ब्यौरा बताने की स्थिति में नहीं हूं कि किस समय किस वस्तु का उत्पादन किया गया अथवा और क्या वस्तु बरौनी शोधन-शाला को भेजी नहीं गई। इसके कई अन्य कारण थे। लेकिन बरौनी शोधनशाला में कोई विशेष पैट्रोलियम उत्पाद शोधन हेतु नहीं रोका गया। अब उस शोधनशाला को पर्याप्त मात्रा में यथासम्भव तेल की मात्रा मिल रही है।

श्री पी० वैंकटासुब्बया : मंत्री महोदय संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं। जैसा कि मंत्री महोदय जानते हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के पास अतिरिक्त क्षमता होती है ताकि वह किसी भी समय सरकार द्वारा दिए गए तेल का शोधन करके सरकार को अनुगृहीत कर सकें। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्रों में कारखाने आपकी मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता चाहते थे, वे समय पर इसे पूरा नहीं कर सके। इस स्थिति में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाएगा ? कब तक सरकार अशोधित तेल साफ करने में आत्म-निर्भर हो जाएगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त अधि-ष्ठापित क्षमता हो जाएगी। गैर सरकारी क्षेत्र की अगर पूरी नहीं तो काफी क्षमता का उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी सरकारी शोधनशालाओं में कुछ कठिनाइयां आने के कारण हम आयातित अशोधित तेल की सम्पूर्ण मात्रा को साफ नहीं कर पाते। चूंकि गैर सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का हर समय उपयोग नहीं किया जा रहा था, अब हम अशोधित तेल के शोधन के लिए इस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करने की अपेक्षा भारतीय शोधनशालाओं, यहां तक कि गैर सरकारी शोधनशालाओं में तेल साफ करना अधिक सस्ता पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि दो विदेशी फ़र्मों, बर्मा-शैल और कालटेक्स के साथ लम्बे समय से चल रही बातचीत ही वर्ष 1973–74 के दौरान शोधनशाला को हुए भारी घाटे के लिए उत्तरदायी है और क्या यह भी सच है कि इसी कारण से चालू वर्ष में भारतीय तेल निगम की शोधनशालाओं को घाटा होगा; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और (ख) बर्मा-शैल और

कालटेक्स शोधनशालाओं को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के लिए बातचीत कब शुरू की गई थी, यह बातचीत कब पूरी होने की सम्भावना है और इस समय बातचीत की स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ सम्बन्ध नहीं है फिर भी यदि माननीय अध्यक्ष इसका उत्तर चाहते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने घाटे के बारे में प्रश्न पूछा है। मूल प्रश्न लाभ में कमी के बारे में है और मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि बर्मा शैल और कालटेक्स के साथ लम्बे समय से चली आ रही बातचीत के कारण ही भारतीय तेल निगम को चालू वर्ष के दौरान घाटा हुआ ? प्रश्न में पूछा गया है "क्या लाभ में अत्यधिक कमी हुई है।" मेरा प्रश्न असंगत कहां है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं निर्णय कर सक, तो मुझे सम्बोधित करन की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : ऐसा लगता है माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में सुधार किया है। जहां तक दूसरे अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच नहीं है कि लम्बी बातचीत के कारण घाटा हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह भी पूछा था इस समय बातचीत किस स्थिति में है, यह कब शुरू की गई और यह कब पूरी हो जाएगी। यदि मंत्री महोदय तथ्य छिपाना जानते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं असंबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह राय का मामला है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हम जानते हैं कि पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य लोगों को ही देना होगा और इसलिए हम वर्ष 1973–74 में उत्पादन की वृद्धि से चकित नहीं हुए। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कुल व्यापार में वृद्धि का कारण अत्यधिक मात्रा में उत्पाद की बिक्री होना था अथवा अधिक मूल्य लेने के कारण ऐसा हुआ था या दोनों कारण ऐसा हुआ ? मंत्री महोदय ने सकल लाभ में कमी का कारण ह्रास-दर, ब्याज-दर तथा अन्य संस्थापना व्यय बताया। क्या इस बारे में जांच की गई है कि उत्पादन की प्रतिशतता के संदर्भ में संस्थापना व्ययों में वृद्धि क्यों हुई ? मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात क लिए सतर्क रहेंगे कि वह भारतीय तेल निगम को 'अमीर' नहीं बनने देंगे।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक संस्थापना व्ययों में वृद्धि का प्रश्न है, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि वृद्धि अनुपात से अधिक क्यों हुई। इसका कोई न कोई संगत कारण होगा परन्तु इस समय मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इसकी जांच करवाऊंगा और इसके कारणों को सभा पटल पर रखूंगा।

जहां तक कुल बिक्री में वृद्धि का संबंध है, उत्पाद की कुल बिक्री में वृद्धि हुई है। अशोधित तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि के कारण हमारी नीति पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने की रही है। हमारी सकल वृद्धि का एक कारण यह भी रहा है।

अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में ईराक के साथ करार

\+

*2 **श्री अर्जुन सेठी :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने वर्ष 1975–76 के दौरान भारत को अशोधित तेल की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) अशोधित तेल की सप्लाई की शर्तें बताना जनहित में नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री महोदय ने यह भी नहीं बताया कि ईराक से हमें कच्चा तेल कितनी मात्रा में सप्लाई होने की संभावना है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के दौरान भारत को कच्चा तेल कितनी मात्रा में सप्लाई किए जाने की संभावना है और क्या यह मात्रा गत वर्ष की मात्रा से कम होगी ।

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न मूल प्रश्न में नहीं था किन्तु मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं क्योंकि यह संगत अनुपूरक प्रश्न है । हमने गत वर्ष 28 लाख टन कच्चा तेल आयात किया था और इस वर्ष भी हम इतनी ही मात्रा आयात करने का विचार कर रहे हैं । शर्तों पर बातचीत की जा रही है ।

श्री अर्जुन सेठी : 20 जनवरी को एक समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ कि ईराक के सूचना मंत्री ने हमें एक प्रकार की चेतावनी दी है । मैं इसका उद्धरण देता हूं :

"ईराक ने अपना तेल दो मार्गों अर्थात भूमध्य सागर और अरब खाड़ी से निर्यात किया है । अरब खाड़ी में इरानियों का खतरा है और भारत को इस खतरे के प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए ।"

ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने के बावजूद भी ईराक के मंत्री ने हमें इस प्रकार के खतरे की चेतावनी दी है । सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने इस प्रकार का कोई समाचार नहीं देखा जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । प्रत्येक देश को निर्यात करने या कच्चे तेल का व्यापार एक स्रोत या दो स्रोतों या एक स्रोत से दूसरे स्रोत को करने का अधिकार है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि यदि वह ईराक के साथ हुई शर्तों के बारे में बता देते हैं तो इससे क्या हानि हो जाएगी ? क्या वह प्रश्न का उत्तर देने में टाल मटोल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रश्न का सही उत्तर नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे बताया गया है कि माननीय सदस्य एक व्यापारी हैं । वह अपने उद्देश्यों के लिए वैध व्यापार चला रहे हैं । स्पष्टतया वह चाहेंगे कि उनके व्यापार के लेन-देनों पर खुले आम चर्चा न हो । जब कभी सरकार कच्चे तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के संबंध में करार करना चाहती है तो मूल्य तथा अन्य बातों के वर्तमान संदर्भ में वह इस बात की सराहना करेंगे कि जब हम कच्चे तेल की खरीद के लिए बातचीत करते हैं, तो उन सब शर्तों पर, जिनसे हमें कच्चा तेल खरीदने में लाभ हो सकता है, खुले आम चर्चा करना सदैव उपयोगी या सार्थक नहीं होता

अध्यक्ष महोदय : श्री सोखी आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते । किन्तु मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं जिसमें कि आपकी रुचि है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मेरी इस प्रश्न में रुचि है :

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ईराक में तेल उद्योग में कोई निवेश किया गया है, और यदि हां, तो कितनी राशि का निवेश किया गया है और क्या अमरीका ने ईराक को हाल में भारत के साथ हुए करार को ध्यान में रखकर सैनिक कार्यवाही करने की धमकी दी है ? सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

Mr. Speaker : You have put another question. I thought you will ask about something else.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I want to know the quantity of oil likely to be imported under the negotiations going on with Iraq ? I want to know whether the quantum of oil that we will get, would meet our requirement ? Iraq have asked for increasing the quantity of different goods which we export to them and only then Iraq will export oil to us.

Shri K.D. Malaviya : The Hon. members should be glad to know that our Commercial dealings with Iraq are increasing. We try to get maximum oil from our friendly countries. But whatever quantum of oil we are getting from Iraq that is not adequate for meating our requirements.

Shri Achal Singh : Will the Hon. Minister state whether under the contract signed with Iraq, oil will be imported for the Refinery being set up in Mathura ?

Shri K. D. Malaviya : A number of years will take in setting up Mathura Refinery but where ever oil is available, we try to get it. We do so, because there is urgent need of oil in the country.

औषध उद्योग के लिए मार्गदर्शी निदेश

*4. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध उद्योग, विदेशी बहु-राष्ट्रीय विशाल उद्योगों तथा लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु वर्ष 1973 में क्या क्या आन्तरिक मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए थे;

(ख) क्या भारत में कार्यरत बहु-राष्ट्रीय विशाल उद्योगों ने इन मार्गदर्शी निदेशों का सहारा लेकर कुछ प्रसिद्ध औषधों का अभाव पैदा कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से प्रत्येक औषध संबंधी ब्यौरा क्या है जिनके अभाव की सूचना दी गई है, क्या उक्त औषधों की सप्लाई के लिए भारतीय फर्मों की ओर से पेशकश हुई है, क्या उक्त पेशकश को स्वीकार किया गया अथवा अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार करने के क्या कारण रहे?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[सभा-पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8882/75]**

श्री पी०एम० मेहता : मंत्री महोदय ने एक लम्बा विवरण पेश किया है । इस मन्त्रालय में कई निहित स्वार्थ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री पी०एम० मेहता : विवरण इतना बड़ा है कि मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

इस मन्त्रालय में निहित स्वार्थ हैं। सचिव और संयुक्त सचिव सदैव विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों तथा बहु-राष्ट्रीय विशाल क्षेत्र के पक्ष में रहते हैं और इस मन्त्रालय के मंत्री महोदय अपने मंत्रालय में चल रही राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने में अब तक असफल रहे हैं ।

माननीय मन्त्री जी इस स्थिति से परिचित हैं कि कडिल्ला, गुजरात फार्मेस्युटिकल्स यूनिक जैसी तथा अन्य छोटे पैमाने की फर्मों को, जो कि विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों से भली भांति स्पर्धा कर सकती हैं, नियंत्रित वितरण वाले आयातित कच्चे माल का केवल पांच किलो दिया जाता है । या तो उन्हें औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए जाते या फिर उन्हें मेथिलडोपा, प्रीनिट्नेमिन्लेक्टर, सिप्रोहेटाडाइन तथा इन्डोमेथाजिन जैसे नियंत्रित वितरण वाले आयातित कच्चे माल की बहुत कम मात्रा दी जाती है । जबकि विदेशी कम्पनियों को उनकी निर्धारित क्षमता से ज्यादा कच्चा माल दिया जाता है । यह शिकायत बहुत पहले से चली आ रही है । इस बात को और विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों के लिए किए गए पक्षपात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार स्पर्धा को स्थान देगी ताकि औषधियां सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें ? क्या सरकार भारतीय औषधि निर्माता फर्मों को बिना किसी प्रतिबन्ध के निरूपणों के निर्माण की अनुमति देगी जिनका उत्पादन इस समय आयातित कच्चे माल के आधार पर विदेशी फर्मों द्वारा किया जाता है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आयात की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से क्या सरकार विदेशी फर्मों द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे माल तथा अन्तर्वर्तियों का शीघ्र अवलोकन करेगी और फिर उन्हें देश में ही बनाने के लिए कहेगी जिससे कि देश में विदेशी मुद्रा में बचत हो सके ।

श्री के०आर० गणेश : मंत्रालय में कुछ अधिकारियों के बारे में माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात का प्रतिरोध करना ही चाहिए ।

जैसा कि माननीय सदस्य देश में औषधियों के निर्माण के बारे में स्वयं जानते हैं कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से इसमें एक शक्तिशाली विदेशी क्षेत्र तथा भारतीय और सरकारी क्षेत्र का भी हाथ है । अब यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सस्ते मूल्यों पर उच्च कोटि की औषधियों का निर्माण हो, सरकार ने **हाथी** समिति नामक एक

समिति की नियुक्ति की है जिसका कि सभा को पता ही है। यह समिति औषधि-उद्योग के सभी पहलुओं की विस्तृत रूप से जांच कर रही है। उन्होंने अपने विचार-विमर्श पहले ही पूरे कर लिए हैं और प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं और अप्रैल तक उनकी सभी सिफारिशें उपलब्ध हो जायेंगी। तब सरकार शीघ्र ही उन प्रतिवेदनों का अध्ययन करेगी और उन पर निर्णय ले लेगी। अब भी सरकार की नीति भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की है तथा सरकारी क्षेत्र को इतना शक्तिशाली बनाने का विचार है कि वह अपनी भूमिका भली भांति निभा सके।

माननीय सदस्य ने कुछ विशेष प्रश्न पूछे हैं। जहां तक नियंत्रित वितरण वाली आयातित वस्तुओं का संबंध है, 60 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। उन्होंने कुछ फ़र्मों के बारे में जो प्रश्न पूछा है, कि उन्हें उनको आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिलता जबकि अन्य को आवश्यकता से अधिक कच्चा माल दिया जाता है, मैं उस प्रश्न के स्वरूप को नहीं जानता।

जहां तक अतिरिक्त क्षमता का संबंध है, मंत्रालय इस पर जांच कर रहा है और इस बारे में हमने पहले ही जानकारी दे दी है।

सरकार का इरादा यह है कि भारतीय क्षेत्र प्रगति में सहायता की जाए और भारतीय क्षेत्र के विकास के मार्ग में जो भी बाधायें होंगी उन्हें दूर किया जाएगा ताकि एक संकलित औषधि नीति का निर्माण हो सके और उच्च कोटि की औषधियां सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें।

श्री पी० एम० मेहता : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे माल का प्रयोग भारतीय कम्पनियों की तुलना में अधिक किया जाता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन मूल्यों पर राज्य व्यापार निगम भारी मात्रा में औषधियां तथा अन्तर्वर्तियां निर्यात करता है वे मूल्य उन मूल्यों से काफी कम हैं जिन पर पहले विदेशी कम्पनियां आयात करती थीं।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक नियंत्रित वितरण वाले आयातित कच्चे माल का संबंध है, किसी विशेष फर्म की वास्तविक आवश्यकताएं उसके गत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर पूरी की जाती हैं और बाद में उन्हें भी बढ़ा दिया गया। यदि इसमें कोई और कमी होगी तो मैं इसकी और जांच करूंगा। यह सही है कि कुछ विदेशी फर्मों द्वारा जिन औषधियों का आयात किया जाता था उनका मूल्य अधिक होता था जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा उनका आयात कम मूल्य में किया जाता हैं। यही कारण है कि मंत्रालय की नीति यही है कि जिन औषधियों का आयात भारी मात्रा में किया जाता है वे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जायें।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या इन्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम के पास अधिक खपत वाली औषधियों के भारी स्टाक पड़े हैं और औषध निर्माता उन्हें उठा नहीं रहे हैं? इस समय उनके पास कितना स्टाक है? क्या औषधियों के मूल्यों में वृद्धि तथा उनकी कमी का यह भी एक कारण है?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम के पास 4 और 5 करोड़ रुपये के मूल्य की औषध सूची रहती है और इनमें से अधिक खपत वाली कुछ औषधियां कुछ कम्पनियों द्वारा नहीं उठाई गई हैं, उन कम्पनियों का कहना है कि वित्तीय कठिनाई और ऋण पर लगी रोक के कारण वह औषधियों को नहीं उठा पायी है। मंत्रालय ने बैंकिंग विभाग और इन फर्मों के साथ बैठक करके, उन्हें अपनी आवश्यकताओं का नोट तैयार करने के लिए कहा है। परन्तु ऋण पर लगी रोक का प्रश्न तो सम्पूर्ण देश की सामान्य स्थिति का ही एक अंग है और इन फर्मों ने अभी तक अपनी विशिष्ट कठिनाइयों के बारे में मंत्रालय या बैंक को सूचित नहीं किया है। यह हो सकता है कि अभाव का एक कारण यह भी रहा हो कि जो अधिक खपत वाली औषधियां अब उपलब्ध हैं, किसी समय विशेष पर उनकी सप्लाई कम रही हो।

Shri Shashi Bhushan : The Ministry has fixed prices at lower level for the drugs produced by Indian drug industry as compared with the prices of drugs produced by foreign sector. Under these circumstances, why the special facilities have been given to them ? Is it a fact that the price of Novalgin is more than that of Analgin which is produced by IDPL. Is it simply because of the 'Brand Name' and if so, the steps being taken in the matter of names of the brands.

श्री के०आर० गणेश : जहां तक भारतीय तथा विदेशी क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली कुछ औषधियों और फार-मूलेशन्ज का सम्बन्ध है, उनके बारे में यह ठीक है कि वर्ष 1963 में जब औषध मूल्यों पर रोक लगाई गई थी तो यह रोक उस समय प्रचलित मूल्य स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ही लगाई गई। अतः विदेशी औषध क्षेत्र की कुछ फर्मों के मूल्य अधिक भी हो सकते हैं और भारतीय औषध क्षेत्र की कुछ फर्मों के मूल्य कम भी हो सकते हैं। अब जब वह मूल्यों के पुनरीक्षण के लिए हमारे पास आ रहे हैं तो हम मूल्यों का निर्धारण उसी आधार पर कर रहे हैं, जिस आधार पर उस समय किया गया था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करते समय स्थिति पर पुनः विचार करना अपेक्षित है। हाथी समिति द्वारा इस प्रश्न पर विशिष्ट रूप से विचार किया जा रहा है। यह सत्य है कि नावलजिन, एनलजिन का ही एक आधारभूत फारमूलेशन है। नावलजिन का उत्पादन एक विदेशी कम्पनी करती हैं। एनलजिन का उत्पादन इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नावलजिन का मूल्य एनलजिन से अधिक है। नावलजिन एक ऐसा फार्मूलेशन जिसका निर्माण अधिकांश विदेशी फर्मों द्वारा किया जाता है और एनलजिन का निर्माण इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया जाता है। यह एक असाधारण स्थिति है। हाथी समिति द्वारा इन प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या एनलजिना के उपलब्ध होने पर भी नावलजिन को बाजार में अधिक मूल्य पर बिकने दिया जाए और क्या एनलजिन एक ऐसी मूल औषध है जिससे नावलजिन की फार्मूलेशन बनाई जाती है। और क्या एनलजिन की क्षमता में और अधिक वृद्धि की जा सकती है। अतः इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक 'ब्रांडनेम' का प्रश्न है, इस पर भी हाथी समिति ने विचार किया है। चिकित्सकों की एक तालिका द्वारा हाथी समिति से कुछ 'ब्राडनेम' समाप्त करने की सिफारिश भी की गई है। समिति द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। हाथी समिति का पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही, अन्य सम्बद्ध मामलों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री के० एस० चावड़ा : श्रीमान जी, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जो निदेशक सिद्धांत फार्मूलेशन्ज के लिए दिए गए हैं—जिन्हें तकनीकी विकास, के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक और मंत्रिमडल की मंजूरी प्राप्त नहीं है—उनके अनुसार विदेशी क्षेत्र को आयातित कच्चे माल से औषध फार्मूलेशन्ज तैयार करने की खुली छूट है और यदि भारतीय फर्में मूल औषध तैयार नहीं कर सकती और उनका वार्षिक उत्पादन 2 करोड़ रुपये का नहीं होता तो और उन्हें फार्मूलेशन्ज तैयार करने की अनुमति नहीं दी जाती। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन निदेशपदों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अस्वीकार किए गए भारतीय फर्मों के सभी मामलों पर फ़िर से विचार कर, उन्हें उपयुक्त विचारार्थ लाइसेंस समिति को भेजा जाएगा ? दूसरे मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार भारतीय फर्मों को भी विदेशों से आयातित कच्चे माल से औषध तैयार करने के बारे में उसी प्रकार की खुली छूट देने का है जिस प्रकार की छूट अब विदेशी क्षेत्र की फर्मों को है ? तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है जिन्होंने महानिदेशक तकनीकी विकास और मंत्रिमण्डल की मंजूरी के बिना ही राष्ट्रविरोधी निदेशक सिद्धांत तैयार किए ?

श्री के०आर० गणेश : जिस आन्तरिक निदेशक सिद्धांत का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया जा रहा है वह वास्तव में एक प्रकार का ऐसा कार्यकारी सिद्धांत है जो कि मंत्रालय ने अपने आन्तरिक कार्यकरण के लिए स्वीकार कर लिया है ताकि मंत्रालय द्वारा जांच पड़ताल करने के लिए कुछ सामान्य निदेशपद हों और प्रत्येक मामले को अलग अलग ढंग से न निपटाया जाए। यह निदेशपद अपने आप में अन्तिम नहीं होते क्योंकि यद्यपि किसी प्रार्थनापत्र की जांच पड़ताल निदेशपदों के अनुसार पूरी भी कर ली गई हो फिर भी उस प्रार्थनापत्र का मूल्यांकन उपलब्ध औषध तकनीक, औषध की अनिवार्यता और उसका निर्माण करने वाले क्षेत्र विशेष आदि को दृष्टिपत रखते हुए किया जाता है। अतः यदि निदेशपदों में कुछ परिवर्तन करने अपेक्षित हैं—मेरा अपना विचार यही है कि कुछ परिवर्तन अपेक्षित है—तो उन्हें अवश्य ही किया जाएगा। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने आयातित कच्चे माल पर विदेशी फर्मों द्वारा बनाये जा रहे फार्मूलेशन्ज के प्रश्न को भी उठाया है। उनका कहना है कि भारतीय क्षेत्र के इस प्रकार से फार्मूलेशन्ज तैयार करने की छूट नहीं है। आधारभूत तथ्य तो यह है कि मुख्य रूप से विदेशी क्षेत्र ही विभिन्न औषधों के फार्मूलेशन्ज तैयार करने में लगा हुआ है। यदि हमारा देश औषध उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और देश में इस तकनीक का विकास चाहता है तो उसके लिए

यह अनिवार्य है कि देश में अधिक खपत वाली औषधों के वर्तमान उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जाए। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा 'अधिक खपत वाली औषध के उत्पादन' का केवल एक तिहाई भाग बनाया जा रहा है। इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए ही मंत्रालय द्वारा यह सोचा गया है कि यदि भारतीय क्षेत्रों द्वारा अधिक खपत वाली औषधियों का उत्पादन आरम्भ कर भी दिया जाता है तो भी इससे देश में किए जाने वाले औषध निर्माण उद्योग कार्य की वृद्धि में से सहायता होगी। मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात पर सहमत हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। विदेशी क्षेत्र द्वारा केवल फार्मूलेशन्ज तैयार किए जाने से भारतीय क्षेत्र के लिए काफी कच्चा आयातित माल शेष रह जाता है। उसके लिए उन्हें अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। उसस अधिक खपत वाली औषधियों के उत्पादन के साथ ही वह अधिक फार्मूलेशन्ज तैयार कर सकते हैं ताकि भारतीय क्षेत्र के लिए शेष बचने वाले कच्चे माल में वृद्धि हो जाये और इसका विकास हो। जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी औषधियों को अस्वीकृत किया जा चुका है ताकि भारतीय क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय न कहा है कि कुछ फर्में कुछ कारणों से औषधियों का उत्पादन नहीं कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ थोक व्यापारियों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि औषध निर्माताओं द्वारा औषधियों का निर्माण किया जाए जिसके फलस्वरूप बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा हो जाये और जो भी औषधियां उपलब्ध हो, उन्हें काफी ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा सके।

श्री के० आर० गणेश : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले ही द चुका हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वह स्पष्ट नहीं है। यह औषधियां बहुत अधिक ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। सरकार का उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है? इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने नहीं दिया है।

श्री के० आर० गणेश : मैंने एक अन्य सदस्य के एक अन्य प्रश्न का उत्तर दते हुए कहा था कि यह ठीक है कि कुछ फर्में राज्य व्यापार निगम और इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मासियूटिकल्स लिमिटेड के पास पड़े अधिक खपत वाली औषधियों के स्टाक नहीं उठा रही हैं। यह हो सकता है कि कुछ फर्में वित्तीय कठिनाइयों के कारण स्टाक न उठा पा रही हो। यह भी हो सकता है कि वह कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना चाहते है। मंत्रालय द्वारा इन लोगों के साथ बैठक करके उन्हें यह बता दिया गया है कि यदि उनके समक्ष वित्तीय कठिनाइयां हैं, तो फिर इस क्षमता का विकास कहीं अन्य किया जा सकता है और फिर हम भारतीय क्षेत्र को या अन्य किसी भी उपलब्ध क्षेत्र से औषधियों का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं।

श्री एस०एम० बनर्जी : जब 'पेटेन्ट बिल' पर चर्चा की गई थी तो उस समय विदेशी औषध कम्पनियों के कार्यकरण के फलस्वरूप पड़नेवाला प्रभाव प्रकाश में आया था और यह स्पष्ट हुआ था कि वह किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक ढंग से अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करती हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार, देश के व्यापक हित के लिय विदेशी औषध फर्मों को अपने अधिकार में लेने का है क्योंकि इन फर्मों ने पहले ही राष्ट्र की कीमत पर काफी रुपया एकत्रित कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में हुई गोष्ठी के बाद सरकार ने इन फर्मों को अपने अधिकार में लेकर, लोगों को बचाने और उन्हें उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध करवाने के बारे में निर्णय कर लिया हैं?

श्री के०आर गणेश : विदेशी क्षेत्र की फर्मों को अपने अधिकार में लेने का अभी सरकार का कोई इरादा नहीं है। विभिन्न सार्वजनिक संगठनों द्वारा उन्हें लेने की मांग की गई है परन्तु मेरा निवेदन यह है कि अच्छी किस्म की औषधियों की सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाने के लिए सम्पूर्ण औषध उद्योग के ढांचे को देखना अनिवार्य है। यदि औषध उद्योग का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो मैं समझता हूं कि आम जनता के लिए सस्ते मूल्यों पर औषध उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा। यह एक तथ्य है कि हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग औषधियों का लाभ नहीं उठाते हैं। सरकार द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : At present the drugs are being sold at 20 to 50 percent above their production price. May I know if the Government is considering to reduce their prices? What is the production and sale price of popular four or five drugs?

श्री के०आर० गणेश : औषधों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किए जाते हैं जिनकी जांच पड़ताल औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की विशेषज्ञ समिति द्वारा, कच्चे माल के मूल्यों में हुई वृद्धि पेकिंग मूल्यों में हुई वृद्धि आदि और अन्य सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, की जाती है ।

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1973 में जारी किए गए निदेश पदों के परिणाम स्वरूप विदेशी क्षेत्र के पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ? यदि हां, तो किस सीमा तक और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है ?

श्री के० आर० गणेश : जिन आन्तरिक निदेशपदों का मैंने उल्लेख किया है, उनका विदेशी क्षेत्र के साथ कोई सरोकार नहीं है । ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी औषध उद्योग देश में पहले ही काफी समृद्ध हो गया है और उसे काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और जहां तक औषधियों का संबंध है, सरकार का इरादा इस क्षेत्र में विदेशी प्रभुत्व को कम करने का है और वह सरकारी तथा भारतीय क्षेत्र को इसमें अधिक सशक्त बनाना चाहती है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे का वैकल्पिक मार्ग

*6. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में अद्यतन क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस रेल मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक इस परियोजना की कुल प्रगति लगभग 70 प्रतिशत है ।

(ख) आशा है कि यह लाइन 30-6-1976 तक चालू कर दी जाएगी बशर्ते ब्यास बांध प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाए ।

Prof. Narain Chand Parashar : Sir through you, I want the reply to the first supplementary question relating to this department from the new Railway Minister. May I know how many times the target date of the Kangra Valley Railway has been revised ? I think it is being revised every year. Lalit Babu had assured that it would be opened for the goods traffic by the 31 st December, 1975 and for passenger traffic by the 31 st March, 1976. The Hon. Railway Minister has intimated this target date as 30 th June, 1976 and thus its period has been further extended by three months. This line is under the water of Pong Dam for 4 or 5 years. The work on it has been suspended and steps are not being taken to expedite the same. The Hon. Minister has mentioned about the shortage of funds. So far as the matter of compensation is concerned, may I know how many times this matter was taken up with the Ministry af Irrigation and Power and what was their reply ? If no satisfactory reply has been received from the Ministry of Irrigation and Power, would the Hon. Minister refer this question to the Prime Minister so that the region may not have to suffer ?

श्री बूटा सिंह : यह सही है कि निर्धारित तिथि कई कारणों से बार-बार स्थगित होती रही है जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में कहा । इस लाईन को 30 जून, 1976 से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा । किन्तु व्यास बांध अधिकरण द्वारा धन उपलब्ध किए जाने की दशा में ही यह सम्भव हो सकेगा ।

इस प्रश्न के बारे में कि हमने कितनी बार सिंचाई और विद्युत मंत्री से सपर्क किया; मैं यह कहना चाहता कि पिछला प्रयत्न रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 10 दिन पर्व किया गया था ।

Prof. Narain Chand Parashar : There was a suggestion that the narrow gauge line between Pathankot and Narpur Road should be converted into a broad gauge line so that the Nangal Talwara Railway line after Amb, which has already been senctioned and was inaugrated by Lalit Babu on the 22 nd December, 1974 at Amb, it may be connected with Nurpur Road passing through Beas Dam. In a letter dated the 4th October, 1974. Lalit Babu assured me that such a survey will be conducted. May I know from the Hon. Minister whether he would accept

this proposal and take prompt steps for the construction of this important Railway line connecting Chandigarh and Pathankot.

Shri Buta Singh : The problem at present is of non-availability of funds for the narrow gauge line. Funds permitting, the assurances given by Lalit Babu will be fulfilled literally

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज

*7. **श्री डी०डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज के कार्य में पूरी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सफलता से अशोधित तेल के आयात पर देश की निर्भरता में कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(घ) क्या उक्त सफलता से देश आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय बम्बई के निकट गहरे समुद्र में प्रतिदिन कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) से (ङ) बम्बई हाई संरचना में अब तक खोदे गए तीन कुओं में तेल युक्त संस्तर पाए गए हैं और उत्पादन परीक्षणों से काफी तेल निकला है। इस संरचना की पूरी उत्पादन संभाव्यताओं का निर्धारण करने से पहले कुछ और कुओं का खोदा जाना आवश्यक है।

जबकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस संरचना की पूरी संभाव्यताओं का निर्धारण करने के बाद ही बम्बई हाई संरचना के उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे सकेगा। तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन के एक मध्यवर्ती चरण की स्थापना किए जाने के बारे में कार्यवाही कर रहा है ताकि बम्बई हाई से प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन मीटरी टन की दर से तेल का उत्पादन किया जा सके।

श्री डी० डी० देसाई : तेल के आयात में अंतर्निहित कठिनाइयों आदि को देखते हुए क्या मंत्री महोदय कच्छ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि के तटदूर क्षेत्रों में और अधिक कुओं की खुदाई करायेंगे ? यदि इन क्षेत्रों में कुछ कार्य किया गया है तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री के०डी० मालवीय : माननीय सदस्य की जो बात मैं सुन पाया हूं, उसका उत्तर देने की चेष्टा करूगा। सम्भवतः वह चाहते हैं, कि अन्य क्षेत्रों की जहां कार्य हो रहा है, प्रगति बतायी जाए। जहां तक तट-दूर क्षेत्रों का प्रश्न है, बम्बई हाई संरचना में कार्य तीव्र गति से चल रहा है और उसके बारे में मैंने उत्तर दे दिया है। जहां तक अन्य संरचनाओं, अर्थात् पश्चिम बंगाल तट पर पश्चिम बंगाल से बालसोर और कच्छ तथा आस पास के क्षेत्रों का संबंध है, भूकम्पीय कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और ऐसी आशा है कि वर्षा ऋतु के बाद वहां पर भी खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री डी०डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय का गहरे समुद्र में तेल की खुदाई का कोई कार्यक्रम है और क्या उन्होंने गहरे समुद्र में अनुभवी तत्वों, विशेषतः ब्रिटेन जिसने उत्तरी सागर में खुदाई कार्य किया है, से सहायता ली है ? क्या इस बारे में किसी कम्पनी से बातचीत की गई है जैसे कि बम्बई हाई क्षेत्र के बारे में अमरीकी कम्पनी को ठेका दिया गया है ?

श्री के०डी० मालवीय : मेरी वर्तमान सूचना के अनुसार बंगाल और कच्छ के क्षेत्रों तटदूर गहरे समुद्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा; यह छिछले जल में ही हुआ है। यदि हमें गहरे समुद्र में खुदाई कार्य करना है तो जो प्रोद्योगिकी हमारे पास इस संबंध में उपलब्ध नहीं है उसे किन स्रोतों से प्राप्त किया जाए, इस पर विचार करना होगा। जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संबंध है, हम तटदूर खुदाई में संतोषजनक ढंग से विशेषज्ञता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें आशा है कि जिन क्षेत्रों में खोज कार्य हो रहा है, उनमें खुदाई कार्य हो सकेगा तथ इन कार्यों की क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं होगी, चाह यह छिछला समुद्र हो अथवा अपेक्षाकृत में गहरा समुद्र।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दंडात्मक कार्यवाही के कारण काम पर वापिस न लिए गए कर्मचारी

*3. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने के कारण अनेक रेल कर्मचारियों को अभी तक वापिस काम पर नहीं लिया गया है अथवा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में डिवीजन और जोनवार अब तक मुअत्तिल किए गये नौकरी से हटाए गए, बर्खास्त किए गए या सेवा में अवरोध डाले गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी उक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण दोष-सिद्ध किया गया है अथवा जिनके मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क)से (ग) 16,700 कर्मचारियों में से जिन्हें बर्खास्त किया गया/सेवा से हटाया गया अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी, लगभग 13,500 कर्मचारियों को वापस ले लिया गया है और अलग-अलग अपीलों पर विचार करने की प्रक्रिया चल रही है। एक क्षेत्रवार विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या 1,111
(74 अपील पर खारिज कर दिए गए)

कर्मचारियों की संख्या जिन के खिलाफ इस समय अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। 1,625

विवरण

रेलवे	कर्मचारियों की सं० जिन्हें बर्खास्त किया गया/सेवा से हटाया गया या जिनकी सेवाएं समाप्त की गयी		अपील पर फिर से बहाल किये जाने वालों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा भंग की गयी	कर्मचारियों की संख्या जिनका सेवा भंग माफ किया गया	निलम्बित कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या जिनका निलम्बन रद्द किया गया
	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	457	1,244	288	1,239	65,602	52,655	984	876
पूर्व	2,512	336	1,972	288	115,068	110,227	1,196	1,071
उत्तर	1,018	371	894	343	38,453	30,187	1,208	1,198
पूर्वोत्तर	683	143	559	135	17,506	11,602	849	770
पूर्वोत्तर-सीमा	2,603	733	2,248	89	65,000	17,169	97	88
दक्षिण	467	544	369	53	65,115	51,301	294	266
दक्षिण-कच्य	579	1	511	—	43,748	39,619	—	—
दक्षिण पूर्व	1,431	677	956	528	78,868	49,179	1,935	1,789
पश्चिम	1,436	2,072	1,237	2,035	72,581	60,714	3.431	3,421

राज्य व्यापार निगम से विदेशी औषध फर्मों द्वारा स्टाक न उठाया जाना

*5. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी औषध कम्पनियां जानबूझकर राज्य व्यापार निगम से स्टाक नहीं उठा रही हैं ताकि उन्हें रियायतें मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय व्यापार निगम ने सूचना दी है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कम स्टाक उठाए जा रहे हैं। ऋण में कटौती करने की समस्या के बारे में औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में विचार किया गया था जिसमें बैंकिंग विभाग, राजस्व और बीमा विभाग, तकनीकी विकास के महा निदेशक औषध नियंत्रक (भारत) भारतीय व्यापार निगम तथा आई०डी०पी०एल० के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहां पर यह स्पष्ट किया गया कि यदि अपने ऋण के वर्तमान प्रयोग तथा और उसकी न्यायासंगता को स्पष्ट करदे तो कम्पनी को आवश्यक ऋण प्रदान किया जा सकता है।

वायरलेस आपरेटरों (दक्षिण रेलवे) के लिए प्रवीणता परीक्षायें

*8. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वायरलेस आपरेटरों (दक्षिण रेलवे) की निम्नतर तथा उच्चतर प्रवीणता (लोअर एण्ड हायर प्राफिशेंसी) परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये परीक्षायें कब ली जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं; निम्नतर और उच्चतर प्रवीणता परीक्षाए क्रमशः फ़रवरी और मार्च, 1972 में हुई थीं। इसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई क्योंकि अर्हक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

(ग) दूसरी निम्नतर प्रवीणता परीक्षा 20-2-1975 के लिये निश्चित की गई है। उच्चतर परीक्षा भी इसके बाद शीघ्र ही ली जाएगी।

वर्ष 1974 के दौरान कोयले की कमी के कारण बिहार में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

*9. **श्री एम०एस० पुरती:**
श्री एन०ई० होरो :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण बिहार में वर्ष 1974 में कुल रेलगाड़ियां रद्द की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और उनके कब से पुनः चलाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) कोयले की कमी के कारण बिहार राज्य में रेल सेवाओं में से केवल 24 जोड़ी रेल गाड़ियां रद्द की गई हैं। इन गाड़ियों का विवरण नीचे दिया गया है। लेकिन इधर स्टीम कोयले के उत्पादन में वृद्धि और रेलों के लिए कोयले की स्थिति में सुधार होने की आशा से क्षेत्रीय रेलों को कहा गया है कि वे अपेक्षित रेल सेवाओं को धीरे धीरे पुनः चालू करें।

गाड़ी संख्या	खण्ड
237 अप/234 डाउन	सिवान-छपरा
321 अप/322 डाउन	समस्तीपुर-जैनगर
325 अप/328 डाउन	समस्तीपुर-जैनगर

गाड़ी संख्या	खण्ड
329 अप/330 डाउन	जैनगर-निरमली
332 डाउन/333 अप	निरमली-समस्तीपुर
337 अप/338 डाउन	समस्तीपुर-निरमली
346 अप/347 डाउन	समस्तीपुर-दरभंगा
351 अप/360 डाउन	रक्सौल-सगौली
361 अप/362 डाउन	नरकटियागंज-बगाह
369 अप/370 डाउन	गौन्हा-नरकटियागंज
380 अप/381 डाउन	साहेबपुर कमाल-मुंगेरघाट
387 अप/390 डाउन	थाना बिहपुर-भागलपुर
419 अप/420 डाउन	सहरसा-बिहारीगंज
429 अप/436 डाउन	दरभंगा-नरकटियागंज
331 अप/432 डाउन	दरभंगा-नरकटियागंज
457 अप/458 डाउन	समस्तीपुर-दरभंगा
463 अप/464 डाउन	सोनपुर-छपरा
483 अप/484 डाउन	मुजफ्फरपुर-बगाह
489 अप/490 डाउन	मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज
503 अप/504 डाउन	कटिहार-बरौनी जंक्शन
451 अप/452 डाउन	मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर
443 अप/444 डाउन	मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर
505 अप/506 डाउन	सोनपुर-बरौनी जंक्शन
449 अप/454 डाउन	खड़गपुर-टाटा

गरीबों को कानूनी सहायता

*10. **श्री एस०एम० सिद्दय्या**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच गरीबों को कोई कानूनी सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) और (ख) जी हां ।

सरकार ने गरीबों को कानूनी सहायता के लिए पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 304 में और सदन की संयुक्त समिति के समक्ष लम्बित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 के आदेश 33 में तथा यथा-संशोधित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 और 7 में सीमित रूप से व्यवस्था कर दी है । जहां तक गरीबों के लिए कानूनी सहायता की विस्तृत स्कीम का संबंध है, इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

निर्वाचन आयोग की द्रुत योजना

*11. **श्री वी० मायावन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सम्बन्धी द्रुत योजना पर सभी विपक्षी दलों ने चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियां शीघ्र प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी किया था; और

(ग) क्या परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है तथा सभी राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित कर दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के, जो अभी चल रहा है, सम्बन्ध में तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को वर्तमान पुनरीक्षण पूरा करने के लिए और निर्वाचक नामावलियां 15 मार्च, 1975 तक अन्तिम रूप से प्रकाशित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(ग) परिसीमन आयोग ने 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों अर्थात राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कार्य अभी चल रहा है।

भारतीय रेलवे में काम कर रहे स्वतंत्रता सेनानी

*12. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में, जोनवार, काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद रेलवे में मिले रोजगार से पहले उनके द्वारा रेलवे में की गई विगत सेवा का उन्हें लाभ मिलना चाहिए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक मामले पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि कुछ मामलों पर अभी तक निर्णय नहीं किया जा सका है तो उनको अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) उन कर्मचारियों की संख्या 22 है जिन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी होने के आधार पर लाभ दिये जाने की मांग की है। ऐसे कर्मचारियों की, क्षेत्रीय रेलों के अनुसार संख्या सभा-पटल पर रखे विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। इन 22 कर्मचारियों में से 15 को वेतन और वरिष्ठता निर्धारित करने तथा छुट्टी, आदि के सम्बन्ध में लाभ दे दिये गये हैं। पश्चिम रेलवे पर 6 स्वतंत्रता सेनानियों में से 4 पहले नौकरी में नहीं थे, इस लिये उनको स्वीकार्य लाभ केवल नौकरी में ले लिये जाने का ही हुआ। शेष दो कर्मचारियों ने वेतन निर्धारण आदि के लिये राज्य सरकार और ग्राम पंचायत बोर्ड के अधीन की गई अपनी पिछली सेवाओं की गणना की जाने की मांग की थी। इस मांग पर विचार किया गया लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पास एक मामला अभी विचाराधीन है। इस पर शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

रेलवे का नाम	स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या
मध्य	—
पूर्व	3
उत्तर	—
पूर्वोत्तर	2
पूर्वोत्तर सीमा	9
दक्षिण	1
दक्षिण मध्य	—
दक्षिण पूर्व	1
पश्चिम	6
जोड़	22

रेलवे में बड़े पैमाने पर अपराध की घटनाएं

*13. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे यार्डों में चोरी की घटनाओं सहित रेलवे में बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, 1974 के दौरान बुक किये गय परेषणों की चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है जिनमें रेलवे यार्डों में हुई ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं ।

(ख) भारतीय रेलों पर बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगिरी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सभी महत्वपूर्ण माल गोदामों, यानान्तरण/पुनः पैक करने के स्थलों आदि पर चौबीसों घंटे रेलवे सुरक्षा दल द्वारा चौकसी रखी जा रही है ।

(2) अधिक अपराध वाले खण्डों में बुक कुछ निर्दिष्ट माल गाड़ियों खासकर जो ऊंची दर वाली पण्य वस्तुओं को ले जाती है उनके साथ रेलवे सुरक्षा दल रहता है ।

(3) चोरी की सम्पति का लेन-देन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और रेल सम्पति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के अन्तर्गत मुकदमें चलाए जाते हैं ।

(4) अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये सादी वर्दी वाले रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं ।

(5) रेलों पर अपराधों का पता लगाने और उन्हें ही रोकने के लिए रेलवे ट्रेड यूनियनों की सहायता और सहयोग मांगा गया है ।

(6) रेलों पर इस तरह के काम करने वाले कुख्यात व्यक्तियों पर निगाह रखने के लिये राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ आवश्यक सहयोग रखा जाता है ।

(7) पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होने पर अपराधियों और चोरी की सम्पति का लेन-देन करने वालों को आन्तिरक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हवालात में बन्द किया जा रहा है ।

दक्षिण रेलवे में हुई गत हड़ताल के दौरान परेशान किए गए तथा मुअत्तिल किए गए कर्मचारी

*14. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे में, सैक्शनवार, कुल कितने स्थायी, अस्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियों का गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण परेशान किया गया तथा मुअत्तिल किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : ऐसे किसी भी रेल कर्मचारी को दंडित नहीं किया गया जिसने कानून के भीतर रह कर कार्रवाई की । लेकिन जिन्होंने कानून की उपेक्षा की और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है ।

2. दक्षिण रेलवे में ऐसे स्थायी और अस्थायी रेल कर्मचारियों की संख्या 521 थी जिन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया था, इनमें से 422 कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत अपीलों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के परिणामस्वरूप पुनः ड्यूटी पर ले लिया गया है । कुछ अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार किया जा रहा है । उन नैमित्तिक मजदूरों/एवजियों की संख्या, जिन्हें सेवा से मुक्त किया गया था, 3,971 थी जिनमें से अब तक 2,038 को पुनः सेवा में रख लिया गया है । निलम्बित किये गये कर्मचारियों की संख्या 294 थी जिसमें से 28 को छोड़कर शेष सबको अपनी ड्यूटी पर वापिस आने की अनुमति दे दी गई है । खण्ड-वार आंकड़े रेलवे द्वारा नहीं रख जाते ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रक्षालकों (डिटरजैन्ट्स) का उत्पादन

*15. **श्री डी० डी० जदेजा** :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रक्षालकों (डिटरजैन्ट्स) का उत्पादन करने के लिये कितनी विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये गए हैं; और

(ख) उनके उत्पादों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रक्षालकों का उत्पादन करने के लिये अधिक संख्या में विदेशी शेयरों वाली एक कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है।

(ख) इसके उत्पादों के नाम है—सर्फ, रिन्सो, रिन एवं सोलर

Steps to reduce consumption of petroleum

*16. **Shri M.C. Daga** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether keeping in view the upward trend in prices of petroleum, Government had taken steps during the last six months to reduce consumption of petroleum;

(b) if so, the quantity of petrol consumed by Central Government in July, 1974 and in January, 1975 indicating areas of consumption;

(c) whether Government have issued any instructions to effect economy in consumptions of petrol; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K. D. Malaviya) : (a) Government have taken/are taking various measures to curb the consumption of petroleum products in the country. These, *interalia*, include (1) curbs on the consumption for non.essential purposes through fiscal and regulatory measure, (2) higher efficiency in use of fuels, and (3) placing increasing reliance on alternative sources of energy and feedstocks.

(b) The information is not readily available.

(c) and (d) Instructions were issued by the Ministry of Finance (Department of Expenditure) in August, 1974 imposing a cut of 10% on provisions for office expenditure, travelling allowance and contingencies in all Ministries/Departments.

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*17. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले पर आधारित कोई उर्वरक संयत्र चल रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है, और वे कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। सिन्द्री एवं वाराणसी में स्थित उर्वरक संयत्र कोयले से तैयार की गई कोक ओवन गैस पर तथा नैवेली संयत्र लिग्नाइट पर आधारित है जो कि कोयले का ही दूसरा रूप है। रुरकेला संयत्र संभरण सामग्री के रूप में दोनों पर आधारित है।

(ख) कोयले पर आधारित तीन उर्वरक प्रायोजनाएं रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश), तालचर (उड़ीसा) तथा कोरबा (मध्य प्रदेश) में इस समय कार्यान्वयनाधीन है और सभी सरकारी क्षेत्र में है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के सामने वित्तीय कठिनाईयां

*18. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र का गोरखपुर उर्वरक संयंत्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण संकट में है।

(ख) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक जिसमें गोरखपुर संयंत्र ने ऋण पत्र खाता खोल रखा है अपने दायित्व पूरे नहीं कर रहा है अथवा अदायगियों में विलम्ब कर रहा है ;

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण गोरखपुर संयंत्र बिजली, कोयला, तथा मालभाड़े संबंधी अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सका है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर यूनिट में कोई वित्तीय संकट नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ जिसे भारतीय उर्वरक निगम, उर्वरक सप्लाई करना था, द्वारा प्रस्थापित खास पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कुछ भुगतान करने में विलम्ब किया गया था । इन बैंकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान निगम को अब कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) भाग के उत्तर को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता ।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करना

*19. **श्री मधुलिमये** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले उन स्थायी, अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों को जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था मुअत्तिल किया गया था अथवा जिनको सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, बहाल करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जोन-वार नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ग) कितने कर्मचारियों पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ का आरोप लगाया गया तथा इन आरोपों के आधार पर जोन-वार वस्तुतः कितने कर्मचारियों को सजा दी गई; और

(घ) भाग (ग) के अन्तर्गत न आने वाले शेष उत्पीड़ित कर्मचारियों को नौकरी पर कब तक बहाल कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का जिन्हें पहले नौकरी से बर्खास्त/हटा दिया गया था या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें पुनः सेवा में लेने के संबंध में प्रयाप्त प्रगति हुई है । लगभग 16700 स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों में से इस समय केवल 2,900 कर्मचारी शेष हैं जो अभी भी या तो नौकरी बर्खास्त/निष्कासित हैं अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त हैं । दूसरे शब्दों में लगभग 13,800 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापिस ले लिया गया है । एक विवरण सभा पटल पर रखा है जिसमें नवीनतम आंकड़े दिखाए गए हैं ।

2. जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों का संबंध है, खारिज किए गए लगभग 21,600 श्रमिकों में से लगभग 12,470 को पुनः काम पर ले लिया गया है। नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी देना पूर्ण रूप से कार्य की आवश्यकता और साधनों पर निर्भर करता है। संलग्न विवरण से वर्तमान स्थिति का पता चलता है ।

3. अभी तक, कुल 1,111 रेल कर्मचारियों को दोषी पाया गया । आरोपों की छानबीन करने पर, जिनके लिए वे दोषी पाये गये थे, 55 को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है इन 55 कर्मचारियों को जिन गम्भीर आरोपों के लिए दोषी पाया गया उनका क्षेत्रवार विवरण संलग्न है । इस समय 550 कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा और तोड़-फोड़ के आरोप में अदालतों में मामले चल रहे हैं ।

विवरण

रेलवे	उन स्थायी रेल कर्मचारियों की संख्या जो बर्खास्त नौकरी से निष्कासित किये गये थे और अभी तक ड्यूटी पर वापस नहीं लिए गये	उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है	खारिज कर दिये गये नै मित्तिक श्रमिकों/ एवज़ियों की संख्या	पुनः काम पर लगाये गये नैमितिक श्रमिकों/ एवज़ियों की संख्या	विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत दोषी ठहराये गये कामगरों की संख्या	गंभीर आरोपों के अन्तर्गत ठहराये गये कामगरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	169	5	4,267	4,178	13	कोई नहीं
पूर्व	540	48	2,646	600	5	कोई नहीं
उत्तर	124	28	9048	782	64	26
पूर्वोत्तर	124	8	366	132	28	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	355	6448	325	5	2	2
दक्षिण	106	1	3,971	2,038	142	9
दक्षिण-मध्य	68	1	1,008	117	407	1
दक्षिण-पूर्व	475	149	4,855	3,089	75	17
पश्चिम	199	69	3,224	1,525	355	कोई नहीं

वारूमुरा में तेल और गैस का मिलना

*20 **श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अगरतला के निकट बारूमुरा में तेल और गैस मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायण मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) त्रिपुरा में बारामुरा संरचना पर खोदे गए प्रथम कुए में कुछ गैस संस्तर मिले हैं।

(ख) इस कुंए का पूर्णतया परीक्षण करने के उपरान्त और इस संरचना में कुछ और कुओं का व्यधन एवं परीक्षण करने के पश्चात इस संरचना की वाणज्यिक उपयोगिता स्थापित की जा सकती है।

कतिपय विदेशी फर्मों द्वारा डाक्सीसाईक्लीन के उत्पादन के लिए भारतीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव

1 **श्री बी० आर० परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज फिजर्स इंडिया लिमिटेड और मैसर्ज रैचलास लिमिटेड (अमरीकी) फर्मों ने डाक्सीसाईक्लीन के उत्पादन हेतु भारतीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को तकनीकी जानकारी देने के लिये प्रस्ताव किए हैं; और

(ख) उनके प्रस्तावों के बारे में सरकार के निर्णय की क्या स्थिति है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) मैसर्ज फाइजार-इण्डिया लिमिटेड द्वारा टैट्रासाइक्लीन और आक्सीटैट्रासाइक्लीन के उत्पादन के सुधार लाने तथा आई डी पी एल द्वारा डाक्सीसाइक्लीन का उत्पादन आरम्भ करने हेतु प्रोद्योगिकी प्रदान करने का प्रस्ताव निशुल्क है तथा यह (1) आक्सांटेट्रा-सोईक्लीन की क्षमता को नियमित करने और (2) प्रतिवर्ष 5 मीटरी टन डाक्सीसाइक्लीन के उत्पादन हेतु औद्योगिक-लाइसेंस देने के संदर्भ में दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप लाभ के रूप में विदेशी मुद्रा निरंतर विदेशों को जाती रहेगी। दूसरी ओर रकलें के प्रस्ताव में निम्नलिखित विदेशी मुद्राभुगतान सम्मिलित है

आवश्यक जानकारी और इन्जीनियरी ब्यौरे देने के लिए रायल्टी	99,000 अमेरिकी डालर (8 लाख रुपये) तीन किस्तों में पांच वर्ष की अवधि के लिए डाक्सीसाइक्लीन के शुद्ध विक्रय मूल्य पर इसकी प्रथम दिवसिर्य प्रपंज मात्रा या खराकों के हिसाब से बिक्रीकर पर 4 प्रतिशत ।

उपर्युक्त प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मुअत्तल, सेवा से निकाले गये तथा बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारी

2. **श्री नूरुल हुडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण देश भर में तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलव में कितने रेल कर्मचारी को मुअत्तल किया गया है। सेवा से निकाला गया अथवा बर्खास्त किया गया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा, तोड़-फोड़ तथा आपराधिक धमकी के निश्चित आरोप हैं; और

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं तथा इन कार्यवाहियों में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई, 1974 की गैरकानूनी हड़ताल में भाग के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कोई भी कर्मचारी न तो बर्खास्त/नौकरी से निष्कासित किया गया और न उनकी सेवायें समाप्त या निलम्बित की गई। फिर भी जहां उन्होंने कानून की उपेक्षा और आदेशों की अवहेलना की उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई, सभी रेलों में बर्खास्त/निष्कासित/नौकरी समाप्त किये गये कर्मचारियों की संख्या 16,700 थी जिसमें से 13,000 को वापस नौकरी पर ले लिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बर्खास्त/निष्कासित/नौकरी समाप्त किए गए कर्मचारियों की संख्या 3,336 थी जिनमें से 700 कर्मचारी लाइन पर गश्त लगाने वाले भी शामिल हैं जिनकी सेवाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। शेष 2,656 में से, 2,337 का उनका अपील पर विचार करने के बाद नौकरी पर ले लिया गया है, जबकि 76 ने अपील नहीं की। शेष कर्मचारियों की अपील विचाराधीन है। निलम्बित किये गये 97 कर्मचारियों में से 88 को वापस काम पर लिया जा चुका है।

(ख) 208 कमचारियों पर तोड़-फोड़, हिंसा और डरान-धमकान के गम्भीर आरोप हैं।

(ग) 174 कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्रवाई विभिन्न स्तर पर है।

कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा कुछ औषधियों का उत्पादन और विपणन

3. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मैसर्स मे एन्ड बेकर, हैक्सूट फार्मेजर्स, इण्डियन शेरिंग और फुलफोर्ड की एकाधिकार स्थिति के साथ-साथ एनलजिन, मेटरोनिडाज़ोल, टेट्रासाईक्लीन, आक्सीटेट्रासाईक्लीन तथा जेन्टामाईसीन के उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं

(ख) "वहक" औषधियों अथवा "फार्मलेशन्स" के लिए आवश्यक आयातित कच्चा माल कौन सा है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त औषधियों के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल की लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित क्या है ;

(ग) क्या ये फर्में ये औषधियां एक नियमित लाइसेंस, अनुमतिपत्र के आधार पर बना रही है अथवा विविधीकरण अथवा बिना औद्योगिक लाइसेंस के बना रही हैं; और

(घ) इन फर्मों के एकाधिकारात्मक रवैये को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (घ) संगठित क्षेत्र में संयंत्रों के बारे में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 888375**] प्रपुंज औषधों के साथ साथ आयातित कच्चे माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य समय समय से बदलता रहता है इस लिए चौथी योजना अवधि के लिये कोई एक मात्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य उपलब्ध नहीं है ।

(घ) औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है । अन्य बातों के साथ साथ समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) मूल औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण में और अनुसंधान तथा विकास में सरकारी पोत्र नेतृत्व प्राप्त करना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ।

(2) औषध उद्योग और विशेषकर भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें करना । समिति सिफारिशें करते समय उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय फ़ैलाव को ध्यान में रखेगी ।

अप्रैल 1975 तक समिति की रिपोर्ट मिलने की संभावना है ।

प्रचार तथा पैकेज आदि की लागत को कम करके औषधियों का मूल्य घटाना

4. **सरदार मोहन सिंह गिल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों का मूल्य 25 प्रतिशत तक तुरन्त कम किया जा सकता है क्योंकि बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा उत्पादित औषधियों की लागत का 35 प्रतिशत भाग प्रचार तथा पैकेज आदि में कम किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या औषध उद्योग के आर्थिक स्वतंत्रता और संदर्भ संबधी राष्ट्रीय सम्मेलन में गर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारत सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर एक समिति गठित की है जिसके अन्य बातों के साथ साथ विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं :

"उपभोक्ता के लिए औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए अब तक उठाए गए उपायों की जांच करना और मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए ऐसे और अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश करना ।"

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसी कार्यवाई सरकार द्वारा समिति का सिफारिशों को ध्यान में रखकर दी जाएगी ।

(ग) सम्मेलन ने, विदेशी साम्य साझेदारी के साथ भेषज तथा औषध उद्योग के सभी संयंत्रों के शीघ्र राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है ।

(घ) सम्मेलन द्वारा भेजे गए सभी घोषणा पत्र और दस्तावेज सरकार के विचाराधीन है ।

Dacoities Committed on Central Railway during the period from January 1973 to January 1974

5. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of dacoities committed in trains on the Central Railway during the period from January ,1973 to January, 1974;

(b) the number of persons arrested so far in connection therewith; and

(c) the action taken to prevent such incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 3

(b) 12

(c) Passenger trains are escorted by Police over vulnerable sections besides posting of pickets and keeping surveillance over criminals. Patrolling of platforms, while trains are standing on selected stations, has been introduced by Police to give protection to passengers.

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के लिए संशोधित कार्यक्रम

6. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने संबंधी कार्य के लिए समय सारणी को और संशोधित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों के कारण समय कार्यक्रम को संशोधित किया है और सरकार के हाल के विचार के अनुसार अन्तिम समय सारणी की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मूल रूप से इस परियोजना को 1975 के प्रारम्भ में पूरा करने का लक्ष्य था जिसे अब मार्च, 1976 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया हैं ।

(ख) रेलों के योजना व्यय में कटौती के कारण इस वित्तीय वर्ष में निधि के आबंटन में कुछ कमी की गई । इस कारण, कार्य पूरा करने की अन्तिम तारीख मार्च, 1976 तक फिर से निर्धारित की गई है ।

त्रिपुरा के बारामुरा में छिद्रण कार्य स्थगित करना

7. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के बारामुरा में छिद्रण कार्य स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब पुनः आरम्भ किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) जी, नहीं । बारामुरा पर व्यधन कार्य को रोका नहीं गया है । बारामुरा पर प्रथम कुएं को पूरा कर लिया गया है तथा उस पर परीक्षण कार्य जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट

8. **श्री एस०एन० सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) परिसीमन आयोग ने 19 राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है ।

(ख) शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली की बाबत कार्य चल रहा है और उसके मई, 1975 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

हल्दिया-पनस्कुरा रेलवे लाइन

9. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हल्दिया-पनस्कुरा लिंक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 1960 में आरम्भ हुआ था;

(ख) इस लाइन पर अब तक हुए निर्माण कार्य की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में क्या परिणाम मिला है;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन पर यात्री रेलगाड़ी चलती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस रेलवे लाइन पर यात्री रेलगाड़ियां चलाने के बारे में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं क्योंकि हल्दिया औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस परियोजना पर 1963 में कार्य शुरू किया गया।

(ख) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर, आई०ओ०सी०, एम०एम०टी०सी० आदि के निर्माण संबन्धी और अन्य सामानों की ढुलाई शुरु करने के लिए स्टेशनों की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ-साथ पूरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा करके उसे 16-1-69 को खोल दिया गया। इस खण्ड पर बिजली लगाने का काम भी पूरा होने जा रहा है।

(ग) इस लाइन को अभी यात्री यातायात के लिए नहीं खोला गया है। इस खण्ड पर ई०एम०यू० सेवायें शुरू करने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण और बिजलीकरण का काम भी आवश्यक है। इसलिए यात्री गाड़ियां चलाना रोक रखा गया है।

(घ) ऊंचे प्लेटफार्मों के निर्माण और बिजली लगाने का काम पूरा होते ही, पंसकुरा-हल्दिया खण्ड पर यात्री गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया जाएगा।

Production of Soda ash by certain firms

10. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity of Soda Ash producted by Dhrangdhra Chemicals, Dhrangdhra (Saurashtra Gujarat) and Saurashtra Chemicals, Porbander (Saurashtra Gujarat) during the year 1973-74:

(b) the percentage of Soda Ash out of the total quantity produced, made available to the people through adminstrative control and the percentage of Soda Ash made available to the people by the producers privately; and

(c) whether Government have some price control on soda ash.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) Production of soda ash by M/s. Dhrangdhra Chemicals and M/s. Saurashtra Chemicals during 1973-74 was 55697 tonnes and 169970 tonnes respectively.

(b) and (c) There is no control over selling prices and distribution of soda ash.

अशोधित तेल का आयात

11. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अशोधित तेल की सप्लाई के लिए कुछ देशों से सीधे ही अनुरोध किया था लेकिन वह अशोधित तेल प्राप्त करने में असफल रहा ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने तेल की सप्लाई के लिए किन-किन देशों से अनुरोध किया था;

(ग) रियायती दरों पर भारत को तेल की सप्लाई

(घ) क्या सरकार ने देश में कार्यरत तेल कम्पनियों को अन्य देशों से अधिक तेल प्राप्त करने को कहा है या इसकी अनुमति दी है; और

(ङ) वर्ष 1975 में तेल की कमी किस सीमा तक पूरी की जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) वर्ष 1975 के दौरान अशोधित तेल की सप्लाई के लिए व्यवस्था अभी तक द्विपक्षीय आधार पर की गई है जो निम्न प्रकार है :—

देश का नाम	मात्रा/मिलियन मी० टनों में
ईरान	3.8
ईराक	2.8
साउदी अरब	1.1

यूनाइटेड अरब/अमीरात से अशोधित तेल प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श प्रगति पर है ।

(ग) सप्लाई की शर्तों को बताना जनहित में नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुरूप देश की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के प्रयत्न किए जायेंगे ।

छोटी लाइनों (नैरो गेज) को हुई हानि

12. **श्री हरी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान देश में छोटी लाइनों (नैरो गेज) पर अभत भूर्व भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त हानि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच

13. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अधीन कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है ;

(ख) पिछले एक वर्ष में कितने ऐसे मामलों की जांच की गई, संबंद्ध औद्योगिक गृह कौन से हैं तथा जांच किस-किस दिन की गई है; और

(ग) इन जांचों के क्या परिणाम निकले तथा प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा जांचों के संबंध में सूचना, अधिनियम के उपबन्धों के 1971 से 1973 के सालों के कार्यकरण की तीन वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित है, जिसकी प्रतियां सदन के पटलों पर प्रस्तुत की गई हैं । एक विवरण-पत्र वर्ष 1974 हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते हुए सदन के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–8884/75]**

(ग) जैसा कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग, उपक्रमों द्वारा ग्रस्त निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में जांचों के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत अभिदेशक शक्तियों का प्रयोग करता है इसलिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

14. **श्री डी० के पंडा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह कम्पनियां शोधक मशीनरी जैसी अपनी संपत्तियों को बेच रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं और ऐसे सौदों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) भारत में एस्सो कम्पनी के नियंत्रण संबंधी, बातचीत तथा विधान द्वारा अर्जित कर लिए गए हैं । बर्माशेल और काल्टेक्स के साथ बातचीत प्रगति पर है ।

(ग) और (घ) बर्माशेल, काल्टेक्स और आसाम आयल कम्पनी द्वारा कोई शोधनशाला संबंधी कल-पुर्जे नहीं बेचे गए । बर्माशैल द्वारा अपनी कुछ परिसंपत्तियां सामान्य व्यापार कार्यवाहियों द्वारा बेची जा रही हैं । केवल अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । बर्माशैल और आसाम आयल कम्पनी ने यह सूचना दी है कि उनके द्वारा वर्ष 1973 में परिसंपत्तियों के विक्रय द्वारा क्रमशः 1.08 करोड़ और 5 68 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की गई तथा अचल परिसंपत्ति के निपटान हेतु उपर्युक्त पद्धति का ही अनुपालन किया जा रहा हैं । भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया है ।

औषधि उद्योग के आर्थिक पहलुओं संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

15. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) हाल ही में औषधि उद्योग के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष लिए गए; और

(ग) उक्त सम्मेलन के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । औषध उद्योग के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन 21–22 दिसम्बर, 1974 को हुआ था ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस सम्मेलन द्वारा की गई घोषणा के तथा इसके अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं और अब उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

निर्वाचनों के बारे में प्रधान मंत्री तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वक्तव्य

16. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन संबंधी व्यवस्था को पूरा करने तथा लोक सभा के लिए समय-पूर्व मतदान कराने के बारे में (1) प्रधान मंत्री, तथा (2) निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए विभिन्न वक्तव्यों का पाठ क्या है;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पूर्ण पुनरीक्षण तथा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन करने के संबंध में सांविधानिक दायित्वों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) (1) लोक सभा के लिए समय-पूर्व मतदान कराने की संभावना तथा (2) निर्वाचन संबंधी सुधारों को लागू करने के बारे में सरकार की नवीनतम स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) समय से पूर्व साधारण निर्वाचन होने की संभावना है या नहीं इस बारे में प्रधान मंत्री ने प्रेस संवाददाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया था ।

24 जनवरी, को टोकियो के 'असाही शिम्बुन' के संवाददाता ने उनसे पूछा था कि "ऐसी चर्चा है कि मई, 1975 में लोक सभा के लिए समय-पूर्व मतदान कराया जाएगा । क्या आपकी राय में समय से पूर्व निर्वाचन कराए जाने का कोई औचित्य है?" प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया कि "मैं समझती हूं कि यह बात एक अटकल मात्र है ।"

इससे पूर्व, 14 जनवरी को, प्रधान मंत्री से उस समय जब वह मालदीव से वापस लौट रही थीं, मद्रास हवाई अड्डे पर प्रश्न पूछा गया था । 'इंडियन एक्सप्रेस' (नई दिल्ली) के 15 जनवरी, 1975 के अंक में इस विषय पर निम्न-लिखित रिपोर्ट प्रकाशित हुई है :

"प्रधान मंत्री श्रीमती इदिरा गांधी ने आज मद्रास हवाई अड्डे पर यह कहा है कि इस बात की संभावना नहीं है कि साधारण निर्वाचन समय से पूर्व कराए जाएंगे ।"

"संवाददाताओं ने उनको बताया कि समय-पूर्व मतदान की संभावनाओं की चर्चा तो हो रही है किन्तु इस विषय पर उनकी (प्रधान मंत्री) की ओर से कोई सरकारी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है । "

"प्रधान मंत्री ने पहले यह उत्तर दिया कि "इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है ।" जब उनसे फिर यह प्रश्न पूछा गया कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि साधारण निर्वाचन समय से पूर्व कराए जाएंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि "मुझे इसमें सन्देह है । "

प्रधान मंत्री ने 21 दिसम्बर को कांग्रेस संसदीय दल के सामने एक भाषण में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का उल्लेख भी किया था । 22 दिसम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में वह भाषण प्रकाशित हुआ था और निर्वाचक नामावलियों से संबंधित अंश इस प्रकार है :

"संभवतः बहुचर्चित समय पूर्व मतदान की संभावनाओं के प्रति निर्देश करते हुए, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि 'इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है ।' किन्तु यदि साधारण निर्वाचन न भी हों तो भी निर्वाचक नामावलियों के भली प्रकार पुनरीक्षण से उप निर्वाचनों में मदद मिलेगी । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसे 'स्थायी महत्व' का कार्य समझा जाना चाहिये ।"

जहां तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए वक्तव्यों का संबंध है, प्रेस संवाददाता उनसे तब मिले थे जब वह क्रमशः 25 नवम्बर, 1974 और 7 जनवरी, 1975 को मद्रास और कलकत्ता दौरे पर गए थे और तभी उन्होंने संवाददाताओं द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे । इन वक्तव्यों के संबंध में न्यूज एजेंसियों द्वारा भेजे गए संवाद इससे संलग्न हैं (उपाबंध 1 और 2) । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 8885/75]**

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दिल्ली टेलीविजन पर 25 दिसम्बर, 1974 को एक इन्टरव्यू भी हुआ था । इस संबंध में एक न्यूज एजेन्सी द्वारा भेजा गया संवाद इससे संलग्न है । (उपाबंध 3) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8885/75]**

(ख) आशा की जाती है कि निर्वाचक नामावलियों के वर्तमान पुनरीक्षण के पश्चात, जो अभी सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में (गुजरात को छोड़कर—जहां वह पहले ही पूरा हो चुका है) उन्हें 15 मार्च, 1975 तक अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

परिसीमन आयोग यह आशा करता है कि सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य मई, 1975 तक पूरा हो जाएगा ।

(ग) (i) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ii) निर्वाचन विधियों का संशोधन करने के लिए एक विधेयक जो मुख्य रूप से निर्वाचन विधि में संशोधनों से संबंधित संयुक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है, 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था । इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है । यदि आवश्यक हुआ तो प्रमुख राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है

नये बोंगाई गांव से न्यू गोहाटी तक सड़क द्वारा माल ढोने के लिए टेंडर

17. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने न्यू बोंगाई गांव से न्यू गोहाटी तक सड़क द्वारा माल ढोने के लिए हाल में टेंडर आमंत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) टेंडर आमंत्रित करने का कारण, असम और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए संचलन में प्रत्याशित वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए न्यू बोगाई गांव में वर्तमान आमान यानान्तरण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यातायात ढोने की संभावना की जांच करना था।

3 अप/4 डाउन हावड़ा-मद्रास मेल के 'मील कन्वेस्सरों' की मांग

18. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप-4 डाउन हावड़ा/मद्रास मेल में कार्य करने वाले, 'मील कन्वेस्सरों' की ओर से कमीशन बढ़ाने तथा उन्हें नियमित कर्मचारियों के रूप में खपाए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मांग की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) भोजन अनुयाचक प्रतिदिन 14 घन्टे काम करते हैं और उन्हें भोजन सेवा का निरीक्षण भी करना पड़ता है, फिर भी उन्हें केवल 6 पैसे प्रति रुपया कमीशन मिलता है।

(ii) उन्हें रेल कर्मचारी नहीं माना जाता।

(iii) उन्हें अन्य दैनिक मजदूरों को भी मिलने वाली इलाज नियमित वेतन और छुट्टी की सुविधायें नहीं मिलती।

(iv) उन्हें रेल सेवा में आमेलित करने की कोई सारणि नहीं है।

(v) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित रेल कर्मचारी माना जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :

(i) भोजन अनुयाचकों की कमीशन की दर 6% से बढ़ा कर $7\frac{1}{2}$%कर दी गई है और उन्हें भोजन सेवा का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जिसे स्थापना का प्रबंधक स्वयं करता है।

(ii) भोजन परोसने वालों के लिए रेलवे अस्पतालों/दवाखानों में बहिरंग रोगियों के रूप में मुफ्त डाक्टरी इलाज की सुविधा भी प्रदान कर दी गयी है।

(iii) जहां कहीं भी स्थान खाली होते हैं अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ उन्हें नियुक्त करने पर भी विचार किया जाता है।

(iv) और (v) चूंकि वे कमीशन के आधार पर काम करते हैं अतः उन्हें नियमित रेल कर्मचारी मानना संभव नहीं है।

दक्षिणी तथा अन्य रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों का खपाया जाना

19. **श्री था किरुतिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे ऐसे कुल कितने नैमित्तिक कर्मचारी हैं जिनको दक्षिण रेलवे तथा अन्य रेलवे में अभी तक खपाया नहीं गया है; और

(ख) सरकार का विचार इन नैमित्तिक श्रमिकों को कब तक स्थायी करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-3-1974 तक लगभग 48,000 ।

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित पदों पर खपाना रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना

20. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नए तेलशोधक कारखानों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से तेलशोधक कारखाने निर्माणाधीन हैं अथवा निर्मित किए जाएंगे तथा उनकी क्या क्षमतायें हैं ;

(ग) क्या सरकार वर्तमान तेलशोधक कारखानों को उनकी पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए पर्याप्त अशोधित तेल आयात करने के पक्ष में है;

(घ) उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अशोधित तेल कितना कम तथा कितनी मात्रा में ऐसा तेल आयातित किया जाता है; और

(ङ) नए तेल शोधक कारखानों का निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) 2.5 एम०टी०पी० ए० हल्दिया शोधनशाला के ईंधन क्षेत्र ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है तथा लूब क्षेत्र के 1975 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है । 1 मिलियन मी० टन की क्षमता के साथ बोंगई गांव तथा 6 मिलियन मी० टन की क्षमता के साथ मथुरा के लिए प्रायोजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया है । वर्तमान कोयाली शोधनशाला का 3 मिलियन मी० टन से विस्तार करने के लिए दूसरे प्रायोजना पर भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । मद्रास शोधनशाला का भी विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अशोधित तेल की सप्लाई तथा विदेशी मुद्रा की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रायोजनाओं को छोड़कर, इस समय सरकार के विचाराधीन कोई नई शोधनशाला प्रायोजना नहीं है । तथापि अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली ईस्टतम शोधन क्षमता तथा मांग के स्तर की जांच हो रही है ।

(ग) और (घ) सामान्य परिचालित स्तरों के आधार पर, हल्दिया को छोड़कर, वर्तमान शोधन क्षमता लगभग 24.5 मिलियन मी० टन है । इस क्षमता का लगभग 21.4 मिलियन मी० टन की सीमा तक उपयोग किया जा रहा है जो आयातित अशोधित तेल के 13.9 मिलियन मी० टन एवं देशीय अशोधित तेल के 7.5 मिलियन मी० टन से मिला है । पांचवीं योजना के अन्त तक अशोधित तेल की देशीय उपलब्धता के प्रतिवर्ष 12 मिलियन मी० टन तक होने की आशा है । अशोधित तेल सप्लाई तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अशोधित तेल के आयात का स्तर वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

(ङ) पैट्रोलियम उत्पादों के मांग में सम्भावित वृद्धि को देखते हुए उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताए गए शोधन प्रायोजनाओं को प्रारम्भ किया गया है ।

पश्चिम रेलवे में बर्खास्त किए गए, सेवा से निकाले गए तथा मुअत्तल कर्मचारी

21. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल के दौरान तथा पश्चात् पश्चिम रेलवे में कितने स्थायी, अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, सेवा से निकाला गया तथा मुअत्तल किया गया;

(ख) उसका सेक्शन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) बर्खास्त/सेवा से हटाये गए स्थायी कर्मचारी	1,436
(2) उक्त (1) में से काम पर वापस लिए गए कर्मचारियों की संख्या	1,237
(3) अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवाएं खारिज की गयीं	2,071
(4) उक्त (3) में से काम पर वापस लिए गए कर्मचारियों की संख्या	2,035
(5) खारिज किए गए आकस्मिक श्रमिक/एवजियों की संख्या	3,224
(6) उक्त (5) में से पुनः काम पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या	1,525
(7) निलंबित किए गए स्थायी कर्मचारियों की संख्या	3,431
(8) उक्त (7) में से काम पर वापस लिए गए कर्मचारियों की संख्या	3,421

(ख) खण्डवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) सरकार की नीति, जिसकी घोषणा संसद के दोनों सदनों में बार-बार की गयी है, यह है कि राष्ट्र की जीवन धारा को बनाए रखने में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गम्भीरता पर ध्यान दिए बिना उनको आम माफी नहीं दी जा सकती। फिर भी, रेल प्रशासन जहां कहीं सम्भव हो और जहां अपीलों में बतायी गयी लघु-कारक परिस्थितियां स्वीकार्य हों, सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेवा भंग में माफी दे रहा है और कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर ले रहा है। रेल प्रशासन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके न्यायालय में चल रहे मामलों की समीक्षा भी कर रहा है। और उसका यह दृष्टिकोण है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़, हिंसा अथवा डराने-धमकाने के आरोप हैं, शेष मामलों में न्यायलाय में कार्रवाई करने के लिए रेल प्रशासन की रुचि नहीं होगी।

सरकार द्वारा बर्मा शैल और काल्टेक्स को अपने नियंत्रण में लिया जाना

22. **श्री के०एम० मधुकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा शैल और काल्टेक्स आयल कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लेने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको अपने नियंत्रण में लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) बर्मा शैल और काल्टेक्स से बातचीत हो रही है। इससे सम्बंधित शर्तें और अन्य सारे प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है।

कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल सम्पर्क

23. **श्री आर०पी० उलगनम्बी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जनवरी, 1975 के अन्त तक कुल 27 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में रेलों के लिए योजना-व्यय में कटौती करने के कारण निधि के आबंटन में कुछ कमी हुई है। इसलिए इस कार्य के लिए पर्याप्त निधि का आबंटन संभव नहीं हो सका है। इस से काम पूरा होने में कुछ देरी हो सकती है।

दक्षिण से देहरादून और अन्य तीर्थ स्थानों के लिए रेल गाड़ियां

24. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री वरके जार्ज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारों तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष दक्षिण से हरिद्वार, ऋषिकेष और बद्रीनाथ जाते हैं और बहुत से पर्यटक मसूरी जाते हैं ;

(ख) क्या दक्षिण के बहुत से लोग देहरादून स्थित संस्थानों में तथा प्रतिष्ठानों में काम करते हैं;

(ग) क्या वे सभी देहरादून और दक्षिण के बीच सीधी रेल गाड़ी सेवाओं के अभाव के कारण बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देहरादून से दिल्ली आने जाने वाली रेल गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में ऐसे डिब्बों की व्यवस्था करने का है जिन्हें दक्षिण जाने वाली रेल गाड़ियों के साथ लगाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दक्षिण भारत से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मसूरी आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या की जानकारी नहीं है। लेकिन हरिद्वार/देहरादून से दक्षिण दिशा में दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों के लिये रेल गाड़ी से जाने वाला यातायात केवल लगभग 6 यात्री प्रति दिन है ।

(ख) और (ग) रेलवे के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) देहरादून और दक्षिण भारत के बीच सीधा डिब्बा चलाने का यातायात की दृष्टि से न कोई औचित्य है और न परिचालन की दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक ही है।

डाक, यात्री और माल गाड़ियों में डकैती

25. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में डाक, यात्री तथा माल गाड़ियों में वर्ष, 1972–73, 1973–74 और 1 अप्रैल 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान डकैती की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) उनमें जान तथा माल की कितनी हानि हुई और ऐसी डकैतियों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) यात्रियों के जीवन की रक्षा करने और रेलवे में माल की चोरी की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०–8886/75]**

(ग) (1) संविधान के अन्तर्गत रेलों पर कानून और व्यवस्था को कायम रखना और अपराध की रोक थाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिसको वे सरकारी रेलवे पुलिस की एजेन्सी के माध्यम से पूरा करते हैं। यात्रियों की जान और माल की सुरक्षा सरकारी रेलवे पुलिस के जरिए सुनिश्चित की जाती है जो रात में महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ चलती है विशिष्ट अपराधों के लिए अपराधियों पर मुकदमें चलाती है और जिन पर ऐसे अपराध करने का संदेह होता है उन्हें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द भी करती है ।

यात्रियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति वाले मामले सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है और उनके द्वारा चोरी गयी सम्पत्ति की खोज निकालने और इसे आवश्यक कानूनी औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर उसे मालिकों को लौटाने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं ।

(2) बुक किए गए परेषणों की चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) सभी महत्वपूर्ण माल गोदामों यानान्तरण/पुनः पैक करने के स्थलों आदि पर चौबिसों घंटे रेलवे सुरक्षा दल द्वारा चौकसी रखी जा रही है।

(ii) अधिक अपराध वाले खण्डों में कुछ निर्दिष्ट माल गाड़ियों खासकर जो ऊंची दर वाली पण्य वस्तुओं को ले जाती हैं, उनके साथ रेलवे सुरक्षा दल रहता है।

(iii) चोरी की सम्पत्ति का लेन देन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और रेल सम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(iv) अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी वाले रेलवे सुरक्षा दल में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(v) रेलों पर अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए रेलवे ट्रेड यूनियनों की सहायता और सहयोग लिया जाता है।

(vi) रेलों पर इस तरह के काम करने वाले कुख्यात व्यक्तियों पर निगाह रखने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ आवश्यक सहयोग रखा जाता है।

(3) राज्य सरकारों के अधीन मौजूदा सरकारी रेलवे पुलिस और रेल मन्त्रालय के नियंत्रण में सुरक्षा दल को एक साथ मिला कर एक एकीकृत पुलिस दल गठित करने की संभावना की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नत हुए सिगनलरों के वेतनों का निर्धारण

26. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60–150 रुपये के वेतनमान पर कार्य कर रहे सिगनलरों को 64–170 रुपये के वेतनमान वाले सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नत करने पर सभी भारतीय रेलवे में उन्हें एक वेतन वृद्धि दी गई थी ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन में अनेक अभ्यावेदन देने के बाद भी उन सिगनलरों को वेतन वृद्धि नहीं दी गई है जिन्हें सहायक स्टेशन मास्टर के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) नहीं दी गयी।

(ग) 1–4–61 से पहले के नियमों के अन्तर्गत, 60–150 रु० (नि०वे०मा०) के ग्रेड में सिगनलरों को 64–170 रुपये (जिसे 1–4–1956 से संशोधित करके 80–170 रुपये कर दिया गया था) के वेतनमान में सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नति होने पर उनका वेतन पदोन्नति वाले ग्रेड में अगली स्टेज पर नियत किया जाता था। 1–4–61 के बाद कर्मचारियों के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति होने पर उनका वेतन निम्नतर ग्रेड में एक वेतन वृद्धि देकर, पदोन्नति ग्रेड में वेतन वृद्धि की अगली स्टेज पर नियत किया जाता है।

नन्दयाल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति का लूटा जाना

27. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1974 को नन्दयाल रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर रेलवे सम्पत्ति को खुले आम लूटा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त वास्तविक अपराधियों की बजाय चतुर्थ श्रेणी के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए असली अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार का विचार निष्पक्ष जांच के लिए आदेश देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी नहीं। हां, 23 अक्तूबर, 1974 को तीन माल डिब्बे, जिनमें लोहे की चद्दरें थीं नन्दयाल रेलवे स्टेशन की भीतरी सिगनल के पास पटरी से उतर गए और उनमें से लोहे की कुछ चद्दरों की चोरी हो गयी। लगभग 1000 रु० की कीमत की चोरी गयी चद्दरें रेलवे सुरक्षा दल द्वारा बरामद की गयी और पांच रेलवे कर्मचारी (एक तीसरी श्रेणी का और चार चतुर्थ श्रेणी के) तथा एक बाहरी व्यक्ति रेल सम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। उन सब पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

कावेरी तट दूर बेसिन में तेल की खोज

28. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी तट-दूर बेसिन में तेल की खोज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) कुछ विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपतटीय अन्वेषण ठेके के लिए किए गए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पानीपत में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

29. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पानीपत, हरियाणा में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उसकी स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) संयंत्र में अनुमानतः वार्षिक उत्पादन कितना होगा ;

(घ) इस संयंत्र से हरियाणा और राजस्थान की कितनी कितनी मांग की पूर्ति होगी; और

(ङ) क्या राजस्थान में ऐसा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां।

(ख) और (ग) संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित पानीपत के उर्वरक संयंत्र की प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया और प्रतिदिन 1550 मीटरी टन यूरिया जो प्रतिवर्ष 2.35 लाख मीटरी टन के बराबर है, का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस परियोजना पर 50.60 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 139.73 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और इसके अप्रैल, 1978 तक मुकम्पन्न होने की आशा है।

(घ) विभिन्न राज्यों की जरूरतों को दृष्टि में रखते हुए, उर्वरकों का वितरण करने के लिए भारत के विभिन्न संयंत्रों द्वारा उत्पादित उर्वरकों को आयातित उर्वरकों के साथ मिलाया जाता है। इन राज्यों की मांग लाभप्रद विपणन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न यूनिटों के उत्पादन, परिवहन आदि संम्बंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा और राजस्थान की मांगों को पूरा करने में पानीपत स्थित संयंत्र के उत्पादन को निःसन्देह विचार में रखा जाएगा।

(ङ) मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० को उन के राजस्थान के कोटा नामक स्थान पर स्थित उर्वरक संयंत्र में और विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र दे दिया गया है जिस में यूरिया के रूप में 3.45 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा अन्य उत्पादों का अतिरिक्त उत्पादन निहित है। राजस्थान में स्थानीय रूप से उपलब्ध पाइराइट्स तथा राक फास्फेट पर आधारित एक उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना किए जाने की संभाव्यता के संबंध में कुछ अध्ययन किए जा रहे हैं।

निर्धनों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

30. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा संसद को दिए गए वचनों को अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया है; और

(ख) देश में, विशेषकर संघ शासित प्रदेशों में कानूनी सहायता योजना कब चालू की जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी): (क) रिपोर्ट की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए हैं, जांच से यह पता चला है कि समिति ने कानूनी सहायता के प्रश्न पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने का सुझाव दिया है। इसलिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में तब तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से उनके विचार प्राप्त नहीं हो जाते, उनका विश्लेषण नहीं कर लिया जाता और उन पर कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं कर लिया जाता।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम के लाभों में उत्पादन वृद्धि के बावजूद कमी

31. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के दौरान भारतीय तेल निगम का उत्पादन 996 करोड़ रुपये से बढ़कर 1241 करोड़ हो जाने तथा उत्पादों का विक्रय 1 करोड़ 60 लाख किलोलिटर से बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख हो जाने के बावजूद लाभ में 40 प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) लाभ बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) से (ग) जी हां, 1973–74 के दौरान भारतीय तेल निगम की कुल बिक्री में वृद्धि 1972–73 में लगभग 998.03 करोड़ रुपये से और 1973–74 में लगभग 1242.80 करोड़ रुपये तक होने पर तथा क्रमशः 16.0 मिलियन किलो लिटर से 17.3 मिलियन किलोलिटर तक बेचे गए उत्पादों की कुल मात्रा में वृद्धि के बावजूद निगम का कर से पूर्व शुद्ध लाभ 41.55 करोड़ रुपये था जब कि पिछले वर्ष में 46.08 करोड़ रुपये था।

निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत खर्चे में वृद्धि के कारण लाभ में कमी हुई है :--

लागत में वृद्धि	लेखा शीर्षक
(करोड़ों में रुपये)	
3.20	संस्थापन
0.65	ब्याज
2.33	अन्य खर्चे
1.86	मूल्य ह्रास
8.04	
(--) 0.97	(पूंजीकरण में कम वृद्धि)
शुद्ध वृद्धि 7.07	

1970 से कार्य खर्चे में वृद्धि के बावजूद वर्तमान मूल्य प्रक्रिया के अनुसार विपणन गुंजाइश अपरिवर्तित रही (रुपये/किलोलिटर/मी० टन)। वर्तमान मूल्य प्रक्रिया जहाज पर्यन्त निःशुल्क (एफ०ओ०बी०) में वृद्धि का पूर्ण निष्प्रभाव और अशोधित तेल की समुद्री परिवहन लागत की मजूरी नहीं देती। ये विषय अब पूर्व स्थापित तेल मूल्य समिति के विचाराधीन हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों को रद्द करना

32. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने जोन की काफी गाड़ियां रद्द कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां रद्द की गई तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गड़ियों के रद्द होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की चीनी मिलों के चीनी उत्पादन पर किस हद तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि गन्ना उत्पादकों से चीनी मिलों को नहीं पंहुच पाएगा; और

(घ) इन मिलों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए गाड़ियों को पुनः चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर 12-2-75 तक कोयले की कमी के कारण केवल 40 यात्री गाड़ियां रद्द की गई।

(ग) और (घ) चीनी के उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि गन्ने से भरे हुए माल डिब्बों को गन्ना शटलों या विकल्प रूप में शटिंगयान माल गाड़ियों द्वारा भेजने का प्रबन्ध किया गया है।

मथुरा शोधनशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रगति

33. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा शोधनशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) 1 जनवरी, 1975 तक इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय हुई; और

(घ) परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) शोधनशाला और उसके कस्बे के लिए भूमि प्राप्त की गई है। मिट्टी के प्रारंभिक चरण और सर्वेक्षण की जांच का कार्य पूरा कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त संयंत्रों की प्रक्रिया डिजाइन पूरी कर दी गई है। विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को रूस प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मूल डिजाइन/संयंत्रों की इंजीनियरी भारतीय क्षेत्र के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सुविधाओं का कार्य प्रगति पर हैं। कोयला संभालना और राख विन्यास की सुविधाओं के साथ डिजाइन/थरमल पावर प्लांट की इंजीनियरी, बी० एच० ई० एल० के साथ प्रगति पर है। उपस्कर और सामग्री को प्राप्त करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है और कुछ स्टील सामग्री, स्थल पर, आनी जारी हो चुकी है।

(ग) इस शोधनशाला प्रायोजना पर 1-1-75 तक खर्च की गई राशि 385.43 लाख रुपये है।

(घ) 1973 में नियत स्वीकृति के अनुसार शोधनशाला 1978 के मध्य में पूरी हो जाने की संभावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में बिछाई गई नई रेल लाइनें

34. **श्री बरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं ;

(ख) क्या देश में सबसे कम किलोमीटर रेल लाइनें केरल में हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई रेल लाइनें बिछाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) रेलवे का विकास राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से विचार किया जाता है न कि राज्य या क्षेत्रगत धारणाओं पर। फिर भी केरल राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से प्रगति पर हैं :—

(1) त्रिवेन्द्रम–एर्नाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना—काम चल रहा है।

(2) त्रिवेन्द्रम–तिरुनलवेली बरास्ता नागरकोइल तथा कन्याकुमारी तक शाखा लाइन काम चल रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए इनके उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे पर गत हड़ताल में मुअत्तल तथा बर्खास्त किए गए कर्मचारी

35. **श्री समर मुखर्जी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्तर रेलवे में कितने कर्मचारियों को बर्खास्त तथा मुअत्तल किया गया ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा, क्षेत्रवार क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के किसी भी कर्मचारी को मात्र इस कारण से कि उसने गत मई, 1974 को हड़ताल में भाग लिया, बर्खास्त/सेवा से हटाया नहीं गया था और न ही इस कारण से किसी की सेवायें समाप्त की गयी थी अथवा किसी को निलंबित किया गया था। लेकिन जिन कर्मचारियों ने कानून का और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है। उत्तर रेलवे के जिन कर्मचारियों को बर्खास्त/सेवा से हटाया गया था अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त की गयी थीं, उनकी संख्या 1,389 है। इनमें से 1,237 को पुनः सेवा में ले लिया गया है। निलम्बित किए गए कर्मचारियों की संख्या 1,208 थी, जिनमें से 1,198 पहले ही पुनः ड्यूटी पर ले लिये गए हैं।

(ख) कोटि-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) सरकार की नीति, जिसकी संसद के दोनों सदनों में बार-बार घोषणा की गयी है, यह है कि जबकि राष्ट्र की जीवन-धारा को बनाये रखने में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गंभीरता पर ध्यान दिये बिना।

पिछली रेलवे हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये रेलवे कर्मचारी

36. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पिछली हड़ताल के दौरान बर्खास्त किया गया था तथा अभी तक बहाल नहीं किया गया है ;

(ख) उनकी बर्खास्तगी के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) उन्हें पुनः नौकरी में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बर्खास्त किए गए अथवा सेवा से हटाए गए स्थायी कर्मचारियों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) बर्खास्तगी/सेवा से हटाने की कार्रवाई सामान्यतः गम्भीर अभित्रास, तोड़ फोड़, हिंसा और हिंसा की धमकियों से सम्बन्धित गम्भीर दुराचरण के कारणों पर की गयी है। कुछ रेल कर्मचारी उनके विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये आरोपों पर अदालतों द्वारा सजा दिए जाने के फलस्वरूप भी सेवा से हटाए गए थे।

(ग) जिन व्यक्तियों ने अपनी बर्खास्तगी/सेवा से हटाये जाने के विरुद्ध अपील अधिकारी द्वारा की गयी है। जहां भी अदालत द्वारा दी गयी सजा उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द कर दी गयी है, संबंधित कर्मचारी ड्यूटी पर वापस ले लिए गए हैं।

विवरण

रेलवे	बर्खास्त/हटाए गए रेल कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है।
मध्य	169
पूर्व	540
उत्तर	124
पूर्वोत्तर	124
पूर्वोत्तर सीमा	355
दक्षिण	106
दक्षिण मध्य	68
दक्षिण पूर्व	475
पश्चिम	199

कुछ विदेशी फर्मों द्वारा आधारभूत कच्चे माल की तस्करी

37. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई हैं कि 26 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी वाली कुछ विदेशी फार्मेस्युटिकल फर्म उस आधारभूत कच्चे माल की तस्करी कर रही है जिनके लिए उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं तथा कच्चे माल को स्वनिर्मित बनाकर बेच रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं तथा तस्करी किए गए कच्चे माल की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है तथा क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध 'आंसुका' के अन्तर्गत कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई० डी० पी० एल० और एस० टी० सी० द्वारा आयातित औषधियों के मूल्य में असमानता

38. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पूल्ड' मूल्यों आई०डी०पी०एल० और एस०टी०सी० द्वारा आयातित औषधियों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों में भारी असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो आई०डी०पी०एल० और एस०टी०सी० द्वारा आयातित की जा रही कौन सी अधिक खपत वाली महत्वपूर्ण औषधियां और फार्मुलेशनस हैं; और उनमें से प्रत्येक 'पूल्ड' और आयातित मूल्य क्या हैं; और

(ग) ऊंचे 'पूल्ड' मूल्य निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तथा आई०डी०पी०एल०एवं राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरित औषधों के 'पूल्ड' मूल्य तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के बीच अन्तर, मुख्यतः सीमा शुल्क के लेन देन की घटनाओं, राज्य व्यापार निगम के खर्च आदि तथा देशीय उत्पादन के तुलनात्मक उच्चतर लागत के कारण हैं।

(ख) महत्वपूर्ण प्रपूंज औषधों, जिनके लिए 1974-75 के दौरान 'पूल्ड' मूल्य नियत थे, ऐसे औषधों के लिए नियत लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा 'पूल्ड' मूल्य से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई सूत्रयोग का आयात नहीं किया जाता है।

विवरण

औषधों का नाम	1974-75 के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य	पूल्ड मूल्य
	रु०/कि० ग्राम	रु०/कि०ग्राम
1. अनालजीन	656.00	174.53 (19-4-74) 175.02 (22-8-74)
2. एमिडोपाइटीन	59.33	132.43
3. कोलिक एसिड	585.00	1527.02
4. सल्फागनीडाइन	80.00	99.50 (19-4-74) 115.61 (22-8-74)
5. फेनाबारबिटोन	140.60	273.68 (19-4-74) 276.11 (22-8-74)
6. विटामिन बी-1	280.00	592.48
7. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	250.26	295.00 (1-4-74) 343.00 (8-8-74)
8. विटामिन बी-2	450.00	935.48
9. क्लोरमफेनीकोल पाउडर	480.00	542.65 (1-4-74) 646.00 (8-8-74)

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

39. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने भारत सरकार को दिए गए अपने तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन में संकेत किया है कि "आयोग अनुभव करता है कि कई बार ऐसे मामले आयोग को भेजे जाते हैं जिनमें कोई मुख्य बात नहीं होती जब कि ऐसे अनेक मामलों को आयोग को नहीं भेजा जाता जिस में स्पष्टतः महत्वपूर्ण बातें होती हैं।";

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसका और स्पष्टीकरण करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद व्रत वरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी। इसकी 1973 की कलैन्डर वर्ष की रिपोर्ट के अध्याय 5(3) में यथा उल्लेखित आयोग के अवलोकनों की बाबत, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यकरण पर दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई केन्द्रीय सरकार की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैरा (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहां एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अध्याय 3 के अन्तर्गत, आयोग के लिए निदेशों की अपेक्षा की बाबत, कानूनी स्थिति तथा नीति का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण किया गया था।

(ग) उत्पन्न नहीं होता। आयोग ने कथित रिपोर्ट के पृष्ठ 92 में यह मान लिया है कि "केवल वे प्रस्ताव जिनमें, केन्द्रीय सरकार के मामले पर निर्णय करने से पहले 'पुनः जांच' की अपेक्षा समझी जाए" आयोग को निर्देशित किए जाते हैं।

पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के लिए आबंटन

40. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों में पांचवीं योजना में नई लाइनों के लिए कितना आबंटन किया गया है ;

(ख) क्या रेलवे ने योजना आयोग से अधिक आबंटन किए जाने के लिए कहा है क्योंकि आबंटित किया गया धन अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित लाइनें तथा नयी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। यह राशि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए अपेक्षित तथा अन्य अनुमोदित कार्यों को ही पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। देश के सभी भागों में पिछड़े क्षेत्रों के लिए नयी रेलवे लाइनें बिछाने की जोरदार मांग को ध्यान में रख कर इसके लिए, योजना आयोग से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 255 करोड़ की अतिरिक्त राशि के आबंटन का अनुरोध किया गया था किन्तु उसने कोई राशि आबंटित नहीं की।

रेल गाड़ियों में सुरक्षा प्रबन्ध

41. **श्री त्रिविध चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे में, विशेषतया पूर्व रेलवे की सियालदह और हावड़ा डिवीजनों और दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा-खड़गपुर लाइन पर यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रबन्धों की गम्भीर रूप से बिगड़ी हुई स्थिति के कारण छुरे तथा रिवाल्वर दिखाकर संगठित सशस्त्र दस्यु दलों द्वारा डकैतियों, जेवरात तथा मूल्यवान वस्तुयें छीनने की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा मण्डलों पर लूट-मार के मामलों की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर लाइन पर इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी हुई है।

(ख) संविधान के अनुसार रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की रोक थाम का दायित्व राज्य सरकार पर है जिसे वे सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से निभाती है।

सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात को चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्ग-रक्षी तैनात किए जाते हैं, स्टेशन/प्लेटफार्म/प्रतीक्षालयों में नियमित रूप से गश्त लगायी जाती है, अपराधियों और बदमाश व्यक्तियों पर निगाह रखी जाती है, विशिष्ट दोषों के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त आधार होने पर ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में

रखा जाता है जिन पर इस प्रकार के अपराधों का सन्देह हो, यात्रियों की निजी सम्पत्ति से सम्बद्ध मामलों को सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा रजिस्टर कर लिया जाता है और उनकी छानबीन की जाती है तथा इस बात का हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि चुरायी गयी सम्पत्ति बरामद करके उसे आवश्यक कानूनी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद उसके स्वामी को लौटा दी जाए।

Retrenchment of Class I, II, III and IV Employees for effecting economy

42. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Class I, II, III and IV officers and employees retrenched by the Railways with a view to effecting economy during the current financial year; and

(b) the extent of saving in expenditure likely to be effected therefrom, class-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No regular Railway employee has been retrenched as Government's policy is not to retrench staff but to absorb surplus staff in alternative posts. Casual labour who are employed for seasonal works, projects etc. are however laid off when the work is over. They are given all benefits prescribed under the provisions of the Industrial Disputes Act and are also considered for re-employment if new works are sanctioned in the same region.

(b) Nil.

तेल की खोज के लिए छिद्रण उपकरण की अनुपलब्धता

43. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष 1980 तक तेल के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या भारत में तेल की खोज के लिए रिग और छिद्रण उपकरण उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ से उक्त उपकरणों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन दोनों देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) लगाए गए अनुमान के अनुसार, उस समय की लगभग 32 मिलियन मीटरी टन की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में 1978–79 के दौरान लगभग 12 मिलियन मीटरी टन के देशीय तेल के उत्पादन की आशा की जाती है।

(ग) से (ङ) विश्व भर में तेल संकट को ध्यान में रखते हुए, व्यधन रिगों की सप्लाई स्थिति और अन्य तेल क्षेत्र के उपकरण की स्थिति विकट है और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न स्रोतों से अपनी इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आयोग हाल ही में 11 रिगों (रूस से 3, रूमानिया से 6, अमेरिका से 2) के आदेश देने में समर्थ हो चुका है। इसके अतिरिक्त आयोग ईराक में हो रहे अपने कार्यों के लिए अमेरिका और रूस से एक एक रिग ले रहा है।

Reinstatement of Employees not involved in Sabotage and Violence

44. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Railway Minister, late Shri Lalit Narain Mishra had repeatedly assured the Lok Sabha that all the Railway employees who had participated in the Railway strike of May, 1974 except those who were charged with sabotage and violence would be reinstated with all attendant benefits and all proceedings against them would be withdrawn;

(b) if so, the extent to which his assurances have been implemented;

(c) the Zone-wise number of the employees who have been removed from service or suspended are being prosecuted and in respect of whom a break in the service has been caused; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard and when?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (d) The policy of the Government as repeatedly pronounced in both Houses of Parliament and in the assurance given by the Late Shri L.N. Mishra is that while no general amensty can be given to the staff irrespective of the seriousness of their actions against national interest in maintaining the nation's life-line, Railway Administrations are considering all appeals and representations with sympathy, putting staff back to duty wherever possible, condoning break-in-service where extenuating circumstances brought out on appeal are acceptable. The Railway Administrations have also been reviewing court cases in consultation with State Governments and have taken the view that except in cases where the employees have been charged with sabotage, violence or intimidation, the Railways would not be interested in pursuing such cases.

(b) and (c) A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T.-8887/75]**

एक तेल उद्योग विकास बैंक की स्थापना करना

45. **श्री डी०बी० चन्नगौडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा एक तेल उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० मांझी): (क) तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (1974 के 47) की धारा 3 के अधीन 13-1-1975 से एक तेल उद्योग विकास बोर्ड स्थापत किया गया है।

(ख) अधिनियम की धारा 6 में बोर्ड के कार्य दिए गए हैं। ऐसे सभी उपायों, जो बोर्ड की राय में, तेल उद्योग के विकास के लिए लाभप्रद है, को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना इस बोर्ड का मुख्य कार्य है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

46. **श्री मोहन राज** :
श्री सी०टी० दण्डपाणि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या बहुत है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले): (क) और (ख) 1-1-1975 को उच्चतम न्यायालय में 12,787 मामले लम्बित थे जिसमें ग्रहण किए जाने के मामले भी सम्मिलित हैं।

(ग) भारत के मुख्य न्यायाधिपति लम्बित मामलों का सदैव पुनर्विलोकन करते रहते हैं और बकाया मामलों को निपटाने के लिए सभी उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में, आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर मृत्यु दंड के मामलों की दाबत आपराधिक अपीलों, कर अपीलों, निर्वाचन अपीलों, श्रम अपीलों आदि की सुनवाई के लिये विशेष बेंचों की स्थापना करना, एक जैसे प्रश्नों वाले या समान विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों का, उनके शीघ्र निपटारे की दृष्टि से, समूहीकरण करना भी सम्मिलित है।

भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित करना

47. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी, 1975 को तत्कालीन रेल मन्त्री श्री एल० एन० मिश्र ने अपने जीवन के अन्तिम भाषण में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि समस्तीपुर डिवीजन, उत्तर पूर्व रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष, जो पहले बर्खास्त किए जा चुके थे, सहित उन सभी कर्मचारियों की शीघ्र ही सेवा में वापस लिया जायेगा, जो हिंसा तथा तोड़-फोड़ से सम्बद्ध नहीं रहे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी अन्तिम घोषणा कार्यान्वित की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) कुछ दैनिक समाचार-पत्रों में यह रिपोर्ट छपी है कि 2-1-75 को जब स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर में एक सभा में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जिन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा या तोड़-फोड़ के आरोप हैं, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। जिन्होंने इस बात का संकेत भी दिया था कि सेवा से हटाए गए/बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की अपीलों पर छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर विचार किया जायगा। उनका यह कहना कि सरकार इस नीति के अनुरूप ही है कि आम माफी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन सेवा से हटाये गये/बर्खास्त किए गए अथवा वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं, अपील करें और अभ्यावेदन दें जबकि हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर जांच कर लेने के बाद ही उन्हें पुनः सेवा में लिया जा सकता है। आमतौर पर, उन्हीं कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना है जिनके विरुद्ध हिंसा, तोड़-तोड़ या डराने धमकाने के आरोप नहीं हैं। इस नीति पर हर सम्भव शीघ्रता से अमल जारी है। लेकिन, जो रिपोर्ट हमारे नोटिस में आयी है उसमें पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, समस्तीपुर मंडल के अध्यक्ष के बारे में किसी विशेष उल्लेख की जानकारी नहीं मिलती।

रतलाम की एक फर्म द्वारा विटामिन 'सी' का उत्पादन

48. **श्री रानेन सेन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या रतलाम की एक जयन्त-विटामिन्स नामक फर्म विटामिन-सी का उत्पादन कर रही है और उसने सरकार को अपने उत्पाद को आयातित मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर देने की पेशकश की है।

(ख) क्या विटामिन-सी की कुछ मात्रा का आयात ऊंची कीमत पर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कि इस भारतीय फर्म के उत्पाद को सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाया जाए, कोई कार्यवाही की है ?

पट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) मैसर्ज जयन्त विटामिन्ज ने सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने विटामिन सी का उत्पादन आरम्भ कर दिया है और सरकार से अपने उत्पादन का मूल्य नियत करने की प्रार्थना की है। कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादन का मांगा गया मूल्य एस० टी० सी० द्वारा आयातित विटामिन सी के मूल्य से अधिक है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1975 में अनुसंधान और तेल की खोज पर किया जाने वाला व्यय

49. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1975 में अनुसंधान और तेल की खोज हेतु 255 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) जी हां। 1975-76 से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अन्वेषण अशोधित तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए 255.36 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसमें आयोग के समुद्र पार कार्यों सहित आयोग के तटीय/अपतटीय कार्यों का ध्यान रखा गया है। इसमें अनुसन्धान के लिये 2.90 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत भी शामिल है।

पूर्व रेलवे के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही

50. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में हुई रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्व रेलवे के काफी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे के प्रत्येक डिवीजन और जोन के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और दोषमार्जन का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दोषमार्जन के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी रेलवे के रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में दोषमार्जन के ऐसे उपाय करने का है और यदि हां तो कैसे और कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ग) मई, 1974 की अवैध हड़ताल में केवल भाग लेने के लिए किसी भी रेल कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है। हां, जिन कर्मचारियों ने कानून को भंग करके स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया था, उन्हें उपयुक्त सजा दी गयी/हड़ताल के बिना किसी शर्त के समाप्त होने के पश्चात सरकार ने यह निर्णय किया कि सेवा से मुअत्तल किये गये/हटाये गये/सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों के मामलों की प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर अपील करने पर समीक्षा की जाये। यह भी निर्णय किया गया कि जिन मामलों में प्रशासन इस बात से संतुष्ट हो कि कर्मचारी अपने वश से बाहर के कारणों से काम पर नहीं आ सके उनके सेवा भंग को माफ किया जा सकता है।

(ख) पूर्व रेलवे पर सेवा से मुअत्तल किये गये/हटाये गये/सेवा समाप्त किये गये, ड्यूटी से निलम्बित किये गये और जिनकी सेवा भंग की गई, उन कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-8888/75]

(घ) उन सभी कर्मचारियों के मामलों की जिन्होंने मई, 1974 की अवैध हड़ताल में भाग लिया था, उपर्युक्त नीति के अनुसार समीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में 31 मार्च, 1975 को रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन

51. **श्री एस० कत्तामुत्तु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में 31 मार्च, 1975 को रेल कर्मचारी अपनी काफी समय से विचाराधीन पड़ी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी मांगों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ दैनिक समाचार पत्रों में इस संबंध में एक रिपोर्ट छपी है।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों के पहले से ही दो बड़े संघ हैं जिनके नाम हैं—आल इंडिया रेलवेमेन्स फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन और इंडियन रेलवे मेन तथा उनसे सम्बद्ध यूनियनें। इन मान्यता प्राप्त संघों और उनसे सम्बद्ध यूनियनों को स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त सलाहकार तंत्र के अधीन वार्ता सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं।

दिसम्बर, 1974 में नवाडाह और गया के बीच हुई डकैतियां

52. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1974 में दो दिनों के अन्दर नवाडाह और गया के बीच दो सशस्त्र डकैतियां हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच पूरी उचित जांच कराई गई है कि एक ही स्टेशन पर दूसरी डकैती क्यों नहीं रोकी जा सकी ;

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए और प्रत्येक को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया; और

(घ) क्या रेलवे में डकैतियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने सुरक्षा बलों को पुनः संगठित करना उचित समझा है ताकि वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दोनों मामलों में गया की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रशासन और प्रवर्तन दोनों दृष्टियों से सरकारी रेलवे पुलिस पर नियंत्रण सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। रेलों पर एकीकृत पुलिस दल के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

ईराकी पेट्रोलियम उद्योग में भारतीय पूंजी निवेश

53. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईराक के पेट्रोलियम उद्योग में कोई पूंजी निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पूंजीनिवेश का स्वरूप क्या है और तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० मांझी): (क) जी हां।

(ख) 22 अगस्त 1973 को जिस संविदा पर हस्ताक्षर किये गये थे उसके अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ईराक नेशनल आयल कंपनी (आई एन ओ सी) को ईराक के 4175 वर्ग कि० मीटर के क्षेत्र में पैट्रोलियम के अन्वेषण और खोज के लिए तथा उस क्षेत्र से प्राप्त पेट्रोलियम के विपणन कार्य आदि के लिए विशिष्ट तकनीकी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करेगी। इस कार्य में लगभग 68.95 लाख रुपये का व्यय आने का अनुमान है जिसमें से अन्वेषण कार्य में लगभग 4.5 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक का व्यय होने का अनुमान है, वाणिज्यिक आधार पर तेल प्राप्ति और उत्पादन हो जाने पर आई एन ओ सी से समस्त लागत मूल्य की प्रतिप्राप्ति हो सकेगी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपनी सेवाओं के लिए मेहताने के रूप में उस क्षेत्र से प्राप्त कच्चे तेल की कुछ निर्धारित मात्रा को रियायती 'निर्धारित विक्रय मूल्य' दर पर खरीदने का अधिकार प्राप्त कर सकेगा।

वर्ष 1975-76 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा

54. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान अशोधित तेल के आयात हेतु कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ख) वर्ष 1973 तथा 1974 में व्यय की गई राशि की तुलना में यह राशि कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) और (ख) 1975-76 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की राशि का हिसाब लगाया जा रहा है। 1973-74 के दौरान 429 70 करोड़ रुपये की तुलना में 1974-75 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान लगभग 907 करोड़ रुपये है।

Expenditure Incurred on Installation and Maintenance of Clocks on Eastern Railway

55. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number and value of clocks installed at the railway stations in all the Divisions of the Eastern Railway during the last three years;

(b) the names of the firms from which all these clocks have been purchased;

(c) the number of time these clocks were repaired in a year;

(d) the expenditure incurred on the repair of the clocks installed at the stations in all the Divisions during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 134 clocks costing Rs. 24,755.

(b) the names of the fims are :

1. M/s. Anglo Swiss & Co.
2. M/s. Watson Watch Co.
3. M/s. Roy Brothers.
4. M/s. Scientists Clock Co.

(c) Nil.

(d) Does not arise.

कर्नाटक में पैट्रोलियम उत्पादों के परचून विक्रेता

56. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय पैट्रोलियम, मिट्टी के तेल, (डीजल) और गैस के परचून विक्रेताओं/एजेंटों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन परचून विक्रेताओं के राजनैतिक सम्पर्क हैं; और

(ग) इस प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

57. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के दौरान जिन 11 रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाने का कार्यक्रम था, उनमें अब तक बिजली लगाई जा चुकी है;

(ख) इन 11 स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि उन सभी स्टेशनों पर बिजली नहीं लगाई गई तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक बिजली नहीं लगाई गई; और

(घ) उन स्टेशनों में बिजली लगाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के 11 रेलवे स्टेशनों में से दो पर बिजलीकरण कर दिया गया है ।

(ख) (1) सेन्थला
(2) केन्दुआपदा
(3) बिसाम कटक
(4) हुम्मा
(5) सालेगांव
(6) अत्ताबिरा
(7) धुन्दामल
(8) खलयापल्ली
(9) मुनिगुड़ा
(10) गंगाधर पुर
(11) गुरुदीझटिया

(ग) भाग (ख) के प्रश्न के उत्तर में क्रम संख्या 1 से 9 तक के स्टेशनों को अभी तक बिजलीकरण नहीं किया गया है ।

(घ) इन स्टेशनों का बिजलीकरण 31-12-1975 तक समाप्त होने की सम्भावना है, खलयापल्ली को छोड़कर जिसके लिए पावर सप्लाई की उपलब्धता के लिए कोई निश्चित तारीख अभी नहीं है ।

गुड़ की रेलवे भाड़े की प्राथमिकता श्रेणी 'ई' के अन्तर्गत ढुलाई

58. **श्री निम्बालकर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ की ढुलाई रेलवे भाड़े की निम्नतम प्राथमिकता श्रेणी 'ई' के अन्तर्गत आती है; और

(ख) यदि हां, तो निम्नतम प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) चूंकि जागरी की आवश्यकता तथा उससे सम्भावित राजस्व प्राप्ति को देखते हुए उसके यातायात की सापेक्ष महत्ता कम है अतः मालडिब्बों की सप्लाई के मामले में इसे प्राथमिकता 'ई' दी जाती है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन में व्यक्त विचार

59. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री आर० बी० बड़े :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन में व्यक्त इस आशय के विचारों की ओर दिलाया गया है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के कुछ उद्देश्य उस समय तक पूरे नहीं किये जा सकते जब तक कम्पनी विधि प्रशासन, आयोग के विचारों को उचित रूप से न समझे तथा इसकी सराहना न करे; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ): (क) आयोग ने अपनी तृतीय वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे कोई अवलोकन नहीं दिये हैं । आयोग ने पुष्टि की है कि उसने इस प्रकार की कोई राय व्यक्त नहीं की है और न ही इस बाबत कोई प्रैस विवरण दिया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

हावड़ा और समस्तीपुर तथा रांची और समस्तीपुर के बीच रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की मांग

60. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मैथिल संघ तथा कलकत्ता की अन्य संस्थाएं हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक्सप्रेस अथवा मेल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये निरन्तर मांग करती आ रही है क्योंकि 19 और 21 अप ट्रेनों में अनियंत्रित भीड़ रहती है ;

(ख) क्या यात्रा को आठ घंटों के अन्दर पूरा करने के उद्देश्य से हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक अतिरिक्त मिथिला मेल रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या रांची और समस्तीपुर के बीच असंख्य यात्री एक ओर रांची, धनबाद और हजारीबाग जिलों तथा दूसरी ओर उत्तर बिहार के अनेक जिलों में विभिन्न स्थानों के लिये यात्रा करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या रांची और समस्तीपुर के बीच एक सीधा स्लीपर कोच लगाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक सीधी गाड़ी शुरु करने के लिये अखिल भारतीय मैथिल संघ, कलकत्ता द्वारा एक मांग हाल ही में रेलवे को प्राप्त हुई है । इसकी जांच की गई लेकिन मार्ग में पड़ने वाले खण्डों पर लाइन क्षमता और हावड़ा में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण परिचालन की दृष्टि से यह सम्भव नहीं पाया गया ।

(ग) और (घ) रांची और समस्तीपुर के बीच वर्तमान सीधा यातायात बहुत कम है और इससे इन स्थानों के बीच सीधा कोच लगाने का औचित्य नहीं बनता ।

मुजफ्फरपुर और दरभंगा के विक्रेताओं (वेन्डरों) की सहकारी समितियों की मांगें

61. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन के अधीन मुजफ्फरपुर और दरभंगा के वास्तविक विक्रेताओं (वेन्डरों) की सहकारी समितियों ने रेलवे बोर्ड के नियमों और निर्देशों के अनुसार उक्त स्टेशनों के लिए उन्हें विक्रय और खान-पान सुविधायें प्रदान किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें विक्रय अधिकार दे दिये गये हैं; और यदि नहीं, तो क्या यह शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) विक्रेता सहकारी समिति के बजाय व्यक्तिगत निहित स्वार्थों को प्राथमिकता देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दरभंगा स्टेशन पर खान-पान का ठेका देने के संबंध में मण्डल अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा 20-3-1974 को जारी की गई अधिसूचना के प्रति उत्तर में पूर्वोत्तर रेलवे की खान-पान और कैन्टीन सहकारी समिति लि० ने ठेके के आवंटन के लिये आवेदन किया था। अभी हाल में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में खान-पान का ठेका देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जो आवेदन पत्र मांगे गये थे उसके प्रति उत्तर में निम्न-लिखित सहकारी समितियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं :—

मुजफ्फरपुर

(i) मुजफ्फरपुर रेलवे लेबर कान्ट्रेक्ट एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर।

(ii) मुजफ्फरपुर गुड्स हैंडलिंग लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मुजफ्फरपुर।

(iii) पूर्वोत्तर रेलवे वैंडिंग एण्ड कैन्टीन कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मुजफ्फरपुर।

(iv) रेलवे मेन कनज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मुजफ्फरपुर।

दरभंगा

दरभंगा में खान-पान का ठेका देने के लिए केवल एक समिति अर्थात पूर्वोत्तर रेलवे वेंडिंग एण्ड कैन्टीन कोआपरेटिव सोसाइटी लि० दरभंगा ने आवेदन किया है।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे वेंडिंग एण्ड कैन्टीन कोआपरेटिव सोसाइटी लि० दरभंगा ने 1974 में ठेके के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे ठेका नहीं दिया गया क्योंकि उसे इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। जिन सहकारी समितियों ने अभी हाल में आमंत्रित किये गये आवेदन पत्रों के प्रति उत्तर में आवेदन पत्र भेजा है अभी उनकी जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चुटिया रेलवे कालोनी लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी लि० रांची की ओर से अभ्यावेदन

62. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में डाकखाना और जिला रांची में चुटिया रेलवे कालोनी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि० रेलवे बोर्ड को इस आशय के अभ्यावेदन देती रही है कि (i) जून, 1974 से आज तक इसको देय राशि का भुगतान किया जाये ; (ii) इसके सदस्यों को दक्षिण पूर्व रेलवे के नियमित श्रमिक बनाया जाये और (iii) रांची और हतिया में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका सहकारी समिति को दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख) चुटिया रेलवे कालोनी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रांची और हटिया में सम्हलाई का ठेका उन्हें आवंटित किया जाये और यह कि वर्तमान ठेकेदार, अर्थात भोजूडीह कोआपरेटिव सोसाइटी के अधीन इस समय जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें उनकी मजदूरी नियमित रूप से नहीं मिल रही है।

2. दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ अन्य स्टेशनों सहित रांची और हटिया स्टेशनों पर माल और पार्सलों की सम्हलाई का ठेका एस० ई० रेलवे लेबर सहयोग समिति लि० भोजूडीह को दिया गया है। रांची में एक चुटिया रेलवे कालोनी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी है जिसकी पंजीकरण सं० 1973 की 58 है। इस लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी को दक्षिण पूर्व रेलवे ने माल और पार्सलों की सम्हलाई का कोई ठेका नहीं दिया है। लेकिन, हाल ही में इस सोसाइटी ने रांची में सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में सिफारिश करवा कर मंडल प्राधिकारियों को एक अभ्या-

वेदन दिया है कि रांची के माल और पार्सल शैड, यानांतरण शैड पर माल की चढ़ाई-उतराई के काम का ठेका उन्हें दिया जाए। रांची और हटिया स्टेशनों के संबंध में 16-4-73 से तीन वर्ष के लिये दिये गये वर्तमान ठेके की चाल अवधि के दौरान एस० ई० रेलवे लेबर सहयोग समिति लि० भेजूडीह के स्थान पर इस सोसाइटी को ठेका देने का प्रश्न नहीं उठता। जब कभी जगह खाली होगी और अगर मांगे गये टेंडरों के जवाब में चुटिया रेलवे कालोनी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि० अर्जी देगी तो इस सोसाइटी को ठेका देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

इस शिकायत के संबंध में जांच की जा रही है कि वर्तमान ठेकेदार, अर्थात् भेजूडीह कोआपरेटिव लेबर सोसाइटी, श्रमिकों को मजदूरी नहीं दे रहा है।

समस्तीपुर स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को हुई दुर्घटना के फलस्वरुप रेलवे को हुई हानि

63. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को हुई दुर्घटना के फलस्वरुप रेलवे को कितनी हानि नकदी तथा वस्तु के रूप में हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मंच पर बिछी कपड़े की चादरों और गलीचों को कुछ नुकसान हुआ है।

वर्ष 1974-75 के दौरान रेल दुर्घटनायें

64. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान अब तक कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में मरने वालों तथा घायल होने वालों की संख्या कितनी है ;

(घ) इन दुर्घटनाओं से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया है अथवा दिया जाना है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं से रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-4-1974 से 10-2-1975 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर टक्कर, पटरी से उतरना, समपार की दुर्घटना और गाड़ियों में आग लगना–इन कोटियों में 799 दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(i) कर्मचारियों की गलती से	495
(ii) उपस्कर की खराबी से	136
(iii) आकस्मिक	55
(iv) तोड़-फोड़ से	7
(v) कारण मालूम नहीं हो सका	11
(vi) कारण अभी निश्चित नहीं हुआ	95

(ग) इन दुर्घटनाओं में 229 व्यक्ति मारे गये और 717 घायल हुए।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम के अधीन अभी तक जो मुआवजा निश्चित किया जा चुका है और जिसका भुगतान किया जा चुका है, उसकी राशि 3,29,000 रुपये बनती है। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितना मुआवजा दिया गया है इस संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) 31-1-1975 तक दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगभग 2,15,18,000 रुपए लगाया गया है।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए मैसर्ज फुलफोर्ड एण्ड कम्पनी का प्रार्थना-पत्र

65. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज फुलफोर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा वर्ष 1970 में सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही, औद्योगिक लाईसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) इस फर्म द्वारा मदवार तथा उत्पादवार चौथी योजना के दौरान किन किन वस्तुओं का निर्माण किया गया है और प्रत्येक मद के कितने आयात की मंजूरी दी गई तथा किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत; और

(ग) क्या उन्होंने इस देश के कानून को भंग किया है; और यदि हां, तो सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। जिन मदों का निर्माण करने का प्रस्ताव है वे निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	मद	वार्षिक क्षमता
1.	जेन्टामाइसीन सल्फेट	1000 कि० ग्रा०
2.	गोलियां	360 मिलियन संख्या में
3.	इनजेक्टेबिल्स	8100 लीटर्स
4.	मलहम तथा क्रीम	25000 कि० ग्राम
5.	सोल्यूशन्स	11000 लिटर्स
6.	कैपसूल	5000 मिलियन संख्या में

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान पार्टी द्वारा किये गये औषधों के वास्तविक उत्पादन और प्रत्येक मद आदि के प्रति अनुज्ञेय आयातों से सम्बन्धित ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) इस प्रश्न की, कि क्या फर्म को 1970 में सी० ओ० बी० लाइसेंस की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र देने की जरूरत थी, जांच की जा रही है।

औषध फर्मों की विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने सम्बन्धी प्रस्ताव

66. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के साथ-साथ भारत में औषध-फर्मों की विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने सम्बन्धी उनके मंत्रालय के क्या प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या सरकार विदेशी फर्मों द्वारा अधिक उत्पादन/अधिक लाभ बाहर भेजने तथा कैपिटल फार्मुलेशन को ध्यान में रखेगी और क्या अधिक उत्पादन/अधिक लाभ आदि बाहर भेजने के एवज 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी को आई० डी० पी० एल० को देने के लिये सरकार उन्हें बाध्य करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी रखने वाली प्रत्येक विदेशी फर्म द्वारा अधिक उत्पादन तथा अधिक लाभ बाहर भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सांझे निदेशक रखने वाली विदेशी फर्मों के मामले में संयुक्त उत्पादन, बिक्री तथा साम्य पूंजी रखने पर सरकार विचार करेगी जैसा कि सांझे निदेशक रखने वाली भारतीय फर्मों के मामले में किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अधीन 40% से अधिक अनिवासी ब्याज वाली सारी विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों को अपने विद्यमान कार्यकलापों को जारी रखने के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है। औषध और भेषज उद्योग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से उद्योग मंत्रालय और सिविल सप्लाई इन आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पैट्रोलियम और रसायन

मंत्रालय से परामर्श कर कार्रवाई करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस अधिनियम को दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर पेश किया था।

(ख) से (घ) सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग समिति की नियुक्ति की है और इसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विचारार्थ विषय हैं।

(i) उद्योग द्वारा की गई प्रगति और इसके द्वारा प्राप्त की गई प्रतिष्ठा की पूछताछ करना;

(ii) मूल औषधों और सूत्रीकरणों के निर्माण करने में और अनुसंधान और विकास करने में सरकारी क्षेत्र अग्रणी स्थान प्राप्त करें इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(iii) औषध उद्योग विशेषकर भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्रों के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सिफारिश करना, समिति अपनी सिफारिशें करते हुए उद्योग के सन्तुलित क्षेत्रीय स्थापना हेतु आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी।

शायद समिति 8 अप्रैल 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस प्रकार के मामलों पर विचार करेगी।

मैसर्ज होचेस्ट द्वारा सी० ओ० बी० लाईसेंस के लिए दिए गए आवेदन-पत्र में तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना

67. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज होयेस्ट ने 1973 में सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र दिया था;

(ख) सी० ओ० बी० के अन्तर्गत किन मदों के लिए आवेदन दिया गया; आवेदन में दिखाए गए उत्पादन की मदों तथा उनकी उत्पादन क्षमता के साथ साथ उत्पादन आरम्भ होने की तिथि, कुल कितने मूल्य का उत्पादन/बिक्री हुई और उसकी पुष्टि के लिए प्रयोग में लाई गई विधि क्या है; और

(ग) क्या उनके आवेदन पत्र में तथ्यों का गलत निरूपण पाया गया है और उसके लिए सरकार का विचार उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) मैसर्स होचेस्ट फार्मास्युटिकल लि० से संबंधित एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें निर्माण पद का नाम, मांगी गई क्षमता, उत्पादन आरम्भ करने का वर्ष, फैक्ट्री पर उत्पादन मूल्य, जिन स्रोतों से उत्पादन किया गया था उनके नाम दिए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8889/75]** सी० ओ० बी० लाइसेंस की स्वीकृति के लिए पार्टी का आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है।

समय-पूर्व मतदान के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वक्तव्य

68. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के लिये प्राधिकृत किया है कि संविधान में संशोधन करके तथा निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करने के बाद, 1975 में समय-पूर्व निर्वाचन कराये जा सकते हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ऐसा स्वतंत्र अभिकरण है, जिसमें निर्वाचनों के संचालन के विषय में संविधान के अधीन प्राधिकार निहित है, इस लिए उसे इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Allocation for New Railway Lines in Backward State of Madhya Pradesh

69. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state whether there is any proposal to make liberal allocation of funds for laying new railway lines in the backward State of Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Railway development is not envisaged on State-wise or Region-wise concepts but on over-all considerations in the National interests. The funds allotted during the Fifth Plan for construction of new lines are not even adequate to complete the works in progress and those required for the core sector. It has therefore not been possible to make liberal allocation of funds for construction of new lines. However, the following projects are under active consideration in the backward areas of Madhya Pradesh.

(i) Dhalli-Rajhara to Jagdalpur.

(ii) Hirdagarh-Damua.

Guna-Maksi line, which is under construction is also expected to be completed in the next Financial Year.

Crimes on Central Railway during the Last Year

70. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state ?

(a) The number of criminal cases registered on the Central Railway during the last year;

(b) the number of persons arrested in this connection;

(c) the number of persons prosecuted and the number of those awarded punishment; and

(d) the steps taken by Government to check the incidence of crime and the future programme of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The number of cases involving booked consignments and railway materials in fittings registered on the Central Railway under Indian Penal Code and Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, during 1974 was 4807,

(b) 3961,

(c) Prosecuted = 3287
Convicted = 1418

(d) The following steps are being taken/proposed to be taken to check incidence of crime :—

(i) Escorting of trains by Railway Protection Force personnel on selective basis over vulnerable sections.

(ii) Foot patrolling and posting of pickets on vulnerable sections,

(iii) Un-obstrusive watch on criminals and collection of intelligenc ety plan clothes staff,

(iv) Surprise checks by supervisory staff of Railway Protection Force and Commercial departments at loading/ unloading and transhipment points.

(v) Deployment of Dog-squad for patrolling in vulnerable yards.

(vi) Periodical special drives against criminals and receivers of stolen property.

(vii) Seeking cooperation and assistance of civil and Government Railway Police for controlling crime.

(viii) Launching prosecutions under Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

Ticketless Travelling in Central Railway

71. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons caught travelling without ticket in the Central Railway during last year; and

(b) the total amount recovered from them as fine ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 2,32,277 persons were detected travelling without tickets or with improper tickets on the Central Railway during 1973-74.

(b) An amount of Rs. 23,09,637 as per details given below, was realised from them :—

(i) Railway Penalty	Rs. 22,20564
(ii) Judicial Fine	Rs. 89,073

अशोधित तेल का आयात

72. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल की सप्लाई के मामले में भारत को सहायता देने के लिए आने वाले मित्र देशों के नाम क्या हैं;

(ख) पैट्रोलियम उत्पादों के मामले में भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा; और

(ग) इस वर्ष तेल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) द्विपक्षीय आधार पर 1975 के दौरान कच्चे तेल की सप्लाई के लिए अब तक जो प्रबन्ध किए गए हैं उनका उल्लेख इस प्रकार है :—

देश का नाम	मीटरी टनों में मात्रा
ईरान	3.8
ईराक	2.8
सऊदी अरबिया	1.1

संयुक्त अरब अमीरात से कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए बातचीत हो रही है।

(ख) जबकि पैट्रोलियम के लिये आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक प्रयत्न करने के निदेश दिए जा चुके हैं तथा बिल्कुल ठीक भविष्य बाकी करना व्यावहारिक नहीं है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कब सम्भव होगा।

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान पैट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात करने के लिये जावक विदेशी मुद्रा का 1124 करोड़ रुपये के अनुसार लग जाने की सम्भावना है।

रात्रि में डकैतियों की घटनायें रोकने के लिए कार्यवाही

73. **श्री वरके जार्ज :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल प्रायः रेलों में डकैतियों की घटनायें होती हैं और रात्रि में यात्रा करने वाले यात्रिगण अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार चलती गाड़ियों में ऐसी डकैतियों को रोकने के लिये तथा यात्रियों की जान-माल को रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। किन्तु रेलों से गाड़ियों में लूट की कुछ इक्की दुक्की घटनाओं की रिपोर्टें मिल रही हैं।

(ख) गाड़ियों में यात्रियों की जान और माल की रक्षा करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिये वे निम्नलिखित कदम उठा रही हैं ;

(1) रात के दौरान सरकारी रेलवे पुलिस का महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ चलना।

(2) स्टेशन प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाया जाना।

(3) अपराधियों और कुख्यात व्यक्तियों पर नजर रखना।

(4) अपराधियों पर विशिष्ट अपराधों के लिये मुकदमा चलाना और जिन पर ऐसे अपराध करने का संदेह हो उन्हें पर्याप्त आधार पर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंद करना।

(5) यात्रियों के व्यक्तिगत सम्पत्ति के मामलों का सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पंजीकरण और जांच और चुरायी गयी सम्पत्ति की खोज निकालने और अपेक्षित कानूनी औपचारिकता पूरी हो जाने पर उसे उसके मालिक को वापस लौटाने के प्रयत्न।

राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे को वैध बनाने सम्बन्धी विधान

74. **श्री बसन्त साठे :**
श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री एम० कल्यामुतु :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे को वैध बनाने हेतु विधान बनाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में कब तक निर्णय लेगी ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) इस उद्देश्य के लिए कम्पनी संशोधन विधेयक को प्रस्थापित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को टुबुलर्ज की कमी का सामना

75. **श्री बसंत साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टुबुलर्ज की कमी के कारण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य को धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) हालांकि विश्व बाजार में टुबुलर्ज की सप्लाई की स्थिति विकट है किन्तु इसके कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी है क्योंकि आयोग ने अपने कार्यों के लिये अपेक्षित टुबुलर्ज प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कदम उठा लिये थे।

कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

76. **श्री बसंत साठे :**
श्री के० सुब्रावेलु :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की भारी कमी के कारण विभिन्न सेक्शनों/जोनों में काफी संख्या में माल तथा सवारी गाड़ियां अभी तक रद्द हुई पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सैक्शन/जोनवार संख्या कितनी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनुसूचित 1738 जोड़े अनुपनगरीय गाड़ियों में से केवल 258 जोड़ी सवारी गाड़ियां कोयले की कमी से बन्द हैं। माल गाड़ियों की सेवाएं सामान्य हैं।

(ख) रद्द की गई सवारी गाड़ियों की क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गई है :—

मध्य	कोई नहीं
पूर्व	कोई नहीं
उत्तर	36
पूर्वोत्तर	40
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	124
दक्षिण-मध्य	3
दक्षिण-पूर्व	1
पश्चिम	54
कुल	258 जोड़ी

भाप-कोयले के उत्पादन तथा प्राप्ति में सुधार होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप रेलों को कोयला मिलने में इधर तेजी आई है। कोयले की उपलब्धता जारी रहने की आशा में अब अपेक्षित सवारी गाड़ियों को धीरे धीरे फिर चलाया जा रहा है।

संयुक्त अरब अमिरात से कच्चे तेल का आयात

77. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमिरात से निर्धारित अवधि के लिए, कच्चे तेल का आयात करने हेतु कोई बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) यूनाइटेड अरब अमीरात से अशोधित तेल सप्लाई करने का प्रश्न विचार विमर्श के प्रारम्भिक अवस्था में है। इस समय इसके निष्कर्षों के बारे में कुछ भी कहना कठिन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दल द्वारा लीबिया स्थित त्रिपौली की यात्रा

78. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री के० एन० मधुकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के किसी उच्च स्तरीय दल ने लीबिया में तेल की खोज के बारे में आयोग को लीबिया से कुल और रियायतों सम्बन्धी शर्तों को अन्तिम रूप देने के बारे में आगे बातचीत करने के लिए त्रिपोली की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की मोटी रूप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) लीबिया की राष्ट्रीय तेल कम्पनी के साथ आगे बातचीत करने और लीबिया में तेल संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक दल शीघ्र ही लीबिया का दौरा करेगा।

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की खोज

79. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में हाल ही में की गई खोज से यह पता लगा है कि वहां प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में गैस प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) वाणिज्यिक उपयोग के लिये गैस कब तक उपलब्ध हो सकेगी और इस बारे में क्या योजना तैयार की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) त्रिपुरा की बारामुरा संरचना में खोदे गए प्रथम कुएं में कुछ गैस के संस्तर मिले हैं।

(ख) और (ग) इस संरचना के कुछ और कुओं का परीक्षण और व्यधन तथा इस कुएं की पूरी तरह जांच करने के बाद ही इस गैस के मिलने की सफलता पर वाणिज्यिक ढंग स्थापित किए जा सकते हैं। यह इस खोज के बाद ही हो सकता है जब यह साबित हो जाए कि यह वाणिज्यि ढंग की है। इसके उपयोग के प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकता है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के लिए इटली की योजना

80. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र में गत तीन वर्षों से उसकी क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या इटली की एक फर्म ने उक्त संयंत्र को फिर से पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने योग्य बनाने की योजना को प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र, जिसके द्वारा अक्तूबर 1973 में परक्षिणात्मक उत्पादन आरम्भ किया गया था, कुछ नाजुक उपकरणों, जो मुख्यतः आयातित हैं के विफल हो जाने के कारण, उत्पादन को संतोषप्रद स्तर पर नहीं बनाए रख सका है। तथापि वर्तमान में उत्पादन को 40 से 50 प्रतिशत की क्षमता पर बनाए रखा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। समस्याओं की जानकारी करने और संयंत्र द्वारा लगभग निर्धारित क्षमता पर उत्पादन कर सकने और उसे स्थाई करने हेतु, संयंत्र का एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा इटली के मैसर्ज टैकनीमोन्ट की सेवाएं प्राप्त की गई थी। सुधार/पूरक कार्य मोटे रूप से निम्नलिखित है : (i) कुछ उपकारणों का उन्नत डिजाइन के उपकरणों द्वारा बदला जाना; (ii) कुछ और उपकरणों को लगाना; (iii) कुछ कल-पुर्जों में सुधार तथा उन नियत्रंक वाल्वों का बदला जाना--जिन्होंने ठीक रूप से कार्य नहीं किया है; (iv) डीमिनरलाइज्ड पानी संयंत्र की क्षमता और भण्डार कार्य में वृद्धि: (v) ठंडे पानी को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिये कतिपय आयातित रसायनों की व्यवस्था (vi) सर्विस वोइलर के कम्बस्टन नियंत्रण प्रणाली में सुधार और (vii) अत्याधिक प्रभावकारी प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था।

उपरोक्त सिफारिशों की लगभग 18 से 24 महीनों के भीतर कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक-नामावलियों के पुनरीक्षण का काम निर्धारित तिथि से पहले पूरा करने का निर्णय

81. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का काम निर्धारित तिथि से पहले पूरा करने का निर्णय किया है ताकि किसी भी समय साधारण मतदान के लिए पूरी तैयारी रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग स्वेच्छा से यह काम करता है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय वर्तमान विधियों के अनुसार किया है;

(घ) क्या वर्तमान विधि में उल्लिखित है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का सम्पूर्ण कार्य सामान्यतः एक वर्ष से अठारह महीने की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए; और

(ङ) क्या यह कार्य दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में निर्वाचन आयोग से कहा है या उसे कोई निदेश जारी किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) निर्वाचन आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में छोड़कर, निर्वाचक नामावलियों के चालू पुनरीक्षण को पूरा करने और उसे फरवरी-मार्च 1975 तक अन्तिम रूप से प्रकाशित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ।

निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आशय अन्य बातों के साथ-साथ कागज की खपत और मुद्रण कार्य के परिमाण को कम करना और किसी भी समय निर्वाचन कराने के लिये तैयार रहने को सुनिश्चित करना था ।

1971 की जनगणना के आबादी के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का उत्तरदायित्व परिसीमन आयोग का है और मई, 1975 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के मामले में निर्वाचन आयोग का विनिश्चय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) कोई विनिर्दिष्ट कानूनी समय-सीमा न होने के कारण, परिसीमन आयोग साधारणतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास करता है । आयोग एक स्वतन्त्र कानूनी निकाय है, और सरकार द्वारा आयोग को कोई निदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी फर्मों द्वारा निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक मात्रा में फार्म्युलेशन्स का निर्माण

82. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी फर्मों द्वारा उनकी निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक मात्रा में फार्म्युलेशन्स का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या 1972 में बम्बई का दौरा करने वाली ओवर समिति ने इसके बारे में कुछ लाभप्रद ज़ानकारी का पता लगाया ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में वर्षवार, फर्मवार, मदवार निर्धारित क्षमता से किये गये अधिक उत्पादन की मोटी रूप रेखा क्या है तथा उनकी निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन क्या था; और

(घ) भारतीय क्षेत्र को विदेशी फर्मों के इस प्रकार के कदाचारों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है विशेषतया तब जब कि सम्बन्धित फार्म्युलेशन्स का निर्माण करने के लिये कुछ विशिष्ट प्रकार की तकनीकी जानकारी का ज्ञान अपेक्षित नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में अधिकांश विदेशी साम्य पूंजी के साथ 36 कम्पनियों सहित 119 औषध उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं जो सूत्रयोगों का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी संख्या हजारों में है । इन बहुत सी कम्पानयों द्वारा स्थापित की हुई सुविधाएं उनको जारी किए हुए पंजीकरण प्रमाण पत्रों, अनुमति/अनामति पत्रों तथा लाइसेंसों के अन्तर्गत और सी० ओ० बी० लाइसेंस आदि के अन्तर्गत स्वीकृत विविधीकरण और क्षमताओं की योजनाओं के अन्तर्गत किया हुआ उत्पादन मंजूरी द्वारा अन्तर्निहित है । अतः सूत्रयोगों के लिए लागत अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षमता स्थापित करना और ऐसे सूत्रयोगों के उत्पादन की अधिकता का मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं है ।

डी० जी० टी० डी० और इस मन्त्रालय के अधिकारियों के दल जिसने फरवरी 1973 में बम्बई का दौरा किया था उनके द्वारा एकत्र की गई सूचना सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही है।

श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर गठित समिति, औषध उद्योग और विशेष कर भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के तीव्र गति विकास के लिए उपायों और मूल औषधों का तथा कच्चे माल के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत व्यवस्थाओं सहित औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

83. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया गया है और वह कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा गुजरात राज्य में निर्वाचन करवाने सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और यदि नहीं, तो अभी क्या कार्य होना बाकी है;

(ग) यदि सभी औपचारिकतायें पूरी हो गई हैं तो फिर राज्य में निर्वाचन न करवाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात राज्य ही ऐसा अकेला राज्य है जहां विधान सभा के भंग किये जाने के बाद इतने लम्बे अरसे तक निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं; और

(ङ) उस राज्य में निर्वाचन कब तक होने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करके उनको 6-1-1975 को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य की स्थिति को देखते हुए, गुजरात विधान सभा के लिये निर्वाचन कराया जाना इस समय संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं। केरल, पैप्सू, ट्रावन्कोर-कोचीन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में नई विधान-सभाओं का गठन किए जाने के लिए साधारण निर्वाचन पिछली विधान सभाओं के विघटन के काफी समय बाद कराए गए थे।

(ङ) सरकार विधि और व्यवस्था की स्थिति और सूखे की स्थिति तथा अन्य सुसंगत विषयों पर निरन्तर विचार करती रहेगी और निर्वाचन यथासंभव शीघ्र कराए जाएंगे।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा अपनी इक्विटी में कमी करने का प्रस्ताव

84. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में मैसर्ज मे० एण्ड बेकर द्वारा तथा वर्ष 1968 में मैसर्ज फाईजर द्वारा उनकी इक्विटी में कमी करने का प्रस्ताव किया गया था, क्या अभी तक इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है और इन प्रस्तावों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने के दिन से लेकर आज तक इनको क्रियान्वित न किए जाने के कारण विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या यह भी कहा गया है कि मैसर्ज मे० एण्ड बेकर की सम्बन्धित फाईल गुम है और इसका पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पूंजीगत मामलों के नियंत्रण के दिनांक 25-11-68 के पत्र में लगाई गई शर्तों के अनुसार, मैसर्ज फाइजर्स को 10 जून, 1970 तक भारतीय सहभागिता को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ा देने के लिये कहा गया था। कम्पनी ने अनिवेश द्वारा (अर्थात

बाजार मूल्य पर प्रत्येक 10 रुपये के 4,50,000 साम्या शेयरों की भारतीय जनता को बिक्री करने से और बिक्री मैसर्ज फाइजर्स कारपोरेशन कालोगने, पालामा को भेज दिये जाने से) भारतीय सहभागिता को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ा देने के संबंध में अपने प्रस्ताव सरकार को 17 मार्च, 1970 को भेजे थे। कम्पनी के साथ और बातचीत करने के बाद पूंजीगत मामलों के नियन्त्रक ने मैसर्ज फाइजर्स को सूचित किया था कि वे 10 जून, 1975 तक कम्पनी बिना अनिवेश के भारतीय पूंजी को 40 प्रतिशत तक बढ़ा दें।

मैसर्स मे० एण्ड बेकर लिमिटेड बम्बई ने भारतीय पूंजी को सम्मिलित करने के संबंध में 1964 में एक प्रस्ताव भेजा था।

विदेशी करार समिति ने अपनी 23 फरवरी, 1965 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया था और निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

(i) प्रस्तावित सरकारी कम्पनी मे० मैसर्स मे एण्ड बेकर को अपने शेयर, को चरणों में, निवेश के 60 प्रतिशत तक घटा देने के लिए कहा जाए। पहले चरण में, शेयर लगभग 80 प्रतिशत हो सकते हैं जिन्हें दूसरे चरण में 60 प्रतिशत तक घटा दिया जाये। यह काम लगभग 8 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए;

(ii) भारत में नई कम्पनी के निगमित हो जाने पर, मैसर्स मे० एण्ड बेकर की इंगलैंड में निगमित किसी भी शाखा को भारत में कार्य करने की इजाजत नही दी जाएगी। उत्पादों का वितरण नई कम्पनी द्वारा किया जाएगा न कि यू० के० की कम्पनी की किसी पूर्ण स्वमित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा;

(iii) रायल्टी, तकनीकी जानकारी फीस तथा सदभाव के रूप में कुछ भुगतान करने के लिये सहमत होना आवश्यक हो सकता है। इस मामले पर और जांच करनी होगी ;

(iv) जहां तक व्यवहार्य हो सके पूंजी को बाहर न भेजा जाए; तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त (*iii*) तथा (*iv*) में उल्लिखित सिफारिशों के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए, प्रस्ताव की कार्यान्विति न किये जाने के कारण प्रस्ताव की तारीख से आज तक विदेशी मुद्रा में हुई हानि के ब्यौरों का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

(ग) जी हां। इस मामले की जांच की जा रही है।

उर्वरक उद्योगों के विकास के लिए उर्वरक आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव

85. **श्री आर वी० स्वामीनाथन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये उर्वरक उद्योगों के विकास हेतु, देश के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए, उच्च शक्ति प्राप्त उर्वरक आयोग की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा;

(ग) क्या वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारित किये गये 14,3300 टन नाईट्रोजन और 4,30,000 टन पोटाश के उत्पादन लक्ष्य के विपरीत वास्तव में केवल 12,00,000 टन नाइट्रोजन और 3,30,000 टन पोटाश का उत्पादन हो पाया;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की भारी कमी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि अब अनुमान है, 1974–75 में 14.33 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 3.63 लाख मीटरी टन पी० 2 ओ० 5 के पहले अनुमान की तुलना में 12.0 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 3.5 मीटरी टन फास्फेट पी० 2 ओ० 5 का उत्पादन हुआ है। पोटाश का उत्पादन देश में नहीं होता है। देशीय उत्पादन में गिरावट हो जाने के कारण उर्वरकों की उपलब्धि में हुई कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों की यथासंभव अधिक से अधिक मात्राओं का आयात किया जा रहा है। साथ ही साथ, उपलब्ध उर्वरकों का अच्छी तरह से प्रयोग करने तथा कार्बनिक खादों के साथ रासायनिक

उर्वरकों के वितरण को युक्तिसंगत करने के संबंध में भी कदम उठाये जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वर्ष के दौरान उर्वरकों की पूर्वानुमानित मांग में भी कुछ कमी हो गई है।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत रोकने का प्रस्ताव

86. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई खपत दर पर 5 प्रतिशत की रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जो कि सामान्यतः 9 प्रतिशत है क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा व्यय का 40 प्रतिशत भाग केवल तेल के आयात पर खर्च हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पैट्रोलियम उत्पादों के उपयोग पर किस सीमा तक रोक लगाई जायेगी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकी आंतरिक खपत में कमी करने हेतु, अनेक कदम उठाये हैं । खपत में बचत की प्राप्ति इस तरीके से करनी होगी जिससे अत्यावश्यक आवश्यकताओं पर इसका कुप्रभाव न पड़े और इससे देश के कृषि संबंधी कार्यकलापों में कमी न आ जाए । इसलिए पैट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने की सीमा, मुख्य रूप से अनावश्यक खपत में कमी, जिसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं; तथा ऊर्जा के विकल्पी संसाधन की उपलब्धता की सीमा पर निर्भर करेगा ।

उर्वरक कारखानों में नेफ्था के स्टाक का जमा होना

87. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखानों के 85 प्रतिशत की क्षमता तक भी न चलने के कारण वहां नेफ्था का स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक कारखानों के अपनी क्षमता पर न चलने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या भारत ने गत वर्ष 1.30 लाख टन नेफ्था का निर्यात किया और अब अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में इसकी भरमार है जिस के फलस्वरूप हाल ही के महीनों में इसकी भारी कमी रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) उर्वरक संयंत्रों द्वारा कम मात्रा में उठान के कारण वर्ष के दौरान नेफ्था का स्टाक जमा हो गया था । तथापि नवम्बर, 1974 से उठान स्थिति में सुधार आ है ।

(ख) मद्रास, कोटा, विजाग और गोआ में संयंत्रों में अप्रत्याशित यांत्रिक तथा उपकरण संबंधी खराबी और कोचीन एवं दुर्गापुर में प्रौद्योगिकी संबंधी समस्यायें, कम उत्पादन तथा उसके परिणामस्वरूप नेफ्था की कम खपत के लिए उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त श्रमिक कठिनाइयों के कारण लगभग दो महीने के लिए कोचीन संयंत्र को बन्द करना पड़ा था ।

(ग) 1974 के दौरान लगभग 1.24 लाख मी० टन नेफ्था का निर्यात किया गया था । स्टाक की वर्तमान स्थिति अच्छी प्रकार नियंत्रण में है तथा देश की नेफ्था की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है

काकोसी-भिलडी, हारिज सामी-राधनपुर और भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण

88. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वित्त आयोग की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कि अभाव पीड़ित राज्यों को 4.55 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की मंजूरी न दी जाए, सरकार का विचार इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष काकोसी-भिलड़ी हारिज-सामी-रधनपुर, भावनगर-तारापुर नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इन लाइनों के अलाभप्रद होने की स्थिति में हानि को पूरा करने का वचन दिया है; और

(ग) इन लाइनों का निर्माण आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ग) काकोसी-भिलडी नयी रेलवे लाइन के निर्माण को दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन के बड़ी लाइन में बदलने संबंधी परियोजना से जोड़ दिया गया है। इस बदलाव की यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण काकोसी-भिलडी नयी रेलवे लाईन सहित इस आमान परिवर्तन परियोजना को सम्भवतः कुछ समय के लिए स्थगित रखना पड़ेगा।

1969-70 में हारिज-रधिनपुर मीटर लाईन के लिए किए गए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से यह पता चला कि यह योजना अलाभप्रद है। इसलिए यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया था। भावनगर-तारापुर बडी लाइन के लिए एक अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग-एवं यातायात सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम ज्ञात होने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

(ख) जी हां, केवल भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के संबंध में गुजरात सरकार इस बात से सहमत हैं कि लाइन चालू होने के छठे साल से पांच वर्ष की अवधि तक यदि कोई हानि हुई तो उसे वह सहन करेगी।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु द्रुत कार्यक्रम

89. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु एक द्रुत कार्यक्रम शुरू किया गया था और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषि) : (क) सम्पूर्ण देश में निर्वाचक नामावलियों के साधारण पुनरीक्षण का कार्य 1-1-1975 से हाथ में लिया गया है।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बाते ये हैं कि वर्तमान निर्वाचक नामावलियां प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के रूप में प्रकाशित की गई थीं और उनके प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए दी गई थी। इसके साथ ही, आयोग ने देश के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रगणका द्वारा घर-घर जाकर उन सभी व्यक्तियों की प्रगणना किए जाने का आदेश भी दिया था, जिनकी आयु 1 जनवरी, 1975 को 21 वर्ष की हो चुकी है। इस प्रगणना के आधार पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा दो विवरण तैयार किए जाने थे, अर्थात् एक ऐसा विवरण, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम हों, जो 1 जनवरी, 1975 को 21 वर्ष की आयु से कम के नहीं थे और जिनके नाम प्रारूप निर्वाचक-नामावलियों में सम्मिलित नहीं थे और दूसरा ऐसा विवरण, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम हों, जिनके नाम प्रारूप नामावलियों में तो सम्मिलित थे किन्तु जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो साधारणतः उस निर्वाचन-क्षेत्र में अब निवास नहीं कर रहे हैं। ये सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सूचना-पट पर एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रदर्शित की जानी थीं। ऐसी किन्हीं भी मौखिक और लिखित आपत्तियों पर, जो इन विवरणों की बाबत प्राप्त हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा विचार किया जाना था, और उनका सम्यक् रूप से निपटारा किया जाना था।

तत्तश्चात, निर्वाचक नामावलियां के प्रत्येक भाग की नई अनुपूरक नामावलियां, उन विनिश्चयों के आधार पर तैयार की जानी थीं जो दावों और आपत्तियों के संबंध में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा किए गए थे। अन्तिम प्रकाशन हो जाने के बाद, एक निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली के प्रत्येक भाग के लिए एक मुख्य नामावली और अनुपूरक नामावलियां होंगी

ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्तमान नामावलियों की केवल अनुपूरक नामावलियों को न कि सम्पूर्ण नामावली को मुद्रित करना आवश्यक होगा। इससे कागज की काफी बचत होगी जिसकी कि बहुत कमी है और साथ ही नामावलियों के मुद्रण पर भी कम व्यय होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान माल ढुलाई का लक्ष्य

90. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे द्वारा कितने माल को ढोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया **तथा** वास्तव में कितना माल ढोया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान के रेलवे की पूंजी में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) क्या माल ढुलाई से हुई आय ब्याज देय–पूंजी में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित प्रारम्भिक यातायात का लक्ष्य 26 करोड़ 47 लाख मीट्रिक टन था जिसे 1971 में संशोधित कर 24 करोड 5 लाख मीटरिक टन किया गया था। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त में वास्तावक यातायात 18 करोड़ 49 लाख मीटरिक टन (अनन्तिम) हुआ था।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलों पर कुल 793.33 करोड़ रु० की पूंजी लगी है।

(ग) और (घ) ब्याजदेय पूंजी में 25.8 प्रतिशत वृद्धि पर चौथी योजना के दौरान आमदनी में 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो करीब-करीब जोड़ी गयी ब्याज देय पूजी के अनुपात में है।

रेलवे लोक सेवा आयोगों में वृद्धि

91. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रेलवे लोक सेवा आयोगों के नाम क्या हैं; वह कहां-कहां स्थित हैं और उनके अध्यक्षों तथा सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में रेलवे लोक सेवा आयोगों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या में कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है और उनकी स्थापना कहां-कहां की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल सेवा आयोग इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और मुजफ्फरपुर में स्थित हैं। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के नाम इस प्रकार हैं :—

आयोग का नाम	अध्यक्ष का नाम	सदस्य-सचिव का नाम
इलाहाबाद	श्री मोर कुदरत अली	रिक्त
बम्बई	श्री नरदेव स्नातक	श्री एफ० जे० एपुलजी
कलकत्ता	श्री हरिहर दास	श्री एस० घोष दस्तीदार
मद्रास	श्री एम० टी० ली	श्री डी०सी०एस० राव
मुजफ्फरपुर	श्री के०एन० ठाकुर	रिक्त

(ख) और (ग) वर्तमान वित्तीय कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेल सेवा आयोगों की संख्या बढ़ाना आस्थगित कर दिया गया है।

माल यातायात से होने वाली आय में वृद्धि

92. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में माल यातायात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे जोनों में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1974 के महीनों में कितनी धनराशि की वृद्धि हुई तथा यह वृद्धि कितने प्रतिशत रही ; और

(ग) इन्हीं महीनों के लिए वर्ष 1973 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, नवम्बर, 1974 में समाप्त होने वाली छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल यातायात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है। आगे के महीनों के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में यह सूचना दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8890/75]

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपीलों पर निर्णय

93. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के बाद जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई थी उन में से प्रत्येक जोन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें बहाल नहीं किया गया है;

(ख) इन में से प्रत्येक श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपीलें दायर की हैं और जो अपने मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) इन सभी मामलों के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई 1974 की गैर कानूनी हड़ताल में श्रेणी I या II के रेल कर्मचारियों ने भाग नहीं लिया था। श्रेणी III और IV के कुल लगभग 16700 कर्मचारियों में से जो गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए/हटाए गए/निकाले गए 13,800 से अधिक को वापस ले लिया गया है।

(ख) श्रेणी III और IV के अलग-अलग आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े एकत्र करके सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ग) विचाराधीन मामलों का अंतिम रूप से जल्द निपटारा करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

रेलवे वैगनों के बारे में नियमों में पुनरीक्षण

94. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगन उपलब्ध कराने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा नियमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या नियमों के अन्तर्गत रेलवे को समय पर डिलीवरी न ली गई आवश्यक वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा; और

(ग) गत तिमाही के दौरान रेलवे द्वारा प्रतिदिन कुल कितने वैगन माल से भरे गए ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। व्यवस्था यह की जाएगी कि टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने के सात दिन के अन्दर जिन परेषणों की सुपुर्दगी नहीं ली जाएगी उनका निबटारा कुछ अधिसूचित स्टेशनों पर किया जा सकेगा जहां वैसे परेषण रुके रहेंगे। इस प्रस्ताव में आवश्यक वस्तुओं को नियन्त्रित मूल्य पर राज्य सरकार को दे देने की भी व्यवस्था है।

(ग) मास	बड़ी लाइन	पिछली तिमाही में मीटर लाइन
अक्तूबर, 74	20989	5202
नवम्बर 74	22314	5148
दिसम्बर, 74	22844	5518

दानेदार उर्वरक लघु संयंत्र

95. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री डी०डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की रसायनों से संबन्धित एक तकनीकी परामर्शदात्री फर्म द्वारा दानदार उर्वरक लघु संयंत्र का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या उक्त संयंत्र रासायनिक उर्वरक मिलाकर कार्बनिक खाद बनाने की क्षमता रखता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नए औद्योगिक शंटिंग रेल इंजन का निर्माण

96. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री डी०डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक औद्योगिक शंटिंग रेल इंजन का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से गुरुत्तर गाड़ी भार की आवश्यकतायें पूरी होंगी ;

(ग) क्या इससे तीव्र शंटिंग गति की आवश्यकतायें पूरी होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, डीजल इंजन कारखाना, वाराणसी में ही 1400 अरब शक्ति का हैवी डियूटी डीजल इलैक्ट्रिक शंटिंग इंजन, डब्ल्यू०डी०एस०–6 का निर्माण किया गया है ।

(ख) और (ग) जी हां, यह और भी अधिक बोझ वाली गाड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तथा यार्ड में 3650 टन बोझ वाली गाड़ी को 7 कि०मी० प्रति घंटा की शंटिंग गति से खींचने में समर्थ होगा ।

(घ) इस इंजन की मुख्य बातें ये हैं कि इसकी प्रारम्भिक कर्षण-क्षमता 33 टन है तथा इसके 93% पुर्जे देशी हैं । यह 45 मीटर के अर्द्ध व्यास की मोड़ पर चल सकेगा, तथा प्राथमिक रूप से इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।

देश में अशोधित तेल का उत्पादन

97. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में अशोधित तेल के उत्पादन की दर के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या इससे तेलशोधक कारखानों को तेल सप्लाई करने के लिए अशोधित तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) से (ग) 1974–75 के दौरान देशी अशोधित तेल के उत्पादन का 7.5 मि०मी० टन अनुमान है। 1978-79 तक प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन मी० टन तक उत्पादन बढ़ जाने की संभावना है ।

विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन एककों में बर्खास्त तथा मुअत्तल किए गए कर्मचारी

98. **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, मध्य और पूर्व रेलवे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरन्जन लोकोमोटिव्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के कुल कितने कर्मचारियों को गत रेल हड़ताल में शामिल होने के कारण बर्खास्त तथा मुअत्तल किया गया;

(ख) उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—8891/75]**

(ख) कोटिवार आंकड़े नहीं रखे जाते। इसलिए वह उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रेलों पर कर्मचारियों की 700 से अधिक कोटियां होने के कारण ऐसा करना लगभग असम्भव सा है। फिर भी, सब मिलाकर लगभग 16700 कर्मचारी बर्खास्त किए गए, नौकरी से हटाए गए या उनकी नौकरी समाप्त कर दी गयी और लगभग 10,000 कर्मचारी निलम्बित किए गए।

(ग) सरकार की नीति, जिसकी संसद् के दोनों सदनों में बार-बार घोषणा की गयी है यह है, कि जब कि राष्ट्र के जीवन को बनाये रखने में राष्ट्रीय हित के विरूद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गम्भीरता पर ध्यान दिए बिना कर्मचारियों को आम माफी नहीं दी जा सकती, रेल प्रशासन, जहां कहीं सम्भव हो और जहां अपीलों में बतायी गयी लघुकारक परिस्थितियां स्वीकार्य हों, सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेवा भंग में माफी दे रहा है और कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर ले रहा है। अब तक लगभग 13,800 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले लिया गया हैं और केवल 500 अभी निलम्बित हैं। रेल प्रशासन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके न्यायालय में चल रहे मामलों की समीक्षा भी कर रहा है और उसका यह दृष्टिकोण है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़, हिंसा या डराने-धमकाने के आरोप हैं, शेष मामलों में न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए रेल-प्रशासनों की रुचि नहीं होगी।

सासाराम-अर्राह-सासाराम रोड रेलवे क्रासिंग के निकट माल गाड़ी का लूटा जाना

99. **श्री एस०एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1974 को समाज विरोधी तत्वों द्वारा सासाराम-अर्राह-सासाराम रोड (बिहार) रेलवे क्रासिंग के निकट कोयला ले जाती हुई मालगाड़ी को लूटा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना क दौरान मैसूर-बंगलौर रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलना

100. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मैसूर-बंगलौर रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का काम हाथ में लिया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) मैसूर-बंगलौर रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की इन्जीनियरिंग तथा यातायात संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसकी जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि यातायात की जरूरतों को अन्य सस्ते तरीकों से पूरा किया जा सकता है। आर्थिक रूप से भी यह परियोजना लाभकारी नहीं होगी। इस परियोजना को हाथ में लेने के लिए अन्तिम निर्णय जांच का परिणाम जान लेने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर ही लिया जाएगा। इसीलिए यह संकेत देने का अभी उपयुक्त समय नहीं हैं कि पांचवीं योजना अवधि में इस लाईन को हाथ में लिया जाएगा।

Conversion of Khandwa-Indore Line into Broad gauge line

101. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any survey has been made in connection with the conversion of Khandwa-Indore railway line into broad gauge line; and

(b) the view of the Planning Commission in regard to inclusion of this project in the Fifth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Buta Singh) : (a) A reconnaissance survey was carried out sometime back for the extension of broad gauge line from Indore to Mhow, a portion of Indore-Khandwa M.G. line. The survey revealed that the extension would not be justified and the proposal was shelved. No survey for the extension of B.G. or conversion beyond Mhow to Khandwa has been carried out.

(b) There is no proposal for taking up this project in the near future and therefore the views of the Planning Commission for including this project in the Fifth Five Year Plan have not been sought.

निर्धारित कीमतों पर औषधियों का उपलब्ध न होना

102. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्माताओं द्वारा लेबिलों पर मुद्रित निर्धारित मूल्यों पर औषधियां उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को लेबिलों पर मुद्रित कीमतों पर औषधियों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा यथा अनुमोदित और औषध आयातकर्ता या निर्माता द्वारा उपलब्ध की गई वह मूल्य सूची उपभोक्ताओं से सही मूल्य लेने के लिए डीलरों के पास प्राधिकार पत्र के रूप में होती है। प्रत्येक फुटकर विक्रेता को वह सूची दुकान पर ऐसे स्थान पर लटकाना आवश्यक होता है जहां हर कोई उपभोक्ता उसे पढ़ सके। पैकों के मुद्रित मूल्यों पर सूत्रीकरण की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आदेश का संशोधन करने के लिए निर्णय लिया जा चुका है।

बरौनी-भोजपुर रेलगाड़ी में डाका

103. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र डाकुओं ने 23 जनवरी, 1975 को पटना जाने वाली बरौनी-भोजपुर रेलगाड़ी के दूसरे श्रेणी के डिब्बे में यात्रियों को लूटा था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तो उनकी संख्या क्या है और पीड़ितों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 24-1-75 को।

(ख) इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और रेल प्रशासन द्वारा अभी तक पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

कोरबा स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना

104. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैसर्स कूपर्स लर्जी एण्ड टेक्नीमांट के साथ कोयला गैसीकरण गैस शोधन अमोनियम सिन्थेसिस और यूरिया प्रक्रिया में क्रमशः; प्रक्रिया लाइसेंस और जानकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयंत्र और उपस्कर की महत्वपूर्ण दीर्घ डिलीवरी मदों के लिए भी कुछ आदेश दिए गए हैं। कार्य-स्थल पर भूमि निरीक्षण और लोक निर्माण कार्यों की भी कुछ प्रगति हुई। बिजली घर की संरचना के लिए तारों के बिछाने 100 किलोवाट केन्द्र के प्रतिष्ठान का काम पूरा हो चुका है।

बिहार में कार्यरत मार्टन लाइट रेलवे का अधिकार में लिया जाना

105. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अर्रा-सासाराम और फतेह-इस्लामपुर सैक्शनों पर रेल गाड़ियों को बन्द करने के मार्टन लाइट रेलवे के निर्णय पर बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों में होने वाले असन्तोष का पता है; और

(ख) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इन दोनों लाइनों को अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फतेह-इस्लामपुर लाइन की रेल गाड़ियों को बन्द करने के संबंध में कम्पनी ने कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन अरा-मसराम लाइट रेलवे कम्पनी ने 15-2-75 से रेल गाड़ियों को बन्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों, सार्वजनिक निकायों तथा लाइट रेलवे कम्पनी कर्मचारी संघ ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। अतः कम्पनी ने रेल गाड़ियों को बन्द करने की तिथि को 15-3-75 तक स्थगित कर दिया है।

(ख) लाइन को चालू रखने के लिए बिहार सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। इसके होते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अधिकार में लेने के पक्ष में विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई के गहरे समुद्र में तीसरे कुएं में तेल की खुदाई

196. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गहरे समुद्र में खुदाई में तीसरे कुएं में तेल मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र का 1385 से 1414 मीटर की गहराई तक ओपन होल ड्रिल स्टैम टेस्ट करने पर पर्याप्त दबाव के साथ तेल का बहाव पाया गया।

जनता छाप साबुन का निर्माण करने वाली कम्पनियां

107. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जनता' साबुन का निर्माण करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने प्रति टिकिया कितना-कितना मूल्य निर्धारित किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित चार कम्पनियां 'जनता' किस्म का नहाने वाला साबुन निर्माण कर रही है और वे इस साबुन को कम्पनियों के सम्मुख दिए मूल्यों पर बेचती हैं :—

कम्पनी का नाम	प्रति टिकिया मूल्य
1. मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लि०	स्थानीय कर सहित रु० 1.05
2. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कं० लि०	स्थानीय कर सहित रु० 0.95
3. मैसर्स गोदरेज सोप प्रा० लि०	स्थानीय कर सहित रु० 1.00—रु० 1.05
4. मैसर्स स्वास्तिक आयल मिल्स	स्थानीय कर सहित रु० 1.05

Gandhi Piao at Sojat Road Station

108. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Gandhi Piao at Sojat Road Station, which was inaugurated by the former Chief Minister of Rajasthan, Shri Jai Narain Vyas, is still being run by a generous richman;

(b) whether the rent for the piao is being charged by the Railway Department;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether all the citizens of Sojat Road have represented to the Railway Department that in view of the fact that the piao was got constructed by a generous richman and is still being run by him there was no justification for charging the rent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) A nominal licence fee of Re. 1 per annum was originally charged since 13-11-1949 to retain the Railway's title far land. However, with effect from 14-2-1966 this nominal rent has beed increased to Rs. 20 per annum in accordance with the general decision taken in the matter and applieable to all such cases.

(d) Yes, the increase has been effected as a result of general policy decision.

Haripur Level Crossing

109. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any Haripur railway station on Ajmer-Kharchi line and whether any level crossing of the same name also exists there;

(b) whether the said level crossing is located at a distance of two furlongs or more from Haripur railway station;

(c) whether the gates of the said level crossing often remain closed;

(d) whether on account of the closure of the gates of the level crossing, cartsmen and others have to wait for hours and are often deprived of their goods when they go to the station leaving carts there; and

(e) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Haripur is a station located on Ajmer-Marwar Jn. section and there is a level crossing at this station which is numbered as 39C.

(b) the level crossing is at a distance of 472 metres from the centre line of the station building.

(c) The normal position of the level crossing gate is open to road traffic during the day *i.e.* from 07.00 hrs. to 19.00 hrs. and it is also manned by a gateman during these hours.

(d) No instance of this nature has been brought to the notice of railways.

(e) Does not arise.

Proposal to reduce Expenditure on Elections

110. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether all the political parties in the country are saying in one voice that the election expenses have gone up and thus the importance of money in elections has increased;

(b) whether in order to introduce reforms in the election laws and reduce expenses any discussions have been held with the leaders of all political parties and if so, the results thereof; and

(c) if not, whether Government on their own propose to bring forward any amendment in the law and if so, the main features thereof,

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) There is a genera feeling that election expenses have increased.

(b) and (c) In the matter of reforms in Election Law, particularly in relation to election expenses, Government has an open mind, and may hold discussions with the leaders of political parties, if found necessary.

घोंडा और बहरायच के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों की खराब स्थिति

111. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोंडा और बहरायच (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चल रही रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में गद्दे फटे हुए हैं और बिजली की फ़िटिंग का सामान जैसे बल्ब और पंखे प्रायः नहीं होते हैं; और

(ख) ये गद्दे कितने वर्षों से नहीं बदले गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) चोरी और गुंडागर्दी की घटनाओं के फ़लस्वरूप पहले दर्जे के डिब्बों में गद्दों की रैक्सिन फटती है और बिजली की फिटिंग का सामान गायब होता है ।

(ख) हर बार नियमित रूप से गद्दों की मरम्मत करा दी जाती है तथा अनुरक्षण के लिए गाड़ी के रेक मरम्मत स्थल पर भेज दिये जाते हैं और अब डिब्बे अच्छी हालत में हैं ।

समस्तीपुर के वैद्यनाथ देवघर तक और गया से देवघर तक सीधी रेलगाड़ी चलाना

112. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर से वैद्यनाथ देवघर तक सीधी रेल गाड़ी चलाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या गया से देवघर तक सीधी रेलगाड़ी चलाने अथवा इसे बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) समस्तीपुर से वैद्यनाथ धाम (देवघर) और गया से वैद्यनाथ धाम (देवघर) तक सीधी गाड़ियां चलाना जसीडीह में परिचालनिक कठिनाइयों और राजेन्द्रपुल पर लाइन क्षमता में अभाव के कारण संभव नहीं है ।

जसीडीह तथा देवघर स्टेशन पर सुविधाएं

114. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि जसीडीह (देवघर) स्टेशन पूर्वोत्तर भारत का मुख्य तीर्थ स्थल है; और

(ख) यदि हां, तो जसीडीह स्टेशन पर पानी के कूलरों की मरम्मत न करने, यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म पर पंखे न जगाने, आखिरी प्लेटफार्म को ऊंचा न करने तथा पदयात्रियों के लिए उपरिपुल न बनाने के क्या कारण हैं ताकि उन्हें दूसरी ओर की रेलवे लाइन पर जाने के लिए रेल लाइन को पार न करना पड़े ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देवघर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है । यह वैद्यनाथ धाम स्टेशन से सेवित होता है । जसीडीह वैद्यनाथ धाम के लिए मुख्य लाइन पर एंक जंक्शन स्टेशन है ।

(ख) जसीडीह स्टेशन पर दो जल शीतकों की व्यवस्था की गयी है । पिछले ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये शीतक गैस के बाहर निकलने और विद्युत सप्लाई में प्रतिबन्धों के कारण खराब हो गए थे । यह जल शीतक अब चालू हालत में हैं ।

द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों में पंखों की व्यवस्था की गयी है और प्लेटफार्म की छत में पखें लगाने के लिए शीघ्र व्यवस्था की जा रही है ।

जसीडीह स्टेशन पर अप प्लेटफार्म के भी फलक हैं । जो फलक मुख्यतः अप गाड़ियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है पहिले से ही ऊंची सतह पर है । किन्तु इस प्लेटफार्म का दूसरा फलक निम्न सतह पर है । इस फ़लक को ऊंचा उठाना वर्तमान समय में आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि यह केवल विरले अवसरों पर प्रयोग में लाया जा रहा है ।

यात्रियों के एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए अप और डाउन प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए इस स्टेशनपर एक ऊपरी पुल की पहिले से ही व्यवस्था है।

वैद्यनाथ देवधर से मुख्य रेलवे स्टेशनों के लिए सीधे रेल डिब्बों की व्यवस्था

115. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीर्थ यात्रियों के लाभ के लिए वैद्यनाथ देवघर से मुख्य रेलवे स्टेशनों के लिए सीधे रेल डिब्बों की व्यवस्था करने का है; और

(ख) क्या जसीडीह से गुजरने वाली विभिन्न यात्री और एक्सप्रेस गाड़ियों में देवघर वैद्यनाथ के लिए ही कोई कोटा निर्धारित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) हवड़ा और वैद्यनाथ धाम (देवघर) के बीच पहले और दूसरे दर्जे का एक मिला जुला डिब्बा लगाया जाता है। वैद्यनाथधाम (देवघर) से देश के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों को और अधिक सीधे डिब्बे चलाना जसीडीह में परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं है।

(ख) वैद्यनाथधाम शाखा लाइन का एक स्टेशन है और इस स्टेशन से चलने वाले यात्री जसीडीह में मुख्य लाइन की गाड़ियों का उपयोग करते हैं। जहां पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के शयनयान में शायिकाओं के उपयुक्त कोटे की पहले से ही व्यवस्था है।

Conversion of S. S. Light Railway into Broad Gauge Line

116. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the progress made in the work of converting the Shahadra, Saharanpur Light Railway line into a broad gauge line; and

(b) whether the above line is expected to be completed within the scheduled time with the present case of progress and if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh ;(a) 5% upto end of January, 1975.

(b) Yes, Subject to availability of adequate funds.

Catering contracts given on Hapur Junction

117. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of persons who have been given contracts for selling edibles on platforms at Hapur Junction in Northern Railway and since when they are having these contracts;

(b) whether the Railway authorities awarded these contracts to the above contractors in an irregular manner and a complaint to this effect has been received by the Railway Ministry; and

(c) if so, the action taken by the Ministry thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The following have been given contracts for selling edibles on platforms at Hapur Junction station of Northern Railway with effect from the dates mentioned against each : —

1.	M/s Lachhi Ram & Sons	1-3-74
2.	,, Bhurey Lal & Sons	1-3-74
3.	,, Madan Lal	1-3 74
4.	,, Raj Kumar Mittal	1-5-73

(b) These contracts were awarded in the usual manner but a complaint alleging irregularity in awarding contract to Shri Madan Lal has been received.

(c) The complaint is under investigation at present.

Reservation facilities at New Delhi Railway Station

118. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether reservation facilities are not available at New Delhi Railway Station to passengers travelling by first class; and

(b) if so, whether Government propose to extend such facilities to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No first class reservation is arranged at New Delhi Railway Station. A Reservation office for first class and Air conditioned Class is already functioning at the State entry Road in the vicinity of New Delhi Railway Station.

(b) No.

औषध उद्योग का पुनर्गठन करने के बारे में प्रतिवेदन

119. **श्री हरी सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता से भारत में औषध उद्योग का पुनर्गठन करने के बारे में प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी नहीं। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषजों की समिति भारत के औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करेगी। आशा है कि समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1975 तक प्राप्त हो जाएगी।

कुकिंग गैस सिलेन्डरों का अभाव

120. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुकिंग गैस सिलेन्डरों का अभाव के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय तेल निगम तथा एस्सो के लिए कुकिंग गैस सिलेन्डरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) ये फर्में प्रति सिलेन्डर कितना मूल्य वसूल करती हैं ;

(घ) क्या इन फर्मों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कुकिंग गैस सिलेन्डरों के मूल्यों में कोई भिन्नता है; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में कुकिंग गैस सिलेन्डरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) देश में ईंधन गैस की वर्तमान मांग तेल कम्पनियों के उत्पादन एवं विपणन क्षमता से काफी अधिक है, तेल कम्पनियों जिनमें उसके वितरक सम्मिलित हैं, के पास इस समय अपने वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के तथा 1974–75 के उनके बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए नये ग्राहकों को सिलेन्डर देने के संबंध में सिलेन्डरों की संख्या कम है, इससे पूर्व इस्पात की कम उपलब्धता के कारण सिलेन्डरों की कैमी थी। इण्डियन आयल कारपोरेशन को अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने लिए इस्पात के आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० के संबंध में तरल पैट्रोलियम गैस के बोतल भरने तथा फुटकर बिक्री करने का कार्य उनके फुटकर विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। इस समय हिन्दुस्तान पैट्रालियम कम्पनी कोई सिलेन्डर की खरीद नहीं कर रही है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि इसने जनवरी, 1971 में एक टेन्डर मंगवाने के बारे में आदेश जारी किए। चूंकि इण्डियन आयल कारपोरेशन की पूर्ण आवश्यकताओं को कोई एक पार्टी पूरी नहीं कर सकी अतः इण्डियन आयल कारपोरेशन को आवश्यक रूप में समस्त फर्मों को आर्डर भेजने पड़े जब कि प्रत्येक पार्टी द्वारा बताये गये दर भिन्न भिन्न थे।

उस तारीख जिस पर मूल्य तय हुए थे और ठेके पर हस्ताक्षर हुए थे, करार की अन्य शर्तों; भारी वृद्धि, जब करार के अनुसार प्रारम्भिक मात्रा की सप्लाई पूरी की गई थी, के लिए व्यवस्था करने के पश्चात पुनः दिए गए आदेशों की तारीख आदि आदि पर निर्भर करते हुए प्रत्येक निर्माणकर्ता द्वारा प्रति सिलेण्डर के लिए लिया जाने वाले मूल्य में 91.85 रुपये से 165.00 रुपये तक भिन्नता है। प्रत्येक पार्टी के साथ किए गए संविदागत व्यवस्थाओं के ब्यौरे बताना इण्डियन आयल कारपोरेशन के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिए सिलेन्डरों का उत्पादन करने वाले फर्मों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज, नांगलोई, दिल्ली।

(2) इण्डियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद।

(3) अम्बिका सिलेण्डर मैन्यूफैक्चरिंग कं० अहमदाबाद।

(4) केनन डंकरले कं० अहमदाबाद।

(5) कोसन मैटल प्रोडक्टस, नागपुर,/बम्बई।

(6) हैदराबाद अलविन मैटल वर्क्स, हैदराबाद।

विवाद के कारण मैसर्स मारटिन वर्न लि० कलकत्ता तथा मैसर्स हैदराबाद अलविन मैटल वर्क्स, हैदराबाद, इस समय इण्डियन आयल कारपोरेशन को सिलेण्डर सप्लाई नहीं कर रहा हैं।

(ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण तथा बुकिंग संबंधी समिति का प्रतिवेदन

121. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण तथा बुकिंग संबंधी समिति की स्थापना कब हुई थी ;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी हैं ?

(ग) इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं; और

(घ) इस समिति के कार्य की प्रगति किस चरण पर है तथा यह समिति सरकार को कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) जुलाई, 1972।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) समिति ने अक्तूबर, 1973 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विवरण

(ख) कमेटी के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री कृष्ण कांत, सदस्य राज्य सभा	अध्यक्ष
2. श्री लोकनाथ मिश्र, सदस्य राज्य सभा	सदस्य
3. श्री के० मनोहरन, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4. श्री एस० एम० बनर्जी, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5. श्री सालेभाय अब्दुल कादर, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
6. श्री शंकर दयाल सिंह, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
7. श्री नरसिंह नारायण पाण्डे, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
8. श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकरनी, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
9. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी, सदस्य, लोक सभा	सदस्य

(ग) समिति के विचारार्थ विषय :—

(i) टिकटों की बिक्री और सीटों/शायिकाओं के आरक्षण संबंधी रेलों पर प्रचलित नियमों और पद्धतियों की जांच करना एंव सुझाव देना।

(ii) (क) आरक्षण एवं टिकट प्राप्त करने में रेल यात्रियों की असुविधाओं को कम करना ;

(ख) पद्धति संबंधी जिन कमियों के कारण अनियमिततायें उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करना ;

(iii) अनधिकृत आरक्षण प्राप्त करने में गैर मान्यता प्राप्त यात्रा एजेन्सियों समेत बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कदाचरण एवं अनियमितताओं की प्रकृति का पता लगाना और उन्हें रोकने के लिए उपाय सुझाना;

(iv) अपराधियों के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिए कानून के वर्तमान उपबन्धों की यथार्थता का अध्ययन करना और उस संबंध में सिफारिश करना।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा रैलीज इण्डिया लिमिटेड की परियोजना के बारे में की गई आपत्तियां

122. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने रैलीज इण्डिया लिमिटेड द्वारा रसायनों तथा उनके लिए सहायक एवं मध्यवर्ती सामग्री को तैयार करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के बारे में आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त परियोजना संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) मैसर्स रेलिज इण्डिया लिमिटेड के रसायन सहायकों के विनिर्माणार्थ एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिनांक 4-6-74 को अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत आगे जांच एवं रिपोर्ट देने के लिए एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को संदर्भित किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 24-12-1974 को दे दी थी जो सरकार के परीक्षाधीन है।

(ग) कम्पनी के प्रस्ताव में पोलिस स्वराइड्स स्टार्च और सिन्थेटिक्स पर आधारित रसायन-सहायकों और माध्यमिक के विनिर्माण के लिए 3000 टन की क्षमता की वार्षिक स्थापना के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना की परिकल्पना है। प्रायोजना पर उद्व्यय 58.00 लाख रु० अनुमानित किया गया है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार न किया जाना

123. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापार-गृहों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है जिसके बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) प्रत्येक मामले सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सदन में आज अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर में कहा गया है कि, एकाधिकार एवं निर्बधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत आयोग को निदेशित, रिपोर्टों में से 29, इन पर लिये गये निर्णयों के तुरन्त पश्चात उनमें से प्रत्येक की बाबत केन्द्रीय सरकार के आदेश सहित, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। इन उपक्रमों के ब्यौरे तथा इनके प्रस्ताव भी एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 62 के अन्तर्गत, सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई केन्द्रीय सरकार की तीन वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये हैं।

विदेशी औषध कम्पनियों को कच्चे माल का आयात करने की अनुमति

124. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी औषध कम्पनियों को पश्चिम यूरोप तथा अमरीका स्थित अपनी अपनी मातृ-कम्पनियों से कच्चा माल आयात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जहां तक कि प्रपुंज औषधों, औषध-मध्यवर्ती पदार्थों का संबंध है उनका आयात आई०टी०सी० नीति के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा सरणीबद्ध किया गया है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया जाता है ।

अन्य प्रपुंज औषधों, औषध-मध्यवर्ती पदार्थों, कच्चा माल आदि के संबंध में विदेशी और भारतीय औषध कम्पनियों दोनों को रुपया मुद्रा क्षेत्र, सामान्य मुद्रा क्षेत्र और प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर उपलब्ध ऋण से आयात करने की स्वीकृति दी गई है । इन मामलों में कोई अनिवार्यता लागू नहीं है कि संयुक्त राज्य, पश्चिम यूरोप या किसी विशिष्ट देश से ही आयात करना होगा और वास्तविक उपभोक्ता सप्लाई करनें वाले उपलब्ध किसी स्रोत से भी आयात करने में स्वतन्त्र है ।

राज्य व्यापार निगम की मार्फत औषधों के सरणीबद्ध करने की सूची का और विस्तार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विदेशी फर्मों द्वारा आयातित 'बल्क' औषधों के मूल्यों में कमी

125. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध-फर्मों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 'बल्क' औषधों के मूल्यों में कमी करने की मांग की ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल परिवहन के दौरान की हुई हानि के लिये पंजाब सरकार द्वारा पेश किये गये दावे

126. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रेल परिवहन के दौरान अपने गेहूं की हुई हानि के लिये रेलवे पर 40 लाख रुपये का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दावों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रेल अधिकारियों ने उक्त दावों के आधार की जांच कर ली है ;

(घ) क्या उक्त चोरी के लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ङ) उक्त दावों का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल की खोज में हुई प्रगति

127. **श्री समर गुह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित कार्यों सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रत्येक के बारे में मुख्य विवरण क्या हैं;

(एक) तेल की वास्तविक खोज;

(दो) तेल की खोज सम्बन्धी सक्षमता;

(तीन) तेल की खोज के लिए पहले ही से तैयार की गई परियोजनायें; और

(चार) तेल तथा प्राकृतिक गैस के खोज के वर्तमान क्षेत्र का विस्तार ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जहां कहीं भी हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो सकने की संभावना है, भूगर्भीय आधार पर अपना अन्वेषण कार्य लगभग भारत की भूमि के समस्त तलछटी थालों तथा कुछ सीमा तक अपतटीय क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया है। 1 जनवरी, 1975 को आयोग ने 127 संरचनाओं (भूमि पर 124 और अपतटीय क्षेत्र में 3) का व्यधन कार्य हाथ में ले लिया था। 36 संरचनाओं पर तेल/गैस प्राप्ति के संकेत मिले हैं। परिणामस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक गुजरात और असम क्षेत्र में कच्चे तेल के 116.00 मिलियन मीटरी टन से ऊपर तथा गैस के लगभग 28,000 मिलियन घन मीटर से ऊपर के प्रारंभिक प्राप्य भण्डार (सिद्ध तथा संभावित श्रेणी के) प्राप्त किए जा चुके हैं। वर्ष 1978–79 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तटीय और अपतटीय कार्यों द्वारा 8.64 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल उत्पादन करने की आशा है।

जहां तक आयल इण्डिया लिमिटेड (ओ०आइ०एल०) का सम्बन्ध है, इस कम्पनी ने आसाम में नहरकटिया और अपने मोरान जैसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों में संसाधनों को विकसित करने के अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों में टेंगाखाट, नागाजान, जोराजान और ताराजान क्षेत्रों (जो सब आसाम में हैं) तेल प्राप्ति हेतु गहन अन्वेषण कार्य किया है। ओ० आई०एल० ने तेल के कुल 66.53 मिलियन मीटरी टन प्राप्य भण्डारों तथा 52,561 घन मीटर गैस की खोज की है।

साधारण निर्वाचन

128. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण निर्वाचन कराने के लिये सांविधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति मई, 1975 तक हो जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मई अथवा जून, 1975 में किसी समय मतदान कराने का है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विधान सभा के लिये निर्वाचन वर्ष 1975 में आयोजित होने अपेक्षित हैं; और

(घ) क्या सरकार ने साधारण निर्वाचनों के साथ ही, यदि वे मई अथवा जून में कराय गये, उक्त राज्यों में विधान सभा के लिए निर्वाचन कराने की योजना बनाई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) परिसीमन आयोग, परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है अतः यह आयोग का काम है कि वह अपना कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करे। तथापि, कोई विनिर्दिष्ट कानूनी समय-सीमा न होने से, आयोग साधारणतः निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास करता है। आशा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य मई, 1975 तक पूरा हो जाएगा।

निर्वाचन आयोग संविधान के अधीन एक प्राधिकरण है और निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की बाबत आयोग का विनिश्चय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार है। आयोग ने कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़कर, अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को निर्वाचक-नामावलियों का वर्तमान पुनरीक्षण कार्य पूरा करने और उन्हें फरवरी-मार्च, 1975 तक प्रकाशित कर देने के अनुदेश दिए हैं। निर्वाचक-नामावलियों के पुनरीक्षण के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की केवल वर्तमान नामावलियों की अनुपूरक नामावलियां ही प्रकाशित करना आवश्यक होगा न कि पूरी नामावली। निर्वाचक-नामावलियों के अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाने पर, परिणाम वही होगा जो सम्पूर्ण नामावलियों के पुनः मुद्रण का होता। इस प्रकार, आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आशय, अन्य बातों के साथ, कागज की खपत और मुद्रण के परिमाण को कम करना और किसी भी समय निर्वाचन कराए जाने के लिये तैयार रहने को सुनिश्चित करना था।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मतदान कराए जाने की किसी योजना का सूचक मानना आवश्यक नहीं है। और फिर, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) केरल।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कतिपय फर्मों द्वारा कैंसर-रोधक औषध का आयात

129. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज बेरोज, वेहकम, सिनेमिड तथा रोश नामक सभी बहु-राष्ट्रीय औषध कम्पनियां विदेशों से बड़ी मात्रा में केन्सर-रोधक औषध खरीदती है तथा कभी कभी तो तैयार नुस्खों (फार्म्युलेशन) का भी आयात करती है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि क्विलोन में एक भारतीय फ़र्म बड़ी मात्रा में केन्सर-रोधक औषधों का निर्माण कर रही है तथा वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल्य से एक-तिहाई मूल्य पर उक्त औषध सप्लाई कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार केन्सर अस्पतालों के लिये इस फर्म से सप्लाई प्राप्त क्यों नहीं करती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मसर्ज बेरोज वेहकम और मैसर्ज सिनेमिड इन्डिया लि० द्वारा आयातित प्रपुंज केन्सर-रोधक औषध का मूल्य तथा मात्रा और केन्सर-रोधक औषधों के तैयार किए गए सूत्रयोगों के मूल्य तथा मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं। मैसर्ज रोचे प्राडक्टस लि० बम्बई के बारे में वैसी सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) पता लगा है कि केरल में, लघु उद्योग क्षेत्र में एक एकक कुछ प्रपुंज कैन्सर-रोधक औषधों का उत्पादन कर रहा है। उनके द्वारा किए हुए वास्तविक उत्पादन, बिक्री मूल्य और कैन्सर रोधक अस्पतालों आदि के लिये सप्लाई के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

विवरण

कम्पनी का नाम	आयात 1973-74	मात्रा	मूल्य
	प्रपुंज		
मैसर्स बेरोज वेल्कम एण्ड क० (इन्डिया) प्राइवेट लि०	ब्यूसलफन (मइलरेन)	1.5 कि० ग्राम	रु० 20,233
	मरकेप्टोप्यूराइन (प्यूरीनेथोल)	8 कि० ग्राम	रु० 23,271
मैसर सिनेमिड	शून्य	शून्य	शून्य
	सूत्रयोग		
मैसर्स बेरोज वैल्कम एण्ड क० (इन्डिया) प्राइवेट लि०	अल्करन (मेलफालन, गोलियां 2 एम० जी० 25 में	300 संख्या	रु० 2,839
	अल्करन (मेलफालन) गोलियां 5 एम०जी०25 में	200 संख्या	रु० 2,988
	अल्करन (मेलफालन) इन्जेक्शन, 100 एम०जी०	35 संख्या	रु० 1,651
मैसर्स सिनेमिड	थियोटेपा पेरेन्टरल्स 15 एम०जी०वायल्स	4500	
	मेथोट्रेसेट सोडियम पेरेन्टरल्स 5 एम०जी०वायल्स	4500	रु० 2,22,703
	मेथोट्रेसेट गोलियां 2.5 एम०जी० 100 में	2250	
	कैलशियम ल्यूकोवारिन 6 X 1 सी०सी०ए०एम०पी०	90	

बर्माशैल तथा कालटेक्स द्वारा आयातित कच्चे तेल का परिष्करण

130. **श्री सी० जर्नादन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओर से आयातित कुछ कच्चा तेल परिष्करण के लिए बर्मा शैल तथा काल्टेक्स नामक कम्पनियों को दिया गया है;

(ख) क्या इन कम्पनियों को अदा किया जाने वाला परिष्करण शुल्क उस लागत से कहीं अधिक है जो कि भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखाने में अथवा संयुक्त क्षेत्र में उसके परिष्करण पर आ सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) जी हां ।

देश के विभिन्न भागों की उत्पाद की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकारी क्षेत्र शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अतिरिक्त आयातित अशोधित तेल उचित प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर प्रक्रिया के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को भी दिया जाता है । शोधित उत्पाद विपणन के लिए भारतीय तेल निगम को दिए जाते हैं ।

राज्य सभा में चिकित्सा व्यवसाय को प्रतिनिधित्व देने की मांग

131. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एन०ई० होरो :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में आयोजित अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन ने यह मांग की है कि राज्य सभा में चिकित्सा व्यवसाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले के स्थान पर डीजल तेल का प्रयोग आरम्भ करने के लाभ

132. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों को चलाने में कोयलों के स्थान पर डीजल तेल का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हैं;

(ख) अब तक कितनी यात्री गाड़ियों तथा माल गाड़ियों में डीजल तेल का प्रयोग आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) वर्ष 1974-75 में ऐसे परिवर्तन संबंधी लक्ष्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है :—

(i) बेहतर प्रारम्भिक भार ।

(ii) गति अधिक शीघ्रता से तेज और धीमी की जा सकती है ।

(iii) औसत गति और हालिंग क्षमता अधिक अच्छी ।

(iv) भाप चालित रेल इंजनों में कोयला और पानी डालने के लिये आवश्यक ठहरावों को हटाया जा सकता है ।

(v) यातायात के इस्तेमाल के लिए डीजल रेल इंजन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(ख) (i) अभी तक बड़ी लाइन की 36 जोड़ी सवारी गाड़ियां और मीटर लाइन की 24 जोड़ी सवारी गाड़ियां डीजल इंजनों द्वारा चलाई जाती हैं ।

(ii) ट्रंक मार्गों पर थ्रू माल गाड़ियां डीजल कर्षण से चलती हैं ।

(ग) और किसी सवारी गाड़ी को डीजल से चलाने का प्रस्ताव नहीं है । चालू वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में बने बड़ी लाइन और मीटर लाइन के अतिरिक्त डीजल इंजनों को ट्रंक मार्गों पर बढ़े हुए माल यातायात की ढुलाई के लिए, पश्चिम और दक्षिण मध्य रेलों पर चलाने का प्रस्ताव है । मीटर लाइन से अतिरिक्त डीजल इंजन माल यातायात के लिए पश्चिम रेलवे के सौराष्ट्र क्षेत्र में चलाने का प्रस्ताव है ।

बम्बई हाई से तेल का उत्पादन

133. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री बरके जार्ज :
श्री एस० ए० मुरुगमन्तम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में अनुमानतः एक बिलियन बैरल तेल है अथवा 15 से बीस वर्ष तक प्रति वर्ष एक करोड़ टन तेल प्राप्त हो सकेगा ;

(ख) क्या यह आशा है कि भारत तेल संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिये शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगने की संभावना है तथा इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) बम्बई हाई संरचना में अब तक खोदे गये तीन कुओं में तेलयुक्त संस्तर पाये गये हैं और उत्पादन परीक्षणों से काफी तेल निकला है। इस संरचना की पूरी उत्पादन संभाव्यता का निर्धारण करने के लिये कुछ और अन्वेषी कुएं खोदे जाने की जरूरत है। जब तक ये कुएं मुकम्मल नहीं हो जाते और इनका परीक्षण नहीं हो जाता, इस बात का सही अनुमान लगाना कठिन है कि बम्बई हाई के उत्पादन से तेल में किस सीमा तक आत्मनिर्भरता हो सकेगी। आयोग इस संरचना की संभाव्यता का निर्धारण करने के बाद ही संरचना के उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे सकेगा। वर्तमान मूल्य पर, उत्पादित किये गये प्रत्येक मिलियन मीटरी टन तेल से विदेशी मुद्रा में लगभग 70 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है।

विदेशी औषध फर्मों के अधिग्रहण का प्रस्ताव

134. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी औषध कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेने का है;

(ख) इस समय ऐसी विदेशी औषध कम्पनियां कितनी है जिनमें पूरी-पूरी विदेशी पूंजी लगाई गई है या उनमें लगी पूंजी में बहुत अधिक पूंजी विदेशी है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी की आरम्भ में मूल पूंजी कितनी थी और इस समय कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) संसदीय समिति पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारुप अन्तर्गत जनशक्ति योजना और जनसंख्या नीति की जांच कर रही है उसने औषध उद्योग के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

"मूल्य नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए"

सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग समिति की नियुक्ति की है और अन्य बातों के साथ साथ इसके विचारार्थ विषय हैं :—

"मूल औषधों और सूत्रीकरणों के निर्माण करने में और अनुसंधान और विकास करने में सरकारी क्षेत्र अग्रणी स्थान प्राप्त करें इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।"

शायद समिति अपनी रिपोर्ट 8 अप्रैल, 1975 तक प्रस्तुत करने वाली है और रिपोर्ट मिल जाने के बाद सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

(ख) और (ग) इस समय 35 विदेशी कंपनियां हैं। 26 कंपनियों से संबंधित एक विवरण पत्र संलग्न है, जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम, मूल सांम्या पूंजी, विद्यामान प्रदत्त पूंजी और विदेशी शेयर धायकों द्वारा धारित प्रदत्त पूंजी का उल्लेख है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8892/75] शेष 9 कंपनियों के संबंध में उसी तरह की सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

सेवा में अवरोध को समाप्त करने संबंधी मामलों पर निर्णय

135. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 के दौरान हड़ताल पर रहने वाले तथा बाद में सेवा पर वापस आने वाले दो लाख से अधिक रेल कर्मचारियों की सेवाओं में अवरोध को समाप्त करने के आदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी रेलवे विभागों में उन रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी सेवा में अवरोध को समाप्त करने के आदेश नहीं दिये गये हैं; और

(घ) उनके मामलों के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) मई, 1974 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप जिन 5.91 लाख रेल कर्मचारियों की सेवा भंग कर दी गई थी उनमें से अभी तक लगभग 4.47 लाख का सेवा भंग माफ कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल लगभग 1.44 लाख रेल कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं भंग हैं। इन कर्मचारियों के सेवा-भंग को माफ करने के प्रश्न पर शीघ्र विचार हो रहा है।

(ख) सेवा-भंग की माफी इन मामलों में दी गई है जिनमें प्रशासन इस बात से सन्तुष्ट रही है कि कर्मचारी किन्हीं अनियंत्रित कारणों से काम पर नहीं आ सके।

(घ) सेवा-भंग में यथा संभव शीघ्र माफी देने की प्रक्रिया जारी है परन्तु इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

रेलगाड़ियों में कन्टेनर्स में पेय जल की सुविधा को पुनः उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

136. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1970 में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी (पूर्ववर्ती तृतीय श्रेणी) के डिब्बों में केन्टेनर्स में पेय जल की व्यवस्था आरंभ की थी परन्तु वर्ष 1971 में उसे बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त व्यवस्था को पुनः चालू करने का है; और यदि हां तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां। बरतनों में पेयजल उपलब्ध करने की सुविधा कुछ नामित गाड़ियों के पहले दर्जे के गलियारेदार डिब्बों तथा दूसरे दर्जे के शयनयानों में प्रयोग के रूप में शुरू की गई थी। लेकिन, इस सेवा को सन्तोषजनक रूप से चलाये जाने में कठिनाईयों तथा स्वच्छ पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण, कुछ गाड़ियों पर, कुछ समय से यह सेवा बन्द कर दी गई है। फिर भी अब अधिकांश नामित गाड़ियों में यह सेवा उपलब्ध है।

वर्ष 1974 के दौरान बिहार आन्दोलनों के कारण रेल सम्पत्ति की क्षति

137. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान आन्दोलनों के कारण बिहार राज्य में रेल सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 26 लाख रुपये।

(ख) ऐसे अवसरों पर राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क रखा जाता है और उनकी सहायता से सिविल पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल को रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है।

अत्याधिक कार्यभार (उत्तर रेलवे) के लिये अतिरिक्त कर्मचारी

138. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री उत्तर रेलवे में मियां भाई न्यायाधिकरण की रिपोर्ट को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने रेलवे बोर्ड को कुछ बातें स्पष्टीकरण के लिये भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार समझ कर रोजगार शाखा के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था के प्रश्न पर कार्रवाई की जा रही है ।

कुछ भत्तों की पुनरीक्षित दरों की जानकारी सम्बन्धी सूचना का परिचालन

139. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री कुछ भत्तों की पुनरीक्षित दरों की जानकारी सम्बन्धी सूचना के परिचालन के बारे में 3 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात्रि कार्य भत्ता, राष्ट्रीय छुट्टी दिवस भत्ता, खुराक भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यवाहक भत्ता और अन्य भत्ते आदि की पुनरीक्षित दरों की जानकारी सम्बन्धी सूचना रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक परिचालित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, इन दरों की अधिसूचना किस तिथि तक जारी कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) प्रशिक्षुओं के लिए खुराक भत्ता की संशोधित दरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कुछ दिनों में ही उन्हें अधिसूचित कर दिया जायेगा ।

जहां तक रात्रि कार्य भत्ता का प्रश्न है, उस आधार पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि किस आधार पर इस भत्ते की गणना की जाये । संशोधित दरों को कुछ सप्ताह के भीतर जारी किये जाने की सम्भावना है ।

अन्य भत्तों की संशोधित दरों को अन्तिम रूप देने के लिये कुछ और समय लगेगा ।

मियां भाई न्यायधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये कार्य के घण्टे

140. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मियां भाई न्यायधिकरण ने अपनी रिपोर्ट कार्य के 96 घण्टों में 'प्रिपेरेटी" तथा "कम्पलीमेंट्री" कार्य के घण्टों को सम्मिलित नहीं किया है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने भी उनके प्रति जिन्हें 'प्रिपेरेट्री' तथा 'कम्पलीमेंट्री' कार्य करना होता है उपेक्षा बरती है क्योंकि उन्हें बिना समयोपरि भत्ते अथवा लाभ के अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा जबकि अधिकांश अन्य कर्मचारियों को कार्य के 96 घण्टे पूरे करने के पश्चात समयोपरि भत्ता अथवा अन्य लाभ प्राप्त होगा; और

(ग) यदि हां, तो असंगति को दूर करने के लिये प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एन० एम० मियांभाई के निर्णयों की रिपोर्ट (जिसकी प्रतियां सभा की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं) के पैरा 6.226 (5) (घ) (क) और (ख) हवाले के लिए नीचे उद्धृत हैं :

> "6.226(5) (घ)(क) अनिवार्यतः किसी स्थापना, शाखा या पारी की सामान्य कार्यविधि के लिए निर्धारित सीमा से बाहर किया जाने वाला प्रारम्भिक और/या अनुपूरक कार्य, जिसमें कार्यभार सौंपने/संभालने का काम भी शामिल है, कर्मचारियों से लिया जा सकता है ।

(ख) इसके आगे उल्लिखित प्रस्ताव के सन्दर्भ में सम्बद्ध प्रशासन कर्मचारी या कर्मचारियों के प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में प्रारम्भिक और/या अनुपूरक कार्य के लिए अपेक्षित समय निर्धारित करेगा और यदि ऐसा समय सूची में शामिल करना अपेक्षित हो तो वैसा किया जाना चाहिए।"

उसी रिपोर्ट के पैरा 6.59 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "मैं इस दृष्टिकोण को अधिमान्यता देता हूं कि प्रारम्भिक और अनुपूरक कार्य को समयोपरि कार्य नहीं मानना चाहिए।"

(ख) सरकार ने अधिकरण के निर्णयों को स्वीकार कर लिया है।

(ग) सरकार नहीं समझती कि कोई अन्याय हुआ है।

एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड आसनसोल में कुप्रबन्ध

141. **श्री नूरुल हुदा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड आसनसोल में व्याप्त कदाचार और कुप्रबन्ध की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस कम्पनी के कार्यों के बारे में जांच करने के लिये कोई आदेश दिये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) इस कम्पनी के विरुद्ध निम्नांकित आरोप सरकार के नोटिस में लाये गये हैं :—

(1) अनेक समनुदानों की मांग करते हुए सरकार को नोटिस के साथ तालाबन्दी की घोषणा;

(2) 1971-72 के वर्ष, जबकि कम्पनी हानि उठा रही थी, में सुरक्षित तथा अतिरिक्त धन में से 67.5 लाख रु० का पूंजीकरण;

(3) कम्पनी द्वारा लाभांश हिस्सों का निर्गमन।

(ग) उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जांच की गई है एवं इसकी रिपोर्ट खनिज विभाग के परीक्षान्तर्गत है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत एक निरीक्षण के आदेश भी दिये गये हैं।

त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार के 48 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों का स्थागित किया जाना

142. **श्री नूरुल हुदा :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार के 48 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप निर्वाचनों को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी दिए जाने के कारण, 19 त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था।

बिहार की विधान सभा में रिक्त स्थानों को भरने के लिये अभी तक उप निर्वाचन, राज्य की वर्तमान स्थिति के कारण नहीं कराए जा सके हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित तिथि से पूर्व पूरा करने के निर्णय के बारे में की गई आपत्ति

143. **श्री नूरुल हुदा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित तिथि से पूर्व पूरा करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान निर्वाचन आयोग की उक्त जल्दबाजी की कार्यवाही के विरुद्ध विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :(क) निर्वाचक नामावलियों के साधारण पुनरीक्षण के लिए, जो इस समय चल रहा है, निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्तमान नामावलियों को केवल अनुपूरक नामावलियों न कि पूरी नामावली मुद्रित करना आवश्यक होगा । इससे कागज की, जिसकी बहुत कमी है, मात्रा की, नामावलियों के मुद्रण के व्यय की और समय की भी बहुत बचत होगी । निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप से प्रकाशित होने पर परिणाम वही होगा जो, यदि पूरी नामावली को पुनः मुद्रित कराया जाता तो होता अर्थात वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी, 1975 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तथा जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के मामूली तौर से निवासी हैं, उक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे ।

जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग एक कानूनी निकाय है जो परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित किया गया है । उसमें कोई विनिर्दिष्ट कानूनी समय सीमा नहीं होने से, परिसीमन आयोग साधारणतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास करता है । अतः यह आयोग का काम है कि वह अपना कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करे ।

(ख) निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावलियों के चालू पुनरीक्षण के संबंध में तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) निर्वाचन आयोग संविधान के अधीन एक प्राधिकरण है और परिसीमन आयोग एक कानूनी निकाय है । इस लिए वे सुसंगत विधियों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपने विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन

144. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पेश करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप परिसीमन आयोग का कार्य बन्द हो जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवाह-विच्छेद संबंधी एक रूप विधि

145. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विवाह विच्छेद के लिये एक रूप विधि जो सभी सम्प्रदायों पर लागू हो, बनाने हेतु एक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) विधि आयोग ने विवाह विच्छेद की ऐसी एक-रूप विधि के लिए, जो सभी सम्प्रदायों को लागू हो, कोई सिफारिश नहीं की है ।

वस्तुओं की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने सम्बन्धी प्रस्ताव

146. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनी कानून में संशोधन करके औद्योगिक संस्थानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत के बारे में जांच कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956, केन्द्रीय सरकार की, धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत उत्पादन, विधायन, निर्माण कर्ता अथवा खनिज कार्य-कलापों में संलग्न कम्पनियों की बाबत, लागत लेखा कर्म अभिलेख संधारण को अधिसूचना द्वारा विहित करने तथा धारा 233 ख के अन्तर्गत, लागत लेखा-परीक्षा करने के निदेश देने, की शक्ति प्रदान करता है। यह उपबन्ध, 1965 के संशोधनकारी अधिनियम (1965 का 31) द्वारा कम्पनी अधिनियम में विनिगमित किया गया था। कोई अन्य संशोधन विचाराधीन नहीं है।

बड़े व्यापार गृहों के एकाधिकारवादी कार्यों को रोकने के लिए कार्यवाही

147. **श्री बीरेन्द्रसिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह बात सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि बड़े व्यापार गृहों के बड़े बड़े उपक्रम अपने क्षेत्र के एकाधिकारवादी उपक्रम न बने रहें ;

(ख) क्या सरकार ने एकाधिकारवादी उपक्रमों की मूल्य निर्धारण नीति, लाभात्मकता तथा विपणन नीतियों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने एकाधिकारवादी प्रक्रियाओं के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये पग, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यकरण से संबंधित दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई, तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 1 के भाग 1 में में दिये गये हैं।

एक बृहद् घरानों को लाइसेंस देते समय दिनांक 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक विकास मंत्रालय की प्रेस टिप्पणी ("उद्योगों के लिए संदर्शिका" में उल्लिखित, जिसकी प्रतियां संदर्भ के लिए सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) में यथा उल्लिखित संदर्शिका नीति होने से वर्ग क्षमता का प्रयोग किया जाता है जिसमें साथ साथ उन उद्योगों की सूची का भी उल्लेख है, जिनमें अन्य आवेदन-कर्ताओं के साथ वृहद् घराने भी भाग लेने के पात्र हैं। साधारणतः ये घराने इस सूची में सम्मिलित किए गए उद्योगों से उन उत्पादनों के सिवाय, जो प्रमुख रूप से निर्यात के लिए होते हैं, अलग रखे गए हैं। जैसाकि कथित प्रेस टिप्पणी में उल्लेख है, उद्योगों की यह सूची सरकार द्वारा पंचम योजना की पहुंच को देखते हुए, भविष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व के हीरक उद्योगों, इस प्रकार के हीरक उद्योगों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले उद्योगों तथा उन उद्योगों, जो लम्बी अवधि के निर्यात संभावनाओं युक्त अथवा अर्थव्यवस्था के लिए प्रधान समालोचनात्मक व युद्धावश्यक हों, बनाई गई है। प्रमुख उपक्रमों की बाबत, सरकार उन क्षेत्रों में विस्तार के लिए विरक्त है, जिनमें ये एकक प्रमुख है। इन विचारों के अलावा, सहकारी उपक्रमों के साथ साथ, लघु व मध्यम आकार के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का चैतन्य प्रयास किया गया है।

(ख) उद्योग, नागरिक पूर्ति मंत्रालय अथवा इस मंत्रालय द्वारा कोई मुख्य अध्ययन नही किया गया है। तथापि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने कुछ उद्योगों की एकाधिकारक एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की बाबत, कुछ अध्ययन किए हैं जैसाकि इसकी तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 79 से प्रतीत होगा।

शोधन क्षमता में कमी तथा बर्मा शैल और कालटैक्स को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने में विलम्ब

148. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को देश में शोधन क्षमता में हो रही कथित भारी हानि का पता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्मा शैल और कालटैक्स शोधनशालाओं को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के संबंध में निर्णय करने की कार्यवाही में विलम्ब हुआ है ;

(घ) क्या बर्मा शैल शोधनशाला 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होने तथा विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ तटवर्ती शोधन शालाओं को कम स्तर पर कार्य करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप वे क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके।

(ग) बर्मा शैल एवं कालटैक्स शोधनशालाओं को सरकार द्वारा हाथ में लेने के संबंध में विचार विमर्श प्रगति पर है। सरकार इस संबंध में शर्तों तथा अन्य सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में मतदाता सूचियों का प्रकाशन

149. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल किन-किन राज्यों में मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई है ;

(ख) क्या अब तक प्रकाशित मतदाता सूचियां अद्यतन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पुरानी मतदाता सूचियां प्रकाशित करने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक अद्यतन बना दिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) गुजरात राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां 6 जनवरी, 1975 को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं ।

अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुनरीक्षण का कार्य अभी चल रहा है और उन राज्यों को छोड़कर, जहां कार्यक्रम को निम्नलिखित सीमा तक थोड़ा संशोधित कर दिया गया है, निर्वाचक नामावलियां 28 फरवरी, 1975 को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जायेंगी :—

बिहार	6 निर्वाचनक्षेत्रों के बारे में 28–2–1975 । अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में 15–3–1975 ।
हिमाचल प्रदेश	8 निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में 10–3–1975 । 3 निर्वाचन क्षेत्रों (बर्फीले क्षेत्र) के बारे में 15–7–1975 । अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में 28–2–1975 ।
जम्मू कश्मीर	बर्फीले क्षेत्रों में सिवाय उन दो निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में, जहां कार्यक्रम नियत नहीं किया गया है 28–2–1975 ।
नागालैंड	10 निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में 15–3–1975 अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में 28–2–1975
त्रिपुरा	31–3–1975 ।
मिजोरम	30–4–1975 (असाधारण विधि और व्यवस्था की स्थिति होने के कारण) ।

(ख) और (ग) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 25(3) में यथा उपबंधित, वर्तमान नामावलियां 1 जनवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह के दौरान प्रारूप में प्रकाशित कर दी गई थीं । इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में उन सभी पात्र मतदाताओं के नाम, जिन्होंने 1–1–1975 को (मतदान करने की) अर्हता प्राप्त कर ली है, लेखबद्ध करने के लिए प्रगणक भेजे गए थे । यदि पूर्णरूप से विचार किया जाए तो यह कार्य 31 जनवरी, 1975 को पूरा हो गया है । जब घर घर जाकर की गई प्रगणना के आधार पर प्रारूप के साथ अनुपूरक नामावलियां प्रकाशित की जायेंगी तब निर्वाचक नामावली अद्यतन और सही हो जाएगी ।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों/अस्पतालों में अत्यावश्यक औषधियों की कमी

150. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कर्नाटक में अधिकांश केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों/सरकारी अस्पतालों में अत्यावश्यक औषधियां कम मात्रा में उपलब्ध हैं क्योंकि इस समय उनकी कमी है; और

(ख) उनकी मांग को पूरा करने के लिये अत्यावश्यक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में औषधों की आम कमी नहीं है। राज्य औषध नियंत्रकों ने समय समय पर सूचित किया है कि विशेष ब्राण्ड के उत्पादों की कमी व जिसके लिए अन्य कम्पनियों ने उसी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया है, सामान्यतया उपलब्ध है। पैट्रोलियम संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधों के मूल्यों में लगभग अक्तूबर 1973 से भारी वृद्धि हुई है तथा उपलब्धता भी जटिल हो गई है। यहां तक कि राज्य व्यापार निगम विभिन्न प्रपुंज औषधों की पर्याप्त मात्रा के लिए व्यवस्था करने में समर्थ था। तथापि कुछ औषधों के मामले में जटिल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र डिलिवरी कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका। अब तक बहुत से औषधों के लिए विभिन्न औषध उत्पादक एककों को पर्याप्त सप्लाई की गई है। जहां तक दिल्ली एवं कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के औषधालयों/सरकारी हस्पतालों में आवश्यक औषधों की कमी का प्रश्न है, सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) औषध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) औषध एवं भेषज के क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पर्याप्त रूप से विस्तार करने का विचार है। सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग के विस्तार/विविधीकरण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं।

(ii) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित प्रपुंज औषधों एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थों के संबंध में पर्याप्त आयात के लिए व्यवस्था की गई है।

औषध निर्माण के नियंत्रित तथा शीघ्रगामी विकास को सुनिश्चित करने तथा इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को समस्त आवश्यक औषध उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग के बारे में एक समिति का गठन किया है, इसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

"औषध उद्योग विशेष रूप से भारतीय तथा लघु क्षेत्रीय उद्योगों के शीघ्र विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सिफारिशें करना। अपनी सिफारिशें देते समय यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखेगी।"

"उपभोक्ताओं के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के लिए अभी तक उठाये गए उपायों की जांच करना तथा मूल औषधों एवं भेषज के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले और उपायों की सिफारिश करना।"

"आम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषध एवं घरेलू दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए सिफारिश करना।"

समिति द्वारा अप्रैल 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है।

समेकित रेल सुरक्षा बल

152. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे व्यवस्था में व्यापक रूप से होने वाली आपराधिक घटनाओं तथा यार्डों में चोरी की घटनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के उद्देश्य से एक समेकित रेलवे सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित बल को ऐसे कौन से नए दायित्व सौंपे जायेंगे जो अब तक वर्तमान बलों को नहीं सौंपे गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, चोरी हुई रेलवे की संपत्ति तथा सामान गुम हुए तथा क्षतिग्रस्त हुए सामान और रेलवे सुरक्षा बल एवं जनरल रेलवे पुलिस के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप बरामद किए गए सामान का परस्पर अनुपात कितना रहा ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अभी तक देश में सम्पूर्ण रेल प्रणाली के लिए स्वीकृत रेलवे पुलिस दल के गठन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । राज्य सरकारों के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस और रेलों के अधीन रेलवे सुरक्षा दल को मिलाकर एक करने के संबंध में विचार विमर्श अभी आरम्भिक स्थिति में हैं।

(ग) संलग्न विवरण में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान चोरी गयी, खो गयी या उठाई गयी तथा बरामद की गयी सम्पत्ति और माल की कीमत दिखायी गयी है । वर्ष 1972–73 और 1973–74 में खोये माल की तुलना में बरामदी का अनुपात क्रमश: 2 : 9 और 10 : 67 है ।

विवरण

1972-73

शीर्ष	चुरायी/उठायी गयी सम्पत्ति का मूल्य रु०	भारतीय दंड संहिता तथा रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की गयी संपत्ति का मूल्य	खो जाने/चोरी होने की तुलना में बरामदी का अनुपात
(1) बुक किए गए माल (जिसमें सील-बन्द माल डिब्बे का माल भी शामिल है) की चोरी और उठायी-गीरी ।	1,64,48,519	30,21,799	
(2) रेल सामग्री और फ़िटिंग	48,90,664	17,53,119	
योग	2,13,39,183	47,74,918	2:9

1973-74

(1) बुक किए गए माल (जिसमें सील-बन्द माल डिब्बे का माल भी शामिल है की चोरी और उठायी-गीरी ।	2,39,66,647	17,78,194	
(2) रेल सामग्री और फ़िटिंग	52,88,716	25,60,023	
योग	2,92,55,363	43,38,217	10:67

आवश्यक औषधियों का निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध होना

153. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा दुकानों पर खुदरा रूप में निर्धारित कीमतों पर शीघ्र ही उपभोक्ताओं को आवश्यक औषधियां उपलब्ध करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की अविलम्बता को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित होते है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी फुटकर विक्रेता केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची में दिए गए फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी औषधि को ग्राहकों को नहीं बेचेगा।

जिन औषधों उत्पादक फर्मों का कुल उत्पादन 50 लाख रुपये से अधिक न हो, उनको अपने उत्पादों के मूल्य को नियत करने/संशोधन करने के संबंध में छूट दी गई है।

भारत सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति की स्थापना की है। समिति के विचारार्थ बातों में एक निम्न प्रकार है :

"उपभोक्ताओं के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के लिए अभी तक उठाये गये उपायों की जांच कराना तथा मूल औषध एवं भेषज के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले और उपायों की सिफारिश करना।

समिति द्वारा अप्रैल 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

तेल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण

154. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के विभिन्न भागों में नए नए क्षेत्र में तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपने खुदाई कार्य तेज किए हैं ;

(ख) क्या पंजाब में भी भूगर्भीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कराये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब में किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण कराये गए और कितनी धनराशि व्यय हुई तथा कितनी सफलता मिली ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पंजाब राज्य के होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, भटिन्डा, जलंधर, लुधियाना एवं पटियाला जिलों तथा चंडीगढ़ में भूकम्पीय तथा गुरुत्वाकर्षण और चुम्बकीय सर्वेक्षण किए गए हैं होशियारपुर आदमपुर तथा जिस पर व्यधन कार्य किए गए थे कुओं में तेल एवं गैस के कोई आसार नहीं पाये गए। ऊपर बताये गए क्षेत्रों में एवं लघु क्षेत्र जो अब हिमाचल प्रदेश में हैं सहित 1973–74 तक कुल लगी लागत लगभग 45 लाख रुपये है।

मतदाता सूची के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रेस नोट

155. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कोई प्रेस नोट जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जहां जांच कार्य पूरा हो चुका हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1974-75 के दौरान कोयले की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियां

157. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में 31 जनवरी, 1975 तक विभिन्न रेलवे जोनों में कोयले की कमी के कारण कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गईं ;

(ख) इस वजह से किराये और भाड़े के रूप में पृथक-पृथक सरकार को कितना घाटा हुआ ;

(ग) रेलगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे को कोयले की सप्लाई की स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है और विभिन्न जोनों में कोयले की कमी के कारण रद्द सभी रेलगाड़ियों को कब तक चलाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पारादीप में उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार

158. **श्री एम०वी० कृष्णप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पारादीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक फ्रांसीसी फर्म के साथ भारत सरकार ने करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य इस बीच शुरू हो गया है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पारादीप परियोजना का सिद्धांत रूप से अनुमोदन किया गया है। वित्त व्यवस्था तथा अन्य प्रबन्ध हो जाने के पश्चात् इस परियोजना की कार्यान्विति के काम को हाथ में लिया जायेगा।

विदेशी औषधि फर्मों द्वारा लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में 'बल्क' औषधियों का उत्पादन

159. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी फ़र्मों द्वारा अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता या स्वीकृत क्षमता से अधिक मात्रा में किन-किन जीवनरक्षक और आवश्यक फार्मूलेशनों की बिक्री की जा रही है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन आंकड़ों सहित प्रत्येक वस्तु का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या देश के कानून का उल्लंघन करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा को विदेश भेजने के लिए ही सेन्टीबिनी, विराहेस्ट, विडयालीन जैसे कुछ फार्मूलेशनों का लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में निर्माण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इन फ़र्मों के विरुद्ध अथवा उन की सहायता करने या उनका समर्थन करने वाले नौकरशाहों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है; और

(घ) क्या इन फार्मूलेशनों का निर्माण भारतीय फर्मों द्वारा किया जा सकता हैं और यदि हां, तो इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध कम्पनियों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमतियों का रूप नीचे दिया है :—

(i) जिस तारीख से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 लागू हुआ था उस तारीख से पहले इस प्रकार की औषध निर्माण करने वाली जो फर्में औषध निर्माण में लगी थीं उनसे संबंधित औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण इस प्रकार की फर्मों के मामलों में केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया था जिसमें अनुसूचित उद्योग, जिस उद्योग के अन्तर्गत वह फर्म आती है, पते सहित उस उपक्रम का नाम, मालिक का नाम और उसका पता दिया होता है। इस प्रकार के प्रमाण पत्रों में क्षमता के लिए किसी विशिष्ट वस्तु का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ii) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस : लाइसेंसों में मदें और वार्षिक क्षमता दी थी। किन्तु बहुत से मामलों में, विशेष रूप से सूत्रीकरण के मामले में, यह उल्लेख किया गया था कि कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर मद (मदें) का निर्माण किया जाना चाहिए।

(iii) अनापत्ति/अनुज्ञापत्र :—सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1965 तक इन पत्रों को जारी किया था :—

(i) इस प्रयोजन के लिए किसी अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) कोई रायल्टी नहीं दी जाएगी।

(iii) पहले से ही प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेड मार्क के अन्तर्गत उत्पादों का विपणन किया जाएगा और किसी नए पेटेन्ट को उसमें न उलझाया जाए।

(iv) समय समय पर लागू होने वाली सामान्य आयात नीति के शिथिलीकरण में मूल कच्चे मालों और संघटकों का आयात करने के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जायेगी। इस तरह की अनुमतियों में अलग अलग मदों की क्षमताओं का उल्लेख विशिष्ट रूप से हर मामले में नहीं दिया गया था।

अतः औषध और भेषजों के मामले में सूत्रीकरण के लिए क्षमता को नियत करना या उत्पादन की गणना करना और इस तरह के सूत्रीकरण के मूल्य लगाना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त सूत्रीकरण की संख्या हजारों में है।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र संलग्न किया गया है जिसमें पार्टी का नाम, निर्मित सूत्रीकरण की मद, लाइसेंस-प्राप्त/अनुमोदित क्षमता और गत दो वर्षों के दौरान हुआ उत्पादन का उल्लेख किया गया है। बाजार की मांग के अनुसार इन सूत्रीकरणों का निर्माण किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	सूत्रीकरण की मद	लाइसेंस प्राप्त/अनुमोदित क्षमता	उत्पादन (लिटरों में)		
				1972	1973	1974
1.	मैसर्स अवाट लेबोरेटरीज इंडिया लि०	वाइडिलिन	4,55,000 लिटर प्रति वर्ष (सारे द्रवों के लिए कुल)	77790	90317	99108
2.	मैसर्स सैण्डोज (आई) लि०	सान्तिविनि	2,13,000 लिटर प्रति वर्ष (सारे द्रवों के लिए कुल)	4,87,346	4,88,236	
3.	मैसर्स हाचेस्ट फार्मास्युटिकल लि०	विटाहेक्स्ट	2 लाख लि० (डी० जी०जी०डी० के पास पंजीकृत इस मद के लिए सी०ओ०बी० का जारी करना विचाराधीन है।	3,33,000	एन०ए०	

(घ) जी, हां। निर्माण की गई नीति के अन्तर्गत गुणों के आधार पर भारतीय कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है। इस मंत्रालय की ओर से श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता के अधीन भी एक समिति की नियुक्ति की गई है और अन्य बातों के साथ साथ समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(i) उद्योग द्वारा की गई प्रगति और उसके द्वारा प्राप्त हैसियत के संबंध में पूछताछ करना।

(ii) मूल औषध और सूत्रीकरण का निर्माण करने में और अनुसंधान और विकास में सरकारी क्षेत्र अग्रणी स्थान प्राप्त करें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(iii) औषध उद्योग और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों का तीव्र विकास करने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश करना। अपनी सिफारिश करते हुए समिति उद्योग का सन्तुलित क्षेत्रीय निपटान के लिए आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा आम खपत वाली औषधियों का अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

160. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी विदेशी औषध निर्माता फर्में आम खपत वाली औषधियों का अपनी लाइसेंस प्राप्त वाली क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, उन आम खपत वाली औषधियों के नाम क्या हैं, लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है; या अनुमति पत्र सी० ओ०बी० लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त क्षमता कितनी है, तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कितना हुआ ; फार्मूलेशनों का बिक्री मूल्य क्या था और विदेशी मुद्रा अनुमानतः कितनी बाहर भेजी गई ;

(ख) इन फर्मों की आरम्भिक इक्विटी पूंजी कितनी थी और इस समय इक्विटी पूंजी कितनी है; क्या वर्तमान इक्विटी भारत में अर्जित लाभ में से बनाई गई या विदेशों से कोई अनुवर्ती इक्विटी पूंजी लाई गई; और

(ग) क्या इन्होंने अपनी आम खपत वाली औषधियों का सीमित (कैप्टिव) उपभोग के लिए उपयोग किया, तथा उन्हें पूर्वान्तिम अवस्था से ही तैयार किया था, प्रत्येक वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय सी० ओ० एफ० मूल्य क्या है, फार्मूलेशन का मूल्य क्या है और आम खपत वाली प्रत्येक औषधि और फार्मूलेशन का कुल बिक्री मूल्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) इस समय 35 विदेशी कम्पनियां हैं। 26 कम्पनियों से संबंधित एक विवरण पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें मूल साम्यापूंजी, वर्तमान साम्यापूंजी और इसकी विरचना का उल्लेख है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी—8893/75]** शेष 9 कम्पनियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 लागू किया जाना

161. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1970 में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी रखने वाली विदेशी फर्मों के लिए "पैकेज डील" के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित किए गए थे। यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में उन का उत्पादन कितना था और उनका आयात और बिक्री मूल्य कितना था ;

(ग) क्या कोई पुनरीक्षित मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये गए हैं; यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या ऐसा आर्गेनाइजेशन आफ़ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया और विदेशी फर्मों को सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था; और

(घ) क्या भारतीय औषध उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा इसका विकास करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार का विचार भारतीय फर्मों को मूल्यों के संबंध में विशेष सुविधा प्रदान करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की मुख्य मुख्य बातें 26 नवम्बर 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 2069 के भाग (क) के उत्तर में प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ख) औषधियों के मूल्य, 1970 में पैकेज डील के अधीन उद्योगों के तीनों क्षेत्रों अर्थात् विदेशी नियंत्रित भारतीय, नियंत्रित एवं लघु उद्योग जिन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन की गई व्यवस्था अनुसार विकल्प योजना का चयन किया था, नियत किए गए थे।

(ग) कच्चे माल एवं पैक करने संबंधी सामग्री की लागत में हुई वृद्धि को समान करने के लिए सूत्रीकरण के अन्तरिक मूल्य संशोधन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों को जुलाई 1970 में जारी किया गया था। ये मार्गदर्शक सिद्धांत औषध एवं भेषज के सारे एककों, चाहे भारतीय या विदेशी क्षेत्रों में हों, पर लागू होते हैं।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०---8894/75]

(घ) औषधों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधों के मूल्यों का नियंत्रण किया जाता है जिसके अनुसार भेषज उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथापि सभी ऐसे औषध निर्माता एककों को जिनकी बिक्री आय 50 लाख रुपये प्रतिमास से अधिक न हो अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण/पुनरीक्षण के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करने से छूट दे दी गई है। इससे लघु एककों को सहायता मिली हैं। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग समिति उद्योगों के विभिन्न पक्षों का निरीक्षण कर रही है। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी।

पूर्व रेलवे में पिछली हड़ताल के दौरान मुअत्तल किये गये और सेवा से निकाले गये कर्मचारी

162. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्व रेलवे में जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं या जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया था, उनकी संख्या कितनी हैं;

(ख) उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मई, 74 की हड़ताल में मात्र भाग लने के कारण पूर्व रेलवे के किसी रेल कर्मचारी को निलंबित नहीं किया गया है और न उसकी सेवा समाप्त की गयी हैं। लेकिन जहां रेल कर्मचारियों ने कानून का उल्लंघन किया है या स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध कार्य किया है, वहां उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की गयी है। पिछली हड़ताल के संदर्भ में पूर्व रेलवे के 2,848 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया हटाया गया/सेवा समाप्त की गयी थी जिनमें से अभी तक 2,260 को वापस ले लिया गया है। ड्यूटी से निलंबित/ 1,196 स्थायी कर्मचारियों में से, 1,071 को ड्यूटी पर लिया जा चुका है। रेलवे द्वारा कोटि वार आंकड़े नहीं रखे, जाते क्योंकि 700 से अधिक कोटियां होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हैं। ऐसे कर्मचारियों के साथ निपटने के संबंध में जैसा कि प्रश्न उठाया गया था सरकार की नीति जिसकी घोषणा संसद के दोनों सदनों में बार-बार की गयी है यह है कि राष्ट्र की जीवन-धारा को बनाये रखने में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गंभीरता पर ध्यान दिये बिना उनको आम माफी नहीं दी जा सकती। रेल प्रशासन जहां कहीं संभव हो और जहां अपीलों में बतायी गयी लघुकारक परिस्थितियां स्वीकार्य हों, सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेवा भंग में माफी दे रहा है और कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर ले रहा है। रेल प्रशासन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके न्यायालय में चल रहे मामलों की समीक्षा भी कर रहा है और उसका यह दृष्टिकोण है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़, हिंसा या डराने-धमकाने के आरोप हैं, शेष मामलों में न्यायालय में कार्रवाई करने के लिये रेल प्रशासन की रुचि नहीं होगी।

दक्षिण-मध्य रेलवे में बर्खास्त किये गये और मुअत्तल किये गये कर्मचारी

163. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने रेल कर्मचारियों को बर्खास्त और मुअत्तल किया गया ;

(ख) तत्संबंधी सेक्शन-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई, 1974 को पिछली रेल हड़ताल में केवल भाग लेने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे के किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त/हटाया या निलंबित नहीं किया गया था। लेकिन

जहां कर्मचारियों ने कानून की उपेक्षा की है और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया हैं वहां उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी। दक्षिण-मध्य रेलवे के जिन कर्मचारियों को बर्खास्त/सेवा से हटाया गया या जिनकी सेवाएं समाप्त की गयीं और जिन्हें अभी तक ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया है उनकी संख्या 69 रह गयी है जबकि उनकी कुल संख्या 580 थी। सभी 34 कर्मचारियों को जिन्हें ड्यूटी से निलंबित किया गया था, ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है।

(ख) रेलवे द्वारा खण्ड वार आंकड़ें नहीं रखे जाते।

(ग) सरकार की नीति, जिसकी संसद के दोनों सदनों में बार बार घोषणा की गयी है, यह है कि राष्ट्र की जीवन धारा को बनाये रखने में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गंभीरता पर ध्यान दिये बिना उनको आम माफी नहीं दी जा सकती। रेल प्रशासन जहां कहीं संभव हो और जहां अपीलों में बतायी गयी अपील लघुकारक परिस्थितियां स्वीकार्य हों, सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेवाभंग में माफी दे रहा है और कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर ले रहा है। रेल प्रशासन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके न्यायालय में चल रहे मामलों की समीक्षा भी कर रहा है और उसका यह दृष्टिकोण है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों को छोड़ कर जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़, हिंसा या डराने धमकाने के आरोप हैं, शेष मामलों में न्यायालय में, कार्रवाई करने के लिए रेल प्रशासन की रुचि नहीं होगी।

टी० वी० पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इंटरव्यू

164. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभी हाल में आकाशवाणी के टी०वी० को एक इण्टरव्यू दिया था;

(ख) क्या समयपूर्व मतदान के बारे में उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) यदि और जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसमें निर्वाचनों के संचालन के विषय में संवैधानिक प्राधिकार निहित है, आवश्यक समझें, वह सार्वजनिक वक्तव्य दे सकता हैं और इस संबंध में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस इन्टरव्यू में उसने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें आयोग के विचार समझा जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

165. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पालन करने के लिए सुस्पष्ट सिद्धांतों की संसद को सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति, उस बारे में परामर्श करने और राय जानने के लिये जिसमें अधिवक्ताओं और विशिष्ट विधिवक्ताओं की राय भी सम्मिलित हो, नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। संविधान के उपबन्धों के अनुसार विकसित विद्यमान पद्धति संतोषजनक रूप से काम में आ रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

166. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने 18 दिसम्बर, 1974 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या उक्त आयोग द्वारा दी गई अनेक सिफारिशों में कम्पनी विधि विभाग ने कांट-छांट की है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) आयोग द्वारा 18 दिसम्बर 1974 को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत उसको किए गए संदर्भों के विषय में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने 18 दिसम्बर, 1974 को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण से संबंधित 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 की अवधि की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत की थी जिसके भाग 2 के रूप में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रस्तुत उसका 1973 का कार्यकरण भी सम्मिलित था।

(ख) तथा (ग) आयोग का अध्याय 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के तुरन्त पश्चात केन्द्रीय सरकार के स्वयं व्याख्या करने वाले आदेशों सहित सदन के पटल पर रखा दी गई थी। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत 1973 की अवधि में आयोग की रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात अन्तिम रूप से निपटान किए गए मामलों के ब्यौरे, ऊपर संदर्भित तीसरी वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। इन दस्तावेजों से दिखलाई देगा कि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों और केन्द्रीय सरकार द्वारा कारगर किए जाने में कोई कांट-छांट नहीं हुआ है।

विदेशी औषधि फर्मों की अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करने के प्रति औषधि निर्माता ऐसोसिएशन द्वारा विरोध प्रकट करना

167. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषधि निर्माता कम्पनियों की अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने संबंधी सरकार के निर्णय के प्रति भारतीय औषधि निर्माता एसोसियेशन ने विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (ग) भारतीय औषध विनिर्माता परिषद ने सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन भेजा है कि विदेशी औषध कम्पनियों की अनाधिकृत रूप से बढ़ाई गई क्षमताओं को जल्दबाजी में अधिकृत न किया जाए और सरकार के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा यदि हाथी आयोग के निष्कर्ष ज्ञात होने के बाद ही इन तथा अन्य मामलों पर कार्यवाही की जाए। औषधों का अधिक उत्पादन किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और हाथी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

168. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1975 को देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने सिविल और आपराधिक मामले तथा अन्य याचिकायें लम्बित थीं;

(ख) वे कब से लम्बित हैं; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि

169. **श्री एस० एम० मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, औषध उत्पादन करने वाली विदेशी फर्मों द्वारा देश के बाहर कितनी धनराशि भेजी गई ;

(ख) विभिन्न फार्म्यूलेशन्ज के लिये इन फर्मों में से प्रत्येक फर्म की लाइसेंस क्षमता क्या है और इसी अवधि में कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं जहां आयातित कच्चे माल से इन फर्मों द्वारा 'फार्म्यूलेशन्ज' का अधिक उत्पादन किया गया है; और

(ग) उन फर्मों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने आयातित कच्चे माल से 'फार्म्यूलेशन्ज' का अधिक उत्पादन किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1971 एवं 1972 के दौरान प्रत्येक विदेशी कम्पनी, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यपूंजी लगी हुई है, द्वारा बाहर भेजे गये धन के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8895/75]** प्रत्येक विदेशी कम्पनी के सम्बन्ध में वर्ष 1973/74 के लिए इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) और (ग) फर्मों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस/स्वीकृत पत्र निम्नलिखित प्रकृति के हैं :—

(i) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के लागू होने की तिथि से पूर्व औषधों के उत्पादन में लगे हुए ऐसे औषध उत्पादनकर्ता के सम्बन्ध में औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण। ऐसे फर्मों के सम्बन्ध में केवल एक पंजीकरण पत्र, जिसमें जिस उद्योग के अन्तर्गत वह फर्म आती हैं, पते सहित उस उपक्रम का नाम, मालिक का नाम और उसका पता दिया होता है, का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार के प्रमाणपत्रों में न तो क्षमता और न ही विशिष्ट वस्तु का उल्लेख किया गया था।

(ii) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस:लाइसेंसों में मदें और वार्षिक क्षमता दी गई। किन्तु अनेक मामलों में विशेषकर सूत्रयोगों के मामले में यह उल्लेख किया गया था कि मद (मदों) का निर्माण कुल लाइसेंसीकृत क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन किया जाना चाहिए।

(iii) अनापति/अनुज्ञा पत्र : निम्नलिखित शर्तों पर सरकार ने 1965 तक इन पत्रों को जारी किया था;

(i) इस कार्य के लिए किसी अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) कोई रायल्टी नहीं दी जायेगी।

(iii) पहले से ही प्रयोग में लाए जा रहे ट्रेड मार्क के अन्तर्गत उत्पादों का विपणन किया जायेगा और किसी नये पेटेंट को उसमें न उलझाया जाए।

(iv) समय समय पर लागू सामान्य आपात नीति के शिथिलीकरण में मूल कच्चे माल और संघटकों का आयात करने के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जायेगी। इस तरह की स्वीकृति, अलग अलग मदों की क्षमता का उल्लेख विशिष्ट रूप से प्रत्येक मामलों में नहीं दिया गया था।

अतः औषध एवं भेषज के मामले में एतिहासिक कारणों से सूत्रयोगों के लिए स्वीकृत क्षमता अथवा अधिक उत्पादन की संगणना करना सम्भव नहीं है। तथापि समस्त आपात लाइसेंसों के ब्यौरे जिसमें फर्मों के नाम, मद का मूल्य आदि "लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक पत्र" में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध की जाती हैं। औषधों के अधिक उत्पादन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जीवन-रक्षक औषधियों की कमी

170. **श्री एस० एम० मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय इन औषधियों के देश में निर्माण की कितनी क्षमता उपलब्ध है और इन औषधियों की कमी दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) देश में जीवन रक्षक औषधियों की आम कमी नहीं है। इस समय निम्नलिखित औषधों की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और कमी होने के कारणों का संकेत प्रत्येक के सामने किया गया है :

1. हेपारिन	बिजली की कमी
2. ट्रिपल एन्टीजन इजैक्शन्ज	मैसर्स गलैक्सो लेबोरेटोरीज नामक विनिर्माताओं ने बताया है कि यह उत्पाद स्थानीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रहा है और वे इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को यथासंभव कम करने के लिये अपने स्ट्रेन में और सुधार करने के प्रयत्न कर रहे हैं और इस लिये लगभग दो वर्षों की अवधि के लिये उनके उत्पाद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।
3. पेथीडाइन	बताया जाता है कि मैसर्स गलुकोनेट, जो इसके देशीय निर्माता हैं, ने इस औषध का उत्पादन करना बन्द कर दिया है ।
4. एनेस्थेटिक ईथर	बताया जाता है कि मैसर्स हैदराबाद कैमिकल्स, जो इसके एक देशीय निर्माता हैं, ने इस औषध का उत्पादन करना बन्द कर दिया है । बिजली की आन्तरायिक खराबियों के कारण वर्ष 1974 के दौरान मैसर्स अलेम्बिक के उत्पादन में कमी हो गई थी ।
5. एण्ड्रेनालाइव	मैसर्स बरोस वैलकम, जो देश में इस औषध के केवल मात्र निर्माता हैं, ने बताया है कि उनके लिए इस औषध का उत्पादन करना अलाभकारी हो गया है ।

स्वाम्य ब्रांड की कुछ मदों की अनियमित कमियों के बारे में भी समय समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं लेकिन अन्य निर्माताओं की इस प्रकार की औषधियां बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध है :

(घ) स्थिति इस प्रकार है :—

हेपारिन :	उपयुक्त संभाव्यता उपलब्ध है । सभी राज्यों से औषध उद्योग, विशेषरूप से एन यूनिटों जिन के पास निरन्तर प्रक्रिया है, की बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध किया गया है;
ट्रिपल एण्टीजन इजेक्शन्ज	जब तक देश में उपयुक्त सम्भाव्यता नहीं बन जाती, शेष आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा ।
पेथीडाइन	वैसा ही जैसा कि ट्रिपल एण्टीजन इजेक्शन्ज के बारे में है ।
एनेस्थेटिक ईथर	उपयुक्त संभाव्यता उपलब्ध है । मैसर्स अलेम्बिक सल्फर ईथर के अपने उत्पादन को घटा कर इस औषध के अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं ।
एण्ड्रेनालाइव	देश में उपयुक्त संभाव्यता उपलब्ध है । तथापि आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत इस मद का आयात करने की इजाजत है । वास्तविक प्रयोक्ताओं को इस औषध का, उस सीमा तक जिस तक मैसर्स बरोस वैलकम इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, आयात करने के लिये आवेदन-पत्र देने की सलाह दी गई है ।

तेलशोधक कारखानों में ईंधन तेल का जमा होना

171. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग में भारी कमी होने से तेल शोधक कारखानों में भारी मात्रा में ईंधन तेल जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और मांग में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्टाक के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) गत वर्ष के पूर्वार्ध में भट्टी के तेल सहित विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिये अनेक उपाय किए गए। भट्टी के तेल के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई थी ताकि उसके स्थान पर कोयले का प्रयोग किया जाये। बड़े उपभोक्ताओं द्वारा ईंधन बचत तथा उसके बचतपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के लिये प्रभावकारी उपाय किए गए। इस दिशा में प्रगति को बनाए रखने के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक भट्टी के तेल की स्थाई समिति की स्थापना की गई, भट्टी के तेल पर आधारित नए उद्योगों को लाइसेंस जारी करने के कार्य को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों के उपभोक्ताओं के लिये 10 प्रतिशत दक्षता कटौती और दूसरों के लिए 1973 की खपत के आधार पर 20 प्रतिशत तक भट्टी तेल का कोटा नियत किया गया था।

इन समस्त उपायों के परिणामस्वरूप भट्टी के तेल की बिक्री में कमी हुई है। परिणामस्वरूप भट्टी के तेल के स्टाक, जो वर्ष 1974 में न्यून स्तर पर थे और सप्लाई बनाए रखने के लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहे थे, अब पर्याप्त मात्रा में बना लिये गए हैं। हाल के महीनों में बिटुमन की मांग में कमी होने और परिणामस्वरूप शोधनशालाओं द्वारा भट्टी के तेल का अधिक उत्पादन किए जाने के कारण ये स्टाक और भी अधिक बढ़ गए हैं तथापि इसके आयातों को उपयुक्त रूप से विभाजित कर दिया गया है ताकि इस संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

माल डिब्बों का क्रयादेश देने की नई प्रणाली

172. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बे बनाने वाले उद्योगों को रेलवे द्वारा क्रयादेश देने की कोई नई प्रणाली निकाली जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की कुछ ब्रांडों की कमी के साथ साथ औषधियों का अधिक उत्पादन

173. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के कुछ ब्रांडों का अधिक उत्पादन और कमी जानबूझ कर की जा रही है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय विदेशी फर्मों द्वारा अन्तिम स्तर से एक स्तर पूर्व फार्म्यूलेशनस और "बल्क" औषधियों के क्षमता से अधिक उत्पादन के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय डी०जी०टी०डी०, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श करता है ;

(ग) यदि हां, तो इन विभागों/मंत्रालयों में अलग अलग प्रत्येक से क्या टिप्पणियां/प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उनका मंत्रालय भारतीय क्षेत्र की किस प्रकार सहायता करना चाहता है और औषध उद्योग के विदेशी क्षेत्र की गतिविधियों को किस प्रकार नियंत्रित करना चाहता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ क्षेत्रों में कुछ ब्रांडों तथा स्वामित्व के उत्पादों की कमी के बारे में समय समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कुछ उत्पादों का अनमोदित लाइसेंस युक्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया जाता है।

(ख) से (घ) औषधों के अधिक उत्पादन के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस मंत्रालय ने श्री जय-सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषजों पर एक समिति की नियुक्ति भी की है। और बातों के साथ साथ, इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(i) उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा इसके द्वारा प्राप्त हैहियत के बारे में जांच करना।

(ii) इस बात को, कि सरकारी क्षेत्र मूल औषधों एवं भेषजों के निर्माण और अनुसंधान तथा विकास में एक अगुआई हैसियत बना ले, सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(iii) औषध उद्योग और विशेष रूप से भारतीय तथा लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्रों की तेजी से वृद्धि करने के बारे में सिफारिशें करना। अपनी सिफारिशें करते समय समिति इस उद्योग की संतुलित क्षेत्रीय स्थापना की जरूरत पर ध्यान रखना।

विदेशी फर्मों की गतिविधियों को विनियमत करने तथा भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) विनिर्माण योजनाओं के अनुमोदन में इस उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है ;

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिक संख्या में प्रपुंज औषधों का निर्माण ;

(iii) सूत्रयोग निर्मित करने के लिए विदेशी फर्मों को सामान्य रूप से औद्योगिक लाइसेंस तब तक नहीं दिये जाते जब तक कि वे प्रपुंज औषधों के उत्पादन से संबद्ध नहीं किए जाते ;

(iv) क्षमता में विस्तार करने तथा नया कार्य शुरू करने के लिए शर्त के रूप में उन्हें प्रपुंज औषधों का अधिक मूल अवस्थाओं से उत्पादन करने और प्रपुंज औषधों के अपने उत्पादन के एक उपयुक्त भाग को देश के असंबद्ध विनिर्माताओं को उपलब्ध करने के लिए कहा जाता है ;

(v) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत औषधों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों को विदेशी साम्यपूंजी अधिनियम के खण्ड 29 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में निर्दिष्ट स्तरों तक हटानी होगी ;

(vi) अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों को जब काफी विस्तार करने की मंजूरी दी जाती है तो उन्हें विदेशी साम्यपूंजी में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार कमी करनी पड़ती है।

विस्तार की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत	विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के बारे में	75 प्रतिशत से अधिक
विस्तार की अनुमानित लागत का 33⅓ प्रतिशत	,,	60 प्रतिशत से अधिक लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक नहीं
विस्तार की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत		51 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से अधिक नहीं

भूमि तथा तट दूर क्षेत्रों में तेल की खोज

174. **श्री वरके जार्ज :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भूमि तथा तट दूर क्षेत्रों में तेल खोज संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) तेल क्षेत्रों में चल रहे खोज कार्य में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ;

(ग) तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) रिग्स, ड्रिलिंग प्लेटफार्म और अन्य सहायक ड्रिलिंग उपकरणों तथा उत्पादन उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सो० पी० माझी) : (क) से (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जहां कहीं भी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होने की संभावनायें, भूगर्भीय आधार पर अपने अन्वेषण कार्य का लगभग भारत की भूमि समस्त तलछटी थालों तथा कुछ सीमा तक अपतटीय क्षेत्रों तक विस्तार किया है। जनवरी, 1975 को आयोग ने 127 संरचनाओं (भूमि पर 124 और अपतटीय क्षेत्र में 3) का वेधन कार्य हाथ में ले लिया था। 36 संरचनाओं पर तेल/गैस प्राप्ति के संकेत मिले हैं। परिणामस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक गुजरात और असम क्षेत्र में कच्चे तेल के 116.00 मिलियन लिटर टन से ऊपर तथा गैस के लगभग 28000 मिलियन टन मीटर से ऊपर के प्रारम्भिक प्राप्त भंडार (सिद्ध तथा सम्भावित श्रेणी के) प्राप्त किये जा चुके हैं।

बम्बई हाई संरचना में अब तक खोदे गए 3 कुओं में तेल युक्त गैस स्तर मिल चुके हैं और उत्पादन परीक्षणों ने तेल का अच्छा प्रवाह दिखाया है। कुछ अधिक कुओं के खोदने के बाद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए, इस संरचना की पूरी उत्पादन संभावनाओं का मूल्यांकन करना संभव होगा।

जहां तक आयल इंडिया लि० का संबन्ध है इस कम्पनी ने असम में नाहरकटिया और मोरान में अपनी दो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों के संसाधनों को विकसित करने के अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों में टेंगाघाट, नागाजान, जोराजान और तारा-जान क्षेत्रों (जो सब असम में हैं) तेल प्राप्ति हेतु गहन अन्वेषण कार्य किया है। ओ० आई० एल० तेल के कुल 66.53 मिलियन मी० टन वसूली योग्य भण्डारों तथा 52.56। मिलियन घन मी० टन गैस की खोज की है।

1978–79 में देशी अशोधित तेल के उत्पादन लगभग 12 मिलियन मी० टन का अनुमान है।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 50 और 28 मीटरी टन की क्षमता की वर्क-ओवर-रिगों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया है। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० (बी०एच०ई०एल०) ने भारत में विभिन्न रिगों के निर्माण के लिए यू० एस० ए० की फर्म के साथ सहयोग समझौता पूरा किया है। इसके अतिरिक्त बी० एच० इ० एल० ने कुछ उत्पादन उपस्कर जैसे हाई प्रेशर वाल्वस और क्रिस्मस पेड़ों का भी विकास किया है। पम्पों, इंजनों, कम्प्रेशरों, निचला ढांचा आदि का कुछ भारतीय फर्मों द्वारा पहले ही उत्पादन किया जा रहा है।

समिति के पास इस समय एक चलता फिरता अपतटीय जेकप प्लेटफार्म "सागर सम्राट" है। अपने अपतटीय अन्वेषण कार्यकलापों को तीव्र करने के लिए आयोग ने एक सेमी सबमर्सिबिल मोबाइल ड्रिलिंग यूनिट की, बाद में खरीद लेने के विकल्प के साथ किराये पर लेने के लिए एक विदेशी फ़र्म को पत्र जारी किया है, और एक और अपतटीय रिग प्राप्त करने के प्रयत्न भी कर रहा है। बम्बई हाई के प्रथम चरण के उत्पादन के लिये आयोग कुछ विदेशी शिपयार्ड से अचल प्लेटफार्म प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैसर्स इंजीनियरस इंडिया लि० और मैसर्स मैजगन डोक लि० भी प्लेटफार्मों के निर्माण और डिजाइन के लिए सुविधायें विकसित कर रही हैं और ऐसी सुविधाओं का उत्पादन के उत्तरवर्ती चरणों के दौरान अचल प्लेटफार्मों के निर्माण के लिये यथासंभव सीमाओं तक उपयोग किया जाएगा।

Consumption, Production and Import of Petroleum

175. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the total consumption of petroleum in the country;

(b) the total production of petroleum in the country;

(c) the quantity imported from abroad and the value thereof, and

(d) what plan has been envisaged to increase its production in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C . P . Majhi) : (a) About 21.4 million tonnes of crude oil is likely to be processed in the refineries during the year 1974-75.

(b) About 7.5 million tonnes

(c) About 13.9 million tonnes of crude oil valued at about Rs. 907 crores is likely to be imported during the year 1974-75

(d) Exploration and production efforts for crude oil are being intensified to achieve a production rate of about 12 million tonnes by 1978-79.

Cancellation of Trains in North and South Bihar

176. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some Railway Trains running in North and South Bihar have been cancelled during the last few months ;

(b) if so, their number, separately; and

(c) the reasons for their cancellation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) On an average about 5 trains in South Bihar and 45 trains in North Bihar were cancelled daily during the period October, '74, to January,'75, due to coal shortage, public agitations in Bihar etc.

New Zonal Railway Office in Darbhanga city in Bihar

177. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up a new Zonal Railway office in Darbhanga city of Bihar; and

(b) if so, the name thereof and the time by which it will be set up and the names of the railway divisions to be merged with it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Proposal to close down Goods Shed at Marufganj in Patna

178. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to close down Patna Ghat (Goods shed) situated at Marufganj in Patna;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the traders of that area had submitted a memorandum to the Deputy Minister of Railways on the 19th January, 1974;

(d) if so, the salient features thereof; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) On account of the poor patronage, the need for continuing the goods shed at Patna Ghat is under consideration.

(c) Yes, a representation dated 16-7-1974 addressed to Late Shri L.N. Mishra former Minister of Railways was received on 19-7-74 from General Secretary, Marufganj Vyapar Mandal, Patna City.

(d) A statement is attached.

(e) The Matter is under consideration of the Government.

Statement

(d) The salient features of the representation dated 16-7-1974 submitted by the General Secretary, Marufganj Vyapar Mandal, Patna City are as under :-

(i) The traffic in general has been declining tremendously over all the stations of Eastern Railway but in comparison to other stations, the volume of traffic at Patna Ghat is much higher.

(ii) The reason for decline in traffic is due to faulty decisions of the Government such as nationalisation of wheat trade (since denationalised) and restrictions on movement of coarse food-grains by certain State Governments; restrictions on inward traffic from Southern and South Central Railways; fixing the minimum freight at rupees eight for goods traffic in small etc.

(iii) At Marufganj which is situated by the side of Patna Ghat goods shed, thousands of labourers are engaged in carrying consignments to and from godowns of the traders and closure of Patna Ghat Goods Shed will render these labourers jobless.

(iv) By closure of Patna Ghat Goods Shed, Marufganj and Mansurganj Mandies which are the busiest business centre of Bihar State wherefrom all sorts of goods such as grains, spices, edible oils etc. are supplied to all parts of Bihar and eastern part of Uttar Pradesh will be closed and business will be disrupted.

इंडो-मेटासिन का आयात

179. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्क शर्पे एण्ड धारन द्वारा 5 वर्ष के अधिक अवधि तक सी०आई०एफ० लागत 5 00 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इंडो-मेटासिन नामक औषध का आयात किया गया जबकि उसका विश्व मूल्य 400 रुपये प्रति किलो था;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से यह औषध कम मूल्य पर आयात किये जाने पर उक्त विदेशी फर्म ने वह औषध लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका आयात पोलेंड से किया जाता है और अपने मूल्यों को कम करने से भी इनकार कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स मर्क शार्प एण्ड धोमे द्वारा 1967 से 1971 तक इण्डोमैंटासिन की आयातित मात्रा एवं मूल्य जिसपर इसका आयात किया गया, निम्नलिखित है :—

वर्ष	आयातित मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य जिस पर आयात किया गया
	कि० ग्रा०	रु० कि० ग्रा०
1967	743	4,543
1968	341	4,554
1969	340	4,570
1970	587.5	4,572
1971	900	4,320

जून 1972 के पश्चात् कम्पनी द्वारा कोई आयात नहीं किया गया। उपरलिखित समय के दौरान विश्व में प्रचलित मूल्य की सूचना उपलब्ध नहीं है। 1973–74 एवं 1974–75 के दौरान एस०टी०सी० द्वारा आयात की गई इण्डो मैंटासिन का भारित औसत सी०आई०एफ० मूल्य क्रमशः 1000 रुपये और 648 रुपये प्रति किलो ग्राम है।

(ख) कम्पनी पोलैण्ड से आयात की गई औषध स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी किन्तु अपने विदेश स्थित प्रधान से 200 कि० ग्रा० 425 डालर प्रति कि०ग्रा० और 400 कि० ग्रा० बिना मुफ़्त मूल्य ताकि 600 कि० ग्रा० का औसत सी०आई०एफ० मूल्य लगभग 1062 रुपये प्रति कि०ग्रा० हो जाए।

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड को इण्डोमैंटासीन के सूत्रीकरण कार्य के लिए कह दिया गया है।

हड़ताल में भाग लेने के लिये कर्मचारियों को विभिन्न दण्ड दिये जाने सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने में विलम्ब

180. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री हड़ताल (पूर्वोत्तर रेलवे) में भाग लेने के लिए दण्डित किए गए कर्मचारियों के डिवीजनवार ब्यौरे के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा में व्यवधान, निलम्बन और सेवा से निकाले जाने संबंधी सभी आदेश इस बीच वापस ले लिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जोनवार तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों का जोनवार ब्यौरा क्या है जिन्हें अब भी परेशान किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई, 1974 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन 5.11 लाख रेल कर्मचारियों की सेवा भंग हुई थी उनमें से 4.47 लाख कर्मचारियों की सेवा भंग अभी तक माफ किया जा चुका है। इस प्रकार अब 1.44 लाख से कम सेवाभंग वाले कर्मचारी शेष हैं जबकि 10 दिसम्बर, 1974 को ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब दो लाख थी। बाकी मामलों में सेवा भंग माफ़ किए जाने के प्रश्न पर शीघ्रता से विचार किया जा चुका है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। सेवा-भंग अवैध हड़ताल में भाग लेने का स्वतः परिणाम है। किन्तु जैसा कि सरकार ने निर्णय किया है, उन मामलों में सेवाभंग विशेष मामले के रूप में माफ कर दिया गया है जिनमें रेल प्रशासन संतुष्ट हो जाए कि कर्मचारी ऐसे कारणों से काम पर न आ सके जो उनके नियंत्रण के बाहर थे, सेवाभंग माफ़ करने की कार्रवाई शीघ्रता के साथ की जा रही है।

विवरण

रेलवे	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा अभी भी भंग है	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो अभी भी निलंबित हैं	ऐसे स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जो बर्खास्त किए गए/सेवा से हटाये गए/सेवा से खारिज किए गए किन्तु जो अभी तक काम पर वापस नहीं लिए गए
मध्य	12,947	108	174
पूर्व	5,641	125	588
उत्तर	8,266	10	152
पूर्वोत्तर	5,904	79	132
पूर्वोत्तर सीमा	47,831	9	999
दक्षिण	13,814	28	107
दक्षिण-मध्य	4,129	—	69
दक्षिण-पूर्व	29,690	146	624
पश्चिम	11,867	10	268

पूर्व यूरोपीय देशों से आयातित औषधियों की किस्म के बारे में शिकायत

181. **डा० रानेन सेन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषधि निर्माता फ़र्मों ने शिकायत की है कि पूर्व यूरोपीय देशों से आयातित औषधियां घटिया किस्म की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फरवरी तक निर्वाचक नामावलियां अद्यतन करने के निदेश

182. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य निर्वाचन आयुक्तों को मूलतः निर्धारित तिथि से चार महीने पूर्व फ़रवरी के अन्त तक निर्वाचक-नामावलियां अद्यतन रखने का निदेश दिया है ; और

(ख) क्या यह मतदान जल्दी कराने की तैयारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) सम्पूर्ण देश में निर्वाचक नामावलियों के साधारण पुनरीक्षण का कार्य 1-1-1975 से हाथ में लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में छोड़कर, फ़रवरी-मार्च, 1975 के दौरान निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित करने के उद्देश्य से इस कार्य में शीघ्रता की है ।

(ख) आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आशय कागज की खपत और मुद्रण कार्य के परिमाण को कम करना और किसी भी समय निर्वाचन कराने के लिए तैयार रहने को सुनिश्चित करना था। इसलिए इसे समय-पूर्व मतदान की तैयारी का सूचक मानना आवश्यक नहीं है ।

ब्राउन कोयले से उर्वरक निकालने का नया तरीका

183. **श्री एम० कल्यामुत्तु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चेकोस्लोवाकिया में ब्राउन कोयले से उर्वरक निकालने का एक नया तारीका निकाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत में भी उसका प्रयोग किये जाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) से (घ) नाइट्रोजनस उर्वरक का उत्पादन करने के लिए ब्राउन कोयले के गैसीकरण के वास्ते तकनीकों में हुए विकास की जानकारी सरकार को है। तथापि विद्यमान उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इन विकासों में से कोई भी औद्योगिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूप से ही साबित नहीं हुई है।

काईपदर रोड स्टेशन पर बिजली लगाया जाना

184. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में खुडा रोड डिवीजन में काईपदर रोड स्टेशन पर बिजली लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक बिजली लगाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) काईपदर रोड स्टेशन के समीप कम दाब-शक्ति की विद्युत ऊर्जा अभी तक उपलब्ध नहीं है। ज्योंही उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड उचित दरों पर विद्युत ऊर्जा देने लगेगा त्योंही इस स्टेशन के विद्युतीकरण का काम आरंभ किया जाएगा जिसके लिए क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा पहले ही सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है।

बम्बई के गहरे समुद्र में तेल की खोज

185. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री त्रिदिब चौधरी :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तट से दूर गहरे समुद्र में तेल संसाधनों की खोज के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पहले की गई खोज से तेल के उपलब्ध होने के ठोस प्रमाण मिले हैं और यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा है ; और

(ग) तेल के कुओं से वाणिज्यिक स्तर पर तेल निकालने का कार्य कब से आरम्भ होगा तथा क्या बम्बई तट से दूर गहरे समुद्र का तेल-क्षेत्र निकट भविष्य में देश की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) बम्बई हाई संरचना में अब तक खोदे गये तीन कुओं में तेल युक्त संस्तर पाये गए हैं और उत्पादन परीक्षणों से काफी तेल निकला है। इस संरचना की पूरी उत्पादन संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए कुछ और कुएं खोदे जाने हैं।

जबकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस संरचना की पूरी संभाव्यताओं का निर्धारण करने के बाद ही बम्बई हाई संरचना के उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे सकेगा, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन के एक मध्यवर्ती चरण की स्थापना किए जाने के बारे में कायवाही कर रहा है ताकि बम्बई हाई से प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन मीटरी टन की दर से तेल का उत्पादन किया जा सके।

आवश्यक औषधियों के औषध पर छपे मूल्यों (लेबल्ड) पर बेचने की योजना

186. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री वयालार रवि :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ आवश्यक औषधियों को उन पर छपे मूल्यों पर बेचने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस पर छापे जाने वाले मूल्यों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा और यदि हां, तो यह मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित हैं जिसमें व्यवस्था है कि कोई भी परचूनिया उपभोक्ता को कोई सूत्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की हुई मूल्य सूची में उस सूत्रयोग के फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा। उक्त आदेश में यह भी व्यवस्था है कि बेचे जाने वाले सूत्रयोगों का प्रत्येक आयातक निर्माता अथवा वितरक सूत्रयोग के डिब्बे के लेबल पर अधिकतम फुटकर मूल्य प्रदर्शित करेगा।

तथापि, औषध निर्माण करने वाले संयंत्रों को जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको अपने मूल्य निर्धारण/संशोधन करने हेतु सरकार से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने की छूट है।

भारत सरकार ने श्री जयमुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति गठित की है जिसके अन्य बातों के साथ साथ विचाराधीन विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं :—

"उपभोक्ता के लिए औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए अब तक उठाये गए उपायों की जांच करना और मूल औषधों एवं उद्योगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए ऐसे और अन्य अतिरिक्त उपायों की सिफारिश करना है।"

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1975 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

पश्चिम रेलवे में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

187. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की भारी कमी के कारण पश्चिम रेलवे में 100 से अधिक माल तथा यात्री गाड़ियां रद्द की गयीं ;

(ख) क्या गत छः महीने के दौरान अन्य रेलों में भी इसी प्रकार गाड़ियां रद्द की गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न रेलों को उनकी निर्धारित मांग की तुलना में इस समय कितना कोयला सप्लाई किया जा रहा है और कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। मुख्यतः यह कमी सवारी गाड़ियों में की गयी।

(ख) जी हां।

(ग) स्टीम कोयले के उत्पादन और उपलब्धता में इधर कुछ वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप रेलों पर कोयले की सप्लाई में दिसम्बर, 1974 से सुधार हुआ है। रेलों के लिए कोयले की अनुसूचित मांग पूरी करने के लिए सप्लाई के वर्तमान स्तर में तेजी लायी गयी है। इस आशा के साथ कि यह सुधार जारी रहेगा, अपेक्षित सवारी गाड़ियों को अब धीरे-धीरे फिर चलाया जा रहा है।

मिलावट की रोक थाम के लिए मिट्टी के तेल को रंगा जाना

188. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल को रंगने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) देशीय स्रोतों से इस प्रक्रिया के लिए किसी उपयुक्त रंग के उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को अभी तक हाथ में नहीं लिया जा सका। तथापि, रंगों के कुछ देशीय विनिर्माता इस प्रयोजना के लिए कोई उपयुक्त रंग बनाने के प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने अब सफलता प्राप्त कर ली है। भारतीय तेल निगम, कोचीन रिफाइनरीज लि० तथा आसाम आयल कंपनी को गोहाटी, बरौनी, कोचीन तथा दिगबोई स्थित शोधनशालाओं के लिये अपेक्षित सुविधाओं के बारे में संभाव्य रिपोर्टें तैयार करने के लिये कहा गया है। इस के शीघ्र ही मुकम्मल किए जाने की आशा है और इसके बाद कुछ क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर मिट्टी के तेल के रंगे जाने के संबंध में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

धनाभाव के कारण एरणाकुलम-त्रिवेंद्रम लाईन पर लाईन को बदलने सम्बन्धी कार्य बंद होना

189. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त धनाभाव के कारण एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के संबंध में हो रहा निर्माण-कार्य वस्तुतः रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि की अनुपलब्धता के आधार पर निर्माण-कार्य किस सीमा तक प्रभावित हुआ है और इसके क्या कारण हैं तथा काम को निर्धारित समय के भीतर समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए योजना परिव्यय में कटौती के कारण नियत धनराशि में कुछ कमी हुई है। फिर भी, अन्य निर्माण-कार्यों से विनियोग द्वारा चालू निर्माण-कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए आवंटित की गई धनराशि

190. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए 1974–75 के रेलवे बजट में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई ;

(ख) इस वर्ष में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस अवधि के दौरान इस कार्य के लिये सरकार द्वारा मंजूर की गई कुल राशि की तुलना में खर्च की गई राशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल यूजर्स एसोसियेशन ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह इस कार्य के लिए आबंटित धनराशि को अन्य राज्यों की अन्य परियोजनाओं पर खर्च कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो बजट में आवंटित कुल धनराशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) 74–75 के रेलवे बजट में इस काम के लिए कुल निर्धारित रकम 361 लाख रुपए है।

(ख) जनवरी 1975 के अंत तक 1974–75 में कुल रकम 211 लाख रुपये खर्च किए गए। चूंकि यह राशि सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित की गई है, इसलिए जनवरी के अंत तक, आबंटन के साथ व्यय की तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) यह निधि दूसरे काम में नहीं लगायी जा रही है जैसा कि शिकायत की गयी है। 1974–75 में रेलवे को आबंटित निधि में कटौती के कारण अब यह प्रस्तावित है कि इस काम के लिये निर्धारित निधि कम करके कुल अनुमानित खर्च 306.50 लाख रुपये कर दी जाए।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मंगलौर-बम्बई रेलवे लाईन के लिए धनराशि का नियतन

191. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्रस्तावित मंगलौर-बम्बई रेलवे लाईन की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस लाईन को बिछाने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आप्ता और दासगांव के बीच अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। दासगांव और रतनागिरी के बीच अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण, जिसमें रत्नागिरी और मंगलौर के बीच स्थल पड़ताल भी शामिल है, प्रगति पर है। आप्ता से मंगलौर तक रेलवे लाईन के निर्माण के प्रस्ताव पर सर्वेक्षण पूरा होने और रिपोर्ट की जांच हो जाने पर, विचार किया जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के बाद यदि इस कार्य के शुरु करने का निर्णय किया गया तो इस लाईन के निर्माण की स्वीकृति के लिये योजना आयोग से अनुरोध किया जायेगा।

उर्वरकों के लिए कच्चे माल के आयात के लिए ईरान के साथ समझौता

192. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिये ईरान से भारत को कच्चे माल की सप्लाई के लिये भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1975 में अशोधित तेल के आयात के लिए कार्यक्रम

193. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वर्ष 1975 में अपने विभिन्न तेल शोधक कारखानों के लिये अशोधित तेल के आयात के लिए क्या कार्यक्रम हैं ;

(ख) किन-किन देशों से अशोधित तेल आयात किया जाएगा और इस आयात में इनमें से प्रत्येक देश का अंश कितना होगा ; और

(ग) इस आयात के लिए विभिन्न देशों को सम्भवतया क्या मूल्य अदा किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर अशोधित तेल का आयात निर्भर करता है। 1975–76 के लिए अशोधित तेल पर पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के आबंटन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) बर्मा शैल, एच०पी०सी०एल० और काल्टेक्स की शोधनशालाओं के लिए अशोधित तेल ईरान और साऊदी अरेबिया से उनकी वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आयात किया जाएगा, और यह, तथापि 1975–76 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशीमुद्रा की कुल उपलब्धता पर निर्भर करता है।

1975 के दौरान अशोधित तेल की सप्लाई के लिए व्यवस्थायें द्विपक्ष/आधार पर की गई हैं जो नीचे दी गई हैं:–

देश का नाम	मात्रा/मिलियिन मी० टन
ईरान	3.8
ईराक	2.8
साउदी अरेबिया	1.1

यूनाइटेड अरब इमीरेट्स से अशोधित तेल प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है।

(ग) वर्तमान स्थिति के आधार पर मूल्य जिन पर बर्मा शैल, एच०पी०सी०एल० और काल्टेक्स द्वारा अशोधित तेल आयात किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं :—

	डालर/प्रति बेरल (बी०बी०एल०)
बर्मा शैल	10.67 लाइट ईरानियन
कालटेक्स	10.46 लाइट अरेबियन
एच०पी०सी०एल०	10.42 अरेबियन मिक्स

द्विपक्षीय आधार पर सप्लाई किए गए अशोधित तेल की शर्तें बताना जन हित में नही है।

Expenditure Incurred on Installation and Maintenance of Clocks on Central Railway

194. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number and value of clocks installed at the railway stations in the Divisions of the Central Railway during the last three years;

(b) the names of the firms from which all these clocks have been purchased ;

(c) the number of time these clocks were repaired in a year; and

(d) the expenditure incurred on the repair of the clocks installed at the stations in all the divisions during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 121 clocks costing Rs. 36,672/-.

(b) The names of the firms are :—

(1) M/s. Time Control Co., Bombay.
(2) M/s. Arunodya Watch Co.. Bombay.
(3) M/s., Lawrence Watch Co., Bombay.
(4) M/s. Eastern Watch Co., Bombay.
(5) M/s. Ensonia Watch Co., Bombay.

(c) Nil

(d) Does not arise.

Finger Print Experts employed on Central Railway

195. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of finger print experts working in all the divisions of Central Railway and the number of cases detected by them during 1972-73 and 1973-74 and the number of cases disposed of and as well as of those that are still under examination; and

(b) the number of higher officers under whom they work and the number of finger print experts among them and the number of officers among them whose services have been requisitioned from other Departments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Number of finger print experts on Central Railway.....9.

	1972-73	1973-74
Number of cases detected	103	195
Number of cases disposed of	93	82
Number of cases outstanding	10	113
(b) Number of officers under whom they work		11
Number of finger print experts among them	..	Nil
Number of officers requisitioned from other Departments		Nil

Finger Print Experts employed in Eastern Railway

196. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of fiinger print experts working in the various Divisions of Eastern Railway at present and the number of cases detected by these finger print experts at the end of the years 1972-73 and 1973-74 and the number of cases out of them disposed of and the number of those under investigation;

(b) the Division wise number of persons who have been found guilty and the puuishment awarded to them so far; and

(c) the number of officers who supervise these finger print experts and the number of finger print experts among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Number of finger print experts in Eastern Railway.....9

	1972-73	1973-74
Number of cases detected	24	16
Number of cases disposed of	15	11
Number of cases under investigation	9	5

(b) Number of persons found guilty and awarded punishment :

Division	1972-73	1973-74
Sealdh	2	—
Asansol	1	2
Danapur	2	1
Dhanbad	—	1

(c) The finger print experts are under the control of the Divisional Accounts Officer. The number of finger print experts among them is nil.

Import of Kerosene oil from Rumania

197. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) the quantity of Kerosene imported from Rumania to meet the requirement of the country during the last three years, year-wise;

(b) the basis on which imported kerosene was distributed among the states by the Central Government; and

(c) the quantity of Kerosene proposed to be imported from Rumania ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) There was no import of Kerosene oil from Rumania during the last three years.

(b) Kerosene oil is distributed among the States on the basis of the total availability of product and the consumption pattern in individual States. There is no separate distribution pattern for imported Kerosene oil.

(c) There is no proposal to import Kerosene oil from Rumania at presten.

कर्नाटक में पैट्रोल में मिलावट

198. **श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गत कुछ महीनों में पैट्रोल और मिट्टी के तेल में मिलावट के संबंध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं :

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) से (ग)अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है एवं यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

दिल्ली में पैट्रोल में मिलावट के मामले

199. **श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान पैट्रोल में मिलावट के कितने मामले पाये गए ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी): (क) 1 नवम्बर, 1974 से 31 जनवरी 1975 के दौरान दिल्ली संघ शासित राज्य में पेट्रोल में मिलावट के बारे में एक मामला पुलिस के पास पंजीकृत किया गया ।

(ख) 16-7-1974 को एक पेट्रोल पम्प से एक नमूना लिया गया था तथा इसे प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया था । इसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर 24-12-74 को एक मामला पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था तथा मामला अब कानूनी सलाह के लिए अभ्यारोपण शाखा के पास है ।

पैट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पैट्रोल पम्पों से बेचे गए पैट्रोल एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सावधिक नमूने जांच को सुनिश्चित करें ।

(ii) मिट्टी के तेल के साथ पैट्रोल की मिलावट को रोकने के लिए ब्लाटिंग पेपर परीक्षण का विस्तृत प्रचार किया गया है ।

(iii) तेल कम्पनियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे रोक साधनों का प्रयोग करें तथा मिलावट के सभी ऐसे शिकायतों के साथ कठोरता से निबटें ।

(iv) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के साथ विचार विमर्श से मिट्टी के तेल को रंग देने की योजना विचाराधीन है ।

मिट्टी के तेल का आयात

200. **श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इस समय मिट्टी के तेल का आयात किया जा रहा है ; और

(ख) उससे देश की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) इस समय मिट्टी के तेल का आयात केवल रूस से किया जा रहा है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता तथा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण देश में चालू वर्ष के दौरान, मिट्टी के तेल सहित पैट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है। अतः खपत को कम करने के लिए राज्य सरकारों को आवंटित मिट्टी के तेल के कोटे में कमी की गई है। इस समय राज्यों के कोटों में की गई कटौती की सीमा लगभग 10 प्रतिशत है तथा कम की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल की उपलब्धता पर्याप्त है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE ADJOURNMENT MOTIONS

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक मैं किसी सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Cartain matters are agitating the opposition. One is, killing of Shri Mishra, second is, firing in Jama Masjid area and the third is jute labour strike. We have given motions for that. What is your decision in the mater.

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप बैठते नहीं मैं नहीं बताऊंगा। (**व्यवधान**)

Mr. Speaker : What is this. Please do not exhaust your energy on the very first day.

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं सभी प्रस्तावों को एक साथ नहीं ले सकता। हमें किसी प्रक्रिया का तो पालन करना है। आपको कैसे पता है कि मैंने अस्वीकार कर दिया है ?

(**व्यवधान**)

मैंने नियम को कई बार पढ़ा है मुझे आपके निदेश की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक मामले को 'स्थगन प्रस्ताव' के रूप में तथा दूसरों को बाद में ध्यानाकर्षण के रूप में ले सकता हूं। मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे स्थगन प्रस्तावों की अनेक सूचनायें प्राप्त हुई हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : इसे लिया जा सकता है क्योंकि यह राजनीतिक मामला है।

(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे निवेदन के बावजूद भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस०ए० शमीम : मैं यह नहीं समझ सका कि आपने यह निश्चय कैसे कर लिया कि जामा मस्जिद की घटनायें महत्वपूर्ण नहीं हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please tell us what are the adjournment motions and the calling attention motions and how you want to take up them ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बताने को तैयार नहीं हूं क्योंकि उनकी संख्या 45 के लगभग है।

Shri Shyamnandan Misher (Begusarai) : Please keep all the adjournment motions in the sequence of their receipt and then we shall consider which one to be given priority. We do not want to compare one tragedy with the other.

अध्यक्ष महोदय : समस्तीपुर कांड के मामले में प्रस्ताव रखने वाले सदस्य हैं :

श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री मधु लिमये, श्री समर गुह, डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री भोगेन्द्र झा, श्री राम प्रकाश, श्री भान सिंह भौरा, सर्व श्री मुरुगनन्तम, कत्तामुत्तु, मधुकर, एस०एन० मिश्र, मधु दंडवते---इन सभी सदस्यों ने समस्तीपुर के बारे में प्रस्ताव रखे हैं।

जामा मस्जिद गोली कांड के बारे में प्रस्ताव रखने वाले सदस्य हैं : सर्व श्री मधु लिमये, ज्योतिर्मय बसु, समर मुखर्जी, दीनेन भट्टाचार्य, मोहम्मद इस्माइल, नूरूल हुडा, जनेश्वर मिश्र, इसहाक सम्भली, एस०एम० बनर्जी, चन्द्रशेखर सिंह, सरजू पांडे, इन्द्रजीत गुप्त, झारखन्डे राय, रामावतार शास्त्री, मुरुगनन्तम, भोगेन्द्र झा, भानसिंह भौरा, श्रीमती पार्वती कृष्णन, सर्वश्री एस०ए० शमीम, इब्राहीम सुलेमान सेट और श्री मोहम्द कोया। ये सूचनायें ग्राह्य नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह आप कैसे कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे स्वविवेक से कार्य लेना है। मेरे पास बहुत से स्थगन प्रस्ताव हैं। उनमें से मुझे श्री मधु लिमये का निम्न प्रस्ताव पूर्ण लगा है :

"समस्तीपुर बम केस के रहस्य को डेढ़ मास बीत जाने के बाद भी सुलझाने में सरकार की पूर्ण विफलता और जांच आयोग को, जिसके लिये सभी ओर से मांग की गई थी, गठित करने में असाधारण विलम्ब"।

मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपका निर्णय है कि श्री मधु लिमये का प्रस्ताव सही है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने दिये हैं वे सही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामलों के न्यायालय के विचाराधीन होने के सिद्धांत को ध्यान में रखा है। श्री मधु लिमये अनुमति मांग सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, I ask for leave of the House to move my adjournment motion.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रस्ताव भी उसी विषय पर है आपने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने निर्णय के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं नियम संख्या 56 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पटसन हड़ताल 43 दिन से चल रही है। 25000 कार्मिक हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उल्लंघन करते रहे...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका ध्यान नियम 56 की ओर दिलाना चाहता हूं। जूट कर्मचारियों की हड़ताल 43 दिन से चल रही है। इसमें 2,50,000 कर्मचारियों की समस्या है और देश की हानि का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के लिए ठीक नहीं समझता।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हड़ताल से राजकोष को हानि हो रही हैं, विदेशी मुद्रा की तथा उत्पादन की हानि हो रही है। स्थगन प्रस्ताव के लिए यह मामला युक्त है।

श्री एस० एम० बनर्जी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री मधु लिमये ने अपने प्रस्ताव पर सभा की अनुमति मांग ली है ?

निर्माण आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के०रघु रमैया): खड़े हुए।

Shri Madhu Limaye : I have already asked for the leave of the house. The Minister of Parliamentary Affairs did not raise any objection then.

श्री के० रघु रमैया : सरकार को इस के बारे में चर्चा करवाने में तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जैसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, उससे तो यह सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ही लगता हैं। इसीलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि खड़े हुए सदस्यों की संख्या अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक है, अतः इसकी अनुमति दी जाती है। शाम चार बजे इस पर चर्चा आरम्भ की जाएगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री रघुरामैया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री एस०एम० बनर्जी : (कानपुर) : मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पटसन तथा अन्य विषयों के बारे में हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनपर विचार किया है। वे नियमानुसार नहीं हैं।

श्री एस०एम० बनर्जी : श्रीमन, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का प्रश्न केवल कार्यसूची की उसी मद् के बारे में उठाया जा सकता है जिस पर विचार आरम्भ किया जा रहा हो। अब सदन के समक्ष केवल मद् संख्या 4 है।

प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, आदि

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 27 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 14)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 15)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित न्यास विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 1)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित पूर्वोत्तर क्षत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 2)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित वायु सेना तथा थल सेना विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 की संख्या 3)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8869/75]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व हमने यह आपत्ति उठाई थी कि सरकार की अध्यादेश जारी करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है। उस समय आपने यह विनिर्णय किया था कि अध्यादेश जारी करते समय उसके औचित्य को भी प्रकाश में लाया जाएगा। यह अध्यादेश जारी करने का औचित्य नहीं बताया गया है।

दूसरी बात यह है कि सरकार आये दिन प्रैस परिषद के कार्यकाल में वृद्धि करती जा रही है परन्तु उसका औचित्य सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने पुराने विनिर्णय देखकर उन्हें पत्र लिख दूंगा ।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 सम्बन्धी व्याख्यात्मक विवरण

वाणिज्य मंत्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : मैं भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8872/75]

दिसम्बर, 1974 में केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋण सम्बन्धी विवरण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के दिसम्बर, 1974 के बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8873/75]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 102 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 104 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 21 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 14(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8874/75]

(3) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा कुल वसूली) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 699–700(ङ) में प्रकाशित हुए थे

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8875/75]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 695 (ङ) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०आ० 744(ङ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 1(ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०सां०नि० 8(ङ) जो दिनांक 24 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०सां०नि० 48(ङ) जो दिनांक 12 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8876/75]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 698 (ङ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सां०सा०नि० 2(ङ) जो दिनांक 2 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—8877/75]

(6) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (नौवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(25)/70 फिन-(जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—8878/75]

(7) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फ़रवरी, 1974 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी एच एन 306) जी एस आर 1074/(14) टी एच में प्रकाशित हुए थे ।

(8) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जी एच एन 302) जी एच टी 1074/(एस० 49) (35) टी एच (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी एच एन 627) जी एच टी 1070/(एस० 49) टी०एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8879/75]

उल्टाडांगा स्टेशन पर 29-1-1975 को दार्जिलिंग मेल और हावड़ा लोकल गाड़ी के बीच हुई भिड़न्त के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं पूर्व रेलवे के उल्टाडांगा स्टेशन पर 43 अप दार्जिलिंग मेल और हावड़ा लोको इ०एम०यू० गाड़ी के बीच 29 जनवरी, 1975 को हुई भिड़न्त के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—8880/75]

संविधान के अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति का 23-12-75 का आदेश

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) के अन्तर्गत जारी किये गए दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 के राष्ट्रपति के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो उक्त अनुच्छेद के खण्ड (3) के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 694(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—8870/75]

भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत में महिलाओं का स्थान संबंधी समिति के प्रतिवेदन खण्ड 1 से 4 की एक प्रति ।

(2) भारत में महिलाओं का स्थान संबंधी समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के सारांश (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—8881/75]

विधेयकों पर अनुमति
ASENT TO BILLS

महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं जो 13 दिसम्बर, 1974 को सभा को दी गई सूचना के बाद प्राप्त हुए हैं ।

(1) पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम (चंडीगढ़ पर विस्तार) विधेयक, 1974

(2) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974

(3) निरसन और संशोधन विधेयक, 1974

(4) पंजाब नगर पालिका (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1974

(5) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1974

(6) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1974

(7) गुजरात विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974

(8) गुजरात विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1974

(9) पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974

2. मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की प्रतियां भी राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रभावीकृत सभा पटल पर रखता हूं जो 13 दिसम्बर 1974 को सभा को दी गई सूचना के बाद प्राप्त हुए हैं :

(1) भारतीय रक्षा संकर्म (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1974

(3) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक, 1974

(4) नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1974

(5) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974

(6) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1974

(7) संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1974

संधिान और संसद की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले समारोहों के आयोजन के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE CELEBRATION TO WORK THE TWENTY ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTION AND PARLIAMENT

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने संविधान और संसद की 25वीं वर्ष गांठ को उपयुक्त ढंग से मनाने का निर्णय किया है। हमारा गणतन्त्र 26 जनवरी 1950 को आरम्भ हुआ था और 25 जनवरी, 1975 को इसके 25 वर्ष पूरे हो गये हैं। संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित हमारी लोक सभा तथा राज्य सभा के 25 वर्ष भी 1977 में पूरे हो जायेंगे। अतः समिति का सुझाव है कि समारोहों का आयोजन दो वर्षों के समय में, अर्थात् 1975–77 तक किया जाए। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसी संबंध में 26 जनवरी, 1975 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह हुआ था जिस में विशेष डाक टिकट जारी किया गया था।

डा० शर्मा ने बहुत सुन्दर टिकट निकाला है।

अगला समारोह संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 26 फ़रवरी, 1975 को होगा और राष्ट्रपति उस दिन संविधान की 25वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन करेंगे।

संसद सदस्य श्री राम देव सिंह की गिरफतारी के बारे में

RE ARREST OF SHRI RAM DEV SINGH, M.P.

Shri Madhu Limaye (Banka) : What has happened to my notice of breech of privilege in connection with Shri Ram Dev Singh, M.P.'s arrest ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी जांच कर रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, as you are aware, it is laid down in Rule 229 to give reasons for arrest/detention of members alongwith the information relating thereto in the Bulletin. Mere mentionof sections etc. of I.P.C. etc. does serve any purpose.

अध्यक्ष महोदय : जैसा पीछे बताया जा चुका है कारण बताये जाने चाहिएं और हाल में सरकार ने (शायद गृह मंत्रालय ने) सभी राज्यों को निदेश दिए थे। मैं मंत्रालय से सुनिश्चित करूंगा कि क्या सभी राज्यों को वे निदेश मिल चुके हैं या नहीं और मंत्रालय उनका पूरा क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

श्री एस०एम० बनर्जी : (कानपुर) : मैंने 17 तारीख को आपको लिखा था कि मैं नियम 377 के अधीन महत्वपूर्ण मामला आपकी अनुमति से उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री एस०एम० बनर्जी : आप कृपया श्रम मंत्री और श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय से चल रही जूट श्रमिकों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देने को कहें। दूसरे कृषि मंत्री को भी खाद्य निगम की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देने को कहा जाये.....

अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस०एम० बनर्जी : तब आपको कल स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे देनी चाहिए। आप जूट श्रमकों की हड़ताल पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह अन्य हड़तालों की तरह की नहीं है। इस पर सभा में चर्चा का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी तो सुनते ही नहीं हैं। मैंने कहा था कि यद्यपि यह स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा में नहीं आता है फिर भी इसे किसी अन्य समय पर चर्चा के लिए अनुमति दे सकता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किए जाने का समाचार

श्री एच०एम० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : महोदय, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उस पर वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं :

"अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरंभ किए जाने का समाचार"

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : भारत सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि अमरीका पाकिस्तान को फिर से शस्त्रास्त्रों की सप्लाई शुरू करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है । वाशिंगटन और इस्लामाबाद के प्रेस समाचारों से भी यह संकेत मिला है की अमरीकी शस्त्रास्त्रों का 10 वर्ष पुराना प्रतिबन्ध उठाया जा सकता है और अमरीका पाकिस्तान को परिष्कृत शस्त्रास्त्र सप्लाई कर सकता है । हमारी सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री भुट्टो की 5 और 6 फरवरी को वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान इस प्रश्न पर भी बातचीत हुई थी, यद्यपि किसी निर्णय की घोषणा नहीं हुई है ।

2. पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई को भारत सरकार गंभीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है क्योंकि उप महाद्वीप की शान्ति और स्थिरता पर इसकी गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है । हमने उच्चतम स्तर पर इस प्रश्न को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है और उपमहाद्वीप में स्थिति के सामान्य बनाने की प्रक्रिया के प्रति अमरीकी नीति में इस प्रकार के उलटाव के परिणामों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है । मैंने 28 जनवरी को इस विषय पर अमरीकी विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा था और उन्हें बताया था कि पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई करने से इस क्षेत्र की शान्ति तथा भारत-अमरीकी संबंधों पर जो दुष्प्रभाव होंगे उनसे हमें गंभीर चिन्ता है । मैंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि भारत से पाकिस्तान को सैनिक खतरे की आशंका की बात काल्पनिक तथा अकारण है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही शिमला समझौते के अधीन मैत्रीपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण संबंधों तथा उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए और शांतिमय ढंग से अपने सभी मतभेद दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं ।

3. भारत की यह सदा से नीति रही है कि वह समानता, प्रभुसत्ता, तथा सभी राज्यों की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखण्डता के आधार पर इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच शांति, स्थिरता, सहयोग तथा अच्छे पड़ौसी के संबंधों को बढ़ावा दें । दुर्भाग्यपूर्ण अतीत के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ सामान्यीकरण तथा मेल-मिलाप के लिये विशेष प्रयास किए हैं । हमारे ये प्रयास इस दृष्टि से श्लाघ्य हैं कि शिमला समझौते के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति के बावजूद भी हम दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधारने में कुछ सफल हुए हैं । अमरीकी निर्णय द्वारा उप-महाद्वीप में परिष्कृत शस्त्रास्त्रों के प्रवेश कराने से इन आशापूर्ण प्रवृत्तियों को झटका लगेगा तथा सहयोग की उम्मीद के बजाय संघर्ष की काली छाया अवतरित होगी । इससे भारत और पाकिस्तान के बीच नया तनाव ही नहीं पैदा होगा बल्कि इस क्षेत्र में अमरीका की भूमिका के बारे में जो पुराना सन्देह है वह भी पुर्नजीवित हो उठेगा ।

4. हाल के महीनों में भारत और अमरीका दोनों ने ही अपने संबंधों के सुधारने के सच्चे प्रयास किए हैं । पिछले वर्ष जब अमरीकी विदेश मंत्री यहां थे तो उन्होंने स्वयं कहा कि अमरीका उप-महाद्वीप में शस्त्रास्त्रों की होड़ को बढ़ावा नहीं देना चाहता । भारत-अमरीकी संबंधों के विगत इतिहास को दृष्टि में रखते हुए हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने के निर्णय से दोनों देशों के बीच संबंधों पर जो प्रभाव पड़ेंगे उन पर अमरीका ध्यानपूर्वक विचार करेगा । हमें इस बात का भी भरोसा है कि अमरीकी सरकार उपमहा-द्वीप में शस्त्रास्त्र न देने की अपनी नीति को नहीं उलटेगी क्योंकि ऐसा अमरीका, भारत, पाकिस्तान अथवा इस क्षेत्र की शान्ति के हित में नहीं होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे आश्चर्य है कि सरकार कैसे आंखें मूंदे बैठी रह सकती है जबकि अमरीका सरकार का रवैया संदिग्ध ही कहा जा सकता है क्योंकि हम ने देखा है कि जब शस्त्र-सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था तब भी हमारे क्षेत्र में यह सप्लाई 'सैंटो' और 'सीटो' जैसी एजेंसियों के माध्यम से जारी रखी गई । 'स्टेट्समैन' जैसे अमरीका-भक्त समाचार पत्र ने भी अमरीकी आश्वासन का मजाक उड़ाया है ।

हमें कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका सदा ही एशिया में एशियाइयों को आपस में लड़ाने की नीति पर चलता रहा है और यह बात 1953 से आज तक सच सिद्ध हुई है जिसमें 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध भी शामिल हैं । इस संदर्भ में डा० किसिंजर के आश्वासनों को केवल कपटपूर्ण ही कहा जा सकता है ।

हमारे भाग में हाल की अमरीकी-ब्रिटिश गतिविधियों पर एक दृष्टिपात करने से पता चलता है कि एक तो डियागो गार्शिया में आणविक नौसैनिक-एवं वायुसैनिक अड्डा बनाया गया जो कोचीन के काफी निकट है और इस समय तो तेल-उत्पादक देशों को डराने के लिए बनाया गया है। दूसरे, अमरीका ने अब मिसीराह द्वीप स्थित ब्रिटिश अड्डे का प्रयोग करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली है और इसी समय पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने 'ग्वाडर' में अमरीकी अड्डा बनाने की भी पेशकश कर दी है। अतः इस पृष्ठभूमि में एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि इस समय अमरीका हमें ब्लैकमेल करने और डराने का भरसक प्रयास कर रहा है और साथ ही कुछ लोग पूर्ण क्रांति का नारा लगाकर उसके इन प्रयासों में सहयोग दे रहे हैं... (**व्यवधान**)

अतः मैं चाहता हूं कि सरकार बताये कि क्या वह इस कठिन समय पर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह जागरूक है ? मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार अधिक ध्यान इस पहलू पर दे और अधिक शक्तिशाली ढंग से इसका मुकाबला करे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय वक्ता से सहमत हूं कि अमरीकी शस्त्र-सप्लाई का प्रश्न बहुत ही गंभीर है और हम श्री किसिंजर के आश्वासनों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे और वास्तविक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे क्योंकि आश्वासनों की वास्तविकता तो करने की कसौटी पर परखी जाएगी भारत सरकार इसमें निहित खतरों को जानती है और हमने अपने विचार खुले आम और अमरीका सरकार को बता दिए हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Sir, we are disappointed at this statement where in the only sensible expression used is 'unfortunate'.

This is a strange world where every nation has to look after its own interest.

In 1954 the Eisenhower Administration chose Pakistan as a military base to contain Communism but those arms were used against India. Subsequently, after the Tashkent Agreement Pakistan was able to get arms aid not only from the USA but from USSR, China,UK also. This is big power politics. No one wants to see India as a big and powerful country. We can not blame others, but we have to understand the world of today. I want to point out that Pakistan got arms not only from the big powers but from countries like Turkey, Iran and Saudi Arabia also and we have not been able to do anything in the matter. In actual terms we have been the loser in all the conflicts with Pakistan so far. The former Defence Minister had claimed that now Pakistan would not dare talk of a war with us for the next fifty years, but even today when the last war is hardly four years old, Pakistan has assumed dangerous position towards us. I, therefore, want Government to ensure that in any future conflict, the enemy whould be dealt with firmly.

Secondly, I want to know whether we have decided to equip ourselves with Atom Bomb. Let me warn you that our so called friends will oppose it because thay do not want India as a powerful nation. But we want that India should attain bigger status and therefore, we welcomed it when we successfully conducted a nuclear blast.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पता नहीं सदस्य महोदय क्या कहना चाहते थे। हमारी मुख्य चिन्ता तो इस समय यह है कि पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र-सप्लाई से उस से हमें अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने में बाधा न पड़े जबकि वह संघर्ष की बात करते हैं।

जहां तक हमारी सुरक्षा-क्षमता की बात है, हम तथा हमारे पड़ौसी जानते हैं कि भारत अपनी रक्षा भलीभांति कर सकता है।

Shri Jagannath Rao Joshi : He has not replied to my question regarding equipping ourselves with nuclear weapons ?

Shri Yeshwantrao Chavan : We will use nuclear energry only for peaceful purposes.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Sir, the United States is in the habit of disenchanting us off and on as they have done now by allowing resumption of arms-supply to Pakistan. It has been our experience that whenever we take steps to come nearer Pakistan, the U.S. tries to prevent that and China also joins hands with them.

Pakistan should draw a lesson out of the fate of countries where the US had once established military bases such as Korea, Vietnam etc..

India is the fifth biggest military power and therefore small nations look towards us for protection. Indirectly the USA encourages those countries to commit aggression against us and thus we are compelled to keep much stronger defence force than we can afford to economically. We are displeased with the US because apart from this, they encourage gold smuggling and thus commits economic aggression against us.

Today a bigger threat than arms-supply to Pakistan exists in the shape of CIA engineeres threat of a civil war in India. It is in this contest that the opposition alleges that the Congress is having trude with the communists but let me make it very clear that the ball is in the other court, that is, the Communists want to join hands with us because of common programmes. The fact still remains that the CIA wants to bring about a total revolution in India and cut at the very roots of democracy here.

In the end I would like to know whether Government is aware of the Pak permission to USA to set up a base at Makran and if so, then reaction thereto ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : मैं सदस्य महोदय के इस विचार से सहमत हूं कि पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई स्वयं पाकिस्तान के लिये भी हितकर नहीं है क्योंकि इससे व्यर्थ ही तनाव पैदा होता है। अमरीकी अड्डे के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है और यह सूचना प्राप्त होने पर मैं अवश्य सभा को इसकी सूचना दूंगा।

श्री पी० एम० महेता (भावनगर) : यह तो पुरानी अमरीकी नीति है। सबसे पहले साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी गई थी परन्तु पाकिस्तान द्वारा रूस और चीन से मित्रता करके हथियार लेने पर भी यह सहायता जारी रही। बाद में पाकिस्तान को सहायता हमारे अनुरोध पर नहीं अपितु अमरीकी जनता के विरोध के परिणामस्वरूप बन्द कर दी गई थी। अब प्रश्न यह है कि अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं और सरकार ने अमरीका को यह विश्वास दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है कि इस सहायता से अस्थिरता, उपमहाद्वीप में संघर्ष और तीन देशों में शान्ति भंग होने की स्थिति पैदा होगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहले प्रश्न के उत्तर में अमरीका सदा ही भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन की नीति पर अमल करता रहा है जिसका अर्थ हथियारों की होड़ को प्रोत्साहन देना है। भारत और अमरीका में संबंध सुधार का वास्तविक आधार अमरीका द्वारा शक्ति संतुलन के विचार को छुड़ाना है। हमें बताया गया था कि अमरीका अब यह विचार छोड़ चुका है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम ने अमरीकी विदेश मंत्री के पाकिस्तान के दौरे से पहले ही यह बात उन्हें बता दी थी और आज की इस चर्चा से भी इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस द्वारा एक हरिजन की पिटाई के फलस्वरूप हुई मृत्यु का समाचार

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : Sir, one Harijan was murdered by a Police Inspector in Sagar district of MP but the said Inspector has not been arrested so far and the Sathi Government is sitting idle.

The entire State Administraion is useless and no relief measures are being taken in chhatisgarh and other scarcily areas where people are dying of starvation. I therefore call it 'Qxygen-Cylinder' Government.....

Mr. Speaker : Please be relevant.

Shri Sharad Yadav : The Central Government have installed their own Chief Ministers in States and they act only in those matters in respect of which Central directions are received by them.....

Mr. Speaker : It appears you have not grasped the procedure here.

तत्पश्चात् लोक सभा भोजन काल के लिए ढाई बजे म०प० तक के लिए स्थागित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा भोजन काल के पश्चात् दो बज कर पैंतीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Saba re-assembled after lunch at thirty five minutes past fourteen of the clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक
Indian Tariff (Amendment) Bill

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन के लिए लाया गया है ताकि रेशम उद्योग और मध्यवर्ती (इंटरमीडियेट) रंग उद्योग के लिए 31 दिसम्बर, 1974 के बाद भी रक्षात्मक प्रशुल्क जारी रखने संबंधी टैरिफ आयोग की सिफारिशों को वैधानिक रूप दिया जा सके ।

यह विधेयक गत सत्र में 20 दिसम्बर, 1974 को पेश किया गया था परन्तु सत्रावसान के कारण पास नहीं किया जा सका जिससे अध्यादेश जारी करना पड़ा । यह विधेयक इस अध्यादेश का स्थान लेगा ।

रंग उद्योग के बारे में, इस प्रकार के प्रशुल्क के कारण इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है 1964 में तीन मदों पर और गत वर्ष 56 मदों पर तथा अब 70 मदों पर रक्षात्मक प्रशुल्क लागू किया जायेगा । आशा है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से इस उद्योग में और विकास होगा ।

रेशम उद्योग के बारे में यह प्रशुल्क 1934 में लागू किया गया था और यद्यपि इसमें अपेक्षित विकास नहीं हुआ है तथापि इस समय यह उद्योग महत्वपूर्ण स्थिति में है और सरकार चाहती है कि रक्षात्मक प्रशुल्क जारी रखा जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं इसे सभा द्वारा पास करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : 1930 में आरंभ हुए दशक में नियुक्त किया गया टैरिफ़ आयोग कुछ उद्योगों को संरक्षण देने के लिए था और इससे ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना अभिप्रेत था ।

टैरिफ आयोग की कटु आलोचना हुई और 1965 में समीक्षा समिति बनाई गई जिसके अनुसार :

"विभिन्न उद्योगों में अधिक संरक्षण और अल्पसंरक्षण की जांच की जानी चाहिये ।"

इंडियन टैरिफ आयोग की विभिन्न समीक्षा समितियों ने आलोचना की है ।

टैरिफ आयोग द्वारा दी गई रियायतों में इन 72–75 उद्योगों में कुछ बड़े एकाधिकारी-व्यापारगृह भी शामिल हैं । यद्यपि इस आयोग को देश के लघु उद्योगों के विकास तथा संरक्षण के लिए विदेशी उद्योगों तथा इसी क्षेत्र में बड़े उद्योगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार है, फिर भी हम ने देखा है कि कुछ एकाधिकारी तथा बड़े उद्योगों को छोड़कर लघु उद्योग लगभग समाप्त ही हो गए हैं और टैरिफ आयोग का संरक्षण पाकर बड़े उद्योग लघु उद्योग को समाप्त करने को उद्येत हैं और जनता तथा देश का शोषण कर रहे हैं ।

दूसरे टैरिफ़ आयोग द्वारा इस उद्योग में वस्तुओं की लागत और मूल्य आंकने की प्रक्रिया की भी काफी आलोचना हुई है क्योंकि वह श्रमिकों की मजूरी इसमें शामिल नहीं करता है । इसी कारण न केवल हमारे देश में श्रमिकों की मजूरी न्यूनतम है अपितु उत्पादों की किस्म भी आयातित उत्पादों के मुकाबले में घटिया है ।

टैरिफ आयोग ने भी अपने 1974 के प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि लघु-उद्योग क्षेत्र को रंग बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा क्यों की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस चर्चा के लिए केवल एक घंटे का समय रखा गया है अतः सदस्य महोदय केवल उन्हीं मदों पर बोलें जो रक्षात्मक प्रशुल्क के अन्तर्गत आती हैं।

श्री दिनेश जोरदर : रिपोर्ट के चार्ट में बताया गया है कि इन उद्योगों की स्थापित क्षमता लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से कम है और वास्तविक उत्पादन स्थापित क्षमता से भी कम है। इसके परिणामस्वरूप देश में कृत्रिम अभाव बनाए रखा जाता है और उद्योगपति मनमाना लाभ कमाते हैं।

आश्चर्य की बात है कि मध्यवर्ती रंजकों का निर्यात किया जा रहा है जबकि लघु उद्योग की मांग पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो भी वही काम कर रहा है जो टैरिफ़ आयोग करता है, अतः इस आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

रेशम उद्योग के संबंध में राज्य सरकारों को शिकायत है कि उन्हें इसके विकास के लिए आवश्यक धन केन्द्रीय सरकार या योजना आयोग से समय पर नहीं मिलता है जबकि योजना आयोग कहता है कि राज्य सरकारें नियत राशि का उपभोग नहीं करती हैं। इस समस्या पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

रेशम उद्योग की प्रगति न होने का कारण इसका बड़े व्यापार-गृहों के हाथों में होना ही है क्योंकि इतना अधिक व्यय करने पर भी जापान जैसे छोटे से देश के मुकाबले भारत का स्थान गिरता ही जा रहा है। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए और रेशम तथा रंग उद्योग को इन बड़े व्यापार-गृहों के चंगुल से छुड़ाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और श्री जोरदर का भाषण सुनने के बाद मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रंग उद्योग को संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि आई० सी०आई० जैसी बड़ी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां करोड़ों का लाभ अपने-अपने देशों को भेजती हैं। मेरे विचार में तो इस उद्योग का सरकारीकरण करने का समय आ गया है। यदि संरक्षण देना भी हैं तो इस क्षेत्र के केवल लघु उद्योगों को दिया जाना चाहिए न कि बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को।

रेशम उद्योग के बारे में जो श्रमिक कीमती साड़ियां आदि तैयार करते हैं उनका बड़े व्यापारी शोषण करते हैं सिवाय तमिलनाडु के जहां श्रमिकों की सहकार समितियां बनी हुई हैं, वहां उनका शोषण नहीं होता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जहां संरक्षण दिया जाये वहां श्रमिकों को उचित मजूरी भी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह पूरे विषय का अध्ययन करें। सरकार को रंग उद्योगों और विशेषकर बड़े व्यापार गृहों द्वारा चलाये जा रहे रंग उद्योगों के बारे में अध्ययन करना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। संरक्षण के नाम पर उद्योगपति उपभोक्ताओं तथा मजदूरों का अहित करके रियायतें प्राप्त करते हैं। हमें उपभोक्ताओं और मजदूरों के हितों की रक्षा करनी होगी।

Shri R.V. Bade (Khargone) : This Bill has been brought to give effect to the recommendations of the Tariff Commission. The report of Tariff Commission relates to continuance of protection to the sericulture industry, and it says that the sericulture industry was initially granted tariff protection in 1934 on the recommendation of the pre-war Tariff Board, and the recommendations of the Tariff Board/Commission, the protection to the sericulture industry was extended year to year up to 31st December, 1974. Tariff Commission was constituted with the object of developing small scale industries and cottage industries. But the fact is that big business houses within the country and abroad have been benefitted by it. The important question is as to how long this protection is likely to be there ?

There is a net work of sericulture industry in Madhya Pradesh but these industries are short of silk. Distribution system of Sericulture Board is not proper. The states are not supplied adequate quantity of silk and that is the reason that the sericulture industry is unable to become self-sufficient.

The Tariff Commission's report says that protection to this industry should be extended upto 1974 but it is not known how long it will continue.

I would like to know whether the object of giving protection has been fulfilled and if not, the protection should be abolished. Secondly, reason of necessitating the extension of protection has not been mentioned. That is why I oppose the Bill.

श्री इराज्मुद सेकेरा (मारमागोआ) : सरकार को यह ज्ञात था कि प्रशुल्क संरक्षणों की समीक्षा होगी फिर भी सरकार प्रशुल्क आयोग को विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सकी। यही कारण है कि अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना पड़ा।

रंग उद्योग पर दिये गए प्रतिवेदन के पैराग्राफ 94 में प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि उपलब्ध कराये गए आंकड़े भ्रान्तिपूर्ण एवं अनिश्चित थे। यदि संरक्षण का उद्देश्य इस तथ्य को सुनिश्चित करना है कि घरेलु उत्पादित माल के आयात किए जाने वाले सामान की किस्म के माल से कुछ कम नहीं तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि संरक्षण की मात्रा का उत्पादन की स्थानीय लागत तथा उतरने की लागत के मूल्यों के साथ, जिसमें शुल्क सम्मिलिति नहीं है, कुछ विशिष्ट संबंध अवश्य होना चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादन और लागत के बीच विशिष्ट संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। आयोग का तर्क है कि मूल्यों में उतार चढ़ाव हो रहा हैं और यदि मूल्यों में उतार चढ़ाव हो रहा हो और यदि संरक्षण का उद्देश्य साम्यता सुनिश्चित करना हो तो नियत प्रशुल्क संरक्षण इसका समाधान नहीं है। हमें इसका कोई न कोई विकल्प निकालना होगा। सरकार ने संरक्षण के नाम पर जो कुछ कहा है, वह सच नहीं है। जहां तक रंग तथा तत्संबंधी वस्तुओं का संबंध है यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता थी। जहां तक रंग तथा तत्संबंधी वस्तुओं का संबंध है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे विचार से इस विधेयक से समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि सरकार स्वयं यह नहीं जानती कि वह इस मामले में क्या कर रही है।

सरकार रंग तथा तत्संबंधी लघु उद्योगों के संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सकी। यह एक महत्व की बात है। सरकार की शायद यह इच्छा है कि बड़े उद्योग विकसित हों और लघु उद्योग उन्नति न कर सकें।

रेशम उद्योग के संबंध में मैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा नाइनोलटाईन नामक रेशम के कीड़े पैदा करने में प्राप्त सफलता पर उनको बधाई देता हूं फिर भी पूरे देश में पर्याप्त अनुसधान नहीं हो रहा। अनुसंधान की दिशा में और अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। हिमालय की तराई के क्षेत्रों में बलूत (ओक) के पेड़ पर बड़े पैमाने पर रेशम के कीड़े पैदा करने की बहुत गुंजाइश है। इस से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रंग तथा तत्संबंधी उद्योग के प्रतिवेदन में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। एक ओर 14 वस्तुओं के आयात की बात कही गई है और दूसरी ओर उन्हीं वस्तुओं के निर्यात की बात कही गई है। मंत्री महोदय को ऐसी गड़बड़ियों के बारे में जांच करनी चाहिए।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया है कि संरक्षण शुल्क की अवधि क्यों बढ़ाई गई है। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक वस्तुओं पर संरक्षण शुल्क को जारी रखना नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अवधि की तिथि नहीं बताई गई है। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक में रंग तथा तत्संबंधी वस्तुओं पर संरक्षण शुल्क की अवधि 1977 तक तथा रेशम पर शुल्क की अवधि वर्ष 1979 तक बढ़ाई गई है। वर्ष 1979 में स्थिति की समीक्षा की जायेगी। हमें आशा है कि तब तक रेशम उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतियोगिता के योग्य हो जायेगा।

प्रशुल्क आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है। जहां तक बड़े व्यापार गृहों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। सरकार बड़े व्यापार गृहों को किसी प्रकार संरक्षण नहीं देती। राष्ट्रीय संदर्भ में उन वस्तुओं की प्रवर सूची बना ली जाती है जिन्हें संरक्षण दिया जाना है।

हमने इस बात का ध्यान रखा है कि लघु एकक अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करें और जहां हमें पता लगता है कि अमुक लघु एकक अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा तो हम तकनीकी विकास महानिदेशक को यह अनुदेश देते हैं कि वह उस एकक का लाइसेंस रद्द करदे और नई पार्टी को लाइसेंस जारी करदे। यह भी व्यवस्था की गई है कि जब भी बड़े व्यापार गृहों को अतिरिक्त क्षमता प्रदान की जाएगी तो उन्हें अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग लघु एककों को देना होगा।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि रंग तथा तत्सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात क्यों किया जा रहा है? एक वस्तु को छोड़कर निर्यात करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उनकी कमी है अथवा नहीं। बुनकरों के शोषण के बारे में प्रश्न उठाया गया है। हालांकि यह प्रश्न विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता फिर भी यह चिन्ता का विषय है कि देश की समृद्धि में योगदान देने वाले श्रमिकों का शोषण हो।

मैं माननीय सदस्य द्वारा संरक्षण की मात्रा के बारे में उठाये गए प्रश्न की सराहना करता हूं। लेकिन मूल्य संरक्षण देने का एक मात्र आधार नहीं है। अन्य कारण आयात की मात्रा को नियन्त्रित करना है और हम यह प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं।

हिमालय की तराई के क्षेत्र में बलूत के पेड़ उगाने के सुझाव की ओर सरकार का ध्यान गया है। हम इसकी जांच करेंगे और इसकी व्यवहारिकता के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री आर०वी० बड़े : धनराशि की उपलब्धता के बारे में क्या किया जाएगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस संबंध में सरकार की शिकायत यही रही है कि राज्य रेशम के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग नहीं करते। मुझे आशा है कि राज्य राशि का पूरा उपयोग करेंगे। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकार कर ले।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेकेरा द्वारा उल्लिखित निषिद्ध वस्तुओं के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि विशिष्ट वस्तुयें बताई जाएंगी, तो हम उनकी जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा शुरू करेंगे। हांलांकि ये संशोधन प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय के नाम पर हैं, फिर भी विशेष मामले के रूप में मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को संशोधन पेश करने की अनुमति देता हूं। लेकिन भविष्य में अच्छा होगा यदि वह अपने नाम से संशोधन दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पहले ही इसके लिए अनुरोध कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने मात्र अनुरोध किया है। नियमों के अधीन इसमें थोड़ी सी अनियमितता है। अतः मैं पीठासीन अधिकारी की निहित शक्तियों के अन्तर्गत इसकी अनुमति दे सकता हूं। अब हम खंड दो पर विचार करेंगे।

खंड 2
Clause 2

संशोधन किया गया।
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934." [भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में] के स्थान पर "in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 hereinafter referred to as the principal Act." ["भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) प्रथम अनुसूची में"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 4)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2, as amended, was added to the Bill

खंड 3
Clause 3

संशोधन किया गया ।
Amendment made

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 50 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"Ordinance 15 of 1974.	"Repeal and Saving	3. (1) The Indian Tariff (Amendment) Ordinance, 1974 is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act."
1974 का अध्यादेश 15	"निरसन और व्यावृत्ति	3. (1) भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।"

(संख्या 5)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

नया खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया ।
New Clause 3 was added to the Bill

खंड 1
Clause 1

संशोधन किया गया ।
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1974" के स्थान पर "1975" प्रतिस्थापित किया जाए । (संख्या 2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1975."

[(2) यह 1975 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा] (संख्या 3)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,--

"Twenty fifth" (पच्चीस) के स्थान पर "Twenty sixth" (छब्बीस) प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 1)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Title was added to the Bill

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1974
TOBACCO BOARD BILL, 1974

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू उद्योग के संघ के नियन्त्रण के अधीन विकास करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

तम्बाकू की खेती भारतवर्ष में 17वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई । अब 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर तम्बाकू की खेती की जाती है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक है । तम्बाकू न केवल सिगरेट पीने वालों को संतोष प्रदान करता है बल्कि इसकी खेती आदि में 32 लाख व्यक्तियों को रोजगार भी मिला हुआ है । इससे राष्ट्रीय राजकोष को भी लाभ हो रहा है । गत वर्ष 300 करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में अर्जित किए गए । अब तम्बाकू का निर्यात भी किया जाता है । गत दो वर्षों में निर्यात से प्राप्त आय 40 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गई है । 90 प्रतिशत विदेशी मुद्रा हमें वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात से प्राप्त होती है ।

दुर्भाग्यवश अधिक उत्पादन वाले वर्ष में तम्बाकू के भाव कम हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अगले सीजन के लिए कम पूंजी निवेश किया जाता है । इससे फसल तो कम होती ही है विदेशी मुद्रा की भी हानि होती है । इसलिए आज समेकित और समन्वित दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार यह विधेय पेश कर रही है । इससे तम्बाकू उद्योग का विकास होगा और विदेशी मुद्रा अधिक मिलेगी ।

कई माननीय सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों ने तम्बाकू बोर्ड के गठन की मांग की थी। इस विधेयक में इसकी व्यवस्था की गई है। इस बोर्ड में संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधियों, तम्बाकू-उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों को शामिल किया जाएगा।

बोर्ड के मुख्य कार्य वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन को नियमित करना तथा सुधारना, उत्पादकों के स्तर पर इसकी ग्रेडिंग करना, भारत और विदेश में इसकी बिक्री पर नजर रखना, मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए उपाय करना, इसके उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, तम्बाकू उद्योग के संवर्धन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा तम्बाकू उत्पादकों तथा निर्यातकों को लाभदायक जानकारी देनी होगी।

चूंकि तम्बाकूनिर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्य तम्बाकू बोर्ड करेगा, इसलिए यह परिषद समाप्त कर दी जाएगी।

सरकार चाहती है कि यह बोर्ड अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करे। सरकार आशा करती है कि यह बोर्ड राज्य व्यापार निगम की सेवाओं का उपयोग करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The hon. Minister has stated that large quantity of virginia tobacco is produced in the country and it gives us foreign exchange. But no step has been taken by the Government for its proper development. I, however, welcome the proposal of the Government to constitute a Tobacco Board.

I also welcome the provision made in the Bill for the development of the qualities of tobacco other than virginia tobacco. Persons from Andhra Pradesh and Karnatka have been given representation on the Board. There should be representative on the Board from Rajasthan also, because large number of farmers of that state are engaged in the production of tobacco. Other states also produce tobacco.

Clause 4 of the Bill says :

> "The term of the office of the members and the manner of filling vacancies among, and the procedure to be followed in the discharge of their functions by, the members shall be such as may be prescribed."

I object to the word 'prescribed' Rules regarding term, retirement, nomination should have been incorporated in the body of the Bill itself.

Sub-clause 3 of clause 8 says that clause (c) to (g) will be made applicable on qualities of tobacco other than virginia tobacco. I fail to understand why clause (a) and (b) as well have not been made applicable. We should also develop other qualities of tobacco. It can earn more foreign exchange.

Why do you want to neglect other types of tobacco ? Tobacco growers are being exploited. They are not being given remunerative prices for their production. Besides this the workers, who are engaged in producing Bidees and cigarettes are also being exploited by their employers. The Government should ensure that the children and women, who are engaged in this job, should be given proper wages and they should be given all other benefits which are available to other workers in different industries. Excise duty is charged from the tobacco growers, but that money is not deposited in public exchequer. Government should look into it.

Government want to develop virginia tobacco but the interests of the producers are not being protected. Government should improve the condition of the workers who are engaged in this industry.

In clause 10 of Chapter 3 there are some stringent terms and conditions. Under this clause, the tenants shall have to obtain certificate of Registration. At the time of granting

certificate, it will be kept in view whether the land is suitable for producing tobacco. It should be left to the farmers to see whether the land is suitable for producing tobacco are not. Government should make arrangements for marketing and export.

I support this bill but I want that Hon. Minister pays attention towards my suggestions.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक पेश करके मंत्री महोदय ने तम्बाकू उद्योग का इतिहास स्पष्ट कर दिया है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपर्ण स्थान है। तम्बाकू की फसल हमारे देश में पहली बार सत्रहवीं शताब्दी में आरम्भ की गई। इसके व्यापार में कई कदाचार हुए हैं। इतना ही नहीं इस फसल के उत्पादकों का शताब्दियों तक शोषण होता रहा।

आन्ध्र प्रदेश में विरजिनिया तम्बाकू का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन होता है। आपको ज्ञात होगा कि आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादक कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ संरक्षण प्रदान किये जाएं ताकि वे शोषित होने से बच सकें। इससे इस फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी और इसकी किस्म में सुधार हो सकेगा। मंत्री महोदय के अनुसार इस पर 32–35 लाख लोगों की जीविका निर्भर है। मुझे निराशा है कि यह विधेयक उतना व्यापक नहीं है जितना होना चाहिए था। यद्यपि इससे सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के रूप में 160 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है फिर भी इस ओर उपेक्षा बरती गई है। इसे काफी, चाय बोर्डों की भांति संरक्षण प्राप्त नहीं है। फिर भी हर्ष है कि इस संबंध में विधेयक पेश किया गया है। कृषि मंत्रालय तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के पारस्परिक विवाद के कारण इसे पेश करने में विलम्ब हुआ है। इसके लिए जिस बोर्ड की स्थापना की जाए वह अन्य बोर्डों के समान स्तर का हो। आशा है मंत्री महोदय मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे। बोर्ड में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल आरम्भ कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

समस्तीपुर बम कांड के रहस्य का पता लगाने में सरकार की असफलता

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव को लेते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : How much time will I get ? I will finish my speech within 40 minutes. I move :

"That the House do not adjourn."

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe *in the Chair*]

This is a very important issue which we are going to discuss today. Some mysterious deaths have been taking place in our country. Following is the extract of a statement made by a congress member which was published in "Hindustan Times."

> "श्री पी०आर० दास मुन्शी ने कहा : देश में आम धारणा यह है कि नागरवाला से श्री ललित नारायण की रहस्यपर्ण मौतों की सरकार ने ठीक प्रकार जांच नहीं की और लोगों के दिलों से संदेह दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया।"

Now they may deny but it is a feeling in the country that people are being killed in mysterious circumstances. Mr. Anil Chopra, Custom Collector in Daman, two officials of C.B.I. namely Shri Pande and Ram Nathan, Mr. Nagarwala and Police Officer Mr. Kashyap, all of them were done away with in mysterious circumstances. The General Secretary of

Jansangh....*(interruption)* Shri Deen Dayal Upadhyaya was also murdered in mysterious circumstances. There is a feeling that Government have not made serious efforts to solve this mystry of Samastipur Bomb incident.

On the 3rd, when the news regarding the death of Shri Lalit Narain Mishra was announced, the entire opposition demanded that this incident should be enquired into. But instead of conducting enquiry, Government started blaming the opposition parties, the Prime Minister and A.I.R. were first who made charges against the opposition.

Prime Minister did not agree that the duty of A.I.R. is to be impartial in its comments. According to her the function of A.I.R. is to project Government's policy,

An. Hon. Member : Quite right.

Shri Madhu Limaye : Whether it is right or wrong, we are not discussing it. I want to say that when the opposition demanded for a fair and free enquiry, the Prime Minister and A.I.R. began to blame opposition within few hours after the incident. Prime Minister wanted to get political gain from this tragedy and she maligned the opposition and the movement launched by Shri Jai Prakash Narain. In the beginning Railway employees were also blamed for this incident. In this way Anandmargis and R.S.S. etc. were also maligned. As far as I know J.P.'s movement and R.S.S. have no connection with this incident..*(interruption)*..

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Yes, we are in it.

Shri Madhu Limaye : I was telling that in the beginning rail workers, opposition parties, J.P.'s movement and R.S.S. were blamed for this incident. Thereafter C.B.I. was asked to conduct enquiry in to this incident.

Now it is doubtful whether C.B.I. will bring the factual position before us. Because C.B.I. is under the Prime Minister herself and C.B.I. will try to hold opposition responsible for this. About one and a half months period has been elapsed but C.B.I. has not been successful in this direction, because Prime Minister has influenced the C.B.I. enquiry by her speeches.

Shri Krishan Chander Pande (Khalilabad) : Quite wrong.

Shri Madhu Limaye : No. If you say wrong, it will not be wrong. When the Prime Minister has already given her decision, then how can we expect that C.B.I. will make enquiry impartially....*(interruption)*

Now I give an extract of what the Prime Minister said in an interview with "Link" a weekly..*(interruption)* Prime Minister was asked:—

"श्री मिश्र की हत्या से लोगों में भारी चिन्ता पैदा हो जायेगी क्योंकि इस तरह की हिंसा अन्यत्र भी फैल जाएगी।"

The answer given by Prime Minister to this Question is as following :—

"जैसा कि मैंने कहा है कि महत्वपुर्ण बात यह नहीं है कि श्री मिश्र की हत्या किसने की है। किन्तु जब घृणा, हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया जाता है तो कोई भी ऐसा कर सकता है।"

Mr. Chairman, the Prime Minister says that it is not important which person killed Mr. Mishra, If he has been murdered by any Congressman, even then it is not important. Only opposition is responsible for this incident...*(interruption)*....why do you worry.

Mr. Chairman, immediately after the death of Shri Mishra we had said that the dead body of Shri Mishra should not be cremated before post mortem. Mr. Chairman you know that it was a police case and in such cases it is essential to have post mortem of dead body before its cremation. Who allowed to cremate the body of Mr. Mishra without its post mortem ? I came to know that Chief Secretary of Bihar said that post mortem was not necessary. According to Chief Medical Officer of North Eastern Railway, Shri Bhalla, Shri Mishra

sustained skin deep injury and his life was not in danger. But later on we came to know that he died of serious injuries. That is why we asked for post mortem. Now the question arises that if we hold any person responsible for this incident, he would say that he was not killed on the spot. He died because he was not given medical treatment in time. So, we can not hold him responsible for murdering him.

Shri N. K. P. Salve (Betul) : Could it be proved by post mortem ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Salve the question is this that what is the cause of his death ? Had he been given medical treatment in time, as was given to Shri Jaganath Mishra, he would have survived. So, I will fearlessly say that this all was done delibrately.

Whether security arrangements in Samastipur were adequate or not, is being investigated by the Mathew Commission. Some facts about the security arrangements are clear from the news papers.

It is really amazing that security officers and all other high-ranking officers like the District Magistrate and Superintendent Police had gone away from the place of incident. One Mr. Ram Bilas Jha had taken charge of the whole situation. He did not allow anybody to go into the railway saloon in which the injured body of the former Railway Minister was kept. Shri Jha had ordered that injured body would not be taken for treatment to Danapur, Darbhanga, Patna or Delhi. It is learnt from reliable sources that by pulling alarm chain twice Shri Jha was responsible for delaying the train taking the body of Shri Mishra.

It is also learnt that Mastana Baba of Hajipur was allowed to travel in the saloon in which the injured body of Lalit Babu was being taken. But injured persons who had brought the body of Shri Mishra were not allowed to enter the saloon. All this happened under the orders of Shri Jha.

The Hindustan standared levelled accusations against two MLC's in regard to this incident. It is also stated in the paper that a non Bihari M.P. had also gone to Patna. I have not fabricated these accusations. These all appeared in news-papers.

The news about this incident was conveyed to the I.G.P. soon after the incident. At that time the I.G.P. was attending some cultural function. He remained there for about 1½ hours. Perhaps the Governor who was present there was also not informed. No action had been taken against the I.G.P. for this negligence.

Shri Ram Sahay Pande (Rajnandgoan) : At what time ?

Shri Madhu Limaye : It happened in the evening. The I.G.P., Bihar was informed about this inciden. They were attending a cultural function. They remained there for long time and did not care to see the condition of Shri Lalit Mishra and other injured persons.

In the past whenever Shri L. N. Mishra visited Bihar, a number of State Ministers used to be with him. But this time no Minister except his brother was present at Samastipur. Did they know as to what was going to happen? If they know about it why they did not inform Shri Mishra. There are different versions about the mystry of this incident. But it is certain that there is no use blaming the opposition. The peopl know that the opposition will not gain in any way by such incident. We are not opposed to Shri Mishra as an individual but we are against him on certain political issues. The people know that opposition had nothing to do with this incident. Mr. Speaker, I came to know that on the 23rd that Mr. Mishra talked to the Prime Minister. She is present here and she can tell us about it....*(interruption)*.. The Prime Minister told Lalit Narain Mishra that she had been defending him uptil now but now it was difficult for her to do so and now he should think of quitting the cabinet.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Space, Minister of Planning and Minister of Science and Technology (Shrimati Indira Gandhi) : I am present here.

Shri Madhu Limaye : You speak later on.

Shrimati Indira Gandhi : Why should I speak later on ? It is not at all true. I had no such talks with Lalit Babu.

Shri Madhu Limaye : All right. But it is certain that due to this Mr. Mishra was purturbed and disappointed. You leave it aside that when, how and why they met. But it is certain that he was sad due to such talks of the Prime Minister and he told a few of his close friends that whatever he did, he did for the Prime Minister and Congress Party.... (*interruption*).

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I was his closest friend and he told me that he had not done anything wrong but they are unnecessarily accusing us. So, Mr. Mishra was purturbed due to you people.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Since the Prime Minister has given explanation, I will place here "March" Newspaper.. (*interruption*)....

सभापति महोदय : जब प्रधान मंत्री ने इन आरोपों को अस्वीकार कर दिया है तो फिर इसमें कोई संगत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : कौन सा आरोप ?

सभापति महोदय : कि प्रधान मंत्री तथा ललित बाबू के बीच इस तरह की बातचीत हुई थी ।

Shri Madhu Limaye : She did not say that Mr. Mishra met her... (*interruption*)

Now Shri Bibhuti Mishra Says that Mr. Lalit Narain Mishra was fedup due to we people. We condemned only his acts in connection with Pondicherry scandal. We were not his enemy. People know that the opposition has nothing to do with this incident.

There are different inquiries going on. A medical term is enquiring whether proper medical treatment was given to Shri Mishra. It is reported that proper medical treatment was not given to him in the saloon. Operation was also porfermed after long delay.

There was delay in ordering C.B.I. inquiry. That way valuable evidences were allowed to be destroyed. Besides this, the Ministers of Bihar Government and the high ranking Officer showed negligence in performing their duty sincerely. So, I want that the responsible officers should be removed and Bihar Government should not be allowed to continue. They should not resign. They did not make adequate security arrangements at Samastipur.

Besides this, I want to know the circumstances in which Mr. Anil Chopra was killed.

I demand that a Parliamentary Committee should be constituted to go into all such death-right from Nagarwala to L. N. Mishra.

Finally, I want that a Parliamentary Committee should be set up to go into all recent cases of mysterious deaths. If Government will not accept these things, the people will lose faith in the Government, and this is evident from the election results. So, I want that this Parliament should imediately be dissolved. Government deserve to be censured for its failure in different directions.

श्री एच०के०एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय जब श्री लिमये कह रहे हैं कि इसकी जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए तो समझ में नहीं आता कि वे किसे पागल बना रहे हैं । जब वह यहां इस तरह का भाषण दे रहे हैं तो क्या फिर यह आशा की जा सकती है कि संसदीय समिति पक्षपात हीन जांच करेगी । यदि आप क्षमा करें तो मैं कहूंगा कि उनके साक्ष्य से सारी गलतफहमी पैदा हो जायेगी । क्या इस तरह का कोई विरोधी सदस्य सही स्थिति बता सकता है ?

खेद है कि इस तरह के गंभीर मामले पर उनका इस तरह का दृष्टिकोण है ।

हम सभी जानते हैं कि श्री ललित नारायण मिश्र की राजनीतिक हत्या सभा में और सभा के बाहर बिना किसी आधार के कर दी गई थी । वे लोग न केवल कांग्रेस के अपितु श्री मिश्र के विरुद्ध हिंसा और घृणा का वातावरण बनाने का यत्न कर रहे थे ।

क्या प्रधान मंत्री का यह कथन कि ऐसी हत्यायें देश में व्यापक हिंसा के वातावरण के फलस्वरूप हुई हैं, सच नहीं है और कि हिंसा के वातावरण में आरम्भ श्री जयप्रकाश के आन्दोलन से हुआ। उक्त हिंसा का वातावरण अब विकसित हो गया है, बिहार में 40 बम विस्फोट हो चुके हैं, रेल की पटड़ियां उखाड़ी गयी हैं, छात्रों को गोली मारी गई है। अब यदि प्रधान मंत्री ने चेतावनी दी कि यह सब हिंसात्मक वातावरण का परिणाम है तो इसमें गलत क्या है विरोधी पक्ष घृणा और हिंसा का वातावरण बना रहे हैं। यह वातावरण उन्होंने श्री मिश्र के विरुद्ध ही नहीं बनाया वरन् ऐसा वातावरण प्रधान मंत्री के विरुद्ध भी बना रहे हैं। यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है तो राष्ट्र ऐसे तत्वों को कभी क्षमा नहीं करेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री समर गुह : इस प्रकार का आरोप लगाना कि वे लोग हिंसा का वातावरण बना रहे हैं जिससे ऐसी घटना हुई है, खतरनाक है।

माननीय सदस्य ने विरोधी पक्ष पर, विशेष रूप से प्रधान मंत्री का नाम लेकर हिंसा का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य ऐसे दोषारोपण कर सकता है ?

सभापति महोदय : आपके व्यवधान में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एच०के०एल० भगत : श्री मधु लिमये ने कहा है कि वह न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से मैथ्यू आयोग पर निष्ठा व्यक्त की है। जांच आयोग की नियुक्ति का स्वागत करने के स्थान पर इसे भी विवाद का विषय बना लिया गया है।

श्री मधुलिमये ने एक हास्यास्पद तर्क दिया है। उनका कहना है कि श्री मिश्र की हत्या से सरकार को लाभ हुआ है। यह कहना अत्यन्त हास्यास्पद है कि यह हत्या इस व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति के हित में है अथवा इससे सरकार को मदद मिली है। इससे विपक्ष स्वयं को धोखा दे रहा है।

उन्होंने आकाशवाणी के बारे में कुछ कहा है। श्री मधु लिमये मामलों का अध्ययन करते हैं तथा और कई बार संगत बातें कहते हैं। परन्तु कई बार असंगत बातें भी कहते हैं। आकाशवाणी में उनके नाम का उल्लेख बार बार होता है। आकाशवाणी ने उनके जलूस को बड़ा जलूस कहा था जबकि उनके समाचारपत्र के अनुसार उसमें 10,000 व्यक्तियों ने भाग लिया था। हमारे जलूस में 35,000 से 40,000 लोगों ने भाग लिया जिसका उल्लेख मात्र जलूस के रूप में हुआ था। यदि आकाशवाणी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है तो विरोधी पक्ष का पक्ष लेने का ही आरोप लगाया जा सकता है।

विपक्ष को केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विश्वास नहीं है। किन्तु तथाकथित लाइसेंस मामले में उन्होंने जांच आयोग पर विश्वास किया परन्तु अब वह उसकी निन्दा कर रहे हैं। अन्ततः यह राष्ट्रीय एजेंसियां है जिन्होंने अनेकों रहस्योद्घाटन किये हैं। विरोधी दल जानबूझकर लगातार सरकार और सत्ताधारी दल के नेतृत्व को मात देने के लिए अव्यवस्था और हिंसा का वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मधु लिमये जी ने कहा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। श्री मधु लिमये अपने को एक सम्बन्धी के रूप में समझे तब बतायें कि क्या वह पोस्टमार्टम की मांग करते ?

मैथ्यू आयोग के निदेशपद बड़े व्यापक हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पता लगाना है कि हत्यारे कौन हैं। लिंक में प्रकाशित प्रधान मन्त्री की इन्टरव्यू के एक अंश का हवाला देते हुए श्री मधुलिमये ने कहा है "किसने हत्या की है इसका महत्व नहीं है"। उन्हें समग्र इन्टरव्यू को ध्यान में रखते हुए कोई टिप्पणी देनी चाहिए। विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है परन्तु उनका राष्ट्र के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। उन्हें जानबूझकर जनता को धोखा नहीं देना चाहिए।

श्री मिश्र की हत्या एक बड़ी दुर्घटना है और उससे भी गम्भीर बात यह है कि विपक्ष के रवये में परिवर्तन नहीं आया। श्री मधु लिमये ने कहा है कि जांच ब्यूरो अभी तक दोषी व्यक्तियों को पकड़ नहीं सका है जैसे कि अपराधी उनकी जेब में रखे हों। आपको सरकार को दोष न देते हुए मैथ्यू आयोग की नियुक्ति का स्वागत करना चाहिए।

इस स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सीधा सरकार तथा सत्ताधारी कांग्रेस की निन्दा करना है और मुझे विश्वास है कि यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं एक निजी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्री मधु लिमये ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से उद्धर्ण देते हुए मेरे नाम का उल्लेख किया है कि नागरवाला की मृत्यु से श्री मिश्र की हत्या के मामले में सन्देहों का निवारण किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ मेरे नाम का उल्लेख गलती से हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : इस दुःखद कांड को हुए 1½ मास हो गया और गृह मंत्रालय ने श्री मैथ्यु की अध्यक्षता में जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है।

क्या मैं जान सकता हूं कि यह आयोग क्या कार्य करेगा क्योंकि अधिकांश प्रमाणों को नष्ट किया जा रहा है अथवा हटाया जा रहा है।

इस दुःखद घटना से हमें 1971 में कलकत्ता में श्री हेमन्त बसु के साथ हुई घटना की याद आती है। जिन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के हेतु इस वातावरण को दूषित किया था। यदि कभी सचाई सामने आई तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस हत्या में किस किस व्यक्ति का हाथ है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस हत्या को कराने वाले लोग बहुत ही शक्तिशाली साधन सम्पन्न तथा चतुर थे।

दुर्घटना के 2 दिन बाद ही समाचार छपा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हत्या के सम्बन्ध में निश्चित सुराग प्राप्त हुए हैं। हम इन निश्चित सुरागों के बारे में जानना चाहते हैं ।

जहां तक टाइम बम की कहानी का सवाल है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहानी किस की बनायी हुई है। यह कहानी सरासर गलत है क्योंकि समारोह का निर्धारित समय 1.30 बजे था जबकि वास्तविक रूप से समारोह 5.30 बजे हुआ।

समाचार पत्रों में भी एक कहानी यह है कि यह एक साधारण बम था। यदि वह साधारण बम था तो उसके लिए फ्यूज तार की आवयकता थी और साथ ही यह फ्यूज टाइम फ्यूज होना चाहिए था। आप ही बताइए कि यदि फ्यूज तार के लिए पांच या छः सौ गज जमीन खोदी गई होती, तो क्या उसका पता न चल पाता। अतः यह कहानी भी अविश्वसनीय लगती है।

एक कहानी यह भी है कि पैट 37 हथगोला फैंका गया था। इस प्रकार के हथगोले की सतह मगरमच्छ की खाल की तरह होती है और उसे क्रिकेट की गेंद की तरह आसानी से लुढ़काया नहीं जा सकता। मंच पर गद्दा बिछा हुआ था और अगर वहां गोला लुढ़काया जाता तो लुढ़काने वाला व्यक्ति स्वयं भी उसकी लपेट में आ सकता था क्योंकि पैट 37 गोले का प्रभाव कम से कम 25 गज के आस पास तो पड़ता ही है। अतः इस प्रकार का कार्य करना आत्महत्या से कम नहीं लगता। मंच पर सैकड़ों पुलिस कर्मचारी बैठे थे और वहां अनेकों बल्ब जल रहे थे। इस प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य कर पाना सम्भव नहीं लगता। माननीय रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि आखिर किस प्रकार ऐसा विस्फोट हो सकता है।

मैं इसी सम्बन्ध में एक बात यह जानना चाहता हूं कि बम विस्फोट के तुरन्त बाद बिजली कैसे फेल हो गई ? बिजली की मुख्य तारें मंच पर नहीं थी अपितु वह किसी अन्य स्थान पर थीं। बिजली की तारें किस व्यक्ति द्वारा खींचीं या काटी गई इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मंच को दूसरे ही दिन हटा दिया गया। ऐसा सम्भवतः इसीलिये किया गया कि वह किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। जब तक वास्तविक दोषी उच्च पदों पर आसीन हैं, तब तक सच्चाई सामने नहीं आयेगी।

मुझे एक सीनियर एडवोकेट का पत्र मिला है जिसमें कुछ काफी ठीक प्रश्न उठाए गए हैं। इनमें से एक प्रश्न यह है कि जब बम विस्फोट 5 ½ बजे शाम हुआ तो फिर श्री मिश्र को तुरन्त ही समस्तीपुर अथवा लहेरिया सलाय अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं किया गया ? उन्हें ले जाने वाली विशेष गाड़ी 8 बजे रात को क्यों रवाना हुई तथा गाड़ी के दानापुर पहुंचने तक उन्हें क्या चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई गई ? डा० एस०एम० नवाब को जिसका लहेरिया सराय में अपना क्लिनिक है और जो दुर्घटना के एक घण्टे बाद ही समस्तीपुर पहुंच गया था उसे श्री मिश्र की चिकित्सा करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ? डा०यू०एन० साही को रेलवे स्टाफ ने पटना में संतोषजनक उत्तर क्यों नहीं दिया

और उनसे यह क्यों कहा गया कि रेलगाड़ी पटना नहीं रुकेगी जबकि गाड़ी वहां 10 मिनट तक रुकी। डाक्टरों द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि श्री मिश्र को उपयुक्त चिकित्सा तुरन्त उपलब्ध करवाई जाती तो उनका जीवन बचाया जा सकता था।

हम सभी को यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि रेल मन्त्री की हत्या एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कुछ सीमा तक इसके लिए श्री जयप्रकाश नारायण तथा उनके बिहार आन्दोलन को भी दोषी ठहराया। श्री जयप्रकाश नारायण के साथ कोई सहमत हो या नहीं परन्तु उन पर इस प्रकार का दोष लगाना निश्चय ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतनी ही नहीं प्रधान मन्त्री ने तो यहां तक कह दिया है कि यह उनकी हत्या का ही एक पूर्वाभ्यास है। प्रधान मन्त्री के पास अगर इसका कोई सशक्त सबूत या साक्ष्य नहीं है, तो यह महज उनकी चाल और चालाकी के और कुछ नहीं है।

मैं गृह मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब कोई मृत्यु इस प्रकार की असमान्य परिस्थितियों में होती है तो क्या उसका शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) नहीं करवाई जाती ? आखिर इस मामले में पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया ? इसी सन्दर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि 23 दिसम्बर को प्रधान मन्त्री ने स्वर्गीय श्री मिश्र को बुलाया था और उन्हें 7 दिनों में त्यागपत्र देने के लिए कहा था ? क्या यह भी सच है कि उससे अगले ही दिन बिहार के कुछ लोग प्रधानमन्त्री के पास गए और उन्होंने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया कि श्री मिश्र को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए और इस पर प्रधानमन्त्री की तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा उन्होंने कहा कि श्री मिश्र को मन्त्रिमंडल छोड़ना ही पड़ेगा।

5 फरवरी 1975 के हिन्दुस्तान टाइम्ज में प्रकाशित होने वाले एक समाचार में कहा गया है कि श्री एल०एन० मिश्र के निजी कागजात तथा श्री मिश्र के षड्यन्त्र सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण टेप-वार्तालाप लापता हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला लगता है। मुझे यह भी पता लगा है कि प्रधान मन्त्री का टेलीफोन वार्तालाप टेप किया गया था और वह टेप श्री ललित नारायण मिश्र के पास पहुंच गये थे...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या प्रधानमन्त्री का टेलीफोन टेप किया गया था...

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हां, और मैं यह पूर्ण दायित्व के साथ कह रहा हूं। श्री मिश्र ने यह भी कहा था यदि मुझे नदी में डुबोया जायेगा तो मैं अन्य लोगों को भी अपने साथ लेकर डूबूंगा ...

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को यह आभास हो गया था कि उनका अन्तिम समय निकट है और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने विचार परिवार के सदस्यों से यह कह दिया था कि यदि उन्हें कुछ हो जाये तो वह उसके बारे में कुछ न बोलें। क्या इस प्रकार की चेतावनी श्री मिश्र ने दी थी ?

हमें मालूम है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मूल प्रतिवेदन में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लड़के का भी नाम था। वह मूल प्रतिवेदन पहले जब श्री मिश्र के हाथ में पहुंचा और उन्होंने उसकी फोटोस्टेट कापी करवा कर, उसे अनेक स्थानों को भेज दिया उसकी एक प्रति नेपाल भी भेज दी गई। इसी प्रकार क्या यह भी सच नहीं है कि जब श्री मिश्र को पटना ले जाया जा रहा था तो उस समय एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ था जो डाक्टरों को उनसे मिलने से रोक रहा था ? इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है किसी न किसी रूप में इस सम्पूर्ण कार्य के पीछे सरकार का हाथ रहा है। अब लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार कैसी है और उसके क्या कृत्य हैं। वास्तव में जो लोग हिंसा का आरोप अन्य लोगों पर लगाते हैं, वही हिंसा करवाते हैं। अतः हमारा फिर यही अनुरोध है कि सत्यता को प्रकाश में लाने के लिए संसदीय जांच करवाई जानी चाहिए। हम संदिग्ध व्यक्तियों को खोज और बेचारे रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये नहीं, अपितु वास्तविक हत्यारों का पता लगवाने में रुचि रखते हैं। गत सम्पूर्ण सत्र तुल मोहन राम के लाइसेंस कांड के सिलसिले में व्यर्थ चला गया। यदि आरम्भ में ही हमें प्रतिवेदन का अध्ययन करने दिया जाता तो सम्भवतः सत्र के दौरान हम राष्ट्रीय हित के अन्य महत्वपूर्ण मामलों यथा खाद्य और बेरोजगारी पर चर्चा करते। श्री रघुरामैया ने मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने बचनभंग किया परन्तु फिर उन्हें अपने शब्द वापिस ले लिये और मैंने उन्हें क्षमा कर दिया।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : नहीं, मैंने कोई शब्द वापिस नहीं लिये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर आपने इसकी अनुमति कैसे दी ? क्योंकि आपने तो अध्यक्ष महोदय को लिख दिया था कि ज्योतिर्मयबसु ने वचनभंग कर दिया है और उन्हें प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं करने दिया जाना चाहिए।

श्री के० रघुरामैया : यह निश्चय ही कार्यवाही वृतांत में शामिल कर लिया जाना चाहिए कि जो कुछ भी यह कह रहे हैं वह सच नहीं है। मैंने अध्ययन कार्य रोकने के लिए कभी नहीं कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा विनम्र निवेदन यही है सत्यता को प्रकाश में लाने के लिए ससदीय समिति द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि समस्तीपुर कांड के पीछे जो लोग हैं वह दिल्ली में ही हैं।

श्री के० रघुरामैया : जो कुछ सदस्य महोदय ने कहा है मैं उसके बारे में एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने यही कहा था कि काफी अध्ययन किया जा चुका है और अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गैर-साम्यवादी विरोधी दलों द्वारा मुझे प्रैस को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य मामलों के बारे में बताने का अधिकार दिया गया था। आपने अध्यक्ष को लिखा कि ज्योतिर्मय बसु द्वारा वचनभंग किया गया है। अतः उनको अनुमति न दी जाए। यह गलत था और हम अध्यक्ष महोदय के घर पर उन्हें सही बात बताने गये। तत्पश्चात् हमें रिपोर्ट देखने की अनुमति दी गई।

श्री के० रघुरामैया : यह बात भी गलत है। मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि क्या श्री बसु द्वारा प्रेस में दिए गए ब्यान के संदर्भ में कागजात देखने की अनुमति देना उचित होगा ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं मैंने कुछ नहीं बताया।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यह चर्चा ऐसी घटना पर आधारित है जो दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर होने के साथ ही बहुत ही दुखद है अतः इस चर्चा के प्रस्तावक और श्री बसु और श्री लिमये को गंभीरता और शालीनता से काम लेना चाहिए था। परन्तु लगता है कि विपक्ष ने इस अवसर पर झूठ और झूठे आरोपों का ही सहारा लिया है।

इस चर्चा में कुछ कहने से पूर्व मैं श्री लिमये की कुछ बातों का उल्लेख करूगा। जिग ढंस से उन्होंने मिश्र जी की हत्या का ब्यौरा दिया है उससे तो लगता है कि या तो वह स्वयं इसमें शामिल थे या उनकी कल्पनाशक्ति बहुत ही प्रबल है। यदि उन्हें इतनी ही अधिक जानकारी है तो उन्हें मैथ्यू आयोग में गवाही देकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

श्री लिमय ने पूछा है कि श्री मिश्र की शवपरीक्षा क्यों नहीं की गई, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि शव-परीक्षा केवल मृत्यु में संदेह के मामलों में ही करने की आवश्यकता होती है और इस मामले में यदि चिकित्सा विशेषज्ञ ऐसा करना आवश्यक समझते तो शव-परीक्षा अवश्य की जाती।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में यह अफवाह आम थी कि प्रधान मंत्री ने स्वर्गीय ललित बाबू से कह दिया था कि मंत्रिमंडल में उनकी आवश्यकता नहीं है—इसीलिए उन्हें समाप्त कर दिया गया — यह बहुत ही गंभीर बात है और सौभाग्य से स्वयं प्रधान मंत्री ने उसी समय उठ कर इसका खण्डन कर दिया है और मैं समझता हूं कि उनके विरुद्ध चाहे और कुछ भी कहा जाये यह तो अवश्य मानना पड़ेगा कि जब भी उन्होंने किसी मंत्री को हटाना चाहा है तुरन्त ऐसा कर दिया गया है। उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी ?

Shri Madhu Limaye: Because he knew certain secrets.

Shri N.K.P.Salve : Those secrets were know to you only. Such irresponsible statements lead to rumors which is not proper.

अतः मेरा श्री लिमये से पुनः यही अनुरोध है कि यदि उन्हें कुछ रहस्य मालूम हैं तो मैथ्यू आयोग को बताएं जो उनकी जांच कर सकता है।

एक और बात श्री लिमये ने यह कही है कि मिश्र जी की मृत्यु से विपक्ष को तो कोई लाभ नहीं था परन्तु तथ्य यही है कि उनके जीवित होने पर विपक्ष को ही अपनी आलोचना का उन्हें निशाना बनाने का अवसर प्राप्त होता और उनका जीना कठिन कर दिया जाता... (**व्यवधान**) क्या विपक्ष ने श्री मिश्र को सम्पूर्ण राजनीतिक भ्रष्टाचार का निशान नहीं कहा था ? मैं तो सदा यही मानता हूं कि विपक्ष द्वारा बनाए गए इस भयानक वातावरण ने ही उनकी जान ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप जनता के सामने क्यों नहीं जाते ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह चुनौती हमारे लिये नई नहीं है। हम 1971 में भी जनता के समक्ष गए थे और बाद में भी जायेंगे और आप लोग पुनः गिने-चुने कुछ ही लोग यहां अल्पसंख्या में होंगे। परन्तु इस समय प्रश्न यह है कि राजनीतिक घृणा, कटुता और शान्ति-व्यवस्था के निरादर का वातावरण किसका फैलाया हुआ है ? इसके लिए स्पष्टतया विपक्ष जिम्मेदार है। यदि अस्थिर बहुमत लोकतंत्र के लिए खतरा है तो गैर-जिम्मेदार अल्पमत संसदीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिये ही घातक है।

लोगों में व्याप्त असंतोष का रजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास हो रहे हैं यहां तक कि दैवी विपत्तियों का भी विपक्ष राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।

प्रतिपक्ष के सदस्य संसदीय प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। उनको संसदीय प्रजातंत्र के महत्व को समझना चाहिए।

हम स्वयं जांच के बारे में चिंतित हैं। विलम्ब का कारण यह है कि इस मामले में कई जटिलतायें उत्पन्न हो गई हैं। हमारे साथी की हत्या का गहरा और सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। हम चाहते हैं कि मामले की पूरी जांच की जाये और अपराधी को सजा दी जाए। वस्तुतः प्रतिपक्षी सदस्यों के प्रचार के कारण ही देश का वातावरण खराब हो गया है। दुर्भाग्य की बात है कि 27 वर्षों में देश में सशक्त विरोधी पक्ष नहीं बना सका है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Samastipur Bomb incident, which has culminated into the murder of a Union Minister and a member of Bihar Legislative Assembly and injuries to 27 persons including an M.P. was not a small incident. There can be no two opinions about the fact that it was a political murder and it is not an outcome of any personal animosity.

This incident has posed a challenge to our democracy as to whether such methods are going to be adopted to solve our problems. The intelligence department of the central Government is responsible for the death of the Late Union Minister because they have completely failed in their job. Is it not a fact that more than 400 armed policemen were deputed there; if so, how many of them have been suspended for negligence ? I have been told that these officers fled away leaving the injured persons. It is quite strange that not a single person has so far been suspended even after the happening of such a serious and unfortunate incident. It is evident that government have a callous attitude towards the whole affair. It has treated this matter very lightly. The organisations like the Anand Marg are creating an atmosphere in the country that such incidents are taking place.

The matter should not be made a party issue. We should criticise such a ghastly murder. We do not want that our M.L.As should be assassinated like this. Shri Jai Parkash Narayan called a public meeting on 4th or 5th January in Delhi. He said that concluding factor is not that who killed Shri L.N. Misra; the concluding factor is who is responsible for creating such an unhealthy atmosphere. When we say that murders are not taking place out of personal animosity, then we cannot keep ourselves away from the influence of such an atmosphere. We should also be held liable for creating such an atmosphere. In a democratic set up, such kind of heinous offence is reprehensible and it cannot be made a party issue.

I would also like to say few words about treament of Shri L. N. Mishra. Dr. Nawab is a top class surgeon of Bihar. If Shri Mishra had been taken to his clinic, he would have survived. It is a fact that injury of Shri Mishra was not so serious as that of D.I.G. who had been taken to Dr. Nawab's clinic and he survived. Life of Shri Mishra could have also been saved in this way. Railway doctors declared that the life of Shri Mishra was not in danger. It is nothing less than a sheer negligence on the part of doctors. Was it not proper to suspend such doctors ? No doctor has been suspended and it has created a sense of suspicion in the public.

It is also strange that no Minister from Bihar was present at the inaugural function at Samastipur. It is an unusual thing.

56 trains have been cancelled in Bihar due to scarcity of Coal. Huge stocks of coal are lying in the mines. But due to shortage of wagons these stocks have not been cleared. While inaugurating the function the hon. Minister had assured that adequate quantity of coal would be supplied to North Bihar. He had also given an assurance that railway employees against whom there were no serious allegation of sabotage, would be taken back. But the assurance is still on the papers. We suspect some foul play in the matter.

It is a matter of regret that notice has been served to the bereaved family of Late Shri L.N. Mishra to vacate his official residence. I want that the notice should be withdrawn.

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : 2 जनवरी को घटित समस्तीपुर बम कांड से हमें बहुत दुःख हुआ है। सारे देश के लिये यह घटना शोक का विषय है।

जब यह मामला श्री मधुलिमये ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया तो मैंने सोचा था कि वह आधारभूत एवं गम्भीर बात कहेंगे।

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishak Sambhaly *in the Chair*]

परन्तु खेद है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि उन्होंने घिसी पिटी एवं आधारहीन बातें कहीं। वस्तुतः उन्होंने सुनी सुनाई बातों से यह निष्कर्ष निकाला है कि इस कांड के पीछे सरकार का कोई षड्यंत्र है। जांच और गुप्तचरी के कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समस्तीपुर में लगाये गये हैं। वह लोग कार्य में संलग्न हैं परन्तु अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली। ऐसे मामलों में निर्णयात्मक स्थिति में ही कुछ जाना जा सकता है। इन कार्यों में जब विलम्ब होता है तब यह कहा जाता है कि ऐसा किसी उद्देश्य से किया गया है। ऐसी बात नहीं है। हमें इसपर आश्चर्य होता है। झूठे आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहिएं।

न्यायिक जांच की मांग दोनों पक्षों से प्राप्त हुई थी। अब जबकि आयोग की नियुक्ति कर दी गई है तब अनुचित विलम्ब के नाम पर सरकार की निन्दा की जा रही है।

इस समय प्रजातन्त्र की, संसदीय पद्धति का भविष्य हिंसा एवं राजनीतिक हत्याओं के कारण खतरे में है।

इस सभा में हम पिछले 27 वर्ष से संसदीय पद्धति चला रहे हैं और संसदीय नेतृत्व के महान व्यक्तियों से दोनों पक्षों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस समय देश आर्थिक संकट के कठिन समय से गुजर रहा है। ऐसे समय विरोधी पक्ष एवं शासक वर्ग को मिलकर संकट का सामना करना चाहिए। पहले भी कठिन अवसरों पर ऐसा किया जाता रहा है।

पांचवें दशक में जब हम यहां आये थे तब देश को शरणार्थी समस्या के महान संकट का सामना करना पड़ा था। पूर्वी बंगाल से शरणार्थी यहां आ रहे थे। उस समय डा० श्याम प्रसाद मुखर्जी सरकार से त्यागपत्र देकर विरोधी पक्ष में चले गये थे परन्तु उन्होंने कोई घृणा, सन्देह अथवा भेद पैदा करने का रवैया नहीं अपनाया था। उस समय चरित्र हनन करने और वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं किया गया था। परन्तु आर्थिक मोर्चे पर आज प्रधान मंत्री पर आरोप क्यों लगाये जा रहे हैं। अपने पिता के समय उन्होंने सरकार में प्रवेश नहीं किया था। तो यह कहना कहां तक ठीक है कि वह भ्रष्टाचार की स्रोत हैं? क्या ऐसा कथन संसदीय प्रजातन्त्र के लिए उचित है?

राजनीतिक पद्धति को घटिया स्तर पर ले जाने का श्रेय किसे है? क्या ऐसी राजनीतिक पद्धति जिसमें पारस्परिक सहयोग न हों अपितु एक दूसरे पक्ष के लिए शत्रुता ही सफल हो सकती है?

जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ और उसने देश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री ए०के० गोपालन, श्री मसानी का उस समय क्या रवैया था? क्या उन्होंने उस समय के प्रधान मंत्री के विरुद्ध घृणा का वातावरण पैदा किया था? विपक्ष के नेताओं के आचरण को देखा जा सकता है। और उसकी तुलना उस समय के आचरण से की जा सकती है।

श्री मधु दण्डवते : 1962 में चीनी आक्रमण के समय नीतियों की आलोचना की गई थी। वही बात आज हो रही है।

श्री बी० आर० भगत : आप नीतियों की आलोचना करें परन्तु व्यक्तियों के विरुद्ध घृणा नहीं फैलायें। यदि आप कहते हैं कि वर्तमान नेता विश्वास के पात्र नहीं हैं और इनके इरादे पवित्र नहीं हैं तब युवक लोग ऐसे नेताओं को समाप्त करना चाहेंगे, और चुनाव के माध्यम से नहीं हटायेंगे जैसे कि हमारे मित्र श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या कर दी गई। वह मुझे बताया करते थे कि जब भी वह बिहार जायेंगे मेरी उनकी हत्या कर दी जायेगी। रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार जब वह बिहार में दानापुर में एक समारोह का उद्घाटन करने गए थे तो एक क्रुद्ध भीड़ से उन्हें पुलिस ने बचाया था।

मधुबनी के निर्वाचन के दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सीताराम केसरी को बन्दूकों आदि से लैस भीड़ ने घेर लिया और पुलिस की मदद से ही उनकी जान बच सकी।

श्री मिश्र ने उत्तर बिहार की जनता के लिए बहुत कार्य किया है। बीस वर्ष पहले से बन्द पड़ी लाईनों को चालू किया। पिछले एक वर्ष से बिहार में हिंसा का बोलबाला है। बहुत सी हत्याएं वहां हुई हैं। मेरे जिले में ही इस वर्ष 80 से अधिक हत्याए हुई है। क्या यह संसदीय लोकतन्त्र का ढंग है ?

श्री मधु लिमये : सरकार क्या कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : बिहार सरकार का पिछले वर्ष का पुलिस व्यय सर्वाधिक रहा। परन्तु केवल सरकार द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बिहार इस समय कठिन स्थिति से गुजर रहा है और प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। मैं समझता हूं कि श्री मधु लिमये को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। अमरीका में किसी ने नहीं कहा कि कनेडी की हत्या जानसन ने करायी थी जबकि उसे इससे सीधे लाभ पहुंचा। जब 3 जनवरी को हम श्री मिश्र की अन्तेष्टी में भाग लेने के लिए उनके गांव गये तब 'मदर लैंड' ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि हत्या का उत्तरदायित्व सरकार पर अथवा प्रधान मंत्री पर है। क्या इससे राजनीतिक हिंसा और घृणा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? उक्त समाचार पत्र में 15 दिन तक प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा कुछ न कुछ प्रकाशित किया जाता रहा।

श्री लिमये ने कहा कि आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य यहां पर होने वाले वाद विवाद के महत्व को घटाना है। सरकार ने एक चिकित्सा बोर्ड की तुरन्त ही नियुक्ति की थी और वे तथ्यों को प्रकाश में लाएगा। यदि जनता हमारी नीति पसन्द नहीं करती तो हमें निर्वाचन में हटा सकती है। परन्तु यदि हमें हत्या आदि द्वारा हटाया जाता है तो यह बात कल आप पर भी लागू हो सकती है। 1948 में गान्धी जी के हत्या के बाद हत्याओं का क्रम समाप्त हो गया था। केवल थोड़े समय के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु के इलाके में हत्याओं का दौर रहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा संबंध पूरे भारत से है।

श्री बी० आर० भगत : निर्वाचन क्षेत्र के नाम से सदस्यों का उल्लेख करना संसदीय पद्धति है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। केवल एक ही ऐसी घटना हुई थी जिसमें श्री भगत की पार्टी के लोगों ने मेरे घर पर हमला किया था।

श्री बी० आर० भगत : मैं सभी सदस्यों से जो प्रजातन्त्र प्रेमी हैं अनुरोध करता हूं तथा संसदीय प्रणाली के समर्थक हैं अनुरोध करता हूं कि सब मिल कर हिंसा को समाप्त करने का संकल्प करें। समस्याओं का समाधान निर्वाचनों से किया जाये, हत्याओं से नहीं।

Shri Atal Behari Vajpayee : Had the Prime Minister, after the assassination of Shri Mishra, not used the incident to oppose her political opponents called the meeting of all parties, then this feeling would not have developed. The Deputy Minister in the Railway Department said that this incident showed that fascist elements have joined the Bihar agitation.

Shri R. S. Pandey : Have you gone through the 'Motherland' ?

Shri Atal Behari Vajpayee : I want to clarify that 'Motherland' is not a Jan Sangh paper. The Editor of 'Motherland' does not write with our guidance. I have especially told him that many things being published in the paper are not correct. But he is a free man. The 'Motherland' is not a Jan Sangh party's paper.

Shri Shankar Dayal Singh (Charta) : What has been published in 'Motherland' on 4th and 5th January was with your consent or on otherwise ?

Mr. Chairman : Hon-member may speak in his turn.

Shri Atal Behari Vajpayee : It was published in 'Hindustan Standard' that persons sitting in the bogie next to that of Shri L.N. Mishra were taking liquor.

If any thing happens in the country, the newspapers try their best to dig out the facts. Actually, there lies the freedom of the Press.

The news of Samastipur bomb blast was quite shocking but the news of Shri Mishra's death was all the more shocking. But it is really unfortunate that the Prime Minister, the Congress President and other Congress leaders have used this tragedy to launch a campaign against opposition parties and Bihar movement. The All India Radio was used to malign the opposition. An attempt was made to create a certain climate in the Country. In case the culprits are the supporters of Bihar movement, why they are not arrested ?

I started my speech from the point where my friend Shri Bhagat finished his speech. According to him, we should search our heart. But is there any Congress Member who will be prepared for it ? He has also stated that whenever Shri Mishra visited Bihar, he used to be worried about his safety. May I know if it was not known to State or Central Government and if it was so, why adequate measures were not taken for the safety of Shri Mishra ?

Shri K. A. Laxman Prabhu, who is doing intelligence work privately had said that, he had definite information about the conspiracy having been hatched to murder Shri Mishra. He had this information in July 1974 and accordingly informed Shri Yusuf Rahim, D.I.G. Security. It was in October 1974 when he again informed Mr. Gupta, Additional DSP Security about the conspiracy, but despite these timely warnings, no serious attempt was made to dig out the conspiracy. Is it not a case of sheer negligence ?

Now take up another news items. It is being said that Bihar Chief Minister had also written to the Centre about the danger to Shri Mishra's life. May I know if it was not the responsibility of the State or Central Government to make adequate arrangements for the security of Shri Mishra.

The programme of conversion of narrow gauge line into broad gauge line is of vital importance. I have seen the platform which was raised for the address of Shri Mishra. It was very strongly guarded by Central Reserve Police, B.S.F., R.P.F and C.I.D. It did not appear to be easy to reach there. The theory of 'Time Bomb' can also be ruled out because no damage was done to the platform. Now the question is, how anybody could reach there ?

The other important question was the delay in providing medical aid to Shri Mishra. If the later incidents were a sheer coincidence, it is really unfortunate for the country. But if all that is a part of the pre-planned programme, then the concerned security officers, hospital officers and railway administration, they all were a party to the murder.

The Chief Medical Officer of Gorakhpur Division Dr. Bhalla, reached the place of incident, though it is not known as to why he went there. But the question is that all though this Medical Officer had gone there, no Minister of the Bihar Government reached there. May I know why it was so ? Dr. Bhalla said, that he could call the railway surgeons for the treatment of Shri Mishra but he was not allowed to do so. Now again a question haunts our mind, and that is that who presented him from calling the surgeons ?

Shri Mishra did not die in the bomb blast there. The persons who had more serious injuries, were saved and it was for the fact that they could get proper treatment at proper time. Had shri Mishra been given proper medical aid, he would have been alive to day. He should have been taken to Darbhanga hospital. Again a question haunts our mind, who decided that he should

be taken to Danapur ? There was inordinate delay in starting the train from Samastipur. The incident took place at 5 p. m. but train steamed off at 8.20 p. m. What was the reason for this inordinate delay ?

Now let us turn to the statement of Dr. U. N. Sahi. Dr. Sahi had told U.N.I. that Shri Mishra could have been saved, had he been allowed to be examined by a team of surgeons who had rushed from Darbhanga to Samastipur soon after the blast. According to Dr. Sahi when they reached Patna, they were told that train will not stop at Patna. Who said so and why ? Shri Mishra was admitted to Danapur at 11.50 p.m. why so late, is another question ? It is wrong to say that because of doctors strike, he was taken to Danapur.

It appears that the entire chain of incidents was a planned one and a part of conspiracy against the life of Shri Mishra. The persons responsible for the murder of Shri Mishra should be brought to hook and punished. Democracy and murders cannot go together. The truth must be brought to light for putting an end to the various speculations and theories about the murder.

I can emphatically say that prior to the death of Shri L N. Mishra and even afterwards there was no evidence of any violent atmosphere in Bihar.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : What sort of atmosphere is reflected from the fact that sweets were distributed at Motihari Station.

Shri Atal Behari Vajpayee : The Bihar agitation was by and large a peaceful one and credit for that goes to Shri Jaipraksh ji because thousand of agitated demonstrators desisted from violence despite provocative firing by Indira Brigade people only because of his exhortation to them to remain peaceful.

If the Ruling Party demands and agitates for dissolution of Kerala Assembly it is democratic but if the people demand dissolution of Bihar Assembly it is fascist—How can there be two yardsticks to pronounce judgment on similar incidents in different State in the country.

It is strange that no set procedure has been laid down to investigate into the charge of corruption even after many years of Independence. I, therefore congratulate the Kerala Government for laying down such a procedure where under anyone alleging in an affidavit accompanied by a deposit of Rs. 500/- can get those charges investigated through a commission.

I do not know why enquiry into the death of Shri Mishra and the bomb incident was instituted so late i.e. five weeks after the incident. I allege that this probe is also being tried to go in a particular direction by including the other bomb explosion in the house of one Shri Sahu. Secondly three probes have been ordered viz. CBI probe, Medical Team's probe and commission's probe. This is not understandable—Can these probes not be coordinated.

We want the mystery of Shri Mishra's death to be solved. But the mystery of the death of Shri H.K. Bosu and B.J.S. President Shri Upadhaya have remained unsolved and remember the probe was conducted by the same C.B.I.

If we want to dispel doubts from the minds of the public, we have to solve such mysteries. Mere maligning the opposition will not serve any purpose.

The Prime Minister is not in a mood for a dialogue with the opposition. This cannot serve democracy and it will lead to violence murder and anarchy who will remain safe ? We have therefore to accept probe in to all corruption charges and follow a national policy. If this adjournment motion can inspire my Congress friends to think in this direction, I would congratulate Shri Limaye for bringing this motion.

Shri Shankar Dayal Singh : I would start where Shri Vajpayee has finished and I would like to know how he says that there was no atmosphere of violence when the Samastipur Bomb incidents itself proves to the contrary and, the supporters of JP's agitation are responsible therefor.

Secondly, Shri Ram Vilas Jha, whose name has been mentioned here time and again was elected with Jan Sangh support to the Vidhan Parishad, I also want with Shri Vajpayee not to make a political issue of this incident. But the coverage and editorial in 'the Motherland' prove otherwise.

Shri R.S. Pandey (Rajnand gaon) : When I referred these articles, Shri Vajpayee had said that he was not in agreement with the entire contents thereof. That means he disliked it, denounced it.

Shri Atal Behari Vajpayee : He is putting words in my mouth.... *(Interruptions)*

Shri Shankar Dayal Singh : I am of the view that the viciousness and venom let loose in the winter Session made the atmosphere explosive enough to end in this tragedy. I am sorry to say that despite the Speaker's advice the campaign of vilification against the late Shri Mishra was not stopped and some members of the opposition acted in a very unbecoming manner even while the condolence resolution was being passed here.

Lastly, I suggest to the hon. Minister of Home Affairs to bring to light the person or party behind this tragedy. I also appeal to the opposition to submit all facts in their possession before the Enquiry Commission. Also, the Mathew Commission should be asked to expedite the enquiry. I also want that if any party is found involved, it should be banned. Government should deal firmly with those responsible for vitiating the political climate of the country. The causes of late arrival of the train carrying the injured Shri Mishra from Samastipur to Danapur should also be investigated because everybody thinks that Shri Mishra could be saved if timely medical aid were forthcoming.

Lastly, I appeal to the opposition not to indulge in such activities as weaken democracy in the country.

With these words I appeal to Shri Limaye to withdraw his Adjournment motion.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सभी सदस्यों ने 2 जनवरी की घृणित और निन्दनीय घटना की निन्दा की है क्योंकि लोकतन्त्र में निर्णय चर्चा और बातचीत से होते हैं न कि हिंसा आदि से । परन्तु मेरा अनुरोध है कि स्वयं सत्तारूढ़ दल को इस घटना को राजनीतिक बनाने और बिहार आंदोलन और जयप्रकाश जी पर दोषारोपण करने की अपेक्षा गम्भीरता से जांच करके अपराधियों का पता लगाना चाहिए । आश्चर्य की बात है कि श्री शंकर दयाल सिंह जी ने गत सत्र में हमारे भाषणों और हमारी इस मांग को श्री मिश्र की मृत्यु से जोड़ दिया है कि पांडीचेरी मामले में लाइसेंस देने के पूरे मामले की संसदीय जांच होनी चाहिए । स्वयं श्री सिंह ने माना है कि श्री मिश्र को डाक्टरी सहायता देने में काफी विलम्ब हुआ है ।

सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पहला आरोप काफी गम्भीर है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने इस की पूर्ण उपेक्षा की है ।

'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने पाया कि राज्य सरकार ने श्री मिश्र के दौरे के प्रति उदासीनता बरती थी । श्री मिश्र के भाई के अतिरिक्त राज्य का कोई भी मंत्री इंस्पैक्टर जनरल, मुख्य सचिव आदि समारोह में सम्मिलित नहीं हुए । आगे कहा गया है कि श्री मिश्र की हत्या के बाद भी कोई सरकारी अथवा राजनीतिक नेता बम विस्फोट वाले घटनास्थल पर नहीं गया । सरकारी तथा राजनीतिक स्तर पर राज्य द्वारा प्रदर्शित उदासीनता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचारों में बताया गया है कि बम विस्फोट के बाद रेल मंत्री को डाक्टरी चिकित्सा देने में असाधारण विलम्ब स्वर्गीय श्री मिश्र के विरुद्ध रेलवे के उच्च डिविजनल अधिकारियों में व्याप्त शिकायतों के कारण था, जोकि उन अधिकारियों की दण्डनीय लापरवाही है । उन्होंने बम विस्फोट से हुए जख्मों के इलाज के लिए पटना ले जाने में विलम्ब किया है । यही अधिकारी इस देरी के लिए जिम्मेदार है । अतः जहां सत्ताधारी दल के राजनीतिक नेता विपक्ष की निन्दा करने का प्रयास करते हैं वहां समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का दूसरा मत है ।

हमें समाचार पत्रों एवं रेडियो की उन रिपोर्टों पर कुतूहल हुआ जिनमें कहा गया था कि उनके जख्म चर्म तक गहरे हैं और बाद में वही घाव घातक कैसे हो गए ? रेडियो पर प्रसारित समाचारों के अनुसार मंत्री महोदय को गम्भीर चोटें नहीं आयी थी।

श्री मिश्र समस्तीपुर 5.10 पर पहुंचे जबकि आकाशवाणी के 2 बजे के बुलेटिन में समाचार दिया गया कि उद्घाटन श्री मिश्र द्वारा पूजा एवं आरती द्वारा सम्पन्न हो गया। इससे आकाशवाणी की कार्यप्रणाली का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार यह ऐसे समाचार प्रसारित करता है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होते।

जांच ब्यूरो अभी तक इस दुर्घटना की सच्चाई जानने में असमर्थ रहा है। एक ओर तो तथ्यों का कुछ पता नहीं लग सका और दूसरी ओर वह किसी पर इसका उत्तरदायित्व थोपना चाहते हैं।

इतने विलम्ब से आयोग की नियुक्ति को 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने संसद के बजट सत्र में विरोधियों के आरोपों को निष्प्रभावी करने के लिये बताया है। 6 फरवरी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग की नियुक्ति का निर्णय मंत्रीमंडल की शीघ्रता में बुलाई गई बैठक में लिया गया था जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की थी। हमें भय है इस देरी के कारण बहुत से प्रमाण लुप्त हो गये होंगे। ऐसा सन्देह कांग्रेसी सदस्यों द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इसलिये हम दो कारणों से स्थगन प्रस्ताव पर आग्रह कर रहे हैं। एक तो यह कि समस्तीपुर में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के प्रति उदासीनता बरती गई थी और आयोग की नियुक्ति में विलम्ब हुआ है। यदि सरकार का ऐसा ही बर्ताव रहा तो संसदीय प्रजातंत्र का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए गृह मंत्री महोदय को सम्पूर्ण मामले पर संसदीय जांच की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक यह सभी बातें प्रकाश में नहीं लाई जाती तब तक ऐसी घटनाओं के दुहराये जाने को रोका नहीं जा सकता। यदि संसदीय जांच होती है तो जांच समिति के सत्तारूढ़ दल का बहुमत होगा। इस जांच से यह पता चल जायेगा कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कहां तक जिम्मेदार है। सरकार अपनी असफलताओं के लिए विरोधी पक्ष को दोष दे रही है। उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं है।

यह ठीक है कि श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या बहुत ही घोर अपराध था किन्तु उससे भी जघन्य अपराध यह था कि उन्हें चिकित्सा सुविधा सुरक्षा आदि देने में असाधारण विम्लब किया गया। जो कोई भी इसके लिए उत्तरदायी हैं उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि वह संकीर्ण राजनीति को त्याग कर श्री मधु लिमये के इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री के० रघुरामैया : जब सभा में यह वक्तव्य दिया गया था जिसमें स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के परिवार को सरकारी निवास छोड़ने के लिये कहा गया था, उस समय मैं यहां नहीं था।

मैंने मंत्रालय से इस बात की पुष्टि की कि इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यह बात निराधार सिद्ध करने के लिए अभी मैंने श्री विजय कुमार मिश्र से भी बात की। उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह का कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया है। मैं इतना बता दूं कि स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के प्रति हमारा पूर्ण आदर है और हम उनके परिवार को पूरा आराम पहुंचाना चाहते हैं।

Mr. Chairman : Although it is Shri Hari Kishore Singh's turn to make his speech but due to some unavoidable Circumstances, I allow Shri Parashar to make his speach first.

Shri Narain Chander Parashar (Hamirpur) : Shri Lalit Narain Mishra did appreciable work in gearing up the efficiency of railways. He was of the view that for the integrity and security of the country, it is essential that all the corners of the country should be connected with railway lines and he sacrificed his life for achieving this goal. He had to face a lot of difficulties in streamlining the functioning of railways. Shri Lalit Narain Mishra was a greatman. He laid down his life in the service of the people. Now we shou'd know the circumstances in which he lost his valuable life. According to that reports that appeared in papers, Shri Misura was told at Darbhanga airport that there was danger to his life. But he did not care. He was always ready to face any danger.

Today we have to see that what path we are following. Our friends from opposition parties instigate the workers not to work. If every Government Servant, whether he is a doctor or policeman, stops working, then what will happen to the economy of the country. Let us encourage ever one to work hard so that we may save democracy in the country. Let us try to improve the atmosphere in the country so that such incidents do not take place.

I agree with my friend Shri Shanker Dayal Singh that why the train carrying Shri Mishra took such a long time to reach Danapur ? This matter should be inquired into. Why was there so much delay in providing proper medical treatment to him ? When the bomb blasted, why did the security arrangements collapsed ? These all things are to be inquired into. It is Goverrment's first and foremost duty to bring the facts before the public.

It is good that the Goverrment have appointed a Commission to go in to the circumstances in which Shri Mishra lost his life. I think there is no need of a Parliamentary committee for this purpose. Whether it is a Commission or C.B.I. enquiry, they should give the correct findings. Every body in the country is anxious to know about this incident. Every citizen is eager to see that the persons involved in this incident should be given stringent punishment. Let us create a good atmosphere in which this mystry could be solved. Concrete steps should be taken in this regard and truth must be found out.

We have to change the atmosphere in the country. We should remove doubts from our minds. We should work hard for the development of the country. Shri Mishra wanted to develop the backward regions of the country and he was determined to achieve this goal. But unfortunately he could not do so.

We have to increase our efficiency. But some people on the one hand blame for inefficiency and on the other hand they themselves encourage it. Every Indian should contrebute for the development of the country.

We have to create confidence in the minds of the people. Every one is asking that what the Government have done in fixing the responsibility in connection with the death of Shri Mishra ? We have to satisfy people.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति महोदय इस अत्यधिक दुःखद स्थिति की एक मुख्य विशेषता यह है कि दोनों ही पक्षों की ओर से इस मामले की सच्चाई का पता लगाने पर बल दिया गया है।

यह एक आम भावना है कि समस्तीपुर बम कांड, जिसके परिणामस्वरूप श्री ललित नारायण की मृत्यु हुई एक दुःखद घटना है जो कि स्वतंत्र भारत में पहली बार हुई है। सभापति महोदय श्री ललित नारायण मिश्र नए वर्ष के दूसरे दिन घायल हुए। इस प्रकार यह नया वर्ष हम सबके लिए अशुभ सिद्ध हुआ। इस घटना की सर्वत्र निन्दा की गई है। दूसरे पक्ष के मेरे मित्र न केवल ओछी विचारधारा के ही नहीं अपितु वे एक कदम आगे भी बढ़ गए हैं। सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्रों ने जो कुछ कहा है, उससे ऐसे लगता है कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं की है और इसके लिए केवल वे ही चिंतित हैं। लोकतंत्र को बचाने का कार्य किसी एक व्यक्ति या एक दल का नहीं है। इसके लिए तो सभी प्रयत्नशील हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि प्रधान मंत्री खतरे में है तो लोकतंत्र भी खतरे में है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि देश में लोकतंत्र की रक्षा करने और अहिंसा का वातावरण बनाने में केवल सत्तारूढ़ दल की ही रुचि है।

अतः सभापति महोदय जब दूसरे पक्ष के हमारे मित्र हम पर चरित्र हनन का दोष लगाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चरित्र हनन का क्या अर्थ है ? क्या उनके अनुसार चरित्र हनन का अर्थ भ्रष्टाचार की पोल खोलना है ? यदि ऐसा है तो क्या फिर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का पोल खोलने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए ? क्या वे बता सकते हैं कि हमने इस तरह की कोई बात सभा में की है ? मैं मृतक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वह वास्तव में एक प्रिय और आकर्षक व्यक्ति थे। उनके निधन पर जितना दुख आपको है उतना ही हमें भी है। हम काफी समय तक साथ-साथ रहे हैं। हमने साथ ही काम किया है। हमने अपना राजनीतिक जीवन लगभग साथ-साथ आरम्भ किया था। आज आप लोगों में से जो उन्हें झूठा समर्थन दे रहे हैं, उन्हीं के कारण देश में ऐसा वातावरण पैदा हुआ है। यदि आप प्रधान

मंत्री को यह बता दें कि ऐसी बातों से देश में लोकतंत्र का विकास नहीं होता तभी लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। गलतियां हर एक से हो जाती हैं। किन्तु उन्हें बताना होगा कि आप यहां गलती कर रहे हैं। अन्यथा लोग मनमानी करेंगे और लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। अतः बेकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। आलोचना का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।

दूसरे पक्ष के मेरे मित्र विरोधी पक्ष के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों रखते हैं। यदि विरोधी पक्ष बेकार है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सारी बुद्धिमता और समझदारी का ठेका आपही लोगों ने लिया है? यदि विरोधी पक्ष बेकार है तो इसका कारण आप ही हैं। आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि आज यदि लोकतंत्र का झंडा खड़ा है तो केवल विरोधी पक्ष के बलबूते पर। आपको भी इस पर गर्व होना चाहिए।

प्रधान मंत्री से हमारे राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के लिये हमारी सद्भावनायें रही हैं। श्री मिश्र जैसे प्रिय और आकर्षक व्यक्ति के प्रति किसी को भी दुर्भावनायें नहीं हो सकती।

किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के भाषण में स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की दुःखद मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि वह सभा तथा मंत्रिमंडल के सदस्य रहे।

राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया। और यदि राष्ट्रपति ने श्री मिश्र की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है। राष्ट्रपति के भाषण में श्री हेमन्तकुमार बसु तथा श्री सूरज नारायण सिंह की हत्या का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलिये इसे तो हम इसलिए सहन कर लेंगे कि ये व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं थे। किन्तु एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का उल्लेख न करना जो कि सभा का ही नहीं, अपितु मंत्रिमंडल का सदस्य भी था, बहुत ही खेदजनक है। आप शायद ऐसा कहें कि प्रथा ही ऐसी है कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह का उल्लेख नहीं होता।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे कहते हैं कि यह मामला निर्णयाधीन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : शायद ऐसा हो किन्तु मैं आपको याद दिला दूं कि दो वर्ष पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम, भूटान के राजा की मृत्यु का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार कई बार महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु का उल्लेख किया गया है।

श्री मधु लिमये (बांका) : सामान्य व्यक्तियों का नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा उल्लेख केवल राजा या किसी रानी का होता है न कि श्री ललित नारायण मिश्र जैसे साधारण व्यक्ति का। हमें पूछा जा रहा है कि हमने यह स्थगन प्रस्ताव पेश क्यों किया है? इस प्रस्ताव को पेश करने से पूर्व सरकार ने क्या किया? सरकार के लिए शर्म की बात है। यदि इस संबंध में किसी समाचार पत्र ने कुछ प्रकाशित किया है तो उसे दोष दिया जा रहा है। **मदरलैंड** पर दोषारोपण किया जा रहा है **मदरलैंड** या **हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड** कोई भी गलत या सही सूचना देता है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सही जानकारी दी है? फिर इस बारे में जानकारी कहां से ली जाती?

वहां क्या हुआ? जब श्री मिश्र समस्तीपुर गए तो उनके साथ कई लोग थे। क्या उनमें से किसी से भी कोई जानकारी ली गई है? सरकार इस बारे में जनता को अंधेरे में रखना चाहती है। क्या इस बारे में कुछ बताया गया है कि बम कैसे फटा? जो लोग उनके साथ थे उनका क्या कहना है? ये सब बातें सरकार आवश्यक नहीं समझती। जो वहां थे वे सभी नहीं मरे। उनमें से थोड़े ही व्यक्ति मारे गए हैं। उन्हीं लोगों से जानकारी ली जानी चाहिए थी और फिर मामले की जांच की जानी चाहिए थी। क्या हमें इस बारे में जानने का अधिकार नहीं है? बम फेंका गया अथवा पहले ही वहां रख दिया गया जो कि किसी समय पर फट गया। घटना के पश्चात वहां पहले कौन पहुंचा? उन्होंने वहां क्या देखा? पहले जब इस तरह की घटनायें हुई हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। इस मामले में विशेषरूप से चुप्पी क्यों साधी जा रही है। क्या मामला दर्ज कर लिया गया है। यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत और कहां? (एक माननीय सदस्य : इसकी जांच की जा रही है) घटना के पश्चात श्री मिश्र की देखभाल किसने की? उनकी देखभाल का कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों सौंपा गया जो कि उन्हें जानता तक नहीं था? क्या वहां कोई अधिकारी पहुंचा? इसके लिए श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को भी बदनाम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उनको किस तरह की चिकित्सा सहायता दी गई? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। हम इन सब बातों का उत्तर चाहते हैं। केवल तभी इस घटना की ठीक प्रकार से जांच हो सकती है।

मेरा अनुरोध है कि इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाए। श्री एल०एन० मिश्र की हालत 5 बजे के लगभग गम्भीर हो गई थी। क्या इस बारे में जानकारी दिल्ली भेजी गई। क्या प्रधान मन्त्री या स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री को इस बारे में सूचित किया गया? मेरे दूसरे पक्ष के मित्रों को याद होगा कि जब सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या हुई थी तो लगभग 7,000 व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। लगभग 5,000 मोटर गाड़ियां इधर उधर दौड़ाई गई और हजारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। किन्तु क्या इस मामले में इस तरह की कोई बात की गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि इस मामले में इस तरह गम्भीरता से कोई कार्यवाही की जा रही है। शायद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया हो किन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, जिसने उन्हें पहले देखा। उन्हें क्यों नहीं पूछा गया है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख गृह मन्त्री को सभा में पहले ही दिन कर देना चाहिए था। यदि कोई वक्तव्य परिचालित कर दिया जाता तो हम यह स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं करते और वक्तव्य पर ही विचार कर लेते।

हम इस घटना से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं कर रहे हैं जैसा कि प्रधान मन्त्री तथा अन्य कर रहे हैं। इसे राजनीति का रंग किसने दिया? क्या श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन ने? मैं इस आन्दोलन को भलीभांति जानता हूं। किन्तु श्री मिश्र की मृत्यु के कारण आपने जो भी राजनीतिक प्रचार किया है वह असफल रहा है। आपने विरोधी पक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया है। किन्तु जनता वास्तविकता को जानती है।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कांग्रेसी सदस्य श्री जयप्रकाश नारायण को दोशी ठहरा रहे हैं। सत्य तो यह है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने एक राजनीतिक सभा को शोक-सभा में परिवर्तित कर दिया। दूसरी ओर हमारी प्रधान-मन्त्री हैं जो शोक-सभा को राजनीतिक सभा में बदलना चाहती हैं कितनी विषमता है।

श्री मधु लिमये ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या प्रधानमन्त्री ने श्री एल०एन० मिश्र के साथ भेंट के दौरान 23 दिसम्बर को कहा था कि वह मन्त्रिमन्डल से त्याग पत्र दे दें? लेकिन प्रधानमन्त्री ने तत्परता के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार विपक्षी सदस्य की बात से असहमत हो सकती है लेकिन सरकार साम्यवादी दल के सदस्य का अविश्वास किस प्रकार कर सकती है। संसद सदस्य श्री योगेन्द्र शर्मा जोकि सी०पी०आई० के एक वरिष्ठ मदस्य हैं ने बताया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री मिश्र को इस बात के लिए राजी किया था कि वह श्री गफूर की जगह बिहार के मुख्य मन्त्री का पद सम्भालें। इसी प्रकार विधान-सभा सदस्य श्री आर०के० गर्ग ने पत्रकारों को बताया कि समस्तीपुर बम विस्फोट के शिकार होने से पूर्व श्री मिश्र ने श्री शर्मा को प्रधान मन्त्री की पेशकश के बारे में बताया था। प्रधानमन्त्री को ऐसे वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए।

विपक्षी सदस्यों ने समस्तीपुर बम विस्फोट की जांच करवाने के लिए जांच आयोग गठित करने की मांग की थी। हम पर यह आरोप लगाया गया कि यह मांग प्रतिक्रियावादियों की है फासिस्टों की है। लेकिन अन्त में सरकार को घुटने टेकने पड़े और इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। जब हमने यह मांग की थी तो साम्यवादी दल ने इसका विरोध किया था। लेकिन लगता है कि अब उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया है। आरम्भ में सी०पी०आई० ने भी जांच आयोग की नियुक्ति का विरोध किया था।

क्या सरकार मैथ्यु आयोग की कार्यवाही की निष्पक्षता के बारे में गम्भीर है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार साथ साथ 4–5 एजेंसियों से जांच कराने में क्या औचित्य है? मैं विशेष रूप से दो प्रकार की जांचों का जिक्र करना चाहता हूं। एक जांच कार्यपालिका द्वारा की जा रही है और दूसरी न्यायपालिका द्वारा। सरकार किस जांच से संतुष्ट होगी?

केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भारत सरकार का ही एक अंग है। जांच आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य मामले की न्यायिक तथा निष्पक्ष जांच करवाना है।

आज प्रातः समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि नये रेल मन्त्री ने बिहार के सिंचाई मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र को बताया है कि स्वर्गीय रेलमन्त्री को समस्तीपुर से पटना या दानापुर ले जाने में विलम्ब किए जाने के कारणों की जांच के लिये रेलवे विभाग अलग से जांच करवायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक किस्म की जांच और करवाई जाएगी। मेरे विचार में यह विधिसंगत नहीं है। सदन को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए।

माननीय गृह मन्त्री ने सबको यह सलाह दी थी कि वे जांच के निष्कर्षों के बारे में अभी कोई टिप्पणी न करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले इस सलाह का निरादर किसने किया? सत्य तो यह है कि प्रधानमन्त्री ने स्वयं

ही सबसे पहले इस सलाह की अवहेलना की। प्रधानमन्त्री ने 7 जनवरी को यह बयान दिया कि इस मामले में जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका राजनीतिक कारण है।

प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में श्री जयप्रकाश नारायण को दोषी ठहराया। उनके इस कथन के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला तो यह कि यह मामला जटिल है। दूसरा यह कि इस घटना के पीछे कोई गहरा राजनीतिक कारण है। यदि यह बात सही है, तो मेरे विचार में जांच करवाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो उचित एजेन्सी नहीं है। यह ब्यूरो मामले की मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि पहलुओं पर गहराई से जांच नहीं कर सकता। जो भी हो, सरकार लोगों के मन से इस आशंका को दूर नहीं कर सकती कि वह जांच में विलम्ब के लिए जिम्मेदार है। अतः स्थगन प्रस्ताव लाना न्यायोचित ही है।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri) : The murder of Shri L.N. Mishra is a slur on the working of Parliamentary democracy. He was murdered in mysterious circumstances. It shall take long time to unveil the mystery of the murder. A number of enquiries have been constituted to go into the incident and one of the enquiries is being conducted by the Mathew Commission. Is it a fact that efforts have been made to influence the commission ?

A demand had been made earlier for the appointment of the Commission of Enquiry. Now that the Government have appointed the Mathew Commission, it is being contended that because C.B.I. is arriving a certain conclusion, the Mathew Commission has been appointed to conduct an enquiry. Such a contention is very unfortunate.

Some hon. Members are giving political colour to the incident. It is unfair on their part to think like this.

Shri Madhu Limaye had asked why a non-Bihari M.P., Shri Yash Pal Kapoor, was present in Samastipur. The factual position is this that he had gone there in connection with the organisational elections. He was sent there as a Returning Officer by Congress President. It is useless to create atmosphere of suspicion by giving twist to small things.

Shri Madhu Limaye : I had quoted the 'Hindustan Standard' only.

Shri Hari Kishore Singh : I agree with the opinion of certain Members that atmosphere of suspicion prevails in the country and it has affected our Parliamentary democracy. It is high time for us to pave way for strengthening the Parliamentary democracy in our country. The responsibility for this lies on both the Government and the opposition.

Now I want to raise two-three points. Firstly, the Government should make a categorical statement as to who was responsible for making security arrangements at Samastipur for the visit of Shri L.N. Mishra. Secondly, enquiry should be conducted to go into the statement made by Dr. Bhalla. Thirdly, a clear-cut procedure should be laid down in connection with security arrangements for Central Ministers and leaders of other parties.

With these words, I request Shri Madhu Limaye to withdraw his adjournment Motion as it is not proper time to discuss it.

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : Members of the Ruling Party are contending that fascist forces are creating an atmosphere of violence and hatred in the country and it is this atmosphere which is responsible for the murder of Shri L.N. Mishra. On the other hand not only opposition parties but also the common people are of the view that Shri L.N. Mishra was murdered because those who are in power wanted to cover up corruption.

It is being said that somebody had told Shri L.N. Mishra in Darbhanga not to proceed to Samastipur as his life would be in danger there. If an ordinary person had this information how is it that the C.B.I., C.I.D. or the Prime Minister, the Home Minister or the Bihar Chief Minister did not know about it. If the C.I.D. people did not know about it, it is the proof of their gross inefficiency. It is strange that the Government with all its intelligence agencies did not have this information. The Government have failed to protect the life of a Central Minister. It is also strange that our Prime Minister is blaming opposition parties for the death of Shri L.N. Mishra. Government have not been able so far to apprehend the culprit.

It is reported in the Press that the bomb which exploded at Samastipur was manufactured in an ordnance factory. It means that the bomb was taken away from an ordnance factory owned by the Government. It shows nothing but the inefficiency of the Government.

Soviet news paper 'Pravada' has reported that reactionary forces have hand behind the murder of Shri L.N. Mishra. P.T.I. has also reported that reactionary forces killed Shri L. N. Mishra. It is of no use to cast aspersion on any body.

The Government have ordered three enquiries; one by medical experts, another by C.B.I. and the third by a Supreme Court judge. These enquiries cannot be impartial. If a Supreme Court judge delivers such a judgement which does not suit Government, he may lose his seniority and if the C.B.I. officer goes against the wishes of the Government, he may meet the fate of Shri Ramanathan. Therefore, I want that a Parliamentary Committee should be constituted to go into this incident. I would request the Members of the Ruling party to raise their hands in favour of the Adjournment motion.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The murder of Shri L.N. Mishra will be recorded as a blot in our history. It was a political murder. With regret I have to say that some Members of opposition parties have not taken this subject seriously.

Shri L. N. Mishra was an able administrator, an intelligent person and he occupied a prestigious position in the Government. He was the son of the soil. When the criticism of his opponents could not deviate him from his path of service to the people, he was murdered.

Today fascist forces are very active in the country and particularly in Bihar. A climate of violence is being created. But those who are indulging in such activities should not forget that they shall also have to bear its fruit.

The situation which has arisen out of this bomb blast is, of course very serious and we should take it with all the seriousness. The criticism should not be only for the sake of criticism. It is an accepted fact that it is a political murder. It must be ensured that such like incidents are not repeated in future. We should not ignore the danger which our democracy is facing with the growth of fascist elements.

It is my appeal to all the hon. Members of the House and specially my friends on opposition side that we extend our whole-hearted co-operation to the Government for diging out the conspiracy.

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कांग्रेस दल के मेरे कुछ मित्रों ने अपने भाषण में स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के राष्ट्रीय जीवन में दिये गए योगदान के बारे में काफी कुछ कहा है। राजनीतिक दृष्टि से भले उनके साथ हमारा मतभेद रहा हो, परन्तु उनके योगदान को हम भी स्वीकार करते हैं। परन्तु अपनी भावाभिव्यक्ति करते समय हमें यह अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि हम बम कांड पर चर्चा कर रहे हैं न कि उनके निधन सम्बन्धी शोक प्रस्ताव पर।

वास्तविक बात यह है कि ज्यों ज्यों एक के बाद दूसरा रहस्य सामने आता जा रहा है त्यों त्यों देश के राजनीतिक क्षितिज पर उमड़ने वाले रहस्य और शंका के बादलों में वृद्धि होती जा रही है। मेरे माननीय मित्रों श्री वाजपेयी, श्री श्यामनन्दन मिश्र तथा श्री लिमये ने अनेक रहस्यपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वृतांत दिया है, मैं उसकी पुनरावत्ति तो नहीं करना चाहता परन्तु मैं इसी सम्बन्ध में एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि श्री अनिल चोपड़ा की मृत्यु भी इसी प्रकार की रहस्यात्मक परिस्थितियों में हुई। मैंने इसके बारे में गृहमन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्री को विस्तारपूर्वक लिखा परन्तु अभी तक मुझे उनसे केवल मात्र अपने पत्रों की 'प्राप्ति' ही प्राप्त हुई है। इस सबसे केवल यही बात हमारे समक्ष आती है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके बारे में सम्पूर्ण देश में शंक तथा सन्देह का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

समस्तीपुर दुर्घटना का महत्व इस बात के लिए इतना नहीं है कि वहां क्या कुछ हुआ, परन्तु इस बात के लिए और अधिक है कि वहां क्या कुछ नहीं हुआ। घटनाओं के सम्पूर्ण चक्र में अनेक भूलें हमारे समक्ष आती हैं जिनसे रहस्य के बादल और गहरे हो जाते हैं तथा श्री मिश्र की मृत्यु का रहस्य जानने की जिज्ञासा में वृद्धि हो जाती है। अतः संसद तथा देश दोनों के लिये ही इस रहस्य का पता लगाना स्वाभाविक हो जाता है।

हमारे कुछ माननीय मित्रों ने इसलिए हमारी आलोचना की है कि हम यह विषय स्थगन प्रस्ताव के रूप में क्यों लाए। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमने तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सभा के कार्य को ही रोका है परन्तु हमारी सरकार और प्रधानमन्त्री तो सम्पूर्ण प्रजातन्त्र को ही रोकने या समाप्त करने पर तुली हुई है। निश्चय ही उनके इरादे काफी खतरनाक लगते हैं। परन्तु अब देश में उनके प्रति आक्रोष बढ़ता जा रहा है और यह बात उपचुनावों में स्पष्ट हो चुकी है।

मेरे कुछ माननीय मित्रों द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के नाम को भी इस चर्चा में घसीटने का प्रयत्न किया गया है। वास्तविकता यह है कि आज श्री जयप्रकाश नारायण हमारे देश के लोकनायक के रूप में उभर चुके हैं और बिहार के आन्दोलन को अहिंसक बनाये रखने का सम्पूर्ण श्रेय उन्हें प्राप्त है। गांधी जी जब स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता थे तो उन्हें हिंसा के कारण एक बार अपना आन्दोलन बन्द करना पड़ा था परन्तु श्री जयप्रकाश नारायण ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी है। उनका उद्देश्य सत्ता लेना नहीं अपितु सत्ता में सुधार करना है। और यही उनकी सफलता का रहस्य है।

इस मामले की जांच एक नहीं अपितु अनेक संस्थाओं द्वारा की जा रही है। बिहार सरकार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अस्पताल अधिकारी तथा रेल प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। इतना ही नहीं अब मैथ्यू आयोग को यह कार्य सौंप दिया गया है। क्या यह एक विचित्र बात नहीं है? कि सरकार ने जांच आयोग की घोषणा करने में तो इतनी देर की परन्तु प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों तथा भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तियों की निंदा करने में काफी तीव्रता दिखाई। सरकार की इस असामान्य तीव्रता से यही पता चलता है कि प्रधान मंत्री के उद्गार, समस्तीपुर कांड के तुरन्त बाद के सहसा उद्गार नहीं अपितु श्री जयप्रकाश के आन्दोलन और विरोधी दलों को बदनाम करने का पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। इसी सन्दर्भ में एक और अजीब बात देखिए। स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के भाई श्री जगन्नाथ मिश्र के कुछ वक्तव्य आकाशवाणी से 11 फरवरी को प्रसारित किये गए। इन वक्तव्यों में मुख्य बात यही थी कि श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं था। परन्तु यह वक्तव्य केवल आकाशवाणी पर ही प्रसारित हुआ। यह न तो समाचार पत्रों में पहले छपा और न ही बाद में। इसी प्रकार की अनेक असंगतियों से तो यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री, सरकार तथा कांग्रेस दल द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो केवल हमारे लोकतंत्र के लिए ही नहीं अपितु हमारे जनजीवन के लिए भी घातक है। यही कारण है कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी): मुझे अपने माननीय सहयोगी स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के असामायिक निधन पर गहरा शोक है परन्तु इसके साथ ही मुझे इस बात पर भी खेद है कि समस्तीपुर बम विस्फोट संबंधी इस चर्चा का अधिकांश भाग असंगत रहा और उसमें अन्य राजनीतिक पहलू को व्यर्थ में शामिल किया गया। मैं सभा के समक्ष तथ्यों को ही प्रस्तुत करूंगा।

हम सब को यह मालूम ही है कि 2 जनवरी को श्री ललित नारायण मिश्र, समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिये लगभग 5.10 बजे मध्याह्न पश्चात् वहां पहुंचे। औपचारिक परिचय आदि के बाद श्री मिश्र ने वहां लगभग आधे घंटे भाषण दिया। जब वह अपना भाषण समाप्त करने के बाद मंच से उतर रहे थे तो उस समय एक भारी विस्फोटक धमाका हुआ। इस विस्फोट में श्री एल० एन० मिश्र, श्री जगन्नाथ मिश्र, संसद सदस्यों, विधायकों तथा रेल कर्मचारियों सहित 28 व्यक्ति जख्मी हुए। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तुरन्त श्री ललित नारायण मिश्र की परीक्षा की गई तथा उन्हें और श्री जगन्नाथ मिश्र को विशेष रेल गाड़ी द्वारा दानापुर भेज दिया गया। गाड़ी आधी रात को दानापुर पहुंची जहां मैडिकल कालिज के सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों द्वारा श्री मिश्र की जांच तथा आपरेशन किया गया। 3 जनवरी 1975 की सुबह को श्री मिश्र स्वर्ग सिधार गए। इसी दुर्घटना में जख्मी होने वाले एक अन्य व्यक्ति श्री आर० के० पी० किशोर की मृत्यु 3 जनवरी को हो गई।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट के बाद, उसी दिन एक अन्य बम विस्फोट उत्तर रेलवे के सहायक लेखा अधिकारी श्री महादेव साहु के घर भी हुआ। दोनों ही मामलों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एक वरिष्ठ सी०बी० आई० पुलिस अधिकारी को जांच में सहायता हेतु नियुक्त किया गया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या आप यह बतायेंगे कि दूसरा विस्फोट कब हुआ और मामलों को दर्ज कब किया गया?

ब्रह्मानन्द रेड्डी: दूसरा विस्फोट लगभग 8 बजे हुआ।

समाचार पत्रों में छपने वाले अब तक के समाचारों में बम विस्फोट, उसकी किस्म तथा सम्बद्ध व्यक्तियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अनेक कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं। इस प्रकार की बेबुनियाद कहानियों से जहां जनता के मन में संदेह उत्पन्न होता है वहां दूसरी ओर व्यर्थ अफवाहों को भी जन्म मिलता है। जब विभिन्न पक्षों, संसद सदस्यों तथा राजनीतिक दलों द्वारा बार बार इस मामले की सम्पूर्ण जांच की मांग की गई तो सरकार ने इसके बारे में 10 फरवरी, 1975 को एक आयोग की नियुक्ति कर दी। यह जांच आयोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० के० मैथ्यू की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्य दुर्घटना की सामान्य पृष्ठभूमि, दोनों बम विस्फोटों के कारणों, दुर्घटना के दौरान श्री एल० एन० मिश्र की सुरक्षा हेतु किए गए उपायों की पर्याप्तता, विस्फोट के बाद उन्हें उपलब्ध करवाई जाने वाली चिकित्सीय सहायता आदि संबंधी सभी सम्बद्ध पहलुओं की जांच करना है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अपनी जांच जारी रखेगा क्योंकि उसका उद्देश्य अपराधियों को न्यायालय में लाना है। आयोग का कार्य क्षेत्र उससे भिन्न तथा विस्तृत है तथा वह 3 महीनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा।

यह हत्या का मामला है और इस सभा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तथ्यों का पता लगाया जाये। राजनीतिक आरोपों एवं प्रति आरोपों से तथ्यों का पता लगाने में सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सदन से विशेष रूप से विरोधी पक्ष से निवेदन करता हूं कि इन आरोपों प्रत्यारोपों की शृंखला को समाप्त किया जाए ताकि सत्य और न्याय की रक्षा हो सके।

आरोप लगाया गया है कि वहां पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। मैं कह सकता हूं कि वहां पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां पर सी० आर० पी० बिहार पुलिस आदि द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध किया गया था। यह भी कहा गया है कि उक्त सभा में बिहार सरकार का कोई भी मंत्री नहीं था। कई केन्द्रीय मंत्री कई क्षेत्रों में समारोहों में भाग लेने जाते हैं उनमें राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा हिस्सा लेना आवश्यक नहीं है।

देश में व्याप्त हिंसा एवं घृणा के वातावरण के विरुद्ध प्रधान मंत्री ने 7 फरवरी, को वक्तव्य दिया था। आयोग की नियुक्ति के बारे में आप कह सकते हैं कि यह विलम्ब से की गई है। क्या विश्व के किसी देश में ऐसा कोई उदाहरण है जहां जांच ब्यूरो की जांच चलते हुए निष्पक्ष जांच समिति नियुक्त की गई है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र: हमें वास्तव में आप की बात समझ में नहीं आई।

श्री मधु लिमये : व्यर्थ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही थी तब किसी भी व्यक्ति के लिए वक्तव्य देना कहां तक उचित है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जिन अधिकारियों ने घटनास्थल की यात्रा की उन्हें अपने अनुभव बताने चाहिएं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: श्री एल० एन० मिश्र का व्यक्तित्व सारे सदन में प्रिय एवं आकर्षक था। क्या यह दोनों पक्षों का कर्तव्य नहीं है कि सच की खोज की जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए।

अतएव मैं सदन से निवेदन करता हूं कि जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच जारी है तब तक सभा में कोई वक्तव्य न दिया जाए। जैसे कि हममें से कई सदस्यों ने समझा है कि यह नियोजित हत्या का मामला है अतः हमें कुछ धैर्य रखते हुए जांच कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

वाद-विवाद के दौरान कांग्रेसी तथा विपक्षी सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किया है कि क्या गाड़ी समय पर चली थी और दानापुर स्टेशन पहुंचने पर तुरन्त चिकित्सा सुविधायें दी गई अथवा नहीं। यह कुछ मामले हैं जो आपके और जनता के मनों को उत्तेजित कर रहे होंगे। इसी उद्देश्य के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की गई है जिसके निदेश-पद काफी व्यापक हैं; अर्थात् उन तथ्यों तथा परिस्थितियों की पृष्ठभूमि का पता लगाना जिसके कारण विस्फोट हुआ, सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता अथवा कमी और दी गई चिकित्सा सुविधा की पर्याप्तता आदि सम्मिलित हैं।

यदि किसी भी पक्ष का कोई सदस्य जांच आयोग के समक्ष कोई बात रखना चाहता है तो समुचित ढंग से वह ऐसा कर सकता है।

संसदीय जांच की मांग की गई है। क्या उक्त जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा रही निष्पक्ष जांच से श्रेष्ठ होगी ?

हम सब देश के भविष्य निर्माण के लिए उत्सुक हैं। अतएव हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करने चाहिएं।

अन्त में मैं सदन से विशेषत: विरोधी पक्ष से निवेदन करता हूं कि सन्देह त्याग कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जा रही जांच में सहयोग दें।

Shri Madhu Limaye: Had the statement given by the Prime Minister on 3rd been in tune with the statement given by the Home Minister now, there would not heve been atmosphere of suspicion in the country. Could not the Prime Minister take the decision earlier in cooperation with the opposition members to appoint the Mathew Commission. I alleg that it was a pre-planned scheme of the Government to deliberately blackmail the opposition.

It is being said that this incident is outcome of the atmosphere of hatred. But how the people can be excited by the speeches. It can lead the people to disturb some meetings, resort to stone threwing and acts of beating etc. But that incident was not of that kind. A severe bomb blast took place in a planned manner. It was done in a well planned manner.

Please do not try to mislead the people. This is a serious crime. If you have dedication towards democracy, why do you not take up concrete steps in the right direction.

It has been said in the Presidential address that our relations with Pakistan and other neighboring countries are becoming normal and cordial. Why do you not then end the emergency which was declared on 3rd Dec., 1971. The continuance of the state of emergency gives extraordinary power to the Government.

I would have admitted your allegiance towards democracy if you had withdrawn the state of emergency in the country for maintaining fundamental rights of the people.

If the Prime Minister wants to protect the democracy in the country and stop the atmosphere of violence in the country then she must try to stop the violence being committed by the Government itself. The violence by the people is of ordinary nature where as the continuous violence by the Government also needs to be checked.

The Covernment has now come to senses because their propaganda tacties have failed. The ruling party is on the defensive today because of our allegiance towards demoeracy and people love for our side. The people have lost faith in the Government.

There has been inordinate delay in this matter. This should have been done much earlier.

As the reasons for which the adjournment motion was brought here still hold good, I do not withdraw it.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

तम्बाकू बोर्ड विधेयक----जारी

TOBACCO BOARD BILL (*contd.*)

सभापति महोदय: अब हम तम्बाकू बोर्ड विधेयक पर आगे चर्चा जारी करेंगे ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : जैसे मैं उल्लेख कर रहा था ···।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 19 फरवरी, 1975/30 माघ, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 19th February 1975/30th Magha, 1896 (Saka)

[GIPNLK—3/Lok Sabha/75—24-5-75—200 Copies.